NOT TO BE ISSUED

त्रयोदश माला, खंड 12, अंक 20

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2000
24 अग्रहायण, 1922 (शक)

FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ....
Date ....

(खण्ड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

बी०के० पाठक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 12, पांचवा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 20, शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2000/24 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 383.	3-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 384 से 400.	27-48
अतारांकित प्रश्न संख्या 4146 से 4323 . .	48-276
सभा पटल पर रखे गए पत्र	276-287
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	287
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन. . .	288
सभा का कार्य	288-298
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
डाककर्मियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल	
श्री बसुदेव आचार्य	301
श्री रामविलास पासवान. . . .	302
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति	309
श्रीमती श्यामा सिंह . .	311
श्री अजय चक्रवर्ती	312
श्री जी०एम० बनातवाला	314-322
विधेयक—*पुर:स्थापित*	
(एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक.	322
(दो) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक .	323
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	323
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती मेनका गांधी.	329
श्री पवन कुमार बंसल	331-335
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	335

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(एक) गन्ना उत्पादकों की समस्याएं	
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह .	336
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी. . . .	339
श्री के०के० कलिअप्पन.	342
योगी आदित्य नाथ .	345
श्री रामजीलाल सुमन .	349
श्री अधीर चौधरी .	352
श्री राजीव प्रताप रूडी .	353
श्री प्रभुनाथ सिंह. . .	355
श्री गिरधारी लाल भार्गव .	359
श्री राम नगीना मिश्र . . .	360
प्रो० रासासिंह रावत. .	365
श्री शान्ता कुमार	367
डा० मदन प्रसाद जायसवाल . . .	370
(दो) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निधियों का अल्प उपयोग	
डा० वी० सरोजा	372
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन	
सत्रहवां प्रतिवेदन	373
आधे घंटे की चर्चा	
दलहनों का उत्पादन	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय.	374
श्री खारवेल स्वाइं	377
श्री श्रीपाद येसो नाईक	379-382

लोक सभा

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2000/24 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है। इसलिए हमारी बात को सुना जाए। *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : सर, अब ये डिमान्सट्रेशन हाउस के अंदर भी शुरू हो गया, ये क्या है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल शुरू होता है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव, इश्तहार, लगाने की अनुमति नहीं है। कृपया अपने स्थान में चले जाइए। कृपया वापस अपने स्थान पर जाइए।

[हिन्दी]

मि० पप्पू यादव, आप अपनी सीट पर जाइये, मैं आपकी बात सुनूंगा। *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोक सभा है इसका औचित्य रखना चाहिए और क्वश्चन ऑवर ठीक से चलना चाहिए, रोजाना क्वश्चन ऑवर को डिस्टर्ब किया जाता है जो कि बहुत गलत है। इस प्रकार के सदस्यों को आपको समझाना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : ये क्या लगा रखा है, हाउस में डिमान्सट्रेशन कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव अध्यक्ष महोदय से मिलें। माननीय महोदय ने इन्हें 'शून्यकाल' में इस मामले को उठाने की अनुमति दी थी। मैं इन्हें शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाने की अनुमति दे रहा हूं। वे अपने सारे इश्तहार निकाल लें और सभा के बीच में न जाएं। वे 'शून्य काल' तक प्रतीक्षा करें।

अब प्रश्नकाल शुरू होता है। सं० 381, श्री पी०आर० किन्डिया।

श्री विजय गोयल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है हमने अभी प्रश्नकाल शुरू भी नहीं किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। हमने अभी प्रश्नकाल शुरू भी नहीं किया है। यह क्या है ?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। हाउस शुरू हो चुका है।

[अनुवाद]

नियम में कहा गया है कि कोई सदस्य सभा में कुछ भी प्रदर्शित नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें पहले ही इश्तहार प्रदर्शित करने से मना किया है। अब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि अपने सभी इश्तहार निकाल लें। आप सभा में व्यवधान उत्पन्न क्यों कर रहे हैं ?

श्री विजय गोयल : महोदय, मुझे खेद है। धन्यवाद।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप क्या कह रहे हैं। कृपया अपने स्थान में बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : आप पप्पू यादव पर क्यों नाराज हो रहे हो, वह तो हमें फोटो दिखा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों नाराज हो रहे हो। आप मुझे नाराज होने की बात कह रहे हैं, मैं कहां नाराज हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, रमजान है आप खुश रहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मैं खुश हूं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए निर्यात विकास कोष

***381. श्री पी०आर० किन्डिया** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु निर्यात विकास कोष गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात विकास कोष के प्रचालन हेतु क्या कार्य-विधियां हैं; और

(ग) किन-किन निर्यात गृहों/उद्यमियों को इस कोष से लाभ पहुंचा है और प्रत्येक राज्य को एजेन्सी-वार और उद्देश्य-वार अब तक कितनी धनराशि वितरित की गई ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सिक्किम सहित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों को बढ़ाने के लिए विशिष्ट क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) की स्थापना की गई है। सभी क्रियाकलाप, जिनका इस क्षेत्र से निर्यातों के साथ संबंध है और जो निर्यातों की मदद के लिए तैयार किए जाते हैं, इस निधि से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों के संवर्धन में जुटी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र की एजेंसियां इस निधि के तहत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

इस निधि की स्थापना सितम्बर, 2000 में की गई है, जिसके लिए समाप्त नहीं होने वाले विधि-पूल से 5 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि प्राप्त की गई है। इस निधि की देख-रेख वाणिज्य विभाग के निर्देशों के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा की जा रही है। इस निधि से सहायता प्राप्त करने के कार्य-संचालन हेतु दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं और सभी राज्य सरकारों/संबंधित एजेंसियों को परिचालित कर दिए गए हैं। इसका व्यापक प्रचार भी किया गया है।

प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें स्वीकृत करने हेतु वाणिज्य विभाग में एक शक्ति प्रदत्त समिति गठित की गई है। यह समिति स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करेगी।

निधियां प्रस्ताव प्राप्त होने और उनकी जांच होने के बाद जारी की जाएंगी। अभी तक इस योजना के तहत कोई निधि जारी नहीं की गई है।

श्री पी०आर० किन्डिया : देश के विभाजन के पश्चात् पूर्वोत्तर क्षेत्र, 22 मील के संकरे भूमि मार्ग को छोड़कर भारत के मुख्य भूभाग से कट गया। पूरा क्षेत्र चार देशों अर्थात् बंग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। इसकी पूरी अर्थव्यवस्था वस्तुत: पड़ौसी देशों से इसके संबंधों पर निर्भर करती है। हमारे क्षेत्र के साथ बहुत लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है। यह सीमा लगभग 4793 कि.मी. है जो भारत के भूभाग सीमा का एक तिहाई है।

जब प्रधानमंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिलांग में आए थे तो उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में सामाजिक आर्थिक विकास की घोषणा की थी। इस संदर्भ में उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय के संबंध में दो बहुत महत्वपूर्ण बाते कहीं थी। पहला, वह जो मैंने निर्यात विकास निधि के बारे में पूछा था। मेरे पास लिखित उत्तर था। लेकिन, दुर्भाग्यवश, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई प्रस्ताव ही नहीं है और योजना के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

महोदय, में आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं। इस घोषणा में मणिपुर में मोरे, मिजोरम में जोखावथर, मेघालय में दावकी तथा असम में सूतेरखांडी के सीमा उपनगरों का विकास भी शामिल है। इन चार उपनगरों का विकास 20 करोड़ रुपये की लागत में दो वर्ष के भीतर किया जाना है। सीमा व्यापार और सीमा विनिमय के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्व पर विचार करते हुए जब प्रधानमंत्री ने इस धनराशि की घोषणा की तो यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। अब दिसम्बर चल रहा है और यह घोषणा शिलांग में इस वर्ष 22 जनवरी को की गई थी। हम तथ्यात्मक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। इन उपनगरों के विकास की प्रगति की मौजूदा स्थिति क्या है क्योंकि मूलरूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन उपनगरों का विकास करते हैं ?

श्री उमर अब्दुल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जनवरी माह में शिलांग में एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी जिसमें उन्होंने वायदा किया था कि वे चार सीमा उपनगरों का विकास करेंगे। माननीय मंत्री इसका उल्लेख कर चुके हैं। इसलिए, मुझे दोबारा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि ये नई परियोजनाएं वाणिज्य मंत्रालय की है, हमने इन्हें सीमा उपनगरों में बदलने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्य समिति के माध्यम से अपेक्षित आधारभूत ढांचागत आवश्यकताओं का अध्ययन किया। हमने कांग्रेस कार्य समिति को इन उपनगरों के लिए व्यापक विकास योजनाएं तैयार करने हेतु कहा है। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे इस प्रयोजन के लिए जमीन प्रदान करें। मिजोरम सरकार

ने हाल ही में जोखावथर, जहां सीमा सड़क संगठन ने निर्माण करना है, में 20 बीघा जमीन ली है और वह इन उपनगरों के विकास के लिए सीमा सड़क संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही है।

श्री पी०आर० किन्डिया : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने सीमा व्यापार के संबंध में समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि वहां बहुत ज्यादा व्यापार कारोबार होता है जोकि अनौपचारिक है। एक ओर असम, मेघालय और त्रिपुरा तथा दूसरी ओर बंग्लादेश के बीच प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। जबकि म्यांमार के साथ नागालैण्ड, मणिपुर तथा मिजोरम का अनौपचारिक और थोड़ा बहुत औपचारिक व्यापार होता है। यह कारोबार लगभग 2000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। इसलिए, यह एक बड़ी राशि है जिसका उपयोग सरकार व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए कर सकती है।

मेरा प्रश्न यह है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के निष्कर्षों को देखते हुए क्या सरकार समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्यात संवर्धन क्षेत्र घोषित अथवा गठित करने पर विचार कर रही है ?

यह प्रश्न का एक भाग है, दूसरा प्रश्न है कि यदि भारत सरकार समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकसित करने तथा सीमा व्यापार में वास्तव में दिलचस्पी रखती है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार व्यापार विकास प्राधिकरण अथवा निर्यात संवर्धन आयोग गठित करने पर विचार कर रही है। यह मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है।

श्री उमर अब्दुल्ला : जहां तक सीमा व्यापार का संबंध है, मैं, माननीय मंत्री को बता चुका हूं कि चार सीमावर्ती उपनगरों का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य पूर्ण होने के बाद यदि बाद में और सीमावर्ती उपनगर बनाए जाने होंगे तो इन देशों और भारत सरकार के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी ताकि वे इस पर ध्यान दे सकें।

भारत के समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदलने के संबंध में कोई अध्ययन नहीं हुआ है। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पी०आर० किन्डिया : क्या आप विचार कर रहे हैं ?
(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, आज पूर्वोत्तर क्षेत्र जल रहा है। औसतन, रोज पांच से सात लोग मर रहे हैं। इस स्थिति का एक कारण यह भी है कि सरकार केवल दिखावा कर रही है। इस उत्तर का सबूत यह है कि 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि में से केवल 5 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने जनवरी में घोषणा की थी। सितम्बर में धनराशि मिली। अब दिसम्बर चल रहा है। माननीय मंत्री अभी तक आप एक कौड़ी भी खर्च नहीं कर पाए हैं। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। देश के तथा विदेशों से अच्छी शिक्षा प्राप्त युवा लड़के और लड़कियां बेकार बैठे हुए हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार अन्य मार्गों से हो रहा है। सरकार को नुकसान हो रहा है। सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन व्यापार हो रहा है। सरकार इसे विनियमित नहीं कर रही है और तस्करी तथा चोरी छिपे व्यापार चल रहा है। कुछ सीमाशुल्क अधिकारियों, कुछ सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों तथा कुछ पुलिस अधिकारियों को रिश्वत मिल रही है। यह हमारा निर्वाचन क्षेत्र है। हम जानते हैं कि यहां क्या हो रहा है। यह देखते हुए आपको सकारात्मक और शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है। मंशा अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन खराब है। इसके मद्देनजर, मैं विशेषरूप से आप से जानना चाहता हूं कि इन उपनगरों को शुरू करने की निर्धारित तारीख क्या है। उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र और मेरे क्षेत्र के निकट करीमगंज की सड़क और भूमि उन्हें सौंप दी गई है। यदि आप इस सड़क से जाएंगे तो पता चलेगा कि रोज रात को 1500 ट्रक कोयला लेकर बंग्लादेश जा रहे हैं और वहां से मछली तथा सब्जियां ला रहे हैं। इसके कारण अगरतला और मणिपुर की ओर जाने वाला यातायात बाधित हुआ है। यह देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे बताएं कि आपकी कार्य योजना क्या है और आप इसे किस तरह क्रियान्वित करेंगे। ऐसा करने हेतु सरकार का इरादा होना चाहिए। आप इसे किस तरह क्रियान्वित करेंगे।

श्री उमर अब्दुल्ला : जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के संबंध में माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है, यह एक पूर्णत: अलग मुद्दा है जो गृह मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। जहां तक राज्य सरकारों के साथ वाणिज्य मंत्रालय के इरादे का संबंध है, जब तक इन सीमावर्ती उपनगर को विकसित करने में विभिन्न राज्य सरकारों का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। इनके विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित दो वर्ष से अधिक समय बढ़ाए जाने की मांग करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है।

माननीय सदस्य ने इस तथ्य के बारे में काफी टिप्पणी की है कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिखावटी सेवा करते हैं; यद्यपि हम कहते अधिक हैं और धनराशि और इसी तरह की सेवा नहीं देते हैं। मैं माननीय सदस्य की इस धारणा को सही करना चाहता हूं। मंत्रालय में 'क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैलेंसिंग स्कीम' है जिसके अंतर्गत हम उनके आधारभूत ढांचे को बेहतर करने के उद्देश्य से धनराशि जारी करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित मानदण्ड वास्तव में 10 प्रतिशत है। मैं आंकड़े पढ़ कर सुनाता हूं, आप देखेंगे कि केन्द्र सरकार वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत मानदण्डों से निरंतर अधिक रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 17 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है और यह कुल स्वीकृत परियोजनाओं का 16 प्रतिशत है। समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल धनराशि 41.63 करोड़ रुपये है जोकि स्वीकृत कुल निधि का 2। प्रतिशत है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जारी कुल धनराशि 16.83 करोड़ रुपये है जो कुल निधि का 15 प्रतिशत है। इसलिए, यदि हम अधिक वचनबद्धता करते हैं तो हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकार अपनी वचनबद्धता को पूरा करे।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिक्किम सहित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से सरकार द्वारा जो एक एजेंसी कायम की गई है और जैसा मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इसका लाभ उठाने की दृष्टि से व्यापक रूप से प्रचार भी किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में किन-किन राज्यों से किन-किन संबंधित एजेंसियों को राशि दी गई है और यदि दी गई है तो कितनी-कितनी दी गई है ? क्या राशि की मांग अधिक थी और केन्द्र सरकार उन एजेंसियों को राशि देने में असमर्थ रही है ? यदि हां तो इसके बारे में सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही क्या है ?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : मेरे पास मांगी गई और जारी की गई राशि के वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। मैं आंकड़े एकत्र कर इसे माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री के०ए० सांगतम : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यात के विकास के संबंध में मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। व्यावहारिक रूप से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य ने – कुल मिलाकर आठ राज्यों ने – पहले ही व्यापार केन्द्रों की पहचान कर ली है। उदाहरण के लिए नागालैंड राज्य के मोन जिले के लोंडवा में, तुएनसांग जिले के पांडचा और मिमि में एक व्यापार केन्द्र तथा फेंक जिले में एक और व्यापार केन्द्र है। मैं जानना चाहता हूं क्या नागालैंड के इन व्यापार केन्द्रों में उपयुक्त आधारभूत ढांचे, सड़कों और संचार सुविधाओं का पहले ही विकास कर लिया गया है। क्या कोई धनराशि आबंटित की गई है ? पिछले पांच वर्षों में भारत एवं म्यांमार के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं। परंतु कोई कार्यकलाप नहीं देखा गया है। इन दो देशों के बीच निर्यात एवं आयात को सहज बनाने के लिए क्या भारत सरकार कार्य शीघ्र शुरू करने की इच्छुक है ?

मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। मेरा राज्य कश्मीर की तरह संवेदनशील है। इसलिए मेरा विचार है कि मंत्री महोदय इन मामलों को तुरंत शुरू करा सकते हैं ताकि वे सभी बहुमूल्य पत्थर एवं दूसरी वस्तुएं जो म्यांमार से आती हैं बेहतर मूल्य संवर्धन के लिए राजस्थान जैसे स्थलों पर भेजी जा सके। इन वस्तुओं को लाकर बेहतर मूल्य प्रदान किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या सरकार मूल आधारभूत ढांचागत कार्य संपन्न करने के लिए और समय लेगी अथवा सीधे उन कार्यों को करेंगी जिसे पहले छोड़ दिया गया था ?

श्री उमर अब्दुल्ला : माननीय सदस्य की सूचना के लिए केन्द्र सरकार के पास, वाणिज्य मंत्रालय के पास उनके राज्य का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु इसके अतिरिक्त हम आधारभूत ढांचे की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, हम सीमा शहरों का विकास कर रहे हैं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र से ईपीआईपी अर्थात् निर्यात संवर्धन अनौद्योगिक पार्कों का भी विकास कर रहे हैं ताकि हम निर्यात को बढ़ावा दे सकें। जैसे ही केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्राप्त होते हैं हम निर्यात संसाधन क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास पर भी विचार करेंगे।

श्री के०ए० सांगतम : मेरा विचार है कि इन समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पवन सिंह घाटोवार : हर कोई जानता है कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के 98 प्रतिशत भाग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरती है। केवल सीमा शहर के विकास से उस क्षेत्र में सीमा व्यापार के निर्यात अथवा आयात को बढ़ावा नहीं मिलेगा। सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने वाले दो मार्ग हैं। एक ब्रह्मपुत्र नदी है और दूसरी स्टीलवेल सड़क है। मैं वाणिज्य मंत्रालय से इस संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए अनुरोध करता हूं। वाणिज्य मंत्रालय अकेले पूर्वोत्तर के सीमा व्यापार की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। शताब्दियों से व्यापार जारी है। यदि हम म्यांमार, चीन, असम और अरूणाचल प्रदेश तथा ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाले इन जलमार्गों और स्टीलवेल सड़कों का विकास नहीं करते हैं, तो हम इस क्षेत्र में सीमा व्यापार का विकास नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनके मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछिए।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्य रूप से व्यापार और विशेषकर सीमा व्यापार के संवर्धन के लिए इन दो मार्गों के विकास करने के मुद्दे पर विचार करेगी।

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि हमारे पास चार सीमा शहर के प्रस्ताव हैं और यह कि वाणिज्य मंत्रालय समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि केवल वाणिज्य मंत्रालय ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य नहीं करता है। हमने अंतर-मंत्रालयीय कार्य दल का गठन किया है और यह व्यापार से संबंधित सभी मंत्रालयों वाणिज्य, भूतल परिवहन, नागर विमानन, वित्त और दूसरे सभी संबद्ध मंत्रालयों से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करता है।

श्री शिवराज वि० पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर एक विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र निश्चित रूप से दूसरे क्षेत्रों की तरह विकसित नहीं है, परंतु प्राकृतिक संसाधनों के मद्देनजर यह हमारे देश का एक सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। हमें केवल निधि की नहीं बल्कि संकल्पना की भी आवश्यकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र आनुवांशिक संपदा में सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है तथा आनुवांशिक संपदा का मूल्य दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ने

जा रहा है। यदि हम इस संपदा का उपयोग कल्पनात्मक और संकल्पनात्मक तरीके से करते हैं तो हम अपने देश का विकास करेंगे तथा आवश्यक सामग्री दूसरे देशों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी अर्जित करेंगे। हमें एक संकल्पना की आवश्यकता है, हमें एक नीति की आवश्यकता है, हमें एक योजना की आवश्यकता है और हमें वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग की आवश्यकता है। सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र भी हो सकता है। क्या सरकार इस स्तर पर कुछ विचार कर रही है ? क्या सरकार की कोई नीति अथवा योजना है जिससे कि सर्वोत्तम संभव तरीके से देश में उपलब्ध इस संपदा का विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपयोग किया जा सके ?

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, यथासंभव इस प्रश्न का सरल उत्तर 'हां' कहकर दिया जा सकता है, एक योजना है और एक संकल्पना है। हम जैव विविधता के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र की संपदा को स्वीकार करते हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि भावी संततियों के लिए इसका परिरक्षण करते हुए हम इसका सर्वोत्तम उपयोग करेंगे।

डॉ० वी० सरोजा : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह प्रश्न सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है, फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं क्या प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहती हूं क्या उन्हें नामक्कल में निर्यात संवर्धन क्षेत्र की स्थापना के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ० सरोजा, यह प्रश्न पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए निर्यात विकास निधि से संबंधित है।

डॉ० वी० सरोजा : मैं राज्यवार सूचना प्राप्त करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निर्दिष्ट जवाब चाहता हूं क्या सभी राज्यों के लाभ के लिए मंत्री जी द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में राज्य सरकारों ने यह महसूस किया है कि निर्यात में उनका भी हित है। अन्य राज्य सरकारों ने हमेशा यह महसूस किया कि निर्यात से केवल केन्द्र सरकार धन अर्जित करती है और राज्य सरकारें नहीं। परंतु धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि राज्य सरकारें निर्यात नीतियां बनाने और निर्यात के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए प्रयास करने के संदर्भ में अत्यधिक सक्रिय हो रहे हैं।

जहां तक तमिलनाडु राज्य के प्रस्ताव का प्रश्न है, जैसे ही केन्द्र सरकार प्रस्ताव स्वीकार करती है हम उस पर विचार करेंगे। इस संबंध में हमें कोई झिझक नहीं होगी।

[हिन्दी]

विदेश स्थित भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक स्कन्ध

*382. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक स्कंधों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल में निर्यात संवर्धन के संबंध में इन स्कंधों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सरकार ने विदेशों में भारतीय मिशनों में 65 वाणिज्यिक स्कंधों की स्थापना की है। इन वाणिज्यिक स्कंधों की एक सूची संलग्न अनुबंध में है। विदेशों में स्थित ये वाणिज्यिक स्कंध संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं और भारत का व्यापार बढ़ाने और विश्व के साथ आर्थिक आदान-प्रदान करने के लिए नियत हैं। इन स्कंधों का मुख्य कार्य प्रचलित वैश्विक बाजार प्रवृत्ति, व्यापार क्रियाकलापों इत्यादि के आधार पर नियमित सूचना प्रदान करते हुए सरकार की व्यापार एवं आर्थिक नीतियां बनाने में उसकी सहायता करना है।

(ग) और (घ) वाणिज्य मंत्रालय विदेशों में भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक स्कंधों के कार्य निष्पादन की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया के रूप में करता रहता है। वाणिज्यिक स्कंधों के निष्पादन की इन समीक्षाओं के परिणाम संतोषजनक पाए गए हैं। इन वाणिज्यिक स्कंधों की उपस्थिति से द्विपक्षीय व्यापार खासकर निर्यात संवर्धन के संदर्भ में मदद मिली है।

अनुबन्ध

विदेशों में भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक स्कंधों की सूची

क्र.सं.	मिशन
1	2
1.	ईओआई, आबूधाबी
2.	ईओआई, अल्जीयर्स
3.	ईओआई, अम्मान
4.	ईओआई, एथेन्स

1	2
5.	एचसीआई, अकरा
6.	ईओआई, अदीस अबाबा
7.	ईओआई, बर्न
8.	ईओआई, बुडापेस्ट
9.	ईओआई, बगदाद
10.	ईओआई, बहरीन
11.	ईओआई, बेलग्रेड
12.	ईओआई, बैंकाक
13.	ईओआई, ब्रुसेल्स
14.	ईओआई, बुथारेस्ट
15.	ईओआई, बर्लिन
16.	ईओआई, कोपनहेगन
17.	एचसीआई, कोलम्बो
18.	ईओआई, काहिरा
19.	एचसीआई, ढाका
20.	ईओआई, दमस्कस
21	एचसीआई, दारएससलाम
22.	ईओआई, दकार
23.	सीजीआई, फ्रैंकफर्ट
24.	पीएमआई, जेनेवा
25.	सीजीआई, हांगकांग
26.	सीजीआई, हम्बर्ग
27.	एचसीआई, इस्लामाबाद
28.	सीजीआई, जोहान्सबर्ग
29.	ईओआई, जेद्दाह
30.	ईओआई, जकार्ता
31.	ईओआई, काठमांडू
32.	ईओआई, खारतूम
33.	एचसीआई, कम्पाला

1	2
35.	एचसीआई, लागौस
36.	एचसीआई, लंदन
37.	एचसीआई, लुसाका
38.	ईओआई, मास्को
39.	ईओआई, मनीला
40.	सीजीआई, मुनीख
41.	ईओआई, मस्कट
42.	ईओआई, न्यूयार्क
43.	ईओआई, नैरोबी
44.	एचसीआई, पोर्टलुईस
45.	ईओआई, पराग्वे
46.	ईओआई, पैरिस
47.	ईओआई, रियाध
48.	ईओआई, रोम
49.	ईओआई, सोफिया
50.	ईओआई, सियोल
51.	ईओआई, स्टाकहॉम
52.	सीजीआई, सैन फ्रांसिस्को
53.	सीजीआई, सिडनी
54.	एचसीआई, सिंगापुर
55.	ईओई, सन्ना
56.	सीजीआई, टोरंटो
57.	ईओआई, ट्यूनिस
58.	ईओआई, हेग
59.	ईओआई, टोक्यो
60.	ईओआई, तेहरान
61.	ईओआई, त्रिपोली
62.	सीजीआई, वेंकुवर
63.	ईओआई, वारसा
64.	ईओआई, वाशिंगटन
65.	ईओआई, यंगून

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि भारत सरकार ने दुनिया भर में 65 कामर्शियल विंग्स की स्थापना की है और इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार बढ़ाना और विश्व के साथ आर्थिक आदान-प्रदान करना है। जब हम व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है। हमारे देश की मुख्य चिन्ता भी यही है कि हम अपने देश का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ायें।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन कामर्शियल विंग्स के माध्यम से हमारे देश के एक्सपोर्ट को, निर्यात को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या-क्या प्रयास किये हैं और उन प्रयासों के क्या परिणाम निकल हैं ? पिछले तीन वर्षों में कामर्शियल विंग्स के माध्यम से हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, यह बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, परिमाण निर्धारित करना कठिन है कि निर्यात में हमारी वृद्धि का कितना हमारे दूतावासों के वाणिज्यिक विंगों के कारण है और कितना केवल व्यवसाय के कारण हुआ है क्योंकि तथ्य यह है कि अवसरों के अन्वेषण, बाजारों के विकास और आसूचना एकत्र करने में व्यापारिक समुदाय और हमारे दूतावासों के वाणिज्यिक विंग एक साथ अत्यंत घनिष्ठता से कार्य करते हैं। आज के एकल ध्रुवीय विश्व के जमाने में और जहां कोई शीत युद्ध की स्थिति नहीं है हम देखते हैं कि हमारे दूतावासों एवं हमारे मिशनों का उपयोग सुरक्षा कारणों के बजाय आर्थिक कारणों से अधिक किया जा रहा है। इसलिए इस तथ्य के मद्देनजर हम विदेशों में स्थित अपने वाणिज्यिक विंगों के कार्यनिष्पादन की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं तथा उन्हें सुदृढ़ बना रहे हैं।

हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आज वैश्वीकरण के जमाने में हमारे मिशन अत्यधिक प्रासंगिक हों।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में एक तरफ कहा है कि वाणिज्यिक स्कंधों के निष्पादनों की समीक्षा के परिणाम संतोषजनक पाए गए हैं, खासकर निर्यात संवर्द्धन के संदर्भ में मदद मिली है। दूसरी तरफ मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या परिणाम निकले हैं, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं आप कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करते होंगे कि हमें निर्यात के बीच कमर्शियल विंग्स के माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त करना है। पिछले तीन वर्षों में जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, उनमें कितने प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति की गई है, आप कह रहे हैं कि कार्यनिष्पादन बहुत संतोषजनक है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनके कार्यनिष्पादन में सुधार की गुंजाइश किस क्षेत्र में है और उस सुधार के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, और सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। किसी भी स्थिति में हम यह कहने नहीं जा रहे हैं कि हम अपने वाणिज्यिक मिशनों के कार्यनिष्पादन से बिल्कुल संतुष्ट हैं तथा और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

माननीय सदस्य ने निर्यात लक्ष्य के बारे में पूछा है। अब हम वाणिज्यिक विंगों के लिए निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। हम पूरे देश के लिए निर्यात लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि पिछले वर्ष हमारे लक्ष्य क्या थे। परंतु मैं यह जानता हूं कि हमने 12 प्रतिशत का विकास हासिल किया। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 18 प्रतिशत है। अभी तक यह संचयी है। निर्यात में हमारी वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत है। आशा है कि हम इस वर्ष अपने लक्ष्य को पार कर जाएंगे।

जैसा कि मैंने कहा, हम निरंतर अपने वाणिज्यिक मिशनों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा कर रहे हैं ताकि यह पक्का हो जाए कि वे आधुनिक युग में प्रासंगिक हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि विदेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कामर्शियल विंग बनाए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन विंग्स में जिन अधिकारियों को भेजा जाता है, क्या सरकार ने उसके लिए अपनी कोई पालिसी बनाई है, उसमें कोई पारदर्शिता रखी है कि इस प्रकार से चयन करके इन अधिकारियों को वहां भेजा जाएगा ? अगर नीति में ऐसी पारदर्शिता है तो वह सदन में बताने की कृपा करें ? इसके अलावा मेरा कहना है कि इस मिशन में काफी धन खर्च हो रहा है, क्योंकि 65 देशों में ये विंग्स बनाए गए हैं, जबकि लाभ कुछ नहीं हो रहा है। वहां मनमाने तरीके से सरकार अपने चहेते अधिकारियों को भेज रही है। मेरा जानना है कि व्यापार के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं, क्या उनको भी भेजा जाएगा, अगर भेजा जाएगा तो उसमें चयन की प्रक्रिया क्या है, वह भी सदन को बताने की कृपा करें, और इसके लिए जो पालिसी बनाई गई है, जितना खर्च आ रहा है, उसका फायदा हो रहा है या नहीं, यह भी बताने की कृपा करें ?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों और विदेश स्थित मिशनों के प्रति यह बिल्कुल अनुचित होगा यदि हम उनसे यह कहें कि उनका कार्यनिष्पादन बिल्कुल अनुपयोगी है जबकि सत्य नहीं है। सच तो यह है कि हम लगातार दो सालों से कहते आए हैं कि 'बहुत अच्छा' है। निर्यात, हमारे व्यावसायिक मिशनों के कार्यनिष्पादन और उनके उन कामों का सूचक है जो वे बुद्धिजीवियों की सेवा, बाजार के रूझान का पता करने और विदेश में कार्य विशेष के लिए गए हमारे शिष्टमंडल की सहायता करने के रूप में करते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : कितना लाभ हुआ है ?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : मैं, माननीय सदस्य को पहले ही बता चुका हूं कि निर्यात में इस वर्ष हमें 18 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।

अब जहां तक सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को तलाशने का संबंध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम अपने व्यावसायिक मिशनों के कार्यनिष्पादन पर लगातार निगरानी और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। इस समय हम अपने व्यावसायिक मिशनों को और अधिक व्यावसायिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सही पद के लिए सही व्यक्ति चुना जा सके जो उस देश की भाषा जानता हो जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर हम कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : पोलिसी क्या है, चयन कैसे होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : लाभ के बारे में प्रतिशत काफी दिया है। उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक सूचना दी है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, सूची में दर्शाए गए व्यावसायिक स्कंधों में से मैं तीन मिशनों का उल्लेख करूंगा। पहला है - आबु-धाबी, दूसरा मस्कट और तीसरा है—रियाध। व्यापार संबंधों के मामले में ये काफी महत्वपूर्ण स्थान हैं।

कोच्ची बंदरगाह और हवाई जहाजों के माध्यम से हम केरल और दूसरे दक्षिण राज्यों से सब्जियां और दूसरी शीघ्रनाशी मदों को व्यापार के लिए उन क्षेत्रों में भेज रहे हैं। उन क्षेत्रों में हम व्यापार के लिए हम सामग्रियां भी भेज रहे हैं। मैं इन स्थानों पर जा चुका हूं और मेरी जानकारी के अनुसार वहां कोई भी व्यापार स्कंध कार्य नहीं कर रहा है। जो लोग दक्षिण भारत मे व्यापार में संलग्न हैं वहां उनकी सहायता कोई भी नहीं कर रहा है। वे हवाई मार्गों के द्वारा इन वस्तुओं को लाते-ले जाते हैं किंतु रियाध, आबुधाबी और मस्कट, मिशनों में इन लोगों को कोई सहायता नहीं मिलती है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मामले को देखें और यह भी देखें कि क्या उन मिशनों में, विशेषकर मध्य-पूर्व में कोई उपयोगी या लाभदायक कार्य किया गया है या नहीं। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। महोदय, आप भी इसके बारे में जानते हैं किंतु अब यह कम होता जा रहा है। वहां इस कार्य की देखरेख के लिए कोई नहीं है, इन तीन स्थानों पर किए जा रहे व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए वहां कोई भी नहीं है। उन स्थानों पर हम सैकड़ों-हजारों लोग भेज रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि मध्य-पूर्व के कम से कम इन तीन स्थानों — रियाध, आबुधाबी और मस्कट का माननीय मंत्री विशेष ध्यान रखें ताकि इन मिशनों के व्यापार स्कंध प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें और मध्य-पूर्व और दक्षिण भारत के व्यापार संबंध मजबूत हो सकें। मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस मामले में कुछ करेंगे ?

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, यह सामान्य वक्तव्य देना बहुत आसान है कि व्यापार मिशन कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह कोई सामान्य वक्तव्य नहीं है।

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष उदाहरण की बात कर रहे हैं तो हमें उसे जानकर खुशी होगी।

जहां तक हमारा संबंध है, अपने व्यापार मिशनों की समीक्षा की हमारी व्यवस्था बहुत मजबूत है। हमारे पास मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टें आती हैं। दरअसल, मैं और मंत्रालय के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि वर्ष में कम से कम एक बार इन मिशनों के कार्य प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित करने के लिए और उनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए हम व्यावसायिक प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने विशेष रूप से तीन स्थानों के बारे में पूछा है। यदि उनके संबंध में आपके पास कोई जानकारी है तो आप उत्तर दीजिए अन्यथा आप उत्तर माननीय सदस्य को बाद में भेज दीजिएगा।

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, मैं इन तीनों स्थानों की रिपोर्ट देखूंगा और यदि इनमें कोई कमी होगी तो मैं निश्चय ही इसका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 65 कामर्शियल विंग्स संतोषजनक ढंग से कार्य-निष्पादन कर रहे हैं। यू.एन. एजेंसी का जो प्रोक्योरमेंट करता है, मैं एक उदाहरण कोट कर रहा हूं कि यू.एन. पीस कीपिंग फोर्स कोसोवा में फूड आइटम्स का प्रोक्योरमेंट हो रहा था।

[अनुवाद]

मैं स्वयं, सचिव, श्री अजीत कुमार से मिला था और मैंने उनसे कहा कि भारत से बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खरीद की जाती है।

[हिन्दी]

तब तक वह इंफॉर्मेशन, सैक्रेटरी (कॉमर्स) को नहीं थी। इसके बावजूद भी हिन्दुस्तान से

[अनुवाद]

स्वयं मेरे द्वारा सचिव (वाणिज्य) को जानकारी देने पर भी एक संतरे का भी निर्यात नहीं किया गया।

महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा है। मैं माननीय मंत्री जी से खासतौर से यह पूछना चाहता हूं कि,

[हिन्दी]

कितना फारिन एक्सचेंज खर्च होता है और कितना अर्न किया जाता है ?

[अनुवाद]

सांख्यिकी के अनुसार विदेशी मुद्रा का लागत लाभ कितना है ?

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, दुर्भाग्यवश, मेरे विचार से माननीय सदस्य ने सूचना गलत व्यक्ति से ली है। जहां तक मैं जानता हूं हमारे यहां उस नाम का वाणिज्य सचिव कोई नहीं रहा जिसका इन्होंने उल्लेख किया है। यदि वह यह बताएं कि यह सूचना किसे दी गई तो मैं इसकी जांच करूंगा।

जहां तक लागत और उससे प्राप्त लाभ का संबंध है, वह सूचना एकत्र कर माननीय सदस्य को दे दी जाएगी।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस उत्तर में उन्होंने कहा है कि 65 कॉमर्शियल विंग्स इस वक्त जो काम कर रहे हैं और सिर्फ यही डिपार्टमेंट नहीं है, सिविल एविएशन वालों के भी कॉमर्शियल विंग्स हैं और इस तरह से शिपिंग डिपार्टमेंट में भी हमने जांच पड़ताल करके देखा है कि जितने लोगों की वहां आवश्यकता है, उससे ज्यादा आदमी वहां तैनात हैं और पिछले सिविल एविएशन वालों ने उनकी कुछ संख्या कम की है लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मालूम नहीं है कि यहां 65 कॉमर्शियल विंग्स में कितने लोग तैनात हैं और कितना आउटपुट है। इसके बावजूद मेरा कहना यह है कि क्या तीनों तरह के कामर्शियल विंग्स में कोआर्डिनेशन है ? अगर है, तो क्या आपस में काम करने के बाद तादाद को कम किया जा सकता है, ताकि माली बोझ देश पर कम हो ?

[अनुवाद]

श्री उमर अबदुल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह नहीं सकता कि विभिन्न क्षेत्रों के व्यावसायिक स्कंधों में से कितनों में नौवहन और नागर विमानन मंत्रालयों के स्कंध हैं। यही सब हम मंत्रालयों से पता करेंगे किंतु जहां तक व्यावसायिक स्कंधों का संबंध है वे दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि इसमें अच्छा समन्वय स्थापित किया जा सके और सही व्यक्तियों को सूचना दी जा सके। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम अपने व्यावसायिक प्रतिनिधियों और अपने व्यावसायिक स्कंधों के कार्य की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

जहां तक कर्मचारियों के स्तर का संबंध है, हालांकि हमारे पास मात्र 65 व्यावसायिक स्कंध हैं और वाणिज्य मंत्रालय के मात्र 190 कर्मचारी कार्यरत हैं। अत: प्रतिशतता काफी अधिक नहीं है। मेरे विचार से हम इतने कम कर्मचारियों से, काफी अच्छा काम कर रहे हैं।

भारतीय और चीनी वस्तुओं के मूल्य

+

***383. श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग की आकलन समिति ने भारतीय और चीन निर्मित वस्तुओं के बीच मूल्य में अन्तर की सीमा के बारे में आंकड़ों और वर्तमान घरेलू बिक्री, भविष्य में होने वाली घरेलू मांग की प्रवृत्ति और भारत से होने वाले निर्यात पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने एक आकलन रिपोर्ट तैयार की है और इसे सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा किए गए आकलन और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार द्वारा भारत और चीन की वस्तुओं के मूल्य विभेदकों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से भारतीय उद्योग पर किसी मूल्यांकन समिति का गठन नहीं किया गया है, चूंकि भारत और चीन की वस्तुओं के मूल्य विभेदकों से संबंधित सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि, चीन से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि और भारतीय उद्योग पर इसके प्रभाव पर फिक्की और सी.आई.आई. जैसे वाणिज्य और उद्योग संबंधी शीर्ष मंडलों की विभिन्न रिपोर्टों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। सरकार ने इस संबंध में शीर्ष मंडलों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखा है।

(घ) से (ङ) सरकार स्थिति की सूक्ष्मता से निगरानी रख रही है तथा सरकार ने ऐसी अनुचित व्यापार पद्धति पर रोक लगाने हेतु

अनेक कदम उठाये हैं, जिसका परिणाम चीन से सस्ते उपभोक्ता माल का आयात किये जाने के रूप में सामने आया है। इस संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में उठाये कुछ कदम नीचे दर्शाये गये हैं :-

- पाटन-रोधी एवं संबंद्ध शुल्क महानिदेशालय ने चीन के विरुद्ध 25 मामलों में अंतिम शुल्क लगाने की अनुशंसा की है। चीन के विरुद्ध 3 मामलों में अनन्तिम शुल्क की अनुशंसा की गई है ओर चीन के विरुद्ध शुरू किए गए 6 मामलों के प्रारंभिक निष्कर्षों के लिए जांच की जा रही है। निर्दिष्ट प्राधिकरण के इन 6 मामलों में से 3 मामलों, अर्थात् शुष्क बैटरी, खिलौने और खोल के जूते में स्वयं अपनी पहल पर जांच पड़ताल आरंभ कर दी है।

- सभी पैकेज वस्तुओं के आयात को, घरेलू उत्पादकों पर लागू माप और तोल (पैकज वस्तु) आदेश 1977, के मानकों की सभी शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन कर दिया गया है।

- 131 उत्पादों के आयात को, घरेलू वस्तुओं पर लागू अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अध्यधीन कर दिया गया है। इस शर्त के अनुपालन के लिए इन उत्पादों के भारत को निर्यात करने वाले सभी निर्यातकों/विनिर्माताओं को अपने आपको भातरीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के साथ पंजीकृत किया जाना अपेक्षित होगा।

श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के खिलौने, ड्राई सैल बैटरियां और स्पोर्ट्स शूज भारत में काफी सस्ते और बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) क्या रंगीन टेलीविजन के ग्लास शैल में उपयोग होने वाला कैमिकल कार्बोनेट भी भारत में सस्ती दरों पर उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे बाजार शेयर में आई कमी और कम मूल्यों के कारण हुए वित्तीय घाटों के कारण घरेलू बाजार को काफी नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या उद्योग ने इसे रोकने संबंधी अपना आकलन दिया है;

(ङ) क्या सरकार ने सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(च) चीन की इन सस्ती वस्तुओं की चुनौती का सामना करने के लिए घरेलू उद्योग की सहायतार्थ सरकार कौन से कदम उठाएगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुनप्पा, आप केवल अनुपूरक प्रश्न ही पूछिए। आप पढ़ रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुनप्पा : यह मेरा प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मंत्री महोदय, क्या आप इनका प्रश्न समझ गए हैं ?

[हिन्दी]

डॉ० रमण : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह चाइना से संबंधित है। चाइना से बैट्री की कम कीमत और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही हैं तथा चीप कन्ज्यूमर गुड्स इम्पोर्ट हो रहे हैं, इनके संबंध में माननीय सदस्य को गहरी चिन्ता है। सरकार इस विषय पर मोनिटरिंग कर रही है। ऐसे मामलों को देखने के लिए सरकार के कामर्स डिपार्टमेंट्स हैं और डैजिगनेटेड अथारिटी है। इस कारण जो डोमेस्टिक इन्डस्ट्री को नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है, इसके लिए पैटीशन देने की आवश्यकता होती है। यदि प्रथम दृश्य में यह महसूस होता है और एविडेंस के आधार पर केस दर्ज किया जाता है। फिर तीन महीने के अन्दर प्राइमरी एविडेंस के आधार पर एन्टी डम्पिंग ड्यूटी और साथ-साथ साल भर के अन्दर फाइनल ड्यूटी रिकमेंड होती है।

माननीय सदस्य ने इस मामले में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के संबंध में प्रश्न किया है, सरकार ने इस संबंध में जो कदम उठाए हैं, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी-डम्पिंग एंड एलाइड ड्यूटीस के द्वारा अभी तक जो केसेस आए हैं उसमें 25 केसेस में एंटी-डम्पिंग ड्यूटी को फाइनल रिकमेंडेशन दिया है। मैं आपको वह जानकारी पढ़ कर सुना देता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो स्टेटमेंट में दिया है, वही पढ़ रहे हैं।

डा० रमण : नहीं सर, सरकार जो कार्यवाही कर रही है, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। एंटी-डम्पिंग के लिए जो रिकमेंडेशन हुआ है, खास कर जिस बैट्री के बारे में इन्होंने चिन्ता की है, इस संबंध में इसका ऑब्जरवेशन किया जा रहा है। तीन महीने के अंदर जो रिकमेंडेशंस आएंगी, उसके बाद इस पर कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से चीनी वस्तुएं भारत में सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं, भारतीय उद्योग अपने उत्पादों को इनसे सस्ता क्यों नहीं बना सकते हैं, क्या सरकार ने उद्योग को चीनी वस्तुओं से प्रतियोगिता करने और चीनी वस्तुओं से सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जब चीन विनिर्माताओं से सस्ता सामान तैयार करा सकता है तो भारत क्यों नहीं ? क्या यह सही है कि चीन ने अमरीका के बाजार पर कब्जा कर लिया है क्योंकि चीन का सामान कई दूसरे देशों के सामान की तुलना में सस्ता होता है और यदि हां, तो भारत, अमरीका के बाजार पर अपना कब्जा क्यों नहीं करता ताकि वह अमरीका में चीनी बाजार से मुकाबला कर सके

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं।

डा० रमण : माननीय सदस्य की जिन केसेज पर चिन्ता है, ऐसे केसेज में जिन पर प्रमाणित होता है कि हिन्दुस्तान के अंदर बहुत कम कीमत पर उसे डम्प किया जा रहा है, जिससे हिन्दुस्तान की इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है, एंटी-डम्पिंग ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि एंटी-डम्पिंग ड्यूटी बढ़ाने का कोई प्रावधान आप कर रहे हैं या नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा० रमण : महोदय, डोमेस्टिक मार्केट के उस प्रोडक्ट के लिए उसमें जितनी इन्जुरी होती है, उसे कम्पेयर करने के बाद उसकी ड्यूटी प्रपोज की जाती है। अगर माननीय सदस्य स्पेसिफिक किसी वस्तु पर ड्यूटी के विषय में पूछें तो मैं उन्हें जानकारी दे सकता हूं, परन्तु इस विषय में हमारी जो डेजिगनेटेड आथोरिटी है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, उसके बारे में आप उन्हें लिखित रूप से भेज दीजिए।

[अनुवाद]

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस देश में बेचे जा रहे उत्पादों के मूल्यों के अंतर का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई आकलन समिति गठित नहीं की है।

पिछले दो महीनों से कई गंभीर समाचारों की रिपोर्ट आ रही है। मैंने ऐसी लगभग पांच रिपोर्टें एकत्र की हैं। ये रिपोर्टें, भारतीय उद्योग के लिए बहुत चिंताजनक है। यदि यही पद्धति बनी रही तो, हो सकता है कि विश्व व्यापार संगठन के मापदण्डों के अनुसार आपको 2001 के पश्चात्, दूसरे देशों से विभिन्न वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने पड़ सकते हैं। यह भय भी है कि आयातित वस्तुओं की भारतीय बाजार में भरमार हो जाएगी और इनके कम मूल्यों के कारण, हम देश के स्थानीय उद्योगों को बंद होने की कगार तक पहुंचा देंगे *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विवेकानन्द रेड्डी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : हमने यह देखा है कि इस देश में उत्पादों तक का आयात किया जा रहा है और इससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इस सभा में कृषकों की दशा पर भी ध्यान दिया गया है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विवेकानन्द रेड्डी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह भारतीय स्थानीय उत्पादों और चीन या दूसरे देशों के आयातित उत्पादों के बीच मूल्य अंतर का अध्ययन करने के लिए एक आकलन समिति के गठन का इरादा रखती है और क्या भारतीय बाजार को विश्व बाजार से मुकाबला करने के लिए अपने मूल्य कम करने के निर्देश दिए गए हैं ?

[हिन्दी]

डा० रमण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है उसके बारे में मेरा कहना यह है कि सरकार कोई असैसमेंट कमेटी कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा बनाने जा रही है। जो जानकारी फिक्की, सीआईआई, अन्य एजेंसियों द्वारा या टैरिफ कमीशन के माध्यम से आती है कि इंडियन डोमैस्टिक मार्केट को नुकसान हो रहा है, उसी के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। साथ ही यह नियम है कि जो डैजिग्नेटेड ऑथोरिटी है उसके पास पैटिशन फाइल करने के बाद पहला विषय रहता है स्वयं ही यदि विभाग को लगता है क नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्होंने टॉयज, शूज और बैटरी के बारे में जानकारी चाही है। स्वयं ही विभाग ने एंटी-डम्पिंग के मेजर के लिए, जांच के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और 60 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्यवाही होगी। जो एंटी-डम्पिंग ड्यूटी है वह उसके मेजर करने के बाद ही दी जाएगी। इन तीन विशेष आइटम्स के बारे में माननीय सदस्य जानकारी चाहते थे।

[अनुवाद]

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : महोदय, मैं समिति के प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों और सिफारिशों के बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा० रमण : इस विषय में सजेशन्स फिक्की, ऐसोचेम और सीआईआई से आये हैं। तीन-चार विषयों में उन्होंने अपने सजेशन्स दिए हैं। इम्पोर्ट सैफगार्ड ड्यूटी, कम्पल्सरी प्रिंटिंग डेट, मैट एंड मेजर के लिए और स्टैंडर्ड के लिए, बीआईएस मार्का है उसके लिए और अधिकतम रिटेल प्राइस प्रिंट रहे, इसके लिए इन्होंने सजेशन्स दिए हैं। जो सजेशन्स सीआईआई ने दिए हैं वह जो नेपाल पर पोरस बॉर्डर है *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : स्मग्लिंग जो वहां हो रही है उसके बारे में बताएं।

डॉ० रमण : नेपाल बॉर्डर से जो स्मग्लिंग हो रही है उसके बारे में भी उन्होंने सुझाव दिए हैं और उसको रोकने के लिए हमने कार्रवाई की है। कस्टम विभाग ने नवम्बर के महीने में एक हफ्ते तक पूरे हिंदुस्तान में छापे मारकर पांच करोड़ साठ लाख से ऊपर की सामग्री पकड़ी है। कस्टम विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जो कम लागत लगाकर चाइना से माल आता है। जो अंडर बिलिंग होती है, उसे रोकने के लिए कस्टम डिपार्टमैंट को निर्देश जारी किए हैं। बैटरी और अन्य सामान जो चाइना से यहां आ रहा है, यदि चाइना दूसरे देशों को बैटरी अन्य कीमत पर बेच रहा है तो हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक महीने में अंडर बिलिंग के 165 मामले कस्टम विभाग ने दर्ज किए हैं। इनमें रेट का डिफरेंस बैटरी से लेकर अन्य कई मामलों में था। इस मामले का अध्ययन करने के बाद सरकार ने इस विषय में कदम उठाए और पाया अंडर बिलिंग हो रही है। बहुत सा माल नेपाल बॉर्डर से यहां आ रहा था। उसे रोकने के लिए छापे की कार्रवाई हो रही है। दूसरी कार्रवाई में हमने प्रमाणित किया है कि हिन्दुस्तान में जो चीजें आ रहीं हैं, उनमें मानक हो और उसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्क लगना चाहिए। हमने 131 आइटम्स आईडैंटिफाई किए हैं। जो सामान चाइना से इम्पोर्ट होता है, उस कम्पनी को हिन्दुस्तान में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और बताना होगा कि वह कम्पनी चाइना से हिन्दुस्तान में आना चाहती है। उसके बाद उसे बी. आई.एस. का मार्क लेना पड़ेगा। इसके बाद वह कम्पनी हिन्दुस्तान में अपने माल का प्रोडक्शन कर सकती है। ये कार्रवाई मोटे तौर पर हमने की हैं।

[अनुवाद]

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : महोदय, सार्वभौमिकता के नाम पर हमारी सरकार ने कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों को कम करना शुरू कर दिया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विवेकानन्द रेड्डी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत से सदस्य इस बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं। इसका सीधा संबंध उपभोक्ता और आम नागरिक से है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज चाइना मार्किट ने हमारे यहां कब्जा किया है और सस्ते दाम पर चाइनीज माल यहां बिक रहा है। उससे सारे हिन्दुस्तानी बाजार लुट गए हैं। मैं उस चांदनी चौक क्षेत्र से आता हूं जहां होल सेल मार्किट है। अगर ड्राई सैल की कीमत देखेंगे तो पाएंगे कि 35 रुपए में 24-24 सैल मिल रहे हैं, जबकि हमारे यहां ड्राई सैल की कीमत सात रुपए है। एम.सी.बी. जो 62 रुपए का मिल रहा है, वहीं चाइनीज एम.सी.बी. 20 रुपए में मिल रहा है। चाइनीज टायर भी बहुत सस्ते मिल रहे हैं। टॉयस की बहुत बड़ी होल सेल मार्किट चांदनी चौक में है। वहां चाइना के बहुत सस्ते टॉयस मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा बाजार साफ हो चुका है। मंत्री जी आंकड़े दे सकते हैं और वे लुभावने हो सकते हैं लेकिन सच बात यह है कि आज व्यापारी, उद्योगपति हमारे पास रोता हुआ आता है कि कुछ कीजिए, चीन के माल को हिन्दुस्तान में आने से रोकिए, नहीं तो सारा बाजार लुट जाएगा। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद देश में आयात का दबाव बढ़ा। अप्रैल 2001 तक 700 से अधिक चीजों से रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। इसके लिए, सरकार फिक्की और *(व्यवधान)* में 2001 तक की बात कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। कई सदस्य इस बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आप कभी-कभी तो हमें मौका देते हैं। जब 700 चीजों से रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा तो क्या सरकार ने कोई मैकेनिज्म बनाया है ? अभी सरकार का क्या मैकेनिज्म है ? अभी यह प्रोवीजन है कि जो एफेक्टिड इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेड हैं, वे लोग सरकार को बताते हैं कि हमारा ट्रेड इससे एफेक्टिड है। इसके बाद सरकार उस पर गौर करती है। सरकार बाजार में जाकर इसका सर्वे क्यों नहीं करती है ? कौन-कौन से ट्रेड इससे एफेक्टिड हो रहे हैं ? मंत्री जी ने अपने जवाब में सीधा लिख दिया है कि हमारी इस बारे में कोई सहमति नहीं है। वह रिपोर्ट फिक्की या दूसरे किसी की रिपोर्ट है। यदि आप अपना मैकेनिज्म नहीं बनाते हैं तो आज यह आश्वासन दीजिए कि हमारा यह मैकेनिज्म बनेगा जो बाजार में जाकर सर्वे करेगा और बताएगा कि कौन-कौन से ट्रेड चाइना और दूसरे कंट्रीज के माल से एफेक्टिड हो रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इसका जवाब दे दिया है। आप उसे रिपीट कीजिए।

डा० रमण : माननीय सदस्य ने पूछा है कि आने वाले समय में कौन सा मैकेनिज्म बनाया गया है ? हमने इस विषय में मैकेनिज्म बनाया है। टैरिफ कमीशन मार्किट की स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद जो नुकसान है *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : करेगा या कर लिया है ?

डा० रमण : अभी करने के लिए टैरिफ कमीशन को निर्देश दिए हैं।

श्री विजय गोयल : इसमें बहुत देरी हो जायेगी।

डा० रमण : मैं आपको दूसरी बात बता रहा था कि माननीय सदस्य की जो चिन्ता है कि टैरिफ कमीशन काम करेगा परन्तु कस्टम डिपार्टमैंट की हमारी जो एजेंसी है

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने डायरेक्ट सवाल पूछा है जो मि० रेड्डी ने पूछा था। क्या आपके पास ऐसा मैकेनिज्म है, अगर नहीं है तो बनाने के लिए आपका क्या इरादा है ? यह सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिये हां या न कहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका सहयोग कर रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु यह प्रश्न काल है। उनको उत्तर देने दीजिए। वह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनके बोलने में व्यवधान न डालें। उन्हें उत्तर देने दीजिए। अनेक सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। श्री अनिल बसु वह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? वह श्री गोयल के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० रमण : माननीय उपाध्यक्ष जी, स्पेसिफिक क्वश्चन है, हमारा डिपार्टमेंट उसकी स्टडी करेगा और उसके लिये निर्देश जारी करने की हालत में हैं

श्री विजय गोयल : आप हां कहिये।

डा० रमण : हां कर रहा हूं और दूसरे विषय में जो चिन्ता है, वह बता रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

डा० रमण : यदि कोई आपत्ति है तो सूओ-मोटो डैजिगनेटेड अथॉरिटी कस्टम रूल 5(4) के तहत इन्वैस्टीगेशन करने के लिये निर्देश दिये हैं। इस विषय पर हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, इस पर कर रहे हैं। इस क्षेत्र में टॉयज के संबंध में निर्देश जारी किये हुये हैं। तीन विषय में एंटी डम्पिंग के लिये इन्वैस्टिगेशन हेतु सूओ-मोटो निर्देश जारी कर दिये हैं। अन्य विषयों पर जो सेफ गार्ड मेजर्स हैं, वे भी बनाये जायेंगे। साथ ही माननीय सदस्य ने अम्ब्रेला और टॉयज के संबंध में कहा, इसमें बहुत सारी संभावनायें हैं और अनबाउंडेड 34 प्रतिशत लिमिट है तथा हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं और आने वाले समय में उस पर कार्यवाही की जायेगी। छाता, टायज और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में 40 प्रतिशत का बाउंडेड लिमिट नहीं है। हम हिन्दुस्तान के प्रोडैक्ट्स को सेव करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस : महोदय, यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चीन से बहुत अधिक उत्पाद आ रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें सभा में बोलने की अनुमति दे दी है।

श्री ए०सी० जोस : महोदय, चीन से अनेक उत्पाद आ रहे हैं। यह भारत के विरुद्ध आर्थिक आतंकवाद है। एक दर्जन कमीज सत्तर रुपये में बेची जा रही है। वाणिज्य मंत्री आराम से सो रहे हैं। वह सो रहे हैं। वह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वह विश्व व्यापार संगठन से दलाली ले रहे हैं। मेरा प्रश्न यही है। क्या सरकार कोई स्वत: स्फूर्त निगरानी प्रकोष्ठ बनायेगी जिससे कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकेगा जो कि चीन से आने वाले सामानों तथा उन्हें रोकने में सहायक हो सकेगा ?

[हिन्दी]

डा० रमण : उपाध्यक्ष जी, चाइना के संबंध में जो सवाल किया गया है, उसमें 131 प्रोडैक्ट्स हैं जो चाइना से इम्पोर्ट होने हैं और उसके लिये बी.आई.एस. में रजिस्टर करना आवश्यक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सूओ-मोटो के बारे में?

डा० रमण : हम सीधे-सीधे डैजिगनेटेड अथॉरिटी ऑफ कस्टम रूल्स 5(4) के तहत सूओ-मोटो इन्वैस्टीगेशन इनिशिएट करने में सक्षम हैं और इसको हम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस : महोदय, हम चाहते हैं कि इस पर आधे घंटे की चर्चा करायी जाए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, आप सप्लीमैंटरी पूछिये। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दोहरे कराधान से बचने संबंधी संधि (डी.टी.ए.टी.)

*384. **श्री किरीट सोमैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरे कराधान से बचने संबंधी संधि के दो माडल हैं—एक माडल ओ.ई.सी.डी. के अंतर्गत है और दूसरा यू.एन. माडल के अंतर्गत है;

(ख) यदि हां, तो इन माडलों के अंतर्गत कौन से मानदंड अपनाए गये हैं और किन-किन देशों के साथ यह संधि माडल-वार चल रही है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त देशों में से किसी देश के साथ दोहरे कराधान से बचने संबंधी संधि के बारे में अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। ये दोनों प्रमुख रूप से मान्य प्रतिदर्श हैं।

(ख) इन दोनों प्रतिदेर्शों के उद्देश्य है, यथा : (1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि करने के लिए दोहरे कराधान का परिहार, (2) कर अपवंचन क रोकथाम, (3) कर व्यवस्था को निश्चितता प्रदान करना, (4) कर राजस्व का बंटवारा। किसी भी एक प्रतिदर्शी के आधार पर केवल भारत द्वारा कोई संधि वार्ता नहीं की गई है।

(ग) और (घ) भारत ने कई देशों के साथ पुन: संधि वार्ताएं की हैं और अन्य देशों के साथ ये वार्ताएं चल रही हैं। (सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार)

विवरण

1. उन देशों की सूची जिनके साथ दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार संशोधित किए गए हैं

क्र.स.	देश का नाम
1	2
1.	बेल्जियम
2.	कनाडा
3.	चेक गणराज्य
4.	डेनमार्क
5.	फिनलैण्ड
6.	फ्रांस
7.	जर्मनी संघीय गणराज्य
8.	इटली
9.	जापान
10.	न्यूजीलैण्ड
11.	नार्वे
12.	सिंगापुर
13.	श्रीलंका
14.	स्वीडन
15.	यूनाइटिड किंगडम

2. उन देशों की सूची जहां दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों के संशोधन की प्रक्रिया चल रही है

क्र.स.	देश का नाम
1	2
1.	आस्ट्रिया
2.	मिस्र
3.	यूनान
4.	हंगरी
5.	मलेशिया
6.	नीदरलैंड
7.	रोमानिया
8.	स्विस गणराज्य

वर्ष 2000-2001 के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य

*385. **श्री एस०डी०एन०आर० चाडियार** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1998-99, 1999-2000 के दौरान और आज तक कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया;

(ख) वर्ष 2000 2001 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम की क्या प्रवृत्ति रही; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और अधिक मात्रा में आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) देश में वर्ष 1998-99; 1999-2000 की अवधि में तथा आज तक की अवधि के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी अंत:प्रवाह की वर्षवार राशि निम्नानुसार है :-

वर्ष (1 अप्रैल - 31 मार्च)	अंत:प्रवाह (रुपये करोड़ में)
1998-1999	14279.80
1999-2000	15209.57
2000 (1 अप्रैल - 31 अक्तूबर)	12406.60

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अक्तूबर, 2000 तक की अवधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के महीनेवार अंत:प्रवाह के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

वर्ष 2000 (महीने)	अंत:प्रवाह (रुपये करोड़ में)
अप्रैल	1379.16
मई	1535.25
जून	1979.68
जुलाई	1653.84
अगस्त	1981.21
सितंबर	1182.16
अक्तूबर	2695.30

(ग) विदेशी निवेश संबंधी अंत:प्रवाह विभिन्न कारकों पर निर्भर होते हैं, जिनमें घरेलू आर्थिक स्थितियां विदेशी निवेश को नियंत्रित करने संबंधी नीति तंत्र, सार्वभौमिक आर्थिक रुख और वैश्विक निवेशकों की रणनीतियां शामिल हैं। यद्यपि, कोई विशेष लक्ष्य नियत नहीं किया गया है, सरकार देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट करने के लिए अनुकूल परिवेश बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर, सभी कार्यकलापों के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के जरिये प्रवेश की अनुमति पहले ही दे रखी है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति की उसे निवेशक के लिए अधिक अनुकूल बनाने की दृष्टि से निरंतर समीक्षा की जाती है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से करने और निवेशकों के सामने निवेश किए जाने के बाद आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसमें केन्द्र सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

***386. श्री विनय कुमार सोराके :** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था को मन्दी के दौर से उबारने के लिए धनराशि जुटाने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो घाटे की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं वित्तीय अनुशासन संबंधी कठोर उपाय लागू करने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों की सहायता के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश करने का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग, बेहतर निगमित शासन, करदाता के धन के वाणिज्यिक जोखिम में कमी, दुलर्भ संसाधनों को परिवार कल्याण स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों और बेहतर सार्वजनिक हित के अन्य क्षेत्रों में लगाने के लिए निर्मुक्त करना है। यह अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के व्यापक हित में होगा। विनिवेश से प्राप्त आय को भारत के संचित कोष में जमा कर दिया जाता है जिसमें से सामाजिक क्षेत्र सहित, सभी प्रकार के खर्चों की पूर्ति की जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां। वित्त मंत्रालय ने गैर योजना और गैर विकासीय व्यय में वृद्धि पर और नियंत्रण करने के उद्देश्य से 24.9.2000 को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को व्यय प्रबन्धन राजकोषीय सावधानी और मितव्यता पर संयम बरतने पर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं (प्रति विवरण के रूप में संलग्न)। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने पर विशेष जोर देने के साथ ही लोक उद्यम विभाग

भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है।

(घ) वित्तीय संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके अनुरोध पर वाणिज्यिक बातों को ध्यान में रखते हुए निधियों की व्यवस्था करते हैं।

विवरण

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 24.9.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7(4)/ई-कॉर्ड/2000 की प्रति

कार्यालय ज्ञापन

विषय : वित्त प्रबन्धन राजकोषीय सावधानी तथा मितव्ययता पर दिशा-निर्देश।

इस विभाग के दिनांक 5 अगस्त 1999 के का.ज्ञा.सं. 7(3)/ई-कॉर्ड/1999 के अनुक्रम में और गैर योजना-गैर विकासीय व्यय के वृद्धि में और नियन्त्रण लाने के उद्देश्य से सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रवृत होने वाले निम्नलिखित और मितव्ययता के उपायों का निर्णय लिया है :-

1. सभी मंत्रालयों/विभागों और स्वायत्त संस्थानों के गैर योजना, गैर वेतन बजटीय आवंटन में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती की जाएगी।

2. स्टाफ कार और सरकार वाहनों के इस्तेमाल में अत्यन्त मितव्यता बरती जाएगी। स्टाफ कार के ईंधन आदि पर व्यय के लिए निधियों की खपत और आवंटन में 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

3. एक वर्ष के लिए नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

4. एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों और पदों को समाप्त करने में 10 प्रतिशत की कटौती से संबंधित मौजूदा अनुदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक वर्ष के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त संस्थानों में नए पदों के सृजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

5. विदेश यात्रा को अपरिहार्य सरकारी नियुक्तियों तक ही सीमित रखा जाएगा और अध्ययन दौरों, संगोष्ठियों आदि की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी शिष्टमंडलों का आकार, जहां विदेश यात्रा अपरिहार्य हो, केवल न्यूनतम स्तर तक सीमित रहेगा।

6. सभी देशों की विदेश यात्रा के लिए और सभी श्रेणियों, सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों के लिए प्रतिदिन के अनुमत्य भत्ते में 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। ये अनुदेश स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भी लागू होंगे।

7. सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन में मितव्यता परिलक्षित होगी इस प्रकार के आयोजनों के लिए मौजूदा दिशा-निर्देश और उन पर व्यय की सीमा प्रवृत की जानी चाहिए।

II. भारत सरकार के सचिवों और वित्तीय सलाहकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

ह०/-
(सी०एम० वासुदेव)
सचिव, भारत सरकार

प्रति :-

1. भारत सरकार के सभी सचिव (नाम से)
2. सभी वित्तीय सलाहकार (नाम से)
3. राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिव
4. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमुख

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं की अनुप्रयोज्य आस्तियां

*387. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से सरकारी वित्तीय संस्थाओं की अनुप्रयोज्य आस्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान वित्तीय संस्था-वार उक्त परिसम्पत्तियां कितने मूल्य की थीं;

(ग) अनुप्रयोज्य आस्तियों का निपटान करके उपरोल्लिखित वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि वसूल की गई;

(घ) उपरोल्लिखित वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि को अशोध्य ऋण के रूप में माना गया;

(ङ) क्या सरकार ने मानदंडों का उल्लंघन करके ऋणों को दूसरे कार्यों में लगाने के लिए कुछ कम्पनियों को काली सूची में दर्ज किया है;

(च) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं की अनुप्रयोज्य आस्तियां वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) मार्च, 1998, 1999 और 2000 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई), आई एफ सी आई लि०, आई सी आई सी आई लि०, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आई आई बी आई) की निवल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	संस्था	मार्च		
		1998	1999	2000
1.	आईडीबीआई	5101	6490	7675
2.	आईसीआईसीआई लि०	2811	3733	3959
3.	आईएफसीआई	2663	4258	4103
4.	आईआईबीआई	302	480	641
5.	सिडबी	263.67	192.00	196.85

(ग) और (घ) देयराशियों की वसूली न होने की वजह से किसी आस्ति को अशोध्य ऋण के रूप में अभिनिर्धारित करने की कोई प्रथा नहीं है। जब 180 दिन पूरा होने पर किसी आस्ति के ब्याज के भुगतान में चूक शुरू हो जाती है और/अथवा 365 दिन पूरा होने पर मूलधन में चूक शुरू हो जाती है, तब उसे अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनुपयोज्य आस्तियों में से वसूल की गई राशि अधिकांशत: एक बारगी समझौते के माध्यम से होती है। पिछले दिन वर्षों के दौरान एक बारगी समझौते के मामलों से प्राप्त राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	संस्था	1997-1998	1998-1999	1999-2000
1.	आईडीबीआई	91.40	131.60	281.50
2.	आईसीआईसीआई लि०	255.00	321.00	470.00
3.	आईएफसीआई	138.9	386.4	उपलब्ध नहीं
4.	आईआईबीआई	22.65	35.53	46.17
5.	सिडबी	शून्य	71.16	417.32

(ङ) और (च) निधियों के अन्यत्र उपयोग आदि सहित चूक के मामलों से संबंधित नीति स्वयं वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल द्वारा तैयार की जाती है और निधियों के अन्यत्र उपयोग तथा अन्य चूकों के लिए काली सूची में डालने की कार्रवाई, अलग-अलग मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी नीति के अनुसार की जाती है। विविध व्यवसायों में पूंजीकरण के प्रयत्न में वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त कुछ व्यावसायिक समूहों की वित्तीय क्षमता अत्यधिक प्रभावित हुई है, जिससे वे अपने मूल कारोबार पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पा रहे हैं। वित्तीय संस्थाएं ऐसी कंपनियों को निधियां वापस लाने का निदेश देती हैं और अनुपालन न करने पर चूक की स्थिति में अपनी देयराशियों की वसूली के लिए उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करती हैं। तथापि, सरकारी वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित प्रथाओं एवं रीतिरिवाजों के अनुसार और सरकारी वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों के प्रावधानों तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुरूप अलग-अलग संघटकों से संबंधित और ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते।

(छ) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अपनी देयराशियों की वसूली के लिए वसूली नीति बनाने और कार्यान्वित करने, सिविल अदालतों में मुकदमें दायर करने, ऋण वसूली अधिकारणों के पास मामले दर्ज करने, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौते द्वारा निपटान करने और अनुपयोज्य आस्तियों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे कई विभिन्न उपाय करने का परामर्श दिया है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण

*388. **श्री रामपाल सिंह :**
डा० अशोक पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु ऋण मंजूर करने के लिए अनेक पूर्व शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इन सभी पूर्व-शर्तों को मानने के लिए सहमति जताई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) विकास संबंधी ऋणों को मंजूरी देने के लिए कोई निर्धारित पूर्व शर्तें नहीं हैं। तथापि, सामान्य ऋण शर्तों में वापसी अदायगी अवधि, ब्याज-दर, वचनबद्धता प्रभार, ''फ्रंट एण्ड'' शुल्क, सेवा प्रभार इत्यादि विनिर्दिष्ट किए जाते हैं। इसके लिए विशिष्ट ऋण करारों में परियोजना-अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली कार्य योजनाएं और पारस्परिक

रूप से सम्मत सामान्य शर्तों पर किए गए परिवर्तनों को शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

वी.एल.पी.टी./एल.पी.टी. की स्थापना

*389. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों और बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) समय पर उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण राज्य-वार किन- किन स्थानों पर प्रसारण केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा सकी; और

(ग) निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त लक्ष्य करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के पहाड़ी क्षेत्रों (दूरवर्ती क्षेत्रों सहित) में स्थापित करने हेतु लक्षित कुल 56 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों/ अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों में से अब तक 1.4.2000 से 30.11.2000 तक 11 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर एवं 11 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर चालू किए गए हैं। शेष 18 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों तथा 16 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आमतौर पर उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने में देरी नहीं हुई है।

प्रसार भारती ने यह भी बताया है कि दूरदर्शन द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते स्थल और अपेक्षित आधारभूत सुविधा उपलब्ध हों।

विवरण

पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन के अति अल्प शक्ति/अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1.4.2000 से 30.11.2000 के बीच चालू की गई परियोजनाएं			31.3.2000 तक पूरी होने वाली संभावित परियोजनाएं		
		अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	कुल	अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	कुल
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	2
2.	हिमाचल प्रदेश	1	1	2	0	3	3
3.	जम्मू एवं कश्मीर	2	7	9	9	10	19
4.	कर्नाटक	1	0	1	3	0	3
5.	केरल	1	0	1	1	0	1
6.	महाराष्ट्र	2	0	2	0	0	0
7.	मणिपुर	0	1	1	0	0	0
8.	मिजोरम	0	0	0	1	0	1
9.	नागालैंड	1	0	1	0	0	0
10.	तमिलनाडु	1	1	2	1	0	1
11.	त्रिपुरा	0	0	0	2	0	2
12.	उत्तरांचल	2	1	3	1	1	2
	कुल	11	11	22	18	16	34

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियां

*390. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार कुछ मुख्य गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों (एन बी एफ सी) को स्वयं को बैंकों में परिवर्तित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों को बैंकों में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों द्वारा स्वयं को बैंकों में परिवर्तित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है कि बैंकों में परिवर्तित गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियां भी नकद-जमा अनुपात और सांविधिक द्रव्यता अनुपात संबंधी शर्तों को पूरा करने जैसे सभी विवेकपूण मानदंडों को पूरा करें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंक स्थापित करने के लिए लाइसेन्सीकरण नीति की पुनरीक्षा करने तथा मौजूदा लाइसेन्सीकरण नीति के अंतर्गत हुए अनुभव के आलोक में नए मार्गनिर्देश निर्धारित करने के लिए जनवरी 1998 में एक कार्य दल गठित किया था। इस कार्य दल ने अप्रैल 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कार्य दल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां काफी सार्वजनिक जमाएं जुटा रही हैं, उन्हें वाणिज्यिक बैंकों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बैंकों के लिए लागू विनियामक नियमावली के अंतर्गत लाया जाना आवश्यक एवं विवेकपूर्ण होगा। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार से परामर्श करके दल की अन्य सिफारिशों सहित सुदृढ़ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वाणिज्यिक बैंकों में बदलने के लिए पात्रता मानदंडों को अंतिम रूप दे रहा है।

सीमेंट का उपयोग

*391. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट का अधिकतम उपयोग करने हेतु उपायों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृतिक बल के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) क्या सरकार के पास सीमेंट उद्योग की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी कोष के सृजन हेतु सीमेंट विनियमन अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग के लिए भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कॉफी की खपत

*392. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी की घरेलू खपत पिछले दशक में स्थिर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में कॉफी की खपत एक लाख टन तक बढ़ाने के अनुमान के पूरा होने की संभावना नहीं है;

(घ) यदि हां, तो देश में वर्ष 2005-2006 तक कॉफी का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है और इस अवधि के दौरान घरेलू खपत कितनी होगी और कितना निर्यात होने की संभावना है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख टन की अनुमानित घरेलू खपत प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) देश में कॉफी की घरेलू खपत पिछले कुछेक वर्षों के दौरान 50,000 टन से 55,000 टन के बीच स्थिर रही है। इस स्थिरता के लिए मुख्य कारण हैं घरेलू बाजार में अनेक हल्के पेय पदार्थों के साथ कठिन प्रतिस्पर्धा, द्रव कॉफी की ऊंची कीमतें और देश में खासकर उत्तरी भारत में प्रचलित चाय पीने की आदतें।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2005-06 में कॉफी के उत्पादन, कॉफी की घरेलू खपत और निर्यात के लिए जो अनुमान इस वर्ष लगाए गए हैं वे क्रमशः 3.79 लाख टन, 90,000 टन और 2.86 लाख टन हैं।

(ङ) 8वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां 60,000 टन के लक्ष्य की तुलना में 50,000 टन रही है। कॉफी की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कॉफी बोर्ड के जरिए अनेक कदम/कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे :-

1. कॉफी उत्सवों का आयोजन करना और होटल क्षेत्र को कॉफी भूनने, पीसने और ब्रीविंग की तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करना;
2. सभी प्रमुख घरेलू व्यापार मेलों में भागीदारी;
3. बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे काफी गृहों के निष्पादन का सुदृढ़ीकरण;
4. बोर्ड की कॉफी की छोटी-छोटी दुकानें स्थापित करना; और
5. ऑडियो/वीडियो और प्रिंट मीडिया के जरिए अभियान चलाना।

नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कार्यक्रम

*393. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शुरू किए गए कार्यक्रम कौन-कौन से हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में उक्त कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन राज्यों के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोग इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कितने लोग लाभान्वित हुए ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) दिनांक 24.7.1991 को संसद में रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी विवरण में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने हेतु एक विस्तृत रूप-रेखा तैयार की गयी है। इसमें उपयुक्त प्रोत्साहनों, संस्थाओं और अवसंरचनात्मक निवेश के माध्यम से देश के ग्रामीण और जन-जातीय क्षेत्रों के औद्योगीकरण को भी ध्यान में रखा गया है।

इन क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की गयी है, जैसे, एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना, केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना और केंद्रीय व्यापक बीमा योजना। जन-जातीय क्षेत्रों पर विशेष बल दिये जाने की दृष्टि से सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत पूंजी निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, करों से छूट, ब्याज राजसहायता और विकास केन्द्रों तथा एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केंद्रों के मामले में बढ़ायी गयी केंद्रीय सहायता जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है।

चूंकि ये कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ संगठनों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं, अत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में इनके संबंध में राज्य-वार ब्यौरे केंद्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं। सरकार द्वारा भी महाराष्ट्र सहित देश में इन कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

अवैध व्यापार

*394. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल की खुली सीमा पर अवैध व्यापार रोकने के लिए हाल में सचिव स्तर पर वार्ता की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वार्ता के परिणामस्वरूप अवैध व्यापार रोकने में किस हद तक सफलता प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) अवैध व्यापार संबंधी समस्या पर भारत तथा नेपाल के वाणिज्य सचिव स्तर पर नई दिल्ली में 10-12 दिसम्बर, 1999 को हुई अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। भारतीय पक्ष ने नेपाली पक्ष को उन मदों की जानकारी दी जिनका भारत-नेपाल की सीमा के आर-पार से अवैध व्यापार होता है तथा इसने नेपाली पक्ष द्वारा किए जाने वाले उन उपायों का भी सुझाव दिया जिनसे अवैध व्यापार को रोकने में सहायता मिलेगी।

(ग) नेपाली पक्ष ने अवैध-व्यापार को रोकने संबंधी अपनी दृढ़ वचनबद्धता को पुन: दोहराया। ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की अनुमति के बिना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*395. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उद्योगों को सरकार द्वारा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्वीकृति के बिना विदेशी निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) उन्हें ऐसी छूट देने के क्या कारण हैं;

(ग) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें ऐसी छूट की परिधि से अलग रखा गया है; और

(घ) उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) सरकार ने आपवादिक कुछ मदों को छोड़कर सभी मदों/कार्यकलापों को 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अनिवासी भारतीय (एन आर आई) और विदेशी निगमित निकाय (ओ सी बी) हेतु स्वत: मार्ग के अंतर्गत रख दिया है। निम्नलिखित मदें/कार्यकलाप उपर्युक्त का अपवाद हैं :

1. ऐसे सभी प्रस्ताव जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस लिया जाना अपेक्षित है, जिनमें ये शामिल हैं (i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाली मदें, (ii) लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदें जिनमें विनिर्माण करने वाले एककों की इक्विटी पूंजी में 24% से अधिक विदेशी निवेश अंतर्ग्रस्त हैं; और (iii) ऐसी सभी मदें जिनके लिए सरकार द्वारा अधिसूचित अवस्थापना संबंधी नीति की शर्तों के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

2. ऐसे सभी प्रस्ताव जिनमें विदेशी सहयोगकर्ता का भारत में पूर्व उद्यम/समझौता है।

3. मौजूदा भारतीय कंपनी के शेयरों को विदेशी/अनिवासी भारतीय/अन्य निगमित निकाय निवेशकों के पक्ष में अधिग्रहण किये जाने से संबंधित सभी प्रस्ताव।

4. ऐसे सभी प्रस्ताव जो कि अधिसूचित क्षेत्रीय नीति/सीमा के बाहर आते हैं अथवा उन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है और/अथवा जब कभी कोई निवेशक सरकार से आवेदन करना चाहता है और स्वत: मार्ग का लाभ नहीं उठाना चाहता है।

इस नीति को उदारीकृत बना दिया गया है ताकि अधिक प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट किया जा सके और भारत में घरेलू पूंजी को बढ़ावा दिया जा सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सरकार की अंशधारिता

***396. श्री निखिल कुमार चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी अपनी अंशधारिता को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जो ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन और पिछड़े लोगों को प्राथमिकता देते हैं, को सुदृढ़ करने हेतु प्रयास करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिससे ये ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और पिछड़े व्यक्तियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें। महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी (निर्गमित पूंजी) 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये कर दी गई है;

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ईक्विटी आधार और अधिक सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1994-95 में पुन: पूंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया के अधीन 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आज की तारीख तक शामिल किया जा चुका है और शेयर धारकों अर्थात् केन्द्रीय सरकार (50%), संबंधित राज्य सरकार (15%) और प्रायोजक बैंक (35%) द्वारा 2188.42 करोड़ रुपये की कुल राशि का अंशदान किया जा चुका है;

3. प्रायोजक बैंकों को अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधकीय और परिचालन संबंधी उत्तरदायित्व अधिक सौंपे गए हैं;

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बैंक विशेष विकास कार्य योजना (डी ए पी) तैयार की जा रही है तथा उन्होंने अपने प्रायोजक बैंकों के साथ अपने निष्पादन में योजनाबद्ध तरीके से सुधार लाने हेतु वार्षिक आधार पर समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे निरंतर आधार पर लाभप्रदता प्राप्त की जा सके;

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अधिक से अधिक लाभान्वित होने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में संतोषजनक रिकार्ड वाले किसानों के लिए समिश्र ऋण सुविधा शुरू करने, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने और व्यष्टि ऋण दिलाने के लिए स्वसहायता समूह (एच एच जी) अपनाना शामिल है; और

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र को उनके द्वारा ऋण देने के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों के बराबर कर दिया गया है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप (31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार) 196 में से 162 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 561.00 करोड़ रुपये का संयुक्त निवल लाभ अर्जित किया है। इन 162 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 55 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी संचित हानि खत्म कर दी है।

[अनुवाद]

कपास उत्पादकों को ऋण

*397. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उन कपास उत्पादकों, जिनकी फसल कीटों द्वारा नष्ट हो गई थी, को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल ने उन राज्यों का दौरा किया है और राज्य सरकार के अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार किस सीमा तक इन कपास उत्पादकों की सहायता करने को सहमत हो गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने देश में उन कपास उत्पादकों के लिए बैंकों के जरिए ऋण देने हेतु विशेष रूप से कोई योजना नहीं बनाई है जिनकी फसलें कीटों द्वारा नष्ट हो गई थीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के लिए स्थायी मार्गनिर्देश जारी किए हैं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नष्ट हो जाने से आई विपत्ति से निपटा जा सके। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

1. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे लघु एवं सीमांत किसानों के ऋणों पर 4 प्रतिशत की दर से विभेदी ब्याज दर लगाएं;

2. प्रभावित किसानों से दो वर्ष की अवधि के लिए न तो मूल की और न ही ब्याज की वसूली की जाए तथा नहीं ली गई राशि को 7 वर्ष तक के लिए पुनर्निर्धारित किया जाए;

3. बैंकों से कहा गया है कि वे पुनर्निर्धारित ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाएं और कोई भी दांडिक ब्याज न लगाएं और दाण्डिक ब्याज, यदि प्रभारित किया गया हो, से छूट दे दी जाए;

4. बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि प्रभावित किसानों को जिला तकनीकी समिति द्वारा हाल में किए गए संशोधन के अनुसार बढ़े हुए वित्तमान पर नई फसलों के लिए तत्काल ऋण दें।

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उपर्युक्त मामले के संबंध में केन्द्र से किसी भी दल ने राज्यों का दौरा नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी कंपनियों को प्रसारण की अनुमति

*398. **प्रो० दुआ भगत :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें इस समय भारत में दूरदर्शन ने अपने कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिनके अध्यधीन उन कंपनियों को भारत में प्रसारण करने की अनुमति प्रदान की गई थी;

(ग) उन कंपनियों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है जो अपने कार्यक्रमों का प्रसारण भारतीय भाषाओं में कर रही हैं और क्या वे अपने कार्यक्रमों का प्रसारण अंग्रेजी में भी कर रही हैं;

(घ) चैनल-वार प्रसारण समय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में उन कंपनियों से कोई रायल्टी वसूल करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने बताया है कि उन्होंने मैसर्स नाइन नेटवर्क आस्ट्रेलिया पीटीवाई लि० और मैसर्स ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, लंदन के कार्यक्रम दूरदर्शन के मैट्रो चैनल पर प्रसारित करने के लिए इनके साथ करार किया है।

प्रसार भारती द्वारा कशीर चैनल पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए स्टार टी.वी. जीटीवी, सोनी एन्टरटेनमैंट और यूटीवी के साथ भी समझौते किए गए हैं।

दूरदर्शन ने समाचार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सीएनएन के साथ भी 3 मार्च, 2000 से 2 अप्रैल, 2001 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए करार किया है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि मैसर्स नाइन नेटवर्क के कार्यक्रम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर प्रसारित किए जा रहे हैं :-

1. दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु निर्मित एवं प्रस्तुत कार्यक्रम, दूरदर्शन की प्रसारण एवं वाणिज्यिक संहिता के अनुरूप होने चाहिए।

2. केवल दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित संकल्पनाओं पर आधारित कार्यक्रम ही प्रसारित किए जाएंगे।

3. दूरदर्शन को किसी भी कार्यक्रम विशेष के प्रसारण को स्थगित करने का अधिकार है। तथापि, किसी कार्यक्रम के एक वर्ष में पांच से अधिक बार स्थगित किए जाने पर संबंधित कम्पनी ऐसे सभी स्थगित कार्यक्रमों के मामले में यथानुपात छूट की पात्र होगी। आवेदक द्वारा किसी दिन प्रसारण न किए जाने पर उसके द्वारा दूरदर्शन को उपरोक्त के कारण होने वाली हानि की आवेदक के लिए अनुमत आधार अर्थात् यथानुपात आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4. कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान केवल दूरदर्शन का लोगों ही प्रदर्शित किया जाएगा। प्रसार भारती ने बीबीसी को उनके बाल कार्यक्रम "टेलोटब्बीज" को आबंटित समय स्लॉट के निर्धारित प्रसारण शुल्क् पर प्रसारित करने की अनुमति दी है।

कश्मीर घाटी में विद्यमान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों को देश में उपलब्ध सर्वोत्तम कार्यक्रम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मैसर्स स्टार टीवी, जीटीवी, सोनी एन्टरटेनमेंट तथा यूटीवी के साथ प्रसारण समय में भागीदारी के लिए समझौते किए गए हैं। जो कशीर चैनल पर काफी अच्छे कार्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। इन निजी चैनलों/निर्माताओं द्वारा ये कार्यक्रम नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

सीएनएन के साथ करार के अनुसार, दूरदर्शन को निम्नलिखित के समुपयोजन का अधिकार प्रदान किया गया है :-

सीधे सर्वप्रथम प्रसारित समाचार	समकालिक पुन: प्रसारण के लिए 60 मिनट प्रति दिन तक, परन्तु बाद में पुन: प्रसारण की अवस्था में 30 मिनट प्रति दिन से अधिक नहीं।
उद्धरण	प्रति घंटा 10 मिनट तक, परंतु कुल-मिलाकर 150 मिनट प्रति दिन से अधिक नहीं।
अन्तर्राष्ट्रीय समाचार स्रोत	घटनाओं, आलेखों तथा सहायक सेवाओं सहित प्रति दिन चार उपग्रहों के माध्यम से समाचार।
कुल	इन अधिकारों में निहित सामग्री का उपयोग कुल मिलाकर 90 मिनट प्रतिदिन से अधिक नहीं किया जाएगा।

(ग) मैसर्स नाइन नेटवर्क आस्ट्रेलिया पीटीआई लि०, आस्ट्रेलिया और कशीर चैनल पर प्रसारित निजी चैनलों के कार्यक्रम केवल हिन्दी में हैं। बीबीसी अपने बाल कार्यक्रम केवल अंग्रेजी में प्रसारित कर रहा है। सीएनएन से प्राप्त समाचार सामग्री अंग्रेजी में होती है।

(घ) डीडी मैट्रो पर मैसर्स नाइन नेटवर्क पीटीवाई लि० आस्ट्रेलिया मूल कार्यक्रम सायं 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तीन घंटे एवं अगले दिन पुन: पूर्वाह्न 9.00 बजे से 12.00 बजे दोपहर तक तीन घंटे प्रसारित करता है तथा बीबीसी सोमवार से शुक्रवार अपराह्न 3.30 बजे आधे घंटे के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है।

मैसर्स स्टार टीवी, जीटीवी, सोनी एन्टरटेनमेंट और यूटीवी कशीर चैनल पर सायं: 7.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक 2½ घंटे कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं।

सीएनएन से प्राप्त सामग्री के प्रसारण हेतु किसी विशिष्ट अवधि के लिए सहमति नहीं हुई है। इस सामग्री का दूरदर्शन द्वारा अपने समाचारों के लिए आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है।

(ङ) और (च) इन कार्यक्रमों का स्रोत रायल्टी आधारित नहीं है। सायं 7.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे के समय स्लॉट के लिए मैसर्स नाइन नेटवर्क आस्ट्रेलिया पीटीवाई लि० द्वारा अधिकतम बोली के रूप में 59 करोड़ रु० की निवल कीमत प्रस्तावित की गई थी और रात्रि 9.00 बजे से 10.00 बजे के स्लॉट के लिए उद्धृत निवल कीमत 62 करोड़ रु० थी। उद्धृत बोली राशि एक वर्ष की संविदा अवधि से संबंधित है।

बीबीसी द्वारा अपने बाल कार्यक्रम को प्रति प्रकरण 7500/- रु० के प्रसारण शुल्क का भुगतान करके प्रसारित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम एक वर्ष के लिए है।

मैसर्स स्टार टीवी, जीटीवी, सोनी एन्टरटेनमेंट तथा यूटीवी कशीर चैनलों पर अपने कार्यक्रम नि:शुल्क उपलब्ध करा रहे हैं।

दूरदर्शन संविदा की अवधि के दौरान सीएनएन समाचारों के लिए सीएनएन को लाईसेंस शुल्क के रूप में 95,000 अमरीकी डालर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है।

उपभोक्ता अदालतों के लिए निधियां

*399. **श्री मानसिंह पटेल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ता अदालतों की स्थापना हेतु कोई निधियां नियत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्यों ने आवंटित निधियों को या तो अन्य प्रयोजनों में लगा दिया है अथवा पूरी निधियों का उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) से (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। अत: इन एजेंसियों के सुचारू कार्यकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने हेतु 61.80 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अनुदान की पूरी राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए किया है। अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र फिलहाल इस धनराशि को उपयोग में ला रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही करें।

[अनुवाद]

म्यूचुअल फंड में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और विदेशी संस्थागत निवेशक

*400. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :***
श्री आर०एस० पाटिल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय म्यूचुअल फंडों के निष्पादन से संबंधित कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996, जो देशी तथा विदेशी आवेदकों पर समान रूप से प्रयोज्य हैं, की अपेक्षाओं के अनुपालन के अध्यधीन भारत में म्यूचुअल फंडों को प्रायोजित करने की अनुमति पहले से प्राप्त है।

(ग) से (ङ) म्यूचुअल फंडों को सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी म्यूचुअल फंडों की गतिविधियों का उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आवधिक रिपोर्टों द्वारा अनुवीक्षण करता है। म्यूचुअल फंडों से असीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में दैनिक आधार पर तथा सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में साप्ताहिक आधार पर निवल परिसंपत्ति मूल्य के रूप में अपना निष्पादन प्रकट किया जाना अपेक्षित है। जुटाई गई निधियों, कुल परिसंपतियों, प्राप्त तथा समाशोधित पेशकश दस्तावेजों, आरंभ की गई योजनाओं, म्यूचुअल फंडों द्वारा दैनिक क्रय तथा बिक्री इत्यादि सहित विस्तृत आंतरिक प्रास्थिति रिपोर्टें तैयार की जाती हैं जो सेबी वेबसाईट (www.sebi.gov.in.) पर भी उपलब्ध हैं। इसलिए, सरकार ने भारतीय म्यूचुअल फंडों के निष्पादन के संबंध में कोई पृथक अध्ययन नहीं किया है।

[हिन्दी]

कपास मिलों को अल्पावधि ऋण

4146. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक मिलों के लिए कपास खरीद हेतु निधियां प्रदान करने और ऋणों के लिए पुन: समय निर्धारण के साथ-साथ कुछ अल्पावधि उपाय अपनाने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वस्त्र उद्योग को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने वाणिज्यिक निर्णयों, तथा अपने संबंधित बोर्डों द्वारा विधिवत अनुमोदित उधार नीति के आधार पर और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। ऋण देने के लिए यह कपड़ा मिलों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू है।

(ग) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कपड़ा उद्योगों के पास बकाया ऋण (अद्यतन उपलब्ध) 26,284 करोड़ रुपए था। अप्रैल-अक्टूबर 2000 के दौरान कपड़ा उद्योग को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित सहायता (अद्यतन उपलब्ध) क्रमश: 2200.91 करोड़ रुपए तथा 1710.16 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

साधारण बीमा निगम में कम्प्यूटरों का प्रयोग

4147. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **वित्त मंत्री** साधारण बीमा निगम में कम्प्यूटरों के प्रयोग के बारे में 28 अप्रैल, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5388 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरियन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड और न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालयों ने गत तीन वर्षों के दौरान खुले बाजार मूल्य से अधिक मूल्यों पर कम्प्यूटरों की खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान इन पर कितना खर्च किया गया और खरीद हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी, नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालयों ने 3.18 लाख रुपए और 1.53 लाख रुपए की लागत से क्रमश: 6 और 3 कम्प्यूटर खरीदे। ये खरीददारियां बाजार से निविदाएं आमंत्रित करने के बाद ही की गई हैं। इन दोनों कंपनियों ने यह पुष्टि की है कि ये खरीद-कीमतें बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक नहीं थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक ऋण

4148. श्री एम०के० सुब्बा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अलगाववाद से प्रभावित असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से ऋण अथवा सहायता हेतु सम्पर्क किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान इन योजनाओं और परियोजनाओं पर चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। अरूणाचल प्रदेश वानिकी परियोजना, असम वानिकी परियोजना और त्रिपुरा कृषि विकास परियोजना विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। तृतीय तकनीकी शिक्षा परियोजना को दि. 7.9.2000 को विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ख) दि. 19.8.1999 को विश्व बैंक को 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली अरूणाचल प्रदेश परियोजना प्रस्तुत की गई थी। दि. 26.10.1999 को विश्व बैंक को 357.05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली चरण-I और 327.96 करोड़ रुपए की चरण-II की असम वानिकी परियोजना प्रस्तुत की गई थी। विश्व बैंक को अनुमानित 403 करोड़ रुपए की लागत वाली त्रिपुरा कृषि विकास परियोजना जनवरी, 2000 में प्रस्तुत की गयी थी। 329.37 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली तृतीय तकनीकी शिक्षा परियोजना अन्य के साथ-साथ अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों को भी कवर करेगी।

(ग) विश्व बैंक के अध्यक्ष की हाल ही की यात्रा के दौरान विश्व बैंक से वित्तीय सहायता हेतु क्षेत्र अथवा क्षेत्रक विशेष परियोजना प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हुई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बी.एच.ई.एल. की बकरेश्वर विद्युत परियोजनायें

4149. डा० जसवन्तसिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निर्धारित समय पर बकरेश्वर विद्युत परियोजना को पूरा करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के कारण पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम को बी.एच.ई.एल. द्वारा कितना जुर्माना अदा किया जाएगा; और

(घ) बी.एच.ई.एल. वाणिज्यिक प्रचालन के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम को परियोजना की सभी इकाइयों को कब तक सौंप देगा ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। बकरेश्वर विद्युत परियोजना में विलम्ब, विशेष रूप से जनरेटर में हो रहीं समस्याओं के कारण हुआ है और यूनिट I में जनरेटर के आयातित मिलों के बदले जाने की अपेक्षा है और विभिन्न इकाइयों के ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन में समय लगा है।

(ग) दंड के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है और यह ऊपर दर्शाए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए आपसी बातचीत पर निर्भर करेगा।

(घ) यूनिट-I को पहले ही सुपुर्द कर दिया गया है और यूनिट-II को जनवरी, 2001 तक तथा यूनिट-III को मार्च, 2001 तक सुपुर्द कर दिए जाने की आशा है।

विविध भारती स्टेशन को स्थापित किया जाना

4150. डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी तमिलनाडु में विविध भारती स्टेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव है क्योंकि तिरुची स्थिति विद्यमान स्टेशन दक्षिणी तमिलनाडु के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दक्षिण तमिलनाडु में कोयम्बटूर स्थित विज्ञापन प्रसारण सेवा (वि.प्र.से.) केन्द्र को 15.8.2000 को चालू कर दिया गया है। तिरूचिरापल्ली स्थित मौजूदा 1 कि.वा.मे.वा. ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि.वा.एफ.एफ. ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है।

बाजार विकास सहायता दिशानिर्देशों में संशोधन

4151. श्री सुबोध मोहिते : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में लेटिन अमरीकी देशों को किया गया निर्यात नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में बाजार विकास सहायता दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे इन देशों को निर्यात पर क्या असर पड़ेगा ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 में लैटिन अमेरिकी देशों को पण्य वस्तुओं के हमारे निर्यात 693.75 मिलियन डालर के हुए थे जो हमारे कुल निर्यातों का 1.85% है। इस क्षेत्र को हुए कम निर्यात के प्रमुख कारण थे—लम्बी दूरी, भाषा संबंधी अड़चनें और सूचना की अपर्याप्तता।

(ग) और (घ) बाजार विकास सहायता संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और विशेष तौर पर लैटिन अमेरिकी देशों के क्षेत्र के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, अर्थात्

1. लघु उद्योग के निर्यातकों के लिए 90% की दर से और लघु उद्योग से इतर निर्यातकों के लिए 75% की दर से बाजार विकास सहायता उपलब्ध की जाएगी, जो एलएसी क्षेत्र में बिक्री-सह-अध्ययन दौरों/व्यापार शिष्टमंडलों के प्रत्येक आयोजन के लिए 90,000/- रुपए और मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी और क्रेता-सह-विक्रेता बैठकों के लिए 1,40,000/- रुपए से अधिक नहीं होगी।

2. बाजार विकास सहायता के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन क्रिया-कलापों की अनुमति होगी जिनमें विदेशों में बिक्री दौरे/मेलों में भागीदारी शामिल हैं। एलएसी क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त बिक्री दौरे/मेलों में भाग लेने की अनुमति होगी।

3. 1 अप्रैल, 2000 से तीन वर्षों की अवधि के लिए किराया खर्चों को पूरा करने के लिए तीन लगातार वर्षों में 75%, 50% और 25% की घटी हुई दर पर लेटिन अमेरिकी देशों में भाण्डागार को खोलने/रख-रखाव के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

4. ईपीसी, आईटीपीओ आदि के जरिए विशिष्टीकृत मेड इन इण्डिया प्रदर्शनियों के आयोजन, स्पेनिश/पुर्तगाली और विलोमत: अनुवाद सुविधा, बाजार सर्वेक्षण तीन वर्ष के लिए भाण्डागार सुविधाओं की स्थापना, सीडी रोम फार्म में उत्पाद सूची को तैयार करने के रूप में एल ए सी क्षेत्र में बाजार संवर्धन क्रियाकलापों की सहायता के लिए वर्ष 2000-01 के लिए 2 करोड़ रु० की संग्रह निधि की व्यवस्था की गई है।

5. विशिष्टीकृत मेलों तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विदेशी शिष्टमण्डलों/क्रेताओं को आमंत्रित करना भी एमडीए सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।

6. मान्यता प्राप्त भारतीय निर्यात घरानों तथा व्यापार घरानों, एसएसआई एककों के मान्यता प्राप्त सहायता-संघों को लैटिन अमरीकी देशों में विदेशी कार्यालय खोलने तथा इनके रख-रखाव के लिए किराया आदि हेतु एक वर्ष के लिए 50% की मदद के साथ सहायता दी जाएगी।

7. लैटिन अमरीकी देशों को निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए स्पेनिश/पुर्तगाली भाषा में आईआईएफटी में एक वर्ष

में आठ पाठयक्रमों के आधार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनका संचालन 5 महीने की अवधि के लिए सप्ताह में तीन बार सायंकाल/अढाई महीने की अवधि के लिए पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के रूप में किया जाएगा।

(ङ) इन उपायों से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान लैटिन अमरीकी देशों को किए गए भारतीय निर्यातों में 32.81% की वृद्धि हुई है।

बीमा कंपनियों में कदाचार

4152. **श्री शमशेर सिंह दूलो :** क्या **वित्त मंत्री** बीमा कंपनियों में कदाचार के बारे में 12 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2483 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कम्पनी-वार सी.बी.आई., पुलिस, सी.वी.सी. और भ्रष्टाचार रोधी शाखा, दिल्ली के पास दिल्ली और गाजियाबाद में स्थित बीमा कंपनियों के कार्यालयों में फर्जी दावों के निपटान और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियों, जालसाजी, भ्रष्टाचार के संबंध में दर्ज/जांच किये गये मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कम्पनी-वार इन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या दिल्ली क्षेत्र के सतर्कता अधिकारी की जांच के लिए भेजे गए विभिन्न मामलों में उनकी अनुचित और भेदभावपूर्ण भूमिका तथा उनके निजी दुराचार के विरुद्ध कर्मचारी एसोसिएशनों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी सतर्कता अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) बीमा कंपनियों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निवेशकों के विरूद्ध सी.बी.आई. जांच

4153. **श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला :**
श्री अशोक अर्गल :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपकमों के कितने निदेशकों के विरुद्ध सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है और कितने निदेशकों को उच्च पदों पर प्रदोन्नत किया गया है; और

(ख) ऐसे कितने निदेशक हैं जो अभी भी पदोन्नति सूची में हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन और विद्युत बिलों का भुगतान

4154. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के टेलीफोन और विद्युत बिलों का भुगतान स्वीकार करने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निदेश देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फूड पार्क

4155. **श्री जय प्रकाश :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में फूड पार्क स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन फूड पार्कों के चयन हेतु क्या मापदंड हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं और उनके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या राज्य ने इसके लिए सभी बुनियादी सुविधाएं जुटा ली हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत हरदोई जिले को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) सरकार ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में फूड पार्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (अपनी प्लान स्कीमों के तहत जो परियोजना उन्मुख हैं और क्षेत्र अथवा राज्य विशिष्ट नहीं हैं) फूड पार्क स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगता है। फूड पार्क स्थापित करने के इच्छुक संगठनों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण के ब्यौरे, वित्त संसाधनों के ब्यौरे, राज्य की नोडल एजेंसी की सिफारिश आदि को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

(ग) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता प्रदान करने की योजना के तीन घटक हैं उनमें से एक फूड पार्क स्थापित करने के लिए है। इस घटक में साधारण सुविधाओं जैसे विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, कोल्ड स्टोरेज, आशोधित वातावरण के कोल्ड स्टोरेज/भण्डारण सुविधाओं/प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं आदि के सृजन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र/गैर सरकारी संगठन/सहकारी समितियों के लिए 4 करोड़ रुपये तक सहायता अनुदान देने की परिकल्पना की जाती है। ऐसी सुविधाओं के स्थान राज्य की नोडल एजेंसी की सिफारिश के अनुसार होते हैं।

(च) और (छ) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में फूड पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

नाबार्ड द्वारा ली जा रही ब्याज दर

4156. श्री विनोद खन्ना : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को दिए जा रहे पुनर्वित्त पर 1 अक्टूबर, 1999 से ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सहकारी बैंकों की पूर्व की ब्याज दर को बहाल करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सामान्य ऋण सहायता के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से विभिन्न रियायती ब्याज दरों पर मौसमी कृषि परिचालनों तथा अन्य अनुमोदित उद्देश्यों के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज की दरें आमतौर उन्हें प्रदान की गई सामान्य ऋण सहायता पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभारित दरों पर आधारित होती हैं। *चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड को प्रदान की जा रही सामान्य ऋण सहायता वाली निधियों पर 1 अक्टूबर, 1999 से ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी थी, इसलिए नाबार्ड को भी उसी तारीख* से बैंकों को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता पर अपनी ब्याज दरों को संशोधित करना पड़ा है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में धोखाधड़ी

4157. श्री बी० वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंकों की मुम्बई और दिल्ली शाखाओं में बैंक-वार कितने धोखाधड़ी के और फर्जी खाता खोलने के मामलों का पता चला है;

(ख) मामले-वार इनमें कितनी धनराशि शामिल है;

(ग) क्या बैंकों के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक मामले में शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वातानुकूलित भांडागार

4158. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागवानी उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा कितने वातानुकूलित भांडागारों का रखरखाव किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में भांडागारों के निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) केन्द्रीय भण्डारण निगम का कलकत्ता में अपना एक वातानुकूलित भाण्डागार है जिसकी क्षमता 1500 टन है जिसमें रसायन, औषधियों और बीजों का भण्डारण किया जाता है। केन्द्रीय भण्डारण निगम निम्नलिखित केन्द्रों पर चार कोल्ड स्टोर भी चला रहा है :

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	क्षमता (मीट्रिक टन में)		भण्डारित जिंस
		अपनी	किराये की	
1.	नीमक महल रोड (पश्चिम बंगाल)	0	1500	बीज, रसायन, औषधियां
2.	अगरतला (त्रिपुरा)	1000	0	आलू
3.	नामपल्लै (आंध्र प्रदेश)	600	0	यीस्ट, हल्दी
4.	तूरभे (महाराष्ट्र)	0	2674	फिल्म, खजूर, औषधियां

(ख) वित्तीय वर्ष 2000-2001 में केन्द्रीय भण्डारण निगम की किसी वातानुकूलित भाण्डागार का निर्माण करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय मंत्रालयों में कर्मचारियों की संख्या

4159. श्री पी० मोहन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चालू वित्तीय वर्ष से 2004-2005 तक केन्द्रीय मंत्रालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तक कम की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे औचित्य क्या है, और

(ग) इसे किस प्रकार क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई.एम.एफ. ऋण

4160. श्रीमती निवेदिता माने : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और ऋण न लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बढ़ते तेल आयात बिल के मद्देनजर भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) ये उपाय किस सीमा तक सफल रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार की आर्थिक सुधार तथा उदारीकरण की समग्र नीति से निर्यात बढ़ाने तथा विदेशी पूंजी अन्तर्प्रवाह को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है। सुधार के लिए किए गए कुछ उपायों तथा उनके भुगतान संतुलन की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह अप्रैल-अक्तूबर, 1999 में 1217 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-अक्तूबर, 2000 में 1662 मिलियन अमरीकी डालर हो गया।

2. भारत का निर्यात अप्रैल-अक्टूबर, 1999 के 10.0 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर, 2000 के दौरान बढ़कर 20.5 प्रतिशत हो गया।

3. भारतीय स्टेट बैंक की इंडियन मिलेनियम डिपोजिट स्कीम ने सफलतापूर्वक 5.5 बिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटाई। परिणामस्वरूप, हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार (जिसमें स्वर्ण तथा एसडीआर शामिल है) मार्च, 2000 के अन्त में मौजूद 38 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर नवम्बर, 2000 के अन्त में 39 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

इस प्रकार, उच्च अन्तर्राष्ट्रीय तेल दबावों के असाधारण दबावों के बावजूद, समग्र भुगतान संतुलन की स्थिति निरन्तर नियंत्रण के अधीन बनी रही।

[अनुवाद]

खाद्यान्न निर्यात

4161. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 नवम्बर, 2000 के ''दि हिन्दू'' में ''फूडग्रेन्स फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट फॉर दि पूअर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लाखों लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने अपने पास में रखे हुए अधिशेष स्टॉक से गेहूं का निर्यात करने का निर्णय लिया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए गेहूं उस मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य, अर्थात् 4150 रुपये प्रति टन से कम न हो।

(घ) खाद्यान्नों के स्टॉक की संतोषजनक स्थिति को देखते हुए सरकार ने कई प्रस्तावों पर विचार किया है और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 1995 के वर्तमान जनसंख्या आधार की बजाए 1.3.2000 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि (1) निराश्रित पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कल्याणकारी संस्थाओं के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से और (2) ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम सहित भारत सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

ट्रेडमार्क पंजीयक कार्यालय में सुनवाई

4162. श्री सुरेश चन्देल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** दिनांक 10 दिसंबर, 1999 के अतारांकित प्र.सं. 1908 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कम्पनी मै. बायोहर्ब फार्मा, हाथरस ने ट्रेडमार्क उप पंजीयक के पास सुनवाई के लिए लम्बित पड़ी याचिका के संबंध में 27 सितम्बर, 1999 को ट्रेडमार्क पंजीकरण की दिल्ली शाखा में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सुनवाई पूरी हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सुनवाई कब तक पूरी कर ली जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) जी, हां। मै. बायोहर्ब फार्मा, हाथरस, उत्तर प्रदेश ने व्यापार तथा पण्यवस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 21 के अंतर्गत आवेदन सं. 562099 (यूटरोटोन), 562100 (केटोन) तथा 562101 (केटकफ) के तहत ट्रेडमार्क पंजीकरण का विरोध करते हुए आपत्ति का नोटिस दायर किया है।

(ख) और (ग) आपत्ति की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस तरह की कार्यवाही के पूरा होने की तिथि को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मै. बायोहर्ब फार्मा, हाथरस तथा मै. केटल रेमेडीज, सिरसागंज, उसी व्यापार चिह्न के संदर्भ में उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही हैं।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में चावल का भण्डार

4163. श्री राजैया मल्याला : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उत्तरी राज्यों से दक्षिणी राज्यों को चावल के परिवहन पर अतिरिक्त व्यय करने के बजाय आन्ध्र प्रदेश से दक्षिणी राज्यों को चावल की आपूर्ति किए जाने के संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में अतिरिक्त गोदामों का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त अभ्यावेदनों की दृष्टि में दिसम्बर, 2000 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तरी राज्यों से दक्षिणी राज्यों को चावल की ढुलाई करने की कोई योजना नहीं है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए आन्ध्र प्रदेश के अंदर अन्तर्राज्यीय संचलन के अलावा आन्ध्र प्रदेश से अधिकतम मात्रा में चावल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि को भेजा जाएगा।

(ख) और (ग) 30.10.2000 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास 24.24 लाख टन की कुल भण्डारण क्षमता थी। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर दो गोदामों का निर्माण करने का अनुमोदन किया है:-

1.	नेल्लोर	30,000 टन
2.	अमलापुरम	10,000 टन

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष का चयन

4164. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष का पद रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष के पद के चयन के लिए क्या मार्गनिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पद को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी) का पद 31 जनवरी, 2001 को वर्तमान पदधारी की अधिवर्षिता के बाद रिक्त होगा।

(ग) और (घ) आई डी बी आई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों के पद हेतु व्यक्तियों का चयन नियुक्ति बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, जिसमें गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग एवं प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त दो बाहरी व्यक्ति सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं।

आई डी बी आई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद हेतु व्यक्ति के चयन के लिए, सरकार ने प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया था जिसमें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे :-

(i) आवेदक को अधिमान्यत: अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इंजीनियरी, सनदी लेखा शास्त्र में स्नातक या एम०बी०ए० होना चाहिए।

(ii) 50-55 वर्ष की आयु-समूह में होना चाहिए किन्तु 1 फरवारी, 2000 को 58 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) वित्तीय संस्थाओं या बैंकों में न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 7 वर्ष तक किसी वरिष्ठ पद पर होना चाहिए, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के महाप्रबंधक के समकक्ष रैंक से कम नहीं होना चाहिए। बैंकों/वित्तीय संस्थान में बोर्ड स्तर का पद धारित करने वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

(iv) परियोजना वित्त, कंपनी वित्त, राजकोष लेनदेनों, संसाधन संग्रहण, जोखिम प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में पर्याप्त एक्सपोजर होना चाहिए।

नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित एक उप-समिति द्वारा चुनिंदा उम्मीदवारों का 1 दिसम्बर, 2000 को साक्षात्कार लिया गया था। समिति की सिफारिशें प्रक्रियाधीन हैं।

नेपा लिमिटेड का उत्पादन

4165. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपा लिमिटेड का उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है लेकिन कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके कामगारों की मजदूरी और कर्मचारियों के वेतनों में कमी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपा लिमिटेड, नेपानगर (मध्यप्रदेश) का उत्पादन और हुए घाटे निम्नानुसार हैं:-

(रुपये लाखों में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
उत्पादन (मि० ट०)	37592	55555	58455
निवल हानि	3245.33	2514.57	2129.24

नेपा लिमिटेड को हो रहे घाटे के मुख्य कारणों में पुराने संयंत्र और मशीनरी का होना, पुरानी प्रौद्योगिकी, पल्पिंग क्षमताओं में असंतुलन का होना, कार्यशील पूंजी की कमी और कर्मचारियों का अधिक होना आदि रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

ग्रामीण विकास संस्थान

4166. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र बैंक की योजना दो और ग्रामीण विकास संस्थान खोलने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे संस्थानों को खोलने का क्या प्रयोजन है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) आन्ध्रा बैंक ने सूचित किया है कि उसका "आन्ध्रा बैंक रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट" के नाम से एक ट्रस्ट है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों और कृषकों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजाहमुन्दरी में 1989 में "आन्ध्रा बैंक इन्स्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेन्ट" के नाम से एक संस्था प्रारम्भ की गई थी। अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यकलाप का विस्तार करने हेतु आन्ध्रा बैंक ने मछलीपटनम, श्रीकाकुलम और बरहामपुर में ऐसी तीन और संस्थाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है।

भारतीय कंपनियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साझेदारी में बढ़ोतरी

4167. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भारतीय कंपनियों में साझेदारी को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1.8.1991 से 31.10.2000 की अवधि के दौरान विभिन्न उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग के लिए 1429 अनुमोदन दिए जा चुके हैं। तथापि, कंपनी-वार ब्यौरे एस॰ आई॰ ए॰ सूचना-पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं जिसका संसदीय ज्ञानपीठ सहित व्यापक रूप से परिचालन किया जाता है।

(ग) इस सूचना का केन्द्रीय रूप से अनुरक्षण नहीं किया जाता।

विज्ञापन एजेंसियों को मान्यता देना

4168. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख कार्यरत मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेंसियों के राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार नाम क्या हैं;

(ख) क्या विज्ञापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान किए जाने के लिए कुछ मानदंड उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या प्रक्रिया और औपचारिकता अपेक्षित है;

(घ) इस संबंध में दूरदर्शन पर विभिन्न प्रसारण समयों के लिए विज्ञापन की वाणिज्य दरों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी आवश्यकता प्रक्रिया और औपचारिकताएं क्या हैं;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मान्यताप्राप्त विज्ञापन एजेंसियों को उनसे विज्ञापन लेने के लिए किसी प्रकार की कमीशन दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम

4169. श्री चिंतामन वनगा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन और भारतीय विदेश संस्थान ने कुछ रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को शुरु किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पाठ्यक्रम का अलग-अलग संस्थान-वार ब्यौरा क्या है और प्रतयेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपेक्षित प्रक्रिया और औपचारिकताएं क्या हैं, प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम-वार-छात्रों के नियोजन हेतु क्या संभावनायें हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भी प्रत्येक पाठ्यक्रम में अब तक प्रवेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) हालांकि भारतीय व्यापार संवर्द्धन (आईटीपीओ) कोई रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम नहीं चलाता है तथापि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) स्नातकों के लिए एक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो वर्षीय पूर्णकालिक मास्टर्स कार्यक्रम चलाता है। अभ्यर्थियों का चयन व्यापक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाता है जिसमें लिखित परीक्षा, सामूहिक वाद-विवाद और साक्षात्कार शामिल होते हैं। इस समय इस कार्यक्रम के लिए वार्षिक प्रभारों सहित शिक्षण शुल्क प्रथम वर्ष में 76000 रु॰ और द्वितीय वर्ष में 81,000 रु॰ है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क के भुगतान में 50% की रियायत प्रदान की जाती है। संस्थान द्वारा व्यापार एवं उद्योग जगत के संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कार्य में लगी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सरकारी विभागों को रोजगार हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए कैम्पस साक्षात्कार के लिए संस्थान में आने के लिए निमंत्रित किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लिए

न्यूनतम निर्धारित अंकों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित अंक सामान्य श्रेणी के उममीदवारों से 10% कम होता है) की प्राप्ति के अधीन रहते हुए भारत सरकार के नियमानुसार सीटें आरक्षित होती हैं।

(घ) और (ङ) इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य तथा क्षेत्रवार नहीं किया जाता है। तथापि, वर्ष 1999 और 2000 के दौरान प्रवेश हेतु चुने गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का राज्य और क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के अभ्यर्थियों की कुल सं॰	राज्य/क्षेत्रावार ब्यौरा
1999	10	बंगाल-1, दिल्ली-2, मध्य प्रदेश-1, महाराष्ट्र-1, पंजाब-1, तमिलनाडु-2, उत्तर प्रदेश-2
2000	14	आंध्र प्रदेश-1, बिहार-1, दिल्ली-4, मध्य प्रदेश-2, महाराष्ट्र-1, उडीसा-1, पंजाब-3, तमिलनाडु-1

इस कार्यक्रम में अभ्यर्थियों का दाखिला इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई अखिल भारतीय मेधा सूची के आधार पर किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अलग से मेधा सूची तैयार की जाती है और मेधा सूची के क्रमानुसार सीटें भरी जाती हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

4170. श्री रामजी मांझी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाभार्जन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लाभांश देने के सम्बन्ध में सरकार के निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है; और

(घ) इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा मनोनीत निदेशकों की भूमिका क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ग) दिनांक 10-8-2000 को लोक सभा में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार 31-3-1999 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की सं॰ 127 थी, जिनमें से 84 उपक्रमों ने लाभांश घोषित किया था। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शेष 43 उपक्रमों में से 7 उपक्रम ऐसे थे, जिनका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत किया था तथा जिनके द्वारा लाभ अर्जित करना अपेक्षित नहीं था। वर्ष 1998-99 के दौरान सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने लाभांश घोषित किया था, उनके मामले में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा अपनी शेयरधारिता तथा कर पश्चात् लाभ की तुलना में घोषित लाभांश की प्रतिशत के रूप में स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) वित्त मंत्रालय सरकार के सभी विभागों को परिपत्र जारी करता रहा है तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों को उनके अनुपालन पर जोर देने की सलाह देता रहा है।

(घ) निदेशक मण्डल में सरकारी नामितों को लाभांश के भुगतान से संबंधित निर्देशों के अनुपालन पर जोर देने के लिए कहा गया है।

विवरण

1988-99 के दौरान शेयरधारिता तथा कर पश्चात् लाभ की तुलना में घोषित लाभांश का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

क्र॰ सं॰	कंपनी का नाम	घोषित लाभांश	शेयर धारिता	कर पश्चात् लाभ	लाभांश का प्रतिशत	
					शेयरधारिता की तुलना में	कर पश्चात् लाभ की तुलना में
1	2	3	4	5	6	7
इस्पात						
1.	फैरा स्क्रेप निगम लि॰	60	200	1041	30.00	5.76
	उप योग	60	200	1041	30.00	5.76

1	2	3	4	5	6	7
	खनिज एवं धातु					
2.	*भारत एल्युमिनियम कं॰ लि॰*	*2300*	*48885*	*7632*	*4.70*	*30.14*
3.	हिन्दुस्तान जिंक लि॰	1796	42253	7632	4.25	23.53
4.	कुद्रेमुख आयरन और कं॰ लि॰	1586	63451	1853	2.50	85.59
5.	मैगनीज ओर (इण्डिया) लि॰	307	1533	1371	20.03	22.39
6.	नेशनल एल्युमिनियम कं॰ लि॰	7732	64431	24825	12.00	31.15
7.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि॰	3304	13216	14040	25.00	23.53
8.	यूरेनियम कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	74	41982	367	0.18	20.16
	उप योग	17099	275751	57720	6.20	29.62
	कोयला एवं लिग्नाईट					
9.	कोल इण्डिया लि॰	11568	722054	60620	1.60	19.08
10.	महानदी कोलफील्ड लि॰	16269	39058	40631	41.65	40.04
11.	नेवेली लिग्नाईट कारपो॰ लि॰	8984	179678	57537	5.00	15.61
12.	सदर्न कोल फील्ड्स लि॰	21282	57767	52943	36.84	40.20
13.	साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰	16612	65970	41565	25.18	39.97
14.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰	10398	29710	25890	35.00	40.16
	उप योग	85113	1094237	279186	7.78	30.49
	विद्युत					
15.	दमशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो॰ लि॰	1500	382500	30530	0.39	4.91
16.	नेशनल थर्मल पावर कारपो॰ लि॰	65000	771255	281573	8.43	23.08
17.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो॰ लि॰	400	177715	5822	0.23	6.87
18.	न्यूक्लियर पावर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	5044	414879	36153	1.22	13.95
	उप योग	71944	1746349	354078	4.12	20.32
	पेट्रोलियम					
19.	भारत पेट्रोलियम करपो॰ लि॰	18750	15000	70602	125.00	26.56
20.	बॉगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि॰	1028	19932	3426	5.14	30.01

1	2	3	4	5	6	7
21.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपो॰ लि॰	5149	14710	20493	35.00	25.13
22.	कोचीन रिफाइनरीज लि॰	2482	6893	33823	36.01	7.34
23.	गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि॰	29598	84565	105992	35.00	27.92
24.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो॰ लि॰	24871	22559	90126	110.25	27.60
25.	आईबीपी कंपनी लि॰	952	2215	3523	42.98	27.02
26.	इण्डियन एडिटिव्स लि॰	148	1972	1855	7.51	17.31
27.	इण्डियन ऑयल ब्लैंडिंग लि॰	10	40	1066	25.00	0.94
28.	इण्डियन ऑयल कारपो॰ लि॰	50614	38931	221352	130.01	22.87
29.	लुब्रिझोल इण्डिया लि॰	1248	1920	4124	65.00	30.26
30.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि॰	78420	142593	275450	55.00	28.47
31.	ऑयल इण्डिया लि॰	7847	14267	29160	55.00	26.91
	उप योग	221123	365647	859992	60.47	25.71
उर्वरक						
32.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰	1234	49058	4115	2.52	29.99
33.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰	3311	55169	10564	6.00	31.34
	उप योग	4545	104227	14679	4.36	30.96
रसायन एवं भेषज						
34.	इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स कारपो॰ लि॰	2482	24905	2936	9.97	84.54
35.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	30	149	149	20.13	20.13
36.	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	11	107	43	10.28	25.58
	उप योग	2523	25161	3128	10.03	80.66
भारी इंजीनियरी						
37.	भारत भारी उद्योग निगम लि॰	7	26604	8	0.03	87.50
38.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि॰	6119	24476	54464	25.00	11.23
39.	भारत वेगन एण्ड इंजी॰ कं॰ लि॰	4	813	19	0.49	21.05
	उप योग	6130	51893	54491	11.81	11.25

1	2	3	4	5	6	7
मध्यम एवं हल्की इंजीनियरी						
40.	अंतरिक्ष कारपो॰ लि॰	154	100	769	154.00	20.03
41.	बॉमर लॉरी एण्ड कंपनी लि॰	489	1629	1683	30.02	29.06
42.	भारत डायनामिक्स लि॰	3879	11500	6227	33.73	62.29
43.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि॰	1600	8000	5363	20.00	29.83
44.	एचटीएल लि॰	45	1500	684	3.00	6.58
45.	एचएमटी बियरिंग्स लि॰	131	873	84	15.01	155.95
46.	आईटीआई लि॰	542	8800	2710	6.16	20.00
	उप योग	6840	32402	17520	21.11	39.04
परिवहन उपस्कर						
47.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि॰	852	12384	4257	6.88	20.01
48.	गोवा शिपयार्ड लि॰	175	1940	194	9.02	90.21
49.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि॰	2410	12050	17774	20.00	13.56
50.	मझगांव डॉक लि॰	325	19920	1623	1.63	20.02
	उप योग	3762	46294	23848	8.13	15.77
उपभोक्ता सामग्री						
51.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि॰	28	1554	139	1.80	20.14
52.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि॰	454	8254	2108	5.50	21.54
	उप योग	482	9808	2247	4.91	21.45
कपड़ा						
53.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि॰	15	1500	76	1.00	19.74
	उप योग	15	1500	76	1.00	19.74
व्यापार एवं विपणन सेवाएं						
54.	सीएमसी लि॰	151	1515	731	9.97	20.66
55.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि॰	21	1085	101	1.94	20.79
56.	केन्द्रीय भण्डारण निगम	816	6802	4150	12.00	19.66

1	2	3	4	5	6	7
57.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि॰	54	1082	159	4.99	33.96
58.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि॰	3	24	27	12.50	11.11
59.	एमएमटीसी लि॰	1000	5000	1807	20.00	55.34
60.	एमएसटीसी लि॰	55	220	216	25.00	25.46
61.	पीईसी लि॰	30	150	108	20.00	27.78
62.	मसाला व्यापार निगम लि॰	8	150	140	5.33	5.71
63.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि॰	600	3000	1251	20.00	47.96
	उप योग	2738	19028	8690	14.39	31.51
	परिवहन सेवाएं					
64.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	4168	33763	20841	12.34	20.00
65.	कंटेनर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	2925	6499	14065	45.01	20.80
66.	ड्रेजिंग कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	924	2800	4184	33.00	22.08
67.	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि॰	1313	11377	6562	11.54	20.01
68.	भारतीय नौवहन निगम लि॰	4235	28230	20133	15.00	21.04
	उप योग	13565	82669	65785	16.41	20.62
	संविदा एवं विनिर्माण सेवाएं					
69.	इरकॉन इंटरनेशनल लि॰	1114	495	5624	225.05	19.81
	उप योग	1114	495	5624	225.05	19.81
	औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं					
70.	ब्रॉडकास्ट इंजी॰ कंसल्टेंट्स इण्डिया लि॰	7	37	25	18.92	28.00
71.	एजूकेशनल कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि॰	31	125	151	24.80	20.53
72.	इंजीनियर्स इण्डिया लि॰	2808	1872	11806	150.00	23.78
73.	भारतीय अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम लि॰	53	40	263	132.50	20.15
74.	पावरग्रिड कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	2000	304154	44442	0.66	4.50
75.	राइट्स लि॰	200	200	902	100.00	22.17
76.	टेलीकम्युनिकेशनल कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि॰	1512	720	5380	210.00	28.10

1	2	3	4	5	6	7
77.	वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इण्डिया) लि॰	60	200	314	30.00	18.11
	उप योग	6671	30748	63283	2.17	10.54
पर्यटन सेवाएं						
78.	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि॰	236	6752	994	3.50	23.74
	उप योग	236	6752	994	3.50	23.74
वित्तीय सेवाएं						
79.	इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपो॰ लि॰	6496	23200	32611	28.00	19.92
80.	भारतीय पुर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि॰	400	15435	1878	2.59	21.30
81.	विद्युत वित्त निगम	10800	103045	54136	10.48	19.95
82.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि॰	5000	68060	30020	7.35	16.66
	उप योग	22696	209740	118645	10.82	19.13
टेलीकम्युनिकेशनल सर्विसिज						
83.	महानगर टेलीफोन निगम लि॰	18900	63000	129724	30.00	14.57
84.	विदेश संचार निगम लि॰	7600	9500	132496	80.00	5.74
	उप योग	26500	72500	262220	36.55	10.11
	कुल जोड़	493156	4452001	2193247	11.08	22.49

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाना

4171. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कितना धन निवेश किया गया है; और

(ग) क्षेत्रीय ग्रोमीण बैंकों द्वारा कितना लाभांश दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-00 के दौरान भारत सरकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुन: पुंजीकरण के लिए क्रमश: 200 करोड़ रु॰, 152.65 करोड़ रु॰ और 168.00 करोड़ रु॰ जारी किए हैं। इस प्रकार पर्याप्त बजटीय सहायता दी जा रही है।

(ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अनुसार, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यह्रास, कर्मचारियों एवं अधिवर्षिता निधियों में अंशदान और उन अन्य सभी मामलों, जिनके लिए कानून के तहत प्रावधान करना आवश्यक है या जिनके लिए सामान्यत: बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्रावधान किया जाता है, के लिए प्रावधान करने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने शुद्ध लाभों में से लाभांश घोषित कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के कारण वे अभी तक लाभांश घोषित नहीं कर पाए हैं।

उपभोक्ता सूचना केंद्र

4172. **श्री रामचन्द्र बैंदा:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक विवरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में नई योजना के तहत देश में "जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों" की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने ऐसे केंद्रों को खोले जाने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कितना लाभ पहुंचने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में जिला सूचना केंद्रों की स्थापना के लिए एक नई स्कीम घोषित की है और उसको अभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है। इस स्कीम में प्रति वर्ष 20% जिलों को कवर करते हुए पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से देश के प्रत्येक जिले में ऐसा एक केंद्र स्थापित करने की संकल्पना की गई है। इस प्रस्ताव को जिला परिषद और/अथवा प्रतिष्ठित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

(घ) उम्मीद की जाती है कि इन सूचना केंद्रों में जागरुकता पैदा करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण के सभी पहलुओं पर सूचना के प्रसारण, गुणवत्ता, बाट और माप, मिलावट आदि से संबंधित मुद्दों से निपटने में जिला बाट तथा आप प्राधिकारी/प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय, जिला नागरिक पूर्ति संगठन के साथ निकट सम्पर्क, क्षेत्र में स्वैच्छिक अपभोक्ता संगठन के एक डाटाबेस के सृजन तथा उचित दर दुकानों, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता आदि जैसी उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना आदि के जरिए अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए अनेक लाभ प्राप्त होंगे।

बीज संबंधी कम्पनियों पर बहुराष्ट्रीय निगमों का नियंत्रण

4173. **श्री समर चौधरी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों ने बिना किसी जिम्मेदारी और दायित्व के भारत में बीजों की आपूर्ति संबंधी क्षेत्र को उपने नियंत्रण में ले लिया है;

(ख) क्या बीजों के उत्पादन और वितरण में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका को दायित्वों और जिम्मेदारी के साथ संतुलित किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा हमारे देश में उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) से (ग) बीज क्षेत्र के बारे में कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। सरकार ने 1.08.1991 से 31.10.2000 तक की अवधि के दौरान कृषि, पुष्प खेती तथा बागवानी क्षेत्रों (जिसमें बीज शामिल हैं पोधारोपण नहीं) में बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित विदेशी कंपनियों के कुल 268 प्रस्ताव अनुमोदित किये हैं, जिसमें 645.50 करोड़ रुपये की राशि के बराबर कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि अंतर्ग्रस्त है।

बीज उत्पादन के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय/विदेशी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और भारतीय किसानों व उत्पादकों के हितों का रक्षा करने के लिए वर्तमान में विदेशी सहयोग हेतु अनुमोदन की स्वीकृति देते समय सामान्यतया निमनलिखत शर्तों को लागू किया जाता है:-

(क) कंपनी बीजों के विकास के लिए उत्पत्ति की दृष्टि से तैयार किसी पादप सामग्री का उपयोग नहीं करेगी।

(ख) सामग्रियों का आयात राष्ट्रीय बीज नीति के अनुसार करना होगा; और

(ग) कंपनी को भू-कानूनों का पालन करना होगा।

फिल्म निर्माता को मुआवजा

4174. **श्री एन॰आर॰के॰ रेड्डी:**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:
श्री के॰ येरननायडू:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने अक्टूबर 2000 में निर्माता से अधिकार लिये बिना ही "हम आपके दिल में रहते हैं" का प्रसारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में फिल्म निर्माता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा फिल्म निर्माता को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं। दूरदर्शन ने प्रस्तावकर्ता से प्रसारण अधिकारों की स्थिति का पता लगाने के बाद ही उक्त फिल्म को प्रसारित किया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार सम्बन्धी योजना

4175. **श्री के॰पी॰ सिंह देव:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी उद्यमों के लिए पुनरुद्धार सम्बन्धी योजना का अनमोदन किया है:

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में वार्षिक योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकार सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को पुन: अर्थसक्षम बनाने के लिए निरन्तर प्रयास करती रही है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एककों के मामलें में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड योजनाओं की स्वीकृति देता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को पुन: अर्थसक्षम बना पाना सम्भव होता है उनके मामले में पृथक-पृथक आधार पर आवश्कताओं के अनुरूप योजनाएं भी सरकार द्वारा प्रतिपादित एवं अनुमोदित की जाती है ताकि वांछित पुनर्गठन/अर्थसक्षमकरण सम्भव हो सके।

संसाधनों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को योजनागत एवं गैर-योजनागत सहायता के रूप में आवश्यकतानुसार बजटीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता का उद्यम-वार ब्यौरा केन्द्रीय बजट, 2000-2001, जो एक प्रकाशित दस्तावेज है, के व्यय बजट के खण्ड-1 के विवरण-14 में दिया गया है।

[हिन्दी]

जब्त किया गया तस्करी का सामान

4176. श्री उत्तमराव पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार जब्त किए गए तस्करी के सामान का मूल्य और ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन): (क) और (ख) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जनवरी, 1999 से नवम्बर, 2000 तक, राज्यवार जब्त की गई विदेशी मुद्रा सहित तस्करी करके लाई गई वस्तुओं के मूल्य तथा इसके संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक समुचित कार्रवाई शुरु की गई है।

(ग) राजस्व अधिसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए चौकस रहते हैं।

विवरण

सीमा शुल्क विभाग द्वारा जनवरी, 1999 से नवम्बर, 2000 तक राज्यवार जब्त की गई विदेशी मुद्रा सहित तस्करी की वस्तुओं के मूल्य तथा इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	जब्त की गई विदेशी मुद्रा सहित तस्करी की वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1066.54	8
2.	आसाम	388.92	36
3.	बिहार	6720.65	263
4.	छत्तीसगढ़	6.5	—
5.	दिल्ली	11178.48	141
6.	गोवा	84.57	8
7.	गुजरात	7397.39	35
8.	हरियाणा	1947	1
9.	झारखण्ड	1.22	—
10.	कर्नाटक	888.55	35
11.	केरल	2364.26	50
12.	मध्य प्रदेश	128.66	5
13.	महाराष्ट्र	49769.68	221
14.	मणिपुर	764.41	42
15.	मेघालय	248.35	30
16.	मिजोरम	157.86	11
17.	नागालैण्ड	122.49	8
18.	उड़ीसा	1.82	—
19.	पांडिचेरी	2.25	—
20.	पंजाब	683.7	24

1	2	3	4
21.	राजस्थान	87.88	7
22.	तमिलनाडु	4357.01	218
23.	त्रिपुरा	402.59	9
24.	उत्तर प्रदेश	1247.84	130
25.	पश्चिम बंगाल	11997.73	224
	जोड़	102016.35	1506

टिप्पणी: उन राज्यों के संबंध में रिपोर्ट को शून्य समझा जाए, जिनके नामों का ऊपर उल्लेख नहीं है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

4177. **श्री जी०एस० बसवराज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि भारत में परियोजनाओं की संख्या बढ़ाए जाने के किसी फैसले से पूर्व विश्व बैंक भारत में वर्तमान में कार्यान्वित 79 परियोजनाओं का निरीक्षण करेगा;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक कब तक इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण करेगा;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक के अध्यक्ष से सड़क मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी और अधिक परियोजनाएं मंजूर किए जाने का अनुरोध किया है जोकि गरीब लोगों की सहायता के लिए आवश्यक परियोजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष ने किस सीमा तक भविष्य में और अधिक परियोजनाएं मंजूर किए जाने के लिए सरकार को आश्वस्त किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्व बैंक के अध्यक्ष निधियों की मंजूरी नहीं देते। इसलिए किसी भी परियोजना विशेष के लिए न तो कोई खास अनुरोध किया गया और न ही कोई आश्वासन दिया गया। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ, परिवहन-क्षेत्र को विकसित करने की जरूरत की पहचान प्राथमिकता-क्षेत्र के रूप में की गई।

दूसरी चरण के सुधार कार्य

4178. **डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम स्तर पर दूसरी चरण के सुधार कार्यों को शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): सतत आर्थिक विकास हासिल करने और गरीबी तथा बेरोजगारी कम करने के समग्र उद्देश्य से वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार कार्यान्वित किए गए हैं। आर्थिक सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है और जब भी अवश्यक हो उपयुक्त नीतिगत पहलें की जाती हैं। कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उनकी कारगरता एवं सार्थकता को बढ़ाने के लिए पुनर्गठित किया गया है।

बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त पद

4179. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रिक्त पदों को भरने के लिए आदेश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त आदेश कब तक जारी कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) उपलब्ध ताजा सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न संवर्गों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 3152 पद रिक्त पड़े हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा आरक्षित पदों को समय पर भरना सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं जिससे न भरे गए संचित पदों से बचा जा सके।

(ङ) भाग (ग) और (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर-विवाद निपटान संबंधी योजना

4180. **श्री पुन्नू लाल मोहले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रारंभ की गई "कर-विवाद निपटान संबंधी योजना" के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या उक्त योजना सफल रही है;

(ग) यदि हां, तो यह कितनी सफल हुई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत किन कम्पनियों के कर-विवादों का निपटान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सरकार ने "कर-विवाद समाधान योजना" को वित्त (संख्या-2) अधिनियम, 1998 के अध्याय-7 में यथासम्मिलित बजट प्रस्ताव 1998-1999 के एक हिस्से के रूप में शुरू किया था। यह योजना 01.09.1998 से 31.01.1999 तक लागू थी। जैसा कि वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में स्पष्ट किया गया था कि इस योजना के मूल उद्देश्यों में प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों में विभाग तथा निर्धारितियों के बीच लंबित मुकदमेबाजी/विवादों को कम करना, अपीलीय तथा न्यायिक प्रणाली में बाधाओं को दूर करना तथा विभिन्न विवादों में अवरुद्ध करों की बकाया राशियों की तेजी से वसूली करना शामिल है। इस योजना को उचित सफलता मिली जो इस बात से स्पष्ट है कि विभिन्न न्यायनिर्णयन/अपीलीय प्राधिकारियों अथवा न्यायालयों के समक्ष लंबित प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के तहत 33,918 विवादों को निपटाया गया तथा 738.74 करोड़ रुपए की कर राशि वसूल की गई तथा इसी तरह अप्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के तहत 11,159 विवादों को निपटाया गया तथा 643.80 करोड़ रुपये की कर राशि की वसूली की गई। कुल मिला कर, इस योजना के तहत प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों तथा अप्रत्यक्ष कर अधिनियमनों दोनों के अधीन 45,000 से अधिक विवादों को निपटाया गया था।

रुग्ण कम्पनियां

4181. **श्री राम शकल:**
श्रीमती जसकौर मीणा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी कम्पनी को रुग्ण घोषित करने के लिए मानदण्ड परिभाषित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णयात्मक घटक क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी कम्पनियों को रुग्ण घोषित किया गया है; और

(घ) इनके पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी से अभिप्राय उस औद्योगिक कम्पनी (कम से कम पांच वर्षों से पंजीकृत कम्पनी) से है जिसकी किसी वित्त वर्ष की समाप्ति पर संचित हानियां उसकी सम्पूर्ण निवल सम्पत्ति के बराबर अथवा अधिक हों।

(ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के अनुसार वर्ष 2000 (30.9.2000 तक) के दौरान रुग्ण घोषित कम्पनियों की राज्य-वार संख्या से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के साथ पंजीकृत रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, (एस आई सी ए), 1985 के उपबन्धों को ध्यान में रखकर किया जाता है। व्यवहार्य मामलों में रुग्ण कम्पनियों के पुनरुत्थान के लिए पुनर्वास योजना स्वीकृत की जाती है जिसमें विभिन्न उपाए जैसे ईक्विटी का पुनर्गठन, प्रवर्तकों द्वारा नई निधियों शामिल करना, अन्य कमपनियों के साथ विलय, प्रबन्धन में परिवर्तन, कार्यशील पूंजी के लिए प्रावधान और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधि ऋण देना शामिल हैं। अन्य संबंधित पार्टियां से सहायता और रियायतें भी योजनाओं का एक अंग है।

विवरण

बी आई एफ आर द्वारा चालू वर्ष 2000 (30.9.2000 तक) के दौरान रुग्ण घोषित औद्योगिक कम्पनियों राज्यवार संख्या

आन्ध्र प्रदेश	06
असम	01
बिहार	02
गोवा	02
गुजरात	09
हरियाणा	06
हिमाचल प्रदेश	01
कर्नाटक	10
मध्य प्रदेश	05
महाराष्ट्र	18
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	05
उड़ीसा	02
पांडिचेरी	01

पंजाब	03
राजस्थान	02
तमिलनाडु	15
उत्तर प्रदेश	07
पश्चिम बंगाल	10
कुल	105

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सम्बद्ध संगठनों में प्रतिनियुक्ति

4182. **श्रीमती रीना चौधरी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति सांसद संघ ने प्रधानमंत्री को दिनांक 17.12.1996, 1.9.1997 और 23.7.1998 को दिए अपने अभ्यावेदनों में भारत और विदेशों में संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सम्बद्ध संगठनों के अधीन पदों/कार्यों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त अधिकारियों को तैनात करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और 1.1.96 की स्थिति के अनुसार श्रेणी 1, 2, 3 और 4 के पदों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कितने अधिकारी कार्यरत थे और उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और कुल पदों की तुलना में उनकी प्रतिशतता कितनी थी;

(ग) वर्ष 1996, 1997, 1998 और 1999 के दौरान उक्त पदों पर कितने अधिकारियों को तैनात किया गया और उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और उक्त अवधि के दौरान वर्षवार भरे गये पदों की तुलना में उनकी प्रतिशतता कितनी थी; और

(घ) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति सांसद मंच के उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई न की गई हो, तो उसका क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (घ) इस ज्ञापन में भारत सरकार से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के विकास के लिए व्यापक कार्यवाही शुरू करने के लिए आग्रह करने के साथ-साथ राज्यपालों, राजदूतों, योजना आयोग के सदस्यों, भारत सरकार के सचिवों, संघ लोक सेवा आयोग, लोक उद्यम चयन बोर्ड के सदस्यों आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त व्यक्तियों को तैनात करने का अनुरोध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र और इसकी सम्बद्ध एजेंसियों के लिए नियुक्ति हेतु विशेषज्ञ का चयन इस संस्था की मांग पर किया जाता है और इनके लिए नाम्यांकन भारत सरकार द्वारा उपयुक्त विशेषज्ञों के पैनल से किए जाते हैं।

(ख) 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार इस मंत्रालय की श्रेणी 1, 2, 3 और 4 का कोई अधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी सम्बद्ध संस्थाओं में कार्यरत नहीं था।

(ग) वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत में श्रेणी 1 के ग्रेड में अनारक्षित श्रेणी के एक अधिकारी को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि 1996, 1997 और 1999 के दौरान भारत और विदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी सम्बद्ध संस्थाओं में मंत्रालय के किसी अधिकारी को तैनात नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

4183. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों, कर्मकारों और अधिकारियों को वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई नए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निजी क्षेत्र की कम्पनियों में काम करने वाले कर्मकारों, प्रबन्धकों और अधिकारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने, लाभांश का भुगतान करने और प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में इन कम्पनियों के प्रबन्धकों और कार्यपालकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन अथवा अन्य सुविधा कुल वार्षिक बिक्री आय में से 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किए जाने का कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (च) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों और अधिकारियों के लिए वेतन/मंजूरी और अन्य सुविधाओं का क्रियान्वयन सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है जोकि कमोवेश में पूर्ववर्ती मापदण्डों/मानदण्डों पर आधारित है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कम्पनियों में काम कर रहे कामगारों, प्रबन्धकों और कार्यपालकों को दिए जाने वाले लाभांश और अन्य सुविधाओं की अदायगी उनकी अपनी सेवा शर्तों तथा सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार होती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक द्वारा नेपाल के साथ व्यापार

4184. श्री जी॰एस॰ बसवराज:
श्री वी॰ मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कामर्स औा नेपाल चैम्बर ऑफ कामर्स ने कर्नाटक तथा नेपाल के बीच अंतर-व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनपर नेपाल सरकार द्वारा कार्य किए जाने की संभावना है; और

(घ) परियोजनाओं के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां। कर्नाटक के वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ तथा नेपाल के वाणिज्य मंडल के बीच दिनांक 2 नवम्बर, 2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें हैं :-

- नेपाल तथा कर्नाटक के बीच व्यापार को सुकर बनाना;
- संयुक्त उद्यम तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए निवेश को बढ़ावा देना;
- प्रशिक्षत सुविधाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना;
- कर्नाटक तथा नेपाल के बीच पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाना;
- सूचना के आदान प्रदान तथा शिष्टमंडलों के आदान प्रदान को सुकर बनाना; और
- व्यापार मेलों में भाग लेना तथा सेमिनारों एवं व्यापारिक बैठकों का आयोजन करना।

(ग) और (घ) समझौता ज्ञापन के तहत जनवरी से जून, 2001 के बीच निष्पादित की जाने वाली संभावित परियोजनाओं में शामिल हैं—काठमांडु तथा बंगलौर में क्रेता-विक्रेता बैठकें, काठमांडू में "भारत के साथ व्यापार करना" विषय पर कार्यशाला, बंगलौर में नेपाल व्यापार शो, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा तकनीकी, वाणिज्यिक एवं प्रबंधन के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए संबंध स्थापित करना, नेपाल सहित दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार विनिमय केन्द्र के रुप में कार्य करने के लिए बंगलौर में एक दक्षिण एशियाई ट्रेड मार्ट की स्थापना करना और नेपाल के लिए कर्नाटक सरकार तथा कर्नाटक वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ का एक संयुक्त मिशन।

उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख इकाइयां

4185. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में, विशेषरूप से मुरादाबाद में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषरूप से मुरादाबाद में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को कब तक स्थापित करने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना उद्यमियों द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति से की जाती है। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 (31.11.2000 तक) के दौरान निर्यातोन्मुख योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में एकक स्थापित करने हेतु उद्यमियों से 124 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 44 एककों का मुरादाबाद में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था और ये मुख्यत: हस्तशिल्प की मदों के लिए हैं। अब तक 124 अनुमति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ग) निर्यातोन्मुख योजना के अंतर्गत किसी एकक को जारी किया गया अनुमति पत्र इसके जारी होने की तिथि से तीन वर्षों के लिए वैध है। इस अवधि के भीतर एकक को परियोजना को क्रियान्वित कर वाणिज्यिक शुरू कर देना चाहिए।

राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत

4186. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़े अतिरिक्त भंडार में से राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की नि:शुल्क आपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो खाद्यान्नों को कब तक भेज दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य हेतु खाद्यान्नों के नि:शुल्क आबंटन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

4187. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश में कितनी वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) औद्योगिक क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण): (क) और (ख) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान शेयरों के आबंटन के लिए लंबित आवेदन राशि सहित सरकार द्वारा केंद्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए कुल निवेश की राशि क्रमश: 4920 करोड़ रु०, 6541 करोड़ रु० और 2606 करोड़ रु० बनती है। राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र द्वारा उद्योग में किए गए निवेश संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। 9वीं योजना (1997-2002) के लिए औद्योगिक क्षेत्र हेतु अनुमोदित राज्यवार निवेश परिव्यय निम्न प्रकार हैं :-

क्र० सं०	संघ राज्य क्षेत्र/राज्यों के नाम	9वीं योजना (1997-2002) परिव्यय (रुपये करोड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	962.13
2.	अरूणाचल प्रदेश	46.10
3.	असम	380.04
4.	बिहार	400.00
5.	गोवा	34.55
6.	गुजरात	1205.00
7.	हरियाणा	144.68
8.	हिमाचल प्रदेश	150.00
9.	जम्मू और कश्मीर	•395.00
10.	कर्नाटक	1026.00
11.	केरल	1125.86
12.	मध्य प्रदेश	1112.97
13.	महाराष्ट्र	902.60
14.	मणिपुर	126.51
15.	मेघालय	102.00
16.	मिजोरम	68.92
17.	नागालैंड	121.00
18.	उड़ीसा	123.49
19.	पंजाब	281.30
20.	राजस्थान	1753.38
21.	सिक्किम	70.00
22.	तमिलनाडु	1402.91
23.	त्रिपुरा	79.34
24.	उत्तर प्रदेश	526.65
25.	पं० बंगाल	1326.30
	कुल राज्य	13866.73
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	38.00
2.	चंडीगढ़	3.09
3.	दादर नगर हवेली	5.74
4.	दमन और द्वीव	3.60
5.	दिल्ली	110.00
6.	लक्षद्वीप	9.16
7.	पाण्डिचेरी	185.00
कुल संघ राज्य क्षेत्र		354.59
कुल योग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		14221.32

• केवल प्रस्तावित परिव्यय को दर्शाता है।

(ग) राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केंद्र ने उद्योग क्षेत्र से क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से समय-समय पर उपयुक्त नीतिगत सुधारों के माध्यम से अनेक उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं :-

(i) विकास केंद्र योजना के तहत पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विकास केंद्रों को विकसित करने हेतु निधियां।

(ii) लघु तथा ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत अवसंरचना विकास योजना के तहत निधियां।

(iii) पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए परिवहन राजसहायता योजना।

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नयी औद्योगिक नीति, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) पूंजी निवेश राजसहायता योजना।

(ख) ब्याज राजसहायता योजना।

(ग) केंद्रीय व्यापक बीमा योजना।

कर्नाटक के लिए विश्व बैंक ऋण

4188. **श्री एच.जी. रामुलू:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्नाटक में टंकियों को गादरहित करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु कर्नाटक सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) कर्नाटक द्वारा विश्व बैंक से सहायता स्वरूप कितनी धनराशि मांगी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। "कर्नाटक तालाब सुधार परियोजना" 5 अक्तूबर, 2000 को विश्व बैंक को सहायता हेतु प्रस्तुत की गई है। इस समय विश्व बैंक कर्नाटक सरकार के साथ इस परियोजना का मूल्यांकन करने/इस की तैयारी करने के कार्य में लगा है।

(ग) 662.50 करोड़ रुपए।

मध्य बिहार में खरीद केन्द्र

4189. **श्री अरुण कुमार:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने मध्य बिहार में स्थित दाऊद नगर, हसपुरा, अर्वल, वारसोलीगंज, गया और औरंगाबाद में अपने खरीद केन्द्र बन्द कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों को बंद करने के खिलाफ कई याचिकाएं प्राप्त हुई हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मध्य बिहार के किसान जो अपने धान और गेहूं के उत्पादन के लिए इन केन्द्रों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, का बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन केन्द्रों को पुन: खोलने और हुलासगंज, जहानाबाद, वजीरगंज, बेलागंज, मेहंदिया और मखदूमपुर में नए खरीद केन्द्रों को खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने अरवल, वारसोलीगंज, गया और औरंगाबाद के अपने वसूली केंद्रों को बंद नहीं किया है। दाऊद नगर में कोई वसूली केंद्र नहीं खोला गया था। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से बिहार में धान के 30 वसूली केंद्र खोले गए हैं।

(ग) चूंकि ये केंद्र बन्द नहीं किए गए हैं, इसलिए याचिका प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार छोटे स्थानों पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पी० ए० सी० एस०) की सहायता से वसूली केंद्र का प्रचालन करने पर सहमत थी। तथापि, पहले मेहंदिया एक वसूली केंद्र का प्रचालन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया है जो इस वर्ष भी प्रचालन में है।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का विघटन

4190. **श्री के० येरननायडू:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को छोटी-छोटी कंपनियों में विघटित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विश्व बैंक-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त मिशन ने अपनी वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम रिपोर्ट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट को कई स्वतंत्र कंपनियों में विघटित करने का उल्लेख किया है।

(ग) सरकार इस समय इस मुद्दे पर विचार नहीं कर रही है।

तेल पर शुल्क

4191. **श्री पी॰सी॰ थामस:**
श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्रीमती श्यामा सिंह:
डा॰ वी॰ सरोजा:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेल पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में वृद्धि करने से घरेलू उद्योग पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो इससे घरेलू उद्योग को कितना लाभ पहुंचेगा;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई कम्पनियों द्वारा बीजक में कम माल दिखाकर आयात शुल्क बचाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एम॰ रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां। खाद्य तेलों पर आयात शुल्कों में सामान्यतया दिनांक 21 नवम्बर, 2000 से वृद्धि की गई है। ये परिवर्तन दिनांक 21 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 142 से 144/2000-सीमा शुल्क के माध्यम से किए गए थे जिन्हें पहले ही उसी दिन दोनों सदनों के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसी आशा है कि आयात शुल्क में वृद्धि से घरेलू वनस्पति तेल प्रसंस्करण उद्योग को बेहतर क्षमता उपयोग तथा उच्चतर मूल्य वर्द्धन के रूप में सहायता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, इससे खाद्य तेलों के आयात को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी।

(ङ) ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, कानून के प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी। खाद्य तेल के आयातों के कम मूल्य के बीजक बनाने के संबंध में जानकारी, यदि कोई हो, तो सीमा शुल्क के कार्यालयों से एकत्र किया जा रहा है।

(च) सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य तेलों के कम मूल्य के बीजक बनाने के खतरे के प्रति सजग तथा सचेत रहें।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की सीमेंट फैक्टरियां

4192. **श्री बृजलाल खाबरी:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र की सीमेंट फैक्टरियों की संख्या कितनी हैं और पिछले वर्ष उन्हें कितना मुनाफा/नुकसान हुआ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया): सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सरकारी क्षेत्र का एकमात्र उद्यम है जिसकी फैक्ट्रियां विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। फैक्ट्रियों की राज्य-वार स्थिति और गत वर्ष का लाभ एवं हानि निम्नांकित है :-

क्र॰ सं॰	राज्य	फैक्ट्री का नाम	1999-2000 के दौरान लाभ/हानि (अनंतिम) (रुपये लाख में)
1.	असम	बोकाजन	34.58
2.	हरियाणा	चरखीदादरी	(1295.85)
3.	हिमाचल प्रदेश	राजबन	(524.00)
4.	कर्नाटक	कुरकुंटा	(1637.12)
5.	मध्य प्रदेश	मंधार	(1520.64)
		अकलतारा	(2627.28)
		नयागांव	(1746.01)
		नयागांव विस्तार (डीसीजीयू सहित)	(5403.93)
6.	आन्ध्र प्रदेश	तांडूर	(4548.56)
		आदिलाबाद	(2250.22)

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4193. श्री के॰के॰ सांगतम: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा॰ अम्बेडकर जन्म शती समारोह समिति ने 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित बकाया रिक्त पदों को भरने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो 1993 से उनके मंत्रालय ने बकाया रिक्त पदों के संबंध में क्या कार्यवाही की है और इसके क्या पणिाम हासिल हुए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी/वैधानिक/सम्बद्ध कार्यालयों में 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार वर्ग I, II, III और IV में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े थे और इन्हें भरने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार वर्ग I, II, III और IV में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितनी बकाया रिक्तियां थीं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सोने का आयात

4194. श्री ए॰ नरेन्द्र: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में सोने का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान सोने के आयात को कम करने हेतु कई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनंजय कुमार / श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सोने के आयात के देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(मात्रा कि॰ग्रा॰ में)

देश	1997-98	1998-99	1999-2000 (अप्रैल-नवम्बर)*
आस्ट्रेलिया	953	10127	2079
फ्रांस	0	977	0
जर्मन जनवादी गणराज्य	911	238	859
हांगकांग	263	4719	112
रूस	0	443	54
सऊदी अरबिया	786	1246	0
सिंगापुर	909	2363	599
दक्षिण अफ्रीका	11882	101334	99188
स्विटजरलैण्ड	179590	235161	160341
संयुक्त अरब अमीरात	30280	26894	6141
यूनाइटिड किंगडम	34518	65620	40195
संयुक्त राज्य अमेरिका	4446	5313	1065
अन्य	919	965	396
जोड़	265457	455406	311029

*अनंतिम।

[अनुवाद]

देनदारियों का निपटारा

4195. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दिया और उनके मामले पर प्रबन्धन द्वारा धन के दूसरी ओर चले जाने तथा जारी न होने के कारण विचार नहीं किया जा रहा है;

(ख) अंशदायी भविष्य निधि को छोड़कर सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं और ऐसे कर्मचारियों की कुल

संख्या कितनी है और उनकी बकाया धनराशि कितनी है जिसका भुगतान किया जाना है; और

(ग) उन कर्मचारियों को जिन्हें देयों का भुगतान नहीं किया गया है सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गये/उठाये जाने हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई मामला लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार साधारणतया अधिवार्षिता की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति की देयताएं 8.50 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि बनती है और इसमें 557 कार्मिक शामिल हैं। मुख्य रूप से, इसका कारण है कि कंपनी घोर वित्तीय संकट से गुजर रही है। कुछ मामलों में कर्मचारियों से "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्राप्त नहीं हुआ है। वित्तीय संकट से उभरने के लिए कंपनी द्वारा क्रयादेश बुकिंग में सुधार लाने और ग्राहकों से बकायों की वसूली करने के प्रयासों को तेज कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मैसर्स जेट एयरवेज द्वारा फेरा कानूनों का उल्लंघन

4196. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स बोइंग एण्ड एयरबस इंडस्ट्रीज से इंडियन एयरलाइंस को संयंत्र तथा पुर्जों की आपूर्ति का मामला और एक अन्य मामलें में मैसर्स जेट एयरवेज और उनके चेयरमैन के विरुद्ध फेरा के अंतर्गत 1990 से 1998 के दौरान 600 मिलियन अमरीकी डालर के कमीशन के फेरा कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है उनमें जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई; और

(ग) क्या सरकार उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने फेरा कानूनों का उल्लंघन किया, कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय को मै॰ जेट एयरवेज और इसके अध्यक्ष के खिलाफ फेरा के कथित उल्लंघन के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है। इस मामलें जांच आरम्भ कर दी गई है और जांच अभी प्रगति पर है।

गुजरात में निर्यातोन्मुखी इकाइयां

4197. श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये इकाइयां कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। 2000-01 (नवम्बर, 2001 तक) के दौरान ई ओ यू योजना के अंतर्गत गुजरात में एककों की स्थापना हेतु 137 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 101 एककों को अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) ई ओ यू योजना के अंतर्गत एकक को जारी किया गया अनुमति पत्र उसके जारी होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए वैध होता है जिस अवधि के भीतर उक्त एकक को परियोजना को कार्यान्वित करना और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना चाहिए।

[अनुवाद]

गोदामों का बन्द किया जाना

4198. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर अपने अधीन खाद्यान्न गोदामों को बंद करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में राज्य वार कितने गोदाम बंद किये गये हैं?

उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पब्लिक सेक्टर बोर्डों में अ॰जा॰अ॰ज॰जा॰ की नियुक्तियां

4199. श्री बूटा सिंह:
श्री चिंतामन वनगा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के संसद सदस्यों द्वारा 17 दिसम्बर, 1996, 1 सितम्बर 1997 और 23 जुलाई, 1998 को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत अभ्यावेदनों, जिसमें विभिन्न पब्लिक सेक्टर बोर्डों तथा उपक्रमों के प्रबंध

मंडलों/शासी परिषदों के प्रमुख/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/सरकारी गैर सरकारी सदस्य के रूप में अ०जा० तथा अ०ज०जा० समुदायों के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में तैनाती/नियुक्ति की मांग की गई थी, पर उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ख) उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वाले विभिन्न पब्लिक सेक्टर बोर्डों के प्रबंध मंडलों/शासी परिषदों के प्रमुख/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों के रैंक में कुल कितने पद हैं और 1 जनवरी, 1996 तथा 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार ऐसे पदों पर अ०जा०/अ०ज०जा० के समुदायों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और कुल पदों के मुकाबले में उनका प्रतिशत क्या है; और

(ग) अ०जा०/अ०ज०जा० के संसद सदस्यों की मांगों को संतोषजनक रूप से पूरा न कर पाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चीनी मिलों का विस्तार

4200. डा० बलिराम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी चीनी मिलों ने अपनी इकाइयों के विस्तार हेतु औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) प्रस्तुत किया है और ऐसी चीनी मिलों के नाम क्या हैं; और

(ख) उस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद): (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन चीनी मिलों की राज्यवार संख्या और नाम दिए गए हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी मौजूदा क्षमता में विस्तार करने के लिए औद्योगिकी उद्यमी ज्ञापन (आई०ई०एम०) प्रस्तुत किए हैं।

(ख) सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों द्वारा अपनी मौजूदा क्षमता में विस्तार करने के लिए प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों को स्वीकार कर लिया है।

विवरण

उन चीनी मिलों की राज्यवार संख्या और नाम दर्शाने वाला विवरण जिन्होंने पिछले तीन चीनी वर्षों (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान क्षमता में विस्तार करने के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं

क्रम सं०	राज्य	मौसम	चीनी मिलों के नाम
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	1998-99	1. द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि०, बुंदकी, जिला बिजनौर
			2. घाघरा शुगर लि०, अजाबपुर, जिला खीरी
			3. डी०सी०एम० श्रीराम (आई) लि०, दौराला, जिला मेरठ
			4. त्रिवेणी इंजी० एड इंडस्ट्रीज लि०, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर
			5. मोनेट इंडस्ट्रीज लि०, उन, जिला मुजफ्फरनगर
		1999-2000	1. बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, बभनान, जिला गोंडा
			2. बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, बलरामपुर, जिला गोंडा
			3. बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, तुलसीपुर, जिला गोंडा
			4. बजाज हिंदुस्तान लि०, पालिया, जिला खीरी
			5. डी०सी०एम० श्रीराम (आई) लि०, दौराला, जिला मेरठ
			6. टिकौला शुगर मिल्स लि०, टिकौला, जिला मुजफ्फरनगर

1	2	3	4
			7. कमालपुर शुगर एंड (आई) लि०, कमालपुर, जिला सीतापुर
			8. सेकसरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री लि०, बिसवां, जिला सीतापुर
			9. एस०बी०ई०सी० शुगर लि०, मलकपुर, जिला बागपत
2.	आंध्र प्रदेश	1998-99	1. सुदलगुंटा शुगर्स लि०, बुच्चीनायडू, जिला चित्तूर
			2. दि जयपुर शुगर क० लि०, जिला पश्चिमी गोदावरी
			3. गणपति शुगर (आई) लि०, कुलुबगुर, जिला मेढक
			4. गायत्री शुगर काम्पलेक्स लि०, प्रभागिरि पटनम, जिला नेल्लोर
			5. एन०सी०एस० गायत्री शुगर्स लि०, अंदलुरल्लारेड्डी, जिला निजामाबाद
			6. वरलक्ष्मी शुगर्स लि०, संकीलिरेगिडि, जिला श्रीकाकुलम
		1999-2000	1. के०सी०पी० शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, लक्ष्मीपुरम, जिला कृष्णा
3.	कर्नाटक	1998-99	1. देवनगेरे शुगर कम्पनी लि०, कुकुवाडा, जि० चित्रदुर्ग
			2. श्री महादेश्वर शुगर मिल्स लि०, कोल्लेगल, जिला मैसूर
		1999-2000	1. दि नन्दी एस०एस०के० नियमित, चिक्का गागागली, जिला बीजापुर
4.	बिहार	1999-2000	1. हरिनगर शुगर मिल्स लि०, हरिनगर जिला पश्चिमी चम्पारण
			2. अपर गैंगेज शुगर इंडस्ट्रीज, सिद्धवालिया, जिला गोपालगंज
5.	पांडिचेरी	1998-99	1. पांडिचेरी कारपोरेशन शुगर मिल्स लि०, लिंगारेड्डीपलियम, पांडिचेरी
6.	महाराष्ट्र	1997-98	1. मालेगांव एस०एस०के० लि०, मालेगांव, जिला पुणे
			2. राजारामबापू पाटिल एस०एस०के० लि०, राजारामनगर, जिला सांगली
		1998-99	1. चांगदेव शुगर मिल्स लि०, चांगदेवनगर, जिला अहमदनगर
			2. मुला एस०एस०के० लि०, सोनाई, जिला अहमदनगर
			3. सतपुडा तापी परिसर एस०एस०के० लि०, शाहदा, जिला धुले
			4. श्री छत्रपति शाहु एस०एस०के० लि०, कागल, जिला कोल्हापुर
			5. श्री छत्रपति राजाराम एस०एस०के० लि०, कस्बा भावड़, जिला कोल्हापुर
			6. जवाहर शेतकारी एस०एस०के० लि०, हुजारी, जिला कोल्हापुर
			7. इंदापुर एस०एस०के० लि०, इंदापुर, जिला पुणे

1	2	3	4
			8. नैनादेवी एस०एस०के० लि०, अराला शिराला, जिला सांगली
			9. मानगंगा एस०एस०के० लि०, अटपदी, जिला सांगली
			10. हुतात्मा अहिर एस०एस०के० लि०, वाल्वे, जिला सांगली
			11. भोगवती एस०एस०के० लि०, इरले वैराग, जिला कोल्हापुर
			12. संत एकनाथ एस०एस०के० लि०, पैथान, जिला औरंगाबाद
		1999-2000	1. संजीवनी तकली एस०एस०के० लि०, कोपरगांव, जिला अहमदनगर
			2. जगदम्बा एस०एस०के० लि०, रशीन, जिला अहमदनगर
			3. संगमनेर भोग एस०एस०के० लि०, संगमनेर, जिला अहमदनगर
			4. प्रवरा एस०एस०के० लि०, प्रवरा, जिला अहमदनगर
			5. गजानन एस०एस०के० लि०, जिला बीड
			6. पुष्पदंतेश्वर एस०एस०के० लि०, शमशेरपुर, जिला धुले
			7. श्री दत्ता शेतकारी एस०एस०के० लि०, शिरोल, जिला कोल्हापुर
			8. गार्धीगलाज तालुक एस०एस०के० लि०, गार्धीगल्ाज, जिला कोल्हापुर
			9. श्री दत्ता एस०एस०के० लि०, असरुले, जिला कोल्हापुर
			10. वारना एस०एस०के० लि०, वारनानगर, जिला कोल्हापुर
			11. निफाड एस०एस०के० लि०, निफाड, जिला नासिक
			12. काडवा एस०एस०के० लि०, मतेखाडी, जिला नासिक
			13. नासिक एस०एस०के० लि०, प्लासे, जिला नासिक
			14. विश्वास एस०एस०के० लि०, यशवंतनगर, जिला सांगली
			15. राजाराम बापू पाटिल एस०एस०के० लि०, वाटेगांव, जिला सांगली
			16. महांकाली एस०एस०के० लि०, महांकाली, जिला सांगली
			17. अजिंक्यात्रा एस०एस०के० लि०, शेन्द्रे, जिला सतारा
			18. आदिनाथ एस०एस०के० लि०, करमाला, जिला शोलापुर
			19. पांडुरंग एस०एस०के० लि०, श्रीपुर, जिला शोलापुर
7.	तमिलनाडु	1999-2000	1. श्री अम्बिका शुगर्स लि०, इरियुर, जिला साउथ अरकाट
			2. बन्नारी अम्मान शुगर्स लि०, अलायुकोम्बाइ, जिला [illegible]

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग

4201. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकास योजनाओं में केन्द्रीय निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों पर सख्ती से सतर्कता रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से विशेष रूप से बिहार तथा उड़ीसा से केन्द्रीय निधियों के दुरुपयोग अथवा कम उपयोग के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों ने केन्द्रीय निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया और उनका दुरुपयोग किया है; और

(घ) केन्द्रीय निधियों के कम उपयोग और दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय राज्यों की राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सकल ऋणों और सकल अनुदानों के रूप में जारी करता है जो किसी क्षेत्र/स्कीम विशेष से संलग्न नहीं होती है। यह सहायता राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध कराए गए व्यय विवरणों पर आधारित होती है। अनुमोदित परिव्यय की तुलना में योजनागत व्यय कम होने के मामले में केन्द्रीय सहायता में अनुपातिक कटौती की जाती है। इस प्रकार जारी निधियों के समुचित उपयोग हेतु राज्य सरकारें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अपनी राज्य विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।

राज्य योजना के लिए जारी केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्रीय निधियां भी जारी की जाती है। इन निधियों के उपयोग का प्रबोधन संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा तदर्थ दिशा-निर्देश तथा राज्यों द्वारा प्रदत्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अनुसार किया जाता है। राज्यों को जारी की गई सभी सी०एस०एस० निधियां सी० एंड ए०जी० की लेखा-परीक्षा के अधीन होती हैं। निधियों के उपयोग में किसी भी परिवर्तन/दुरुपयोग/अल्पउपयोग को संघीय सरकार के बदले सी० एंड ए०जी० द्वारा तैयार की गई केन्द्रीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की लेखा-परीक्षा में ध्यान दिलाया जाता है जिस पर संसद की लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र

4202. **योगी आदित्यनाथ:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80झक में संशोधन के परिणामस्वरूप सरकार ने पिछड़े जिलों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु दिनांक 17 मई, 1994 को एक अध्ययन दल का गठन किया था। इसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 4 अक्तूबर, 1994 को प्रस्तुत की थी और देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े 114 जिलों की पहचान की थी। ज्यों ही सरकार को यह पता चला कि 114 जिलों की सूची में कमोबेश 1/3 जिले आते हैं, सरकार ने पिछड़े जिलों की पहचान के प्रयोजनार्थ दूसरे दल का गठन कर दिया।

(ग) अध्ययन दल और समीक्षा दल की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया था कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को दो श्रेणियों अर्थात् श्रेणी-क और श्रेणी-ख में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

आयकर अधिनियम और इसके अन्तर्गत नियमावली के उपबंधों को संशोधित किया गया है ताकि श्रेणी-क में स्थापित औद्योगिक एककों को पांच वर्ष के करावकाश और श्रेणी-ख के जिलों में स्थापित एककों को तीन वर्ष के करावकाश का प्रावधान किया जा सके। इन दोनों श्रेणियों की एककों को अगले पांच वर्षों के लिए उनकी कराधेय आय से उनके लोभों के 25% (कम्पनियों के मामले में 30%) की अतिरिक्त कटौती मिलती है। (औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों पर दिनांक 3.9.97 की संगत अधिसूचना सं० 635(अ) दिनांक 7.10.97 की अधिसूचना सं० 713(अ) और दिनांक 7.10.97 की अधिसूचना सं० 714(अ) को संसद के दोनों सदनों में रखा जा चुका है)।

[अनुवाद]

आकाशवाणी पर संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम

4203. **श्री कोलुर वसवनागौड:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी में मूल रूप से 90 मिनट के लिए प्रस्तावित संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम को कम करके साठ मिनट से भी कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आकाशवाणी पर शास्त्रीय संगीत के साप्ताहिक उत्तरी औ दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्रीय अंत:सम्पर्क संगीत समारोह को रोकने के क्या कारण हैं;

(घ) नये कलाकारों के ध्वनि-परीक्षण को रोकने के क्या करण हैं; और

(ङ) आकाशवाणी पर राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम की अवधि को जुलाई, 1998 से 90 मिनट से घटाकर 60 मिनट किया गया था, परन्तु प्रसारण की आवर्तिता सप्ताह में एक बार से बढ़ाकर दो बार कर दी गई थी। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से केवल क्षेत्रीय स्तर की सीमित प्रसारण कवरेज वाले साप्ताहिक दक्षिण एवं उत्तर क्षेत्रीय प्रसारण के स्थान पर संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सप्ताह में दो बार अर्थात् शनिवार एवं रविवार को प्रतिदिन 60 मिलट की अवधि के लिए शास्त्रीय संगीत प्रसारित करने का निर्णय लिया गया था।

(घ) और (ङ) प्रसार भारती ने बताया है कि पहले से लम्बित स्वर-परीक्षा मामलों को निपटाने के लिए नई स्वर-परिक्षा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रसार भारती संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ-साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों के नियमित प्रसारण के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहन देने के लिए संतत रूप से प्रयासरत है। इसके अलावा, आकाशवाणी द्वारा समस्त देश में हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दोनों के आकाशवाणी संगीत सम्मेलन समारोह और अन्य आमंत्रित श्रोता समारोह भी आयोजित किए जाते हैं।

एफ०डी०आई० कान्फीडेंस इन्डेक्स

4204. श्री मोहन रावले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विश्वास सूची (एफ०डी०आई०सी०आई०) में 11वें स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो पिछले सर्वेक्षण की तुलना में देश इस सूची में कितने स्थान पीछे चला गया; और

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण): (क) और (ख) एक निजी वित्तीय सलाहकार एजेंसी, ए०टी० कीयरने इंडिया ने अपनी नवंबर, 2000 की रिपोर्ट में भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विश्वास सूचकांक में 11वां स्थान (रैंक) दिया है। इसी एजेंसी द्वारा अपनी जून, 1999 की रिपोर्ट में भारत को छठा रैंक दिया गया था। किन्तु, रिपोर्ट बताती है कि चालू वर्ष के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह 1999 के स्तर पर रहेगा।

(ग) इस रिपोर्ट में सूचकांक में भारत की रैंक की स्थिति गिरने के लिए सरकारी सुधारों की गति, खराब अवसंरचनात्मक सुविधाएं, सांस्कृतिक अवरोध, गरीबी और आय असमानताएं, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप तथा नौकरशाही जैसे कारण जिम्मेदार ठहराये गये हैं।

(घ) और ज्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट करने और भारत को एक प्रतिस्पर्धात्मक निवेश गन्तव्य बनाने की दृष्टि से सरकार ने एक उदारीकृत एफ०डी०आई० नीति पहले ही आरंभ कर दी है, जिसके द्वारा सभी कार्यकलापों को 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वत: मार्ग के अधीन रखा गया है और यह एफ०डी०आई० नीति की निरंतर समीक्षा करती है। देश में और विदेश में सेमीनारों का आयोजन करके निवेश संवर्धन के उपाय किए जाते हैं। निवेश के बाद की बाधाओं को दूर करने के लिए एक एकल बिन्दु अन्तरापृष्ठ के रूप में कार्य करने हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

आयकर विभाग, गुजरात

4205. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विभाग के कार्यालयों विशेष रूप से गुजरात राज्य में जिन्हें सचिव, नगर-क्षेत्र, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का दायित्व सौंपा गया है, का विवरण क्या है;

(ख) आयकर विभाग के अहमदाबाद कार्यालय को सचिव, नगर-क्षेत्र, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्य करने का दायित्व कब से सौंपा गया है;

(ग) क्या आयकर विभाग, अहमदाबाद (गुजरात) के राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों/कार्यालय ज्ञापन के अनुसार नगर-क्षेत्र, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आवधिक रूप से की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या आयकर विभाग, अहमदाबाद अपने विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए तथा हिन्दी में किए गए कार्य के लिए मानदेय/पुरस्कारों को देने, दगद पुरस्कार देने से संबंधित राजभाषा विभाग के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है:

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच कराने के आदेश दिए हैं अथवा उसका जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन): (क) आयकर कार्यालय, सचिव, नगर-क्षेत्र राजभाषा कार्यान्वयन समिति के रूप में कार्य करता है।

(ख) वर्ष 1978 से।

(ग) जी, हां।

(घ) नगर-क्षेत्र राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

	तारीख	स्थान
1.	9 जुलाई, 1997	आयकर कार्यालय, अहमदाबाद
2.	17 फरवरी, 1998	एन० आई० डी०, अहमदाबाद
3.	12 मई, 1999	पी० आर० एल०, अहमदाबाद
4.	29 दिसम्बर, 1999	इफ्को, कलोल, गांधीनगर
5.	15 मार्च, 2000	भारतीय विमान-पत्तन प्राधिकरण, अहमदाबाद
6.	29 अगस्त, 2000	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अहमदाबाद

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्ताव

4206. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 2000 से प्रत्येक माह के दौरान सरकार द्वारा कितने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और उसमें कितना निवेश शामिल था और उसमें से कितना अनिवासी भारतीयों से था;

(ख) इस संबंध में क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्र का उल्लंघन करके इसका लघु उद्योगों तथा उनके विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण): (क) और (ख) अप्रैल, 2000 से अक्तूबर, 2000 तक की अवधि के दौरान, सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) और अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावों के माह-वार विवरण नीचे दिये गये हैं:-

वर्ष 2000 (महीने)	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावों की अनुमोदित संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
अप्रैल	189	1829.97	18	122.86
मई	215	1728.42	20	93.36
जून	156	6499.20	18	207.70
जुलाई	143	1454.42	9	8.61
अगस्त	217	7804.12	16	135.74
सितम्बर	223	4363.24	18	120.31
अक्तूबर	145	4369.60	22	639.67
योग	1288	28048.96	121	1328.23

अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्तावों का क्षेत्रवार विवरण, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित औद्योगिक सहायता सचिवालय के मासिक न्यूजलैटर में प्रकाशित किया जाता है। इस न्यूजलैटर का सदन के पुस्तकालय सहित व्यापक परिचालन किया जाता है।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में 24 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के परामर्श से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निति के अनुसार अनुमोदित किये जाते हैं। जब अनुमोदित दिये जाते हैं तो ये लघु उद्योग विनिर्माताओं से ही या तो 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व अथवा मदों की अनिवार्य प्रापण की शर्त के अध्यधीन होते हैं।

उर्दू सेटेलाइट चैनल

4207. **श्री बी०एम० बनातवाला:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन भाषाओं में दूरदर्शन के सेटेलाइट चैनल हैं;

(ख) क्या दूरदर्शन का कोई उर्दू सेटेलाइट चैनल भी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या दूरदर्शन एक उर्दू चैनल प्रारम्भ करने पर विचार करेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के पास निम्नलिखित भाषाओं में उपग्रह चैनल हैं :-

1.	मलयालम	डी डी 4
2.	तमिल	डी डी 5
3.	उड़िया	डी डी 6
4.	बंगाली	डी डी 7
5.	तेलुगु	डी डी 8
6.	कन्नड़	डी डी 9
7.	मराठी	डी डी 10
8.	गुजराती	डी डी 11
9.	कश्मीरी	डी डी 12
10.	असमियां और उत्तर-पूर्व की भाषाएं	डी डी 13
11	पंजाबी	डी डी 18

(ख) से (घ) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अपेक्षित संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के करण उर्दू चैनल शुरु करने की स्थिति में नहीं है।

पारगमन में खाद्यान्नों की हानि

4208. श्री पी०डी० एलानगोवन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विभिन्न रेलवे स्टेशनों तथा बंदरगाहों से अन्यस स्थानों को खाद्यान्नों के पारगमन को सरल बनाने के लिए उपर्युक्त स्थानों पर और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पारगमन भण्डारण चोरी तथा अन्य कारणों से कितने मूल्य के खाद्यान्न की हानि हुई;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु में और गोदाम स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) तमिलनाडु में भण्डारण क्षमता बढ़ाने तथा राज्य में आवागमन सुविधाएं सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) देश में विभिन्न वस्तुओं को हैंडल करने के लिए रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों में अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है। जब कभी ट्रैफिक आवश्यकताओं के लिए रेलवे और बंदरगाहों को इनकी जरूरत पड़ती है तब संसाधनों की उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन इन सुविधाओं का सृजन किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम ने 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की हैंडलिंग के लिए 86.250 टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) परिवहन, भंडारण और चोरी से होने वाली हानियों का मूल्य निम्नानुसार है:-

मात्रा टन में

मूल्य करोड़ रुपये में

मार्गस्थ हानि

वर्ष	हानि हुई मात्रा	मूल्य	प्रतिशतता
1998-99	2.66	198.00	1.17

भण्डारण हानि

वर्ष	हानि हुई मात्रा	मूल्य	प्रतिशतता
1998-99	1.51	130.08	0.40

चोरी के कारण हानि

वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
1998-99	18	7.02924/-रुपये

(घ) से (च) सरकार ने रामनाथपुरम, तमिलनाडु में 10,000 टन क्षमता के गोदाम का निर्माण करने का अनुमोदन कर दिया है हाल में ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है। 1996-97 के दौरान तमिलनाडु सरकार को भी 2480 टन कुल क्षमता वाले 18 गोदामों के निर्माण के लिए 50.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है। राज्य सरकार ने 1600 टन कुल क्षमता वाले 6 गोदामों के निर्माण में इस राशि का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 2000-2001 की वार्षिक कार्य योजना के अधीन केन्द्रीय भंडार निगम द्वारा तूतीकोरन सी० एफ० एस० में 18000 टन क्षमता वाले एक गोदाम और 15000 टन क्षमता वाले एक ढके हुए गोदाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विवरण

राज्य	2000-2001 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित की जाने वाली अतिरिक्त भंडारण क्षमता
उड़ीसा	6,660 टन
कर्नाटक	30,000 टन
केरल	25,000 टन
उत्तर प्रदेश	5,000 टन
तमिलनाडु	5,000 टन
जम्मु और कश्मीर	2,500 टन
मिजोरम	3,340 टन
त्रिपुरा	5,000 टन
मेघालय	3,750 टन
जोड़	86,250 टन

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा में वृद्धि

4209. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी दौरों के लिए विदेशी मुद्रा की आवंटन सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) हालांकि विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा के कोटे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि, यह कोटा पहली जून, 2000 से लागू विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 के तहत बढ़ाया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (चालू खाता लेन-देन) नियमावली, 2000 को जो मूल यात्रा कोटा से सम्बन्धित है, ''फेमा'' के तहत बनाया गया है और इसे सरकार द्वारा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 381(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया है। यह कोटा विदेश यात्रा हेतु 5000/- अमरीकी डालर प्रति कलेन्डर तथा कारोबार संबंधी आदि हेतु 25,000 अमरीकी डालर तक बढ़ाया गया है। यदि विदेशी मुद्रा की राशि उपर्युक्त सीमाओं से अधिक है तो विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (चालू खाता लेन-देन) नियमावली, 2000 की अनुसूची III में यथानिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व-अनुमति लेना जरूरी है।

[अनुवाद]

प्रसार भारती बोर्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग

4210. श्री एन्०के०एस० विजयन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रसार भारती बोर्ड में अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक स्तर के पदों, सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) दिनांक 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार उक्त पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की कुल संख्या कितनी है और कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अनसार प्रसार भारती बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

(1) अध्यक्ष

(2) एक कार्यकारी सदस्य

(3) एक सदस्य (वित्त)

(4) एक सदस्य (कार्मिक)

(5) छः अंशकालिक सदस्य

(6) महानिदेशक (आकाशवाणी) पदेन

(7) महानिदेशक (दूरदर्शन) पदेन

(8) केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

(9) निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋणों का वितरण

4211. श्री तूफानी सरोज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम ऋणों की मात्रा में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 2000 के दौरान दिए गए ऋणों में वर्ष 1998 और 1999 में दिए गए ऋणों की तुलना में कितने प्रतिशत गिरावट आई है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों (अप्रैल से नवम्बर तक) के दौरान औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राजकोषीय वर्ष 2000, 1999 और 1998 के अप्रैल-नवम्बर के दौरान आईडीबीआई द्वारा किए गए समग्र संवितरणों से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि चालू वर्ष के दौरान संवितरणों में मामूली वृद्धि हुई है:-

(रु. करोड़ में)

	अवधि	संवितरण
अप्रैल-नवम्बर,	2000	9360.91
अप्रैल-नवम्बर,	1999	9252.65
अप्रैल-नवम्बर,	1998	7844.90

(घ) से (छ) अप्रैल-नवम्बर, 2000 के दौरान औद्योगिक उत्पाद की समग्र वृद्धि-दर पिछले वर्ष तदनुरूपी अवधि के दौरान के 6.7 प्रतिशत की तुलना में 5.7 प्रतिशत थी। उद्योग में इस प्रकार की गिरावट के मुख्य कारण थे:-

(i) सकल मांग में मंदी जो कम कृषि उत्पाद के कारण ग्रामीण मांग में कमी से और बढ़ गई।

(ii) सामान्य निवेश में मंदी।

(iii) दक्षिण-पूर्व एशियाई मुद्राओं के मूल्य में अत्यधिक गिरावट के कारण भारतीय निर्यातों के प्रतिस्पर्धी लाभ का क्षरण।

(iv) आधारभूत अड़चनों का बना रहना; और

(v) अर्थव्यवस्था में खुलेपन के परिणामस्वरूप आयातों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, एक्जिम नीति, आधारभूत ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी तथा उद्योग की दक्षता, उत्पादकता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु उन्हें वित्तीय क्षेत्र सहायता सहित सरकार उद्योग में निरंतर सुधारों द्वारा औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें करती रही है।

[अनुवाद]

आयकर बकाया

4212. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में क्षेत्र-वार आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इन बकायों को वसूली के माध्यम से कम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु क्षेत्र में निगमकर और आयकर की कुल बकाया धनराशि 681.22 करोड़ रुपये है।

(ख) आयकर अधिनियम में कर वसूली की विधिक प्रक्रिया विहित की गई है। बकाया कर की वसूली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मांग नोटिस जारी करने के 30 दिन बाद मांग देय होने पर यह प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके पश्चात् कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज लगाने, अथदण्ड लगाने, बैंक खातों की कुर्की आदि जैसी कार्रवाई करके स्थागित न की गई मांग के संबंध में कार्रवाई की जाती है। कठिन मामलों में, मामले को कर वसूली अधिकारी को भेज दिया जाता है जो अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार के अवपीड़क उपाय करता है। कर निर्धारण अधिकारी और कर वसूली अधिकारी द्वारा की गई वसूली की कार्रवाई पर उच्च आयकर अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

दस लाख रुपये और उससे अधिक की बकाया मांग वाले डोजियर मामलों की उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समय-समय पर निगरानी की जाली है और बकाया मांगों की वसूली करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवपीड़क उपाय करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

वित्त मंत्रियों का जी-20 सम्मेलन

4213. श्रीमती रेनु कुमारी:
श्रीमती जी.एस. बसवराज:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अल्पविकसित देशों में गरीबी उपशमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेन्सियों के लिए एक छः सूत्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रियों और सैन्ट्रल बैंकों के गवर्नरों द्वारा कनाडा में जी-20 सम्मेलन में इस अपील को उठाया गया था;

(ग) यदि हां, तो सदस्यों देशों की क्या प्रतिक्रिया थी;

(घ) उनके द्वारा दिये गये मुख्य सुझाव क्या हैं; और

(ङ) भारत में गरीबी उपशमन कार्यक्रम किस सीमा तक सफल सिद्ध हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक छः सूत्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था।

(ख) जी, हां।

(ग) हालांकि छः सूत्रीय कार्यक्रम पर कोई विशेष सहमति नहीं हुई थी, फिर भी वित्त मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों को सदस्य देशों (समूह के रूप में) ने नोट कर लिया था और सम्मेलन के अंत में जारी किए गए वक्तव्य में परिलक्षित हुआ था।

(घ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2000 को घोषित किए गए छः सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर कार्रवाई किए जाने का सुझाव दिया गया था। विकासशील देशों से औद्योगीकृत देशों के बाजारों में माल और सेवाओं की वास्तव में मुक्त बाजार पहुंच सुनिश्चित करना, सरकारी विकास सहायता और विश्व बैंक के उधारों को बढाने के लिए पुनप्रतिबद्धता; अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को राजकोषीय आपातिक स्थितियों से निपटने हेतु पर्याप्त संसाधनों से सुसज्जित करना; आधारभूत अवसंरचना और मानव संसाधन विकास के लिए विश्व बैंक का दीर्घावधिक विकासात्मक वित्त के लिए बुनियादी अधिदेश सुनिश्चित करना, अन्तर्राष्ट्रीय में सुधारात्मक कार्यक्रम आरम्भ करना जिसमें वित्तीय स्थिरता मंच पर जी-20 देशों के लिए और अधिक भूमिका का सुनिश्चियन भी शामिल हैं और यह सुनिश्चित करना कि जी-20 ऐसे मुद्दों पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करे जहां सहमति बन चुकी हो, जैसे कि तेल की कीमतों को घटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता।

(ङ) गरीबी निवारण के लिए भारत में अपनायी गयी नीति में आर्थिक विकास की गति को बढाना, बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को उपलब्ध कराना और गरीबी-निरोधक लक्षित कायक्रमों के रूप में सीधे ही शासन का हस्तक्षेप शामिल है।

गरीबी कम करने में देश का कार्यनिष्पादन प्रकट करता है इस दिशा में पर्याप्त प्रगति कर ली गयी है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात 1973-74 में 54.9 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर 1993 94 में 35.97 प्रतिशत रह गया था।

दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

4214. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में कार्य कर रहे दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्दों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा और उनकी कमियां क्या रहीं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) महाराष्ट्र सहित देश में स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी स्थापनाओं के कार्य-निष्पादन की प्रसार भारती में विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों का कार्य-निष्पादन सामान्यतया संतोषजनक रहा है और शिकायतें/कमियों की जब कभी भी सूचना प्राप्त होती है तो उन पर मुस्तैदी के साथ ध्यान दिया जाता है। प्रसार भारती अपने टेलीकास्ट/प्रसारणों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सतत रूप से प्रयास करता है।

करों की वसूली

4215. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को करों की कम वसूली होने की वजह से देय करों के रूप में 12,000 करोड़-रुपये का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो करों की कम वसूली होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या कुल बिक्री राजस्व में से 20 प्रतिशत भाग विदेशी कम्पनियों से प्राप्त होता है;

(घ) यदि हां, तो करों की वसूली करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों से बहुत बड़ी राशि कर के रूप में अभी भी वसूल की जानी है;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के संबंध में वर्ष-वार इन करदाताओं से कुल कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है; और

(छ) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नही। नवम्बर, 2000 तक कर की वसूली 107261 करोड़ रुपए है जो कि गत वर्ष की सदृश अवधि के दौरान हुई वसूली से अपेक्षाकृत 17.57 प्रतिशत अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिक्री कर विभाग में रिकार्ड, निर्धारिती-कर रखे जाते हैं न कि कम्पनी की राष्ट्रीयता के अनुसार।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिनांक 31.3.2000 की रिपोर्ट के अनुसार आयकर मांग का कुल बकाया 52970 करोड़ रुपये था। इसमें फिल्म सितारों और उद्योगपतियों की बकाया मांग शामिल है।

(च) व्यक्तिगत फिल्म सितारों के संबंध में उठाया होजियर मामलों के रूप में समेकित हैं जिसमें कुल बकाया कर 1 लाख रुपए और अधिक है। ऐसे मामलों के लिए कुल कर मांग का बकाया दिनांक 31.12.98 को 1712.74 लाख रुपए, 31.12.99 को 4243.18 लाख रुपये 30.9.2000 को 6711.64 लाख रुपए थे। केवल उद्योगपति से बकाया देय शीर्ष के अंतर्गत बकाया मांग के ब्यौरे अलग से नहीं रखे जाते।

(छ) बकाया मांग की वसूली/कटौती को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती हैं और उसकी वसूली के लिए सम्यक् प्रशासनिक, कानूनी और अन्य उपाय किए जाते हैं। संबंधित अपीलीय प्राधिकरणों से मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध किया जाता है। मांग की शीघ्र वसूली के लिए उपयुक्त मामलों में कड़े उपाय भी किये जाते हैं। बड़े मामलों में डोजियर्स रखे जाते हैं और वसूली स्थिति की नियमित यप से समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

वैश्वीकरण पर संयुक्त राष्ट्र की शिखर-बैठक

4216. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 2000 में हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की शिखर बैठक में वैश्वीकरण को मानव जाति के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में घोषित किया गया;

(ख) यदि हां, तो वस्तुत: किस रूप में इस घोषणा को शिखर बैठक में स्वीकारा गया; और

(ग) इस आलोक में सरकार ने क्या कार्यनीति अपनाई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) न्यूयार्क में 6 से 8 दिसम्बर को आयेजित राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा-पत्र में यह स्वीकार किया गया कि केन्द्रीय चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि वैश्वीकरण दुनिया भर के लोगों के लिए एक सकारात्मक शक्ति बन सके। घोषणा-पत्र में यह कहा गया है कि यद्यपि वैश्वीकरण विपुल अवसरों से पूर्ण है तथापि, वर्तमान में इसके लाभ सभी को समान रूप से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जबकि इसकी लागतें असमान रूप से बंटी हुई हैं। इसमें यह भी स्वीकार किया गया है कि विकासशील देशों तथा संक्रमण काल से गुजर रही अर्थव्यवस्था वाले देशों को वैश्वीकरण की केन्द्रीय चुनौती का प्रत्युत्तर देने में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर्वनिष्ठ मानवता की इसकी सभी विविधताओं पर आधारित साझा भविष्य का निर्माण करने के व्यापक एवं अनवरत प्रयासों के माध्यम से ही वैश्वीकरण को पूर्णतया व्यापक तथा समान बनाया जा सकता है। इन प्रयासों में विश्व स्तर पर उन नीतियों एवं उपायों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, जो विकासशील देश तथा संक्रमण के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा जिन्हें उनकी सक्रिय भागीदारी से तैयार एवं क्रियान्वित किया जाता है।

(ग) वैश्वीकरण की चुनौती तथा विकासशील देशों इसके प्रभाव के संबंध में भारत अन्य विकासशील देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग करते हुए कार्य करेगा।

सीमावर्ती राज्यों में दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण के कमजोर सिगनल

4217. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर देश के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों के वर्तमान नेटवर्क के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सीमावर्ती राज्यों के लोग समाचार-सूचनाओं और मनोरंजन आदि के लिए मुख्यतया पड़ोसी देशों के कार्यक्रम देखते हैं, जबकि हमारे केन्द्रों से प्रसारित सिगनल बहुत कमजोर होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक तीव्र सिगनल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित 16 रेडियो स्टेशनों सहित देश के सीमावर्ती राज्यों में फिलहाल भिन्न-भिन्न शक्तियों एवं प्रकार के 27 रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित 10 स्टूडियो तथा 118 ट्रांसमीटरों सहित देश के सीमावर्ती राज्यों में फिलहाल दूरदर्शन के 29 स्टूडियो तथा भिन्न-भिन्न शक्तियों के 638 ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सीमावर्ती राज्यों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के नेटवर्क को सुदृढ़ करना एक सतत् प्रक्रिया है। सीमावर्ती राज्यों में रेडियो तथा दूरदर्शन की कवरेज का और विस्तार करने के लिए 22 आकाशवाणी परियाजनाएं तथा दूरदर्शन के 7 स्टूडियो और 151 ट्रांसमीटर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उपरोक्त के अलावा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब आदि में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की कवरेज में सुधार लाने के लिए एक विशेष जम्मू और कश्मीर पैकेज कार्यान्वयनाधीन है और इसको 2001-2002 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

भारतीय पुराणों पर आधारित नए धारावाहिक

4218. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पुराणों पर आधारित नए धारावाहिकों के निर्माण को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु भेजे गए ऐसे टी०वी० धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है और उसमें से अभी तक कितनों को स्वीकृति प्रदान की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन अपने विभिन्न चैनलों पर प्रसारण करने के लिए भारतीय पुराणों पर आधारित धारावाहिकों का चयन/अनुमोदन करने के लिए सततरूप से प्रयास करता है। निजी निर्माताओं द्वारा प्रायोजकता/न्यूनतम गारन्टी पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखकर गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है :-

(1) कार्यक्रम कि संकल्पना/कहानी;

(2) कार्यक्रम का निर्माण महत्व/गुणवत्ता;

(3) कार्यक्रम की वाणिज्यिक व्यावहारिता एवं राजस्व अर्जन करने की संभाव्यता; और

(4) दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षा।

वर्तमान में, दूरदर्शन ''जय हनुमान'', ''जय गंगा मैया'', ''जय महालक्ष्मी'', ''ओम नम: शिवाय'' और ''जप तप व्रत'' नामक धारावाहिक प्रसारित कर रहा है जो भारतीय पुराणों पर आधारित हैं।

(ग) विगत वर्ष के दौरान अनुमोदन हेतु टी०वी० धारावाहिकों का विवरण नीचे दिया गया है :-

विष्णु पुराण	–	मैसर्स बी०आर० फिल्म्स मुम्बई
गणेश महिमा	–	मैसर्स हंसा विजन, नई दिल्ली
श्रीमद् भागवत	–	मैसर्स शान्त केतन फिल्म्स, मुम्बई
जय जय श्री गणेश	–	मैसर्स नमेश शिवाय इन्ट., मुम्बई
जय ज्वाला मां	–	मैसर्स बोध शिल्प मूवीज प्रा० लिमिटेड
जय जगदम्बे	–	मैसर्स नुमेरो उनो इन्ट. लिमिटेड, मुम्बई
जय संतोषी मां	–	मैसर्स वन मिनट फिल्म्स प्रोड., मुम्बई
जप तप व्रत	–	मैसर्स नम: शिवाय एन्टरप्राइजेज
श्रीमद् भागवत	–	मैसर्स बी० आर० टी० वी०, मुम्बई
जय गंगा मैया (पूर्व शीर्षक होली गंगा)	–	मैसर्स सागर ग्रुप, मुम्बई

उपरोक्त धारावाहिकों में से केवल दो धारावाहिक अर्थात् ''जय गंगा मैया'' एवं ''जप तप व्रत'' को अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

आर०आर०बी० कर्मचारियों की हड़ताल

4219. श्री एन०एन० कृष्णदास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (आल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन) ने 15 नवम्बर, 2000 को हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इन मांगों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं:-

(i) पदोन्नति नियमों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामिण बैंक में कामगार से तत्काल पदोन्नति;

(ii) 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आमेलन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाना;

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती पर प्रतिबंध हटाना; और

(iv) प्रायोजक बैंक के अनुसार पदोन्नति नियम।

(ग) इन मांगों के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है:

(i) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियम, 1998 के अनुसार की जा रही है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एनआरबीआई) के निर्माण सहित कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि एनआरबीआई का सृजन करने के बजाय चुनींदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलना-पत्रों के परिमार्जन के लिए अतिरिक्त पूंजी देकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ''एकल आधार'' पर पुनर्गठन किया जाए।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में श्रम शक्ति योजना पर कार्यदल की रिपोर्ट को देखते हुए मामले की जांच की जा रही है।

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों में पदोन्नति को विभिन्न नियमों द्वारा संचालित किया जाता है। अत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में पदोन्नति को प्रायोजक बैंकों के पदोन्नति नियमों द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निपटान हेतु बकाया दावे

4220. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसे दावों की संख्या तेजी से बढ़ी है जिनका निपटान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दावों का ब्यौरा क्या है और इन दावों में कुल कितनी राशि संलिप्त है;

(ग) सरकारी उपक्रम-वार कितने मामले माध्यस्थम् हेतु भेजे गए हैं; और

(घ) समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों के लिए कारें

4221. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष उपकरणों से युक्त कारें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्यु॰ एसोसिएशन के अनुसार, देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष उपकरणों से युक्त पहले से तैयार की हुई कारें बिक्री के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विशेष मामलों में कार निर्माता ऐसी कारों का निर्माण विशेष क्रयादेशों पर आयातित किटों से निर्मित करते हैं और कारों की आपूर्ति कर रहे हैं। पहले से तैयार हुए वाहनों की अनुपलब्धता के प्रमुख कारणों में मांग का कम होना और विभिन्न प्रकार की विकलांगता के अनुरुप किटों की किस्मों में अत्यधिक भिन्नताओं का होना है।

बागलकोट, कर्नाटक में एफ॰एम॰ आकाशवाणी स्टेशन

4222. श्री आर॰एस॰ पाटिल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में आकाशवाणी एफ॰एम॰ स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को बागलकोट में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो बागलकोट में आकाशवाणी एफ॰एम॰ स्टेशन को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यू॰टी॰आई॰ का निवेश

4223. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने मार्च, 2000 के अंत तक घाटे में चल रही कंपनियों में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान घाटे में चल रही कंपनियों में निवेश करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने घाटे में चल रही इन इकाइयों की अद्यतन लेखा परिक्षा रिपोर्ट पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) जी, हां। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने उन चार कंपनियों में निवेश किया है जिन्हें 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष में घाटा हुआ है।

(ख) इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	विलेख
1.	जिन्दल विजयनगर स्टील लिमिटेड	एन॰सी॰डी॰*
2.	लायड्स स्टील लिमिटेड	एन॰सी॰डी॰
3.	ह्यू॰ टेली॰ कम्यूनि॰	इक्विटी
4.	बिरला ए॰टी॰ एण्ड टी॰ कम्यूनिकेशन	एन॰सी॰डी॰

*एन॰सी॰डी॰—अपरितर्वनीय डिबेंचर्स।

(ग) प्रमुख संस्था आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ की मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार ये परियोजनाएं व्यवहार्य हैं और ऋण-देयताओं के भुगतान हेतु पर्याप्त नकदी की प्राप्ति कराएंगी। ह्यू टेली॰ कम्यूनि॰ और बिरला ए॰टी॰ एण्ड टी॰ कम्यूनिकेशन इस समय बेसिक लाइन/सेलुलर सेवा परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं, जहां प्रारंभिक वर्षों में घाटे अन्य बड़े पैमाने की आधार सुविधा परियोजनाओं के समनुरूप हैं।

बिरला ए॰टी॰एस॰टी॰ के अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स 12 महीने की अवधि के अल्पकालिक विलेख हैं। इसको क्रेडिट दर निर्धारण "पी॰ 1+" समनुदेशित किया गया है जो अल्पकालिक विलेख के लिए सर्वोपरि दर-निर्धारण है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जिन्दल विजयनगर स्टील लिमिटेड के मामले में लेखा परीक्षक ने यह उल्लेख किया है कि विदेशी संविदाकार शुल्कों, विविध कर्जदारों और अतिदेय कंपनी जमाराशियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

4224. श्री जी॰ पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए सरकार के निर्णय का अनुसरण किया था;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की पहले की आयु में प्रत्यावर्तन किया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने अधिकारियों को उनके सेवानिवृत्त हो जाने के बाद परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया है;

(ङ) क्या परामर्शदाताओं की नियुक्ति में किन्हीं नियमों का पालन किया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ बल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) फर्टिलाईजर्स कॉरपोरेशन आफ इण्डिया, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड और पाइराइटिस, फास्फेट्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों (पी॰ एस॰ यूज॰) ने अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। बाद में इण्डियन एयर-लाइंस लि॰, एयर इण्डिया लिमिटेड, काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड और इण्डिया टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पो॰ लि॰ ने सेवानिवृत्ति की आयु को प्रत्यावर्तित करके 58 वर्ष कर दिया है। प्रत्यावर्तन के कारण हैं :-

अतिरिक्त/बेकार मानवशक्ति, रूग्णता, गिरती हुई वित्तीय स्थिति, मंजूरी की अधिक लागत, पुनर्निर्माण आदि।

(घ) से (छ) परामर्शदाताओं की नियुक्तियां सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उपक्रम के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता।

मछुआरों के लिए किरोसीन का कोटा

4225. श्री ए॰पी॰ अब्दुल्लाकुट्टी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आउटबोर्ड इंजिनों का प्रयोग करने वाले परम्परागत मछुआरों के लिए किरोसीन का कोटा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) मिट्टी का तेल आवंटन किया जाने वाला उत्पाद है। भारत सरकार वार्षिक आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन करती है और मासिक

आधार पर इसे रिलीज करती है। राज्य के अन्दर इसका वितरण करने को जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

राज्य के अन्दर मत्स्य क्षेत्र के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले मिट्टी के तेल के अलग आवंटन को मिट्टी के तेल के अपने समूचे आवंटन में हो इसे समायोजित करना होता है। फिलहाल केवल गुजरात राज्य को मत्स्य क्षेत्र के लिए मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन मिलता है जो उसके कुल मासिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन में से सरकार द्वारा विशेष रूप से चिह्नित किया गया है। मछुआरे अपनी नावों के लिए मिट्टी के तेल की आवश्यकता को सामानान्तर कारोबारियों आदि के माध्यम से पूरी कर सकते हैं।

सीमेंट क्षेत्र में वृद्धि

4226. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 की प्रथम छमाही में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वृद्धि को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा पिछले बजट में आवास तथा अवसरंचनात्मक सुविधा के क्षेत्रों के लिए अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध कराये गये हैं, जिनके फलस्वरूप सीमेंट उद्योग में वृद्धि हुई है। इन उपायों से सीमेंट की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है।

पंजीकरण और नवीकरण शुल्क

4227. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से मर्चेंट बैंकरों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी (एस॰ई॰बी॰आई॰) को पंजीकरण और नवीकरण शुल्क अदा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चूककर्ता मर्चेंट बैंकरों पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) मर्चेंट बैंकरों से बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार मर्चेंट बैंककारों की संख्या 1163 थी। बाद में उनकी संख्या में कमी हो गई तथा इस समय सेबी के पास 172 मर्चेंट बैंककार पंजीकृत हैं। अधिकांश मर्चेंट बैंककारों ने अपने मर्चेंट बैंकिंग कारोबार को बंद कर दिया तथा उन्होंने निम्नलिखित कारणों से शुल्क के भुगतान में चूक की :-

(i) मर्चेंट बैंककारों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी गतिविधियां करने से प्रतिषिद्ध करते हुए दिसम्बर, 1997 में सेबी (मर्चेंट बैंककार) नियम एवं विनियम में संशोधन।

(ii) 1996-99 की अवधि के दौरान प्राइमरी इश्युओं की संख्या में गिरावट जिसके परिणामस्वरूप उनके कारोबार बंद हो गए।

(ग) 30 नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार मर्चेंट बैंककारों से बकाया पंजीकरण/नवीकरण शुल्क के रूप में सेबी को 230.59 लाख रुपए की राशि संदेय थी।

(घ) सेबी ने शुल्क का भुगतान न करने वाले चूककर्ता मर्चेंट बैंककारों को नोटिस जारी किए तथा साथ ही 230 मर्चेंट बैंककारों के विरुद्ध जांच आरम्भ कर दी। जांच के अनुसरण में, 6 मर्चेंट बैंककारों के पंजीकरण रद्द कर दिए गए, 59 मर्चेंट बैंककारों को निलम्बित कर दिया गया तथा 12 मर्चेंट बैंककारों को चेतावनी पत्र जारी किए गए। सेबी द्वारा की गई कारवाई के परिणामस्वरूप, वर्ष 1999-2000 के दौरान 37.79 लाख रुपए की राशि तथा 1 अप्रैल—30 नवम्बर, 2000 की अवधि के दौरान 20.41 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, पंजीकरण हेतु आवेदनों पर विचार करते समय यह जांच की जाती है कि आवेदक कंपनी, इसके निदेशकों अथवा इसकी किसी संबद्ध कंपनी ने विगत में पंजीकरण शुल्क के भुगतान में कोई चूक न की हो।

इण्डिया मिलेनियम डिपाजिट बांड

4228. श्री वाई॰एस॰ विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशों में आई॰एस॰डी॰ बांडों की बिक्री करने के कार्य में सहायता करने वाली वित्तीय एजेन्सियों की कमीशन का भुगतान किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत के गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंक जिन्होंने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए इण्डिया मिलेनियम डिपाजिट बांडों के लिए विदेशी मुद्रा जुटाई थी, इससे प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय और विदेशी बैंकों को इण्डिया मिलेनियम डिपाजिट कार्यक्रम के अधीन भारत और विदेश दोनों में धनराशि जुटाने के लिए संग्रहण और प्रबन्धक बैंकों के रूप में नियुक्त किया था। संग्रहीत राशि का 0.25 प्रतिशत कमीशन के रूप में देय होता है। प्रबन्धक शुल्क निम्नानुसार देय होता है :-

प्राप्ति (अमरीकी डालर)	प्रबन्धक शुल्क
5 मिलियन अमरीकी डालर तक	0.05 प्रतिशत
5 मिलियन डालर से अधिक 25 मिलियन डालर तक	0.75 प्रतिशत
25 मिलियन डालर से अधिक 50 मिलियन डालर तक	1.00 प्रतिशत
50 मिलियन डालर से अधिक 100 मिलियन डालर तक	1.25 प्रतिशत
100 मिलियन डालर से अधिक	1.50 प्रतिशत

(ग) और (घ) भारतीय निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसे कार्यक्रमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुसार क्रमश: संग्रहीत और प्राप्त की गई राशियों पर निर्भर करते हुए कमीशन और प्रबन्धक शुल्क दिए जाने के पात्र हैं।

आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ की गैर-निष्पादक आस्तियां

4229. रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तरकार का ध्यान 28 नवम्बर, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ अन्डरटेट्स एनपीएज क्रेडिट लाओनेस–एक्चुअल फिगर में टच 26.4% एज अग्रेस्ट डिकलेअर्ड 9% इन 1999-2000" शक्ति से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसी कंपनियों को और अधिक ऋण देने के क्या कारण हैं, जो अपने पुराने ऋण चुकाने में असफल रही हैं;

(घ) क्या इस संबंध में जांच कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या आई.सी.आई.सी.आई. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा कीकी जांच के दायरे में आता है;

(च) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों और आई.सी.आई.सी.आई. की सांठ-गांठ समाप्त करने के लिए इसकी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा विशेष लेखा परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) आज की तारिख के अनुसार आई.सी.आई.सी.आई. गैर-निष्पादक आस्तियां कितनी हैं और कमजोर कंपनियों के ऋणपत्रों में निवेश करने के क्या कारण हैं तथा इनमें कंपनीवार कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ज) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आई.सी.आई.सी.आई. ने सूचित किया है कि वर्तमान समान्यतया मान्य लेखा परीक्षा सिद्धान्त (जीएएपी) के अंतर्गत 30 सितम्बर, 2000 को उसकी निबल अनुपयोज्य आस्तियां कुल ऋण आस्तियों का लगभग 7.3% यूएसजएएषी के अंतर्गत लगभग 5.9% थी तथा आई.सी.आई.सी.आई. भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार भारतीय जीएएपी के अंतर्गत सभी प्रावधान करता है।

आई.सी.आई.सी.आई. ने वृद्धिशील आस्ति की गुणवत्ता में सुधार करने और साथ ही पुनर्गठन और समझौते पर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से वर्तमान एनपीए की समस्या को हल करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। आई.सी.आई.सी.आई. ने परियोजना वित्त में उपयुक्त पुनर्गठन तंत्र के माध्यम से वृद्धिशील आस्ति की गुण्वत्ता में सुधार करने, कंपनी ऋणों के लिए अच्छी ख्याति वाले ग्राहकों पर ध्यान केन्द्रित करने और खुदरा आस्तियों का कार्य करने का प्रयास किया है। उत्कृष्ट कंपनियों करने के परिणामस्वरूप समग्र आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

(ङ) से (ज) आई.सी.आई.सी.आई. के वित्तपोषण का अधिकतर भाग डिबेंचरों के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, एक वित्तीय संस्थान के रूप में आई.सी.आई.सी.आई. कंपनियों को निधि प्रदान करने के लिए कई वित्तोयन लिखतों का प्रयोग करता है, जिसमें से एक अधिमान शेयर है। आई.सी.आई.सी.आई. ने कंपनियों के अधिमान शेयरों में किनवश किया है। परन्तु, यह कहना सही नहीं है कि अधिमान शेयरों और डिबेंचरों में आई.सी.आई.सी.आई. के कई निवेश अतिदेय ब्याज और मूलधन के रूपांतरण के कारण है।

चूंकि आई.सी.आई.सी.आई. लि. में सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नियमों/संस्थाओं की धारिता 51% से कम है, इसलिए सी ए जी की लेखा परीक्षा आई.सी.आई.सी.आई. लि. पर लागू नहीं है।

चावल की खरीद

4230. श्री जे॰एस॰ बराड़ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चावल की खरीद के लिए प्रतिवर्ष विनिर्देश निर्धारित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चावल के लिए विशेष विनिर्देश निर्धारित करने में क्या विशेष मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(घ) चावल के लिए विशेष विनिर्देशों को प्रतिवर्ष बदलने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केंद्रीय पूल के लिए चावल सहित खाद्यान्नों की वसूली की एक समान विनिर्दिष्टियों (उचित औसत किस्म मानक) का निर्धारण सरकार द्वारा विपणन मौसम शुरू होने से पहले किया जाता है ताकि सभी वसूली एजेंसियां इसे एक समान रूप से स्वीकार कर सकें। ऐसा वसूली और उपभोक्ता राज्यों के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम के साथ परामर्श करते हुए, मौसम और फसल परिस्थितियों, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानदंडों आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। चूंकि मौसम और फसल परिस्थितियों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाता है इसलिए विपणन मौसम के लिए विनिर्दिष्टियों का निर्धारण किया जाता है।

भारत पर सोवियत ऋण

4231. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में रूसी राष्ट्रपति की भारत की यात्रा के दौरान भारत पर सोवियत ऋण के प्रश्न पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन सुनिश्चित मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा हुई; और

(ग) आज को स्थिति के अनुसार कुल कितना ऋण बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) रूसी संघ के राष्ट्रपति के साथ विचार-विमर्श के दौरान वापसी भुगतान के जरिए व्यापार और आर्थिक सहयोग के प्रश्न पर चर्चा की गई थी।

(ग) इस समय "भारत पर रूसी ऋण का भार" लगभग 18,683 करोड़ रुपए है।

वनस्पति का उत्पादन और खपत

4232. **श्री वैको:**
डा० सी० कृष्णन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में वनस्पति का कितना उत्पादन और खपत हुई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में वनस्पति का आयात किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वनस्पति का उत्पादन निम्नानुसार हुआ है:-

वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	वनस्पति का उत्पादन (लाख टन में)
1997-98	10.07
1998-99	13.31
1999-2000	14.00 (अनंतिम)

उत्पादित वनस्पति को खपत हुई वनस्पति समझा जा सकता है।

(ख) आयातित वनस्पति की मात्रा के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपाल से आयात की गई वनस्पति की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार रही है:-

वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	आयातित वनस्पति (हजार टन में)
1997-98	53.90
1998-99	67.13
1999-2000	84.54

छोटे निवेशक संबंधी समिति

4233. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विधि विद्यालय, बंगलौर के डा० मित्रा की अध्यक्षता में छोटे निवेशकों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंप देगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वित्त मंत्रालय के सुझाव पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राष्ट्रीय विधि विद्यालय, बंगलौर के पूर्व प्रधानाचार्य प्रो॰ एन॰ एल॰ मित्रा से एक अध्ययन करने एवं निवेशक संरक्षण हेतु कानून का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया था।

(ख) इस अध्ययन के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्यमान कानून कि तुलना में निवेश-संरक्षण के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता की जांच करना, निवेशक-संरक्षण के लिए विनियामक प्राधिकारी हेतु आवश्यक उपबंधों/शक्तियों का पता लगाना; इस बात की जांच करना कि क्या विनियामक के पास कतिपय परिस्थितियों के तहत निर्गमों को प्रतिषिद्ध करके पूंजी बाजार तक पहुंच को सीमित करने का अधिकार होना चाहिए; अनुचित अनुलाभों से रोकने एवं परिसंपत्तियों की समाप्ति एवं निधियों के रिक्त होने के प्रति सुरक्षा हेतु प्रावधानों पर विचार करना; कंपनी/इसके निदेशकों से धनराशि की वसूली और व्यथित निवेशकों की प्रतिपूर्ति के उपबंधों का पता लगाना, निवेशकों के लिए विद्यमान शिकायत-निराकरण प्रणाली की जांच आदि शामिल हैं।

(ग) प्रो॰ मित्रा से अध्ययन पूरा करने और यथाशीघ्र रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

संत लाल दास पर धरावाहिक

4234. डा॰ जसवंत सिंह यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संत लाल दास और गोरखनाथ पर बनाए जा रहे टी॰ वी॰ धारावाहिक की अलवर में शूटिंग करने अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धरावाहिक का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा और इसे टी॰ वी॰ पर कब तक प्रसारित कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बंगलादेश से एक समान मुद्रा अपनाने हेतु प्रस्ताव

4235. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बंगलादेश से एक समान मुद्रा अपनाने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नही अठता।

औरंगाबाद आकाशवाणी स्टेशन का उन्नयन

4236. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औरंगाबाद के आकाशवाणी स्टेशन के वर्तमान एक किलो मेगावाट के ट्रांसमीटर को बदलकर उसके स्थान पर 10 किलो मेगावाट का ट्रांसमीटर लगाकर उसका उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आकाशवाणी औरंगाबाद के वर्तमान ट्रांसमीटर को कब तक बदल दिया जायगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आकाशवाणी, औरंगाबाद स्थित मौजूदा 1 कि॰ वा॰ मी॰ वाड ट्रांसमीटर के स्थान पर 2001-02 तक एक 10 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का विचार है बशर्ते धनराशि और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

राज्य भंडारण नियम को भुगतान

4237. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम और रेल विभाग दोनों ने ही खाद्य वस्तुओं के भंडारण और परिवहन हेतु वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाए हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश के राज्य भंडारण निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ग) क्या परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान के कारण भारतीय खाद्य निगम ने राज्य भंडारण निगम को 3.5 करोड़ रुपये का भुगतान रोक दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य भंडारण निगम ने जब तक उसे भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसका भंडार जारी करने पर रोक लगा दी है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को आन्ध्र प्रदेश भंडारण निगम का बकाया भुगतान तुरंत करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) भारतीय खाद्य निगम और रेलवे स्टॉक के भण्डारण और परिवहन के लिए वैज्ञानिक विधियां अपनाते हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को आन्ध्र प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें खाद्यान्नों के अवैज्ञानिक भण्डारण और परिवहन के परिणामस्वरूप उसे हानि वहन करनी पड़ी हो।

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा दुलाई किये गये खाद्यान्नों के स्टॉक में पाई गई कमियों के कारण भारतीय खाद्य निगम ने 1.40 करोड़ रुपये की राशि रोक ली है।

(घ) अगस्त, 2000 में आन्ध्र प्रदेश राज्य भण्डारण निगम ने भारतीय खाद्य निगम को स्टॉक रिलीज करना रोक दिया था लेकिन नवम्बर, 2000 में इसे बहाल कर दिया गया था।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम और आन्ध्र प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के बीच खाद्यान्नों के भण्डारण से दावे और प्रति दावे उत्पन्न होना एक सतत् प्रक्रिया है। आन्ध्र प्रदेश राज्य भण्डारण निगम को देय सभी बकाया समय रहते आवधिक रूप रिलीज किये जा रहे हैं। इन विवादों का निपटान करने के लिए क्षेत्रीय और आंचलिक स्तर आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[हिन्दी]

एन०आर०एफ० के अन्तर्गत सहायता

4238. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान आज तक किन-किन राज्यों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष द्वारा वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) ऐसे प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नवीनकरण निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों से चालू वर्ष के दौरान इस विभाग में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

क्र. सं.	राज्य सरकार/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	एन आर एफ से प्रार्थित सहायता (रु. लाख में)
1.	असम सरकार	
(i)	असम एग्रो इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	786.00
(ii)	असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन	5500.00
(iii)	असम स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल लि.	184.67
2.	त्रिपुरा सरकार	
(i)	त्रिपुरा जूट मिल्स लि.	1371.00
(ii)	त्रिपुरा स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि.	39.00

राष्ट्रीय नवीकरण निधि को दिनांक 12.07.2000 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों को इस स्थिति के बारे में सूचना दे दी गयी है।

[अनुवाद]

निजी मिलों को चावल खरीदने की अनुमति देना

4239. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से निजी मिलों और निर्यातकों को चावल की खरीद और देश से बाहर बिक्री हेतु वही प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया गया है जो सरकारी एजेंसियों को दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अनुरोध किया है कि चूंकि भारत सरकार कुछेक प्रोत्साहन प्रदान कर चावल की खरीद करने और देश से बाहर उसका निर्यात करने के लिए सरकारी एजेंसियों को अनुमति देने पर विचार कर रही है इसलिए कुछेक निजी मिलों और निर्यातकों को भी उसी प्रकार के प्रोत्साहनों के साथ, जैसे कि सरकारी एजेंसियों को प्रदान किए जा रहे हैं, इस जिम्मेवारी को उठाने की अनुमति प्रदान की जाए।

(ग) सरकारी एजेंसियों को उन्हें कुछ प्रोत्साहन देकर चावल का निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बच्चों और युवाओं के लिए फिल्मों हेतु राष्ट्रीय केन्द्र को जमीन देना

4240. **श्री राजैया मल्याला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बच्चों और युवाओं के लिए फिल्मों हेतु राष्ट्रीय केन्द्र को 10 एकड़ जमीन नि:शुल्क आबंटित की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त जमीन का कब्जा लेकर उस पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य हेतु नौवीं पचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कब तक शुरू हो जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने शुरू में मूलत: राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र जो अब बाल चलचित्र समिति, भारत के रूप में जाना जाता है, को जुबली हिल्स, हैदराबाद में दस एकड़ भूमि आवंटित की थी जिसका कब्जा बाल चलचित्र समिति, भारत को सितम्बर, 1997 में दिया गया था। तथापि, भूमि उपयुक्त न होने के कारण परिसर पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका और भूमि वापस कर दी गई इसके बाद नवम्बर, 2000 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जुबली हिल्स, हैदराबाद में दस एकड़ दूसरी भूमि प्रस्तावित परिसर के लिए आवंटित कर दी है।

स्वर्ण जयंती बाल चलचित्र परिषद हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना में 8 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। विभिन्न एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/मंजूरी प्राप्त होने के तत्काल बाद परिसर पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को अन्यत्र भेजना

4241. **श्री सुरेश चन्देल:**
श्री महेश्वर सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** दिनांक 28.7.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 997 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ निजी पार्टियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध राजसहायता प्राप्त वस्तुओं को खुले बाजार में बेचने के मामले में लिप्त होने के कारण मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खुले बाजार में बेची गई ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। जैसाकि भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में 23 निजी व्यक्ति, 6 राज्य सरकार के कर्मचारी और 5 भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी राजसहायता प्राप्त मदों को खुले बाजार में बेचने में शामिल पाए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार उन कर्मचारियों, जिनके लिए अभियोजन आदेश की मांग की गई है, को चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्रा विपथन करने की तथाकथित योजना (रेकेट) में उनके शामिल होने के लिए उन्हें दोषी पाया गया है:-

गेहूं	1430 बोरियां	=	1354.10 क्विंटल
चावल	1600 बारियां	=	1457.25 क्विंटल

नाबार्ड का इक्विटी आधार

4242. **श्री ए० ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाबार्ड की मौजूदा इक्विटी कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार नाबार्ड के इक्विटी आधार में बढ़ोत्तरी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या करण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की वर्तमान इक्विटी 500 करोड़ रुपए है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार का अंशदान समान अनुपात में है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक और

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में संशोधन होने तक "पूंजी की और अग्रिम" के रूप में और 1500/- करोड़ रुपए का अंशदान कर दिया है।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रपति कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 5000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार का एक संशोधन विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश करने का प्रस्ताव है। नाबार्ड के इक्विटी आधार को बढ़ाने का मुख्य कारण नाबार्ड को इतना सामर्थ बनाना है जिससे कि वह अपनी भूमिका और कार्यों को प्रभावी ढंग से निभा सके।

बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा

4243. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीमा क्षेत्र में व्यापक बीमा योजनाओं/सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बीमा कम्पनियों ने बीमा क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बीमा क्षेत्र को खोलने का एक मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को उत्पादों और सुविधाओं का अपेक्षाकृत व्यापक क्षेत्र मुहैया कराना है। बीमा कम्पनियां कानूनी प्रावधानों के अनुसार बाजार की जरूरतें को देखते हुए नए उत्पाद तैयार करने और उनका विपणन करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

(ग) सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, प्रौद्योगिक का उन्नयन करना, प्रशिक्षण के जरिए मानव संसाधनों का विकास, खर्च में कमी करना, उत्पादकता से सम्बद्ध प्रोत्साहन देना और दावों का शीघ्र निपटान करना जैसे उपाय शामिल हैं।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य

4244. श्रीमती निवेदिता माने : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विदेशी निवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत छह माह से विदेशी निवेश के कितने प्रस्ताव सरकार की अनुमति हेतु विचाराधीन हैं और तत्संबंधी कम्पनी-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन प्रस्तावों के लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण) : (क) से (ग) सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ॰डी॰आई॰) हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, तथापि, सरकार ने अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को उदार बना दिया है जिसके द्वारा एक संक्षिप्त निषेद्ध सूची को छोड़कर लगभग सभी कार्यकलापों को स्वत: मार्ग के अंतर्गत रख दिया है।

(घ) से (च) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रस्तावों का निपटान करना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें प्रस्तावों का निपटान प्रशासनिक मंत्रालयों की टिपपणियों के आधार पर और क्षेत्रीय निति के अनुसार किया जाता है। कुल 23 प्रस्ताव जिनके संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं अथवा जिनके संबंध में नीतिगत सीमाएं हैं वे प्रस्तावों के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ॰आई॰पी॰बी॰) द्वारा निपटान किया जाना प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

असम में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

4245. श्री एम॰के॰ सुब्बा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम कितनी प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचते हैं;

(ख) असम में दूरदर्शन और आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र कौन कौन से हैं; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत असम की आदिवासी जनसंख्या सहित पूरी जनसंख्या तक इन संचार सुविधाओं को पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आकाशवाणी द्वारा असम के 94.22% क्षेत्र और 97.50% जनसंख्या को कवर किए जाने का अनुमान है जबकि दूरदर्शन द्वारा 74.6% क्षेत्र और 82.8% जनसंख्या सीमावर्ती कवरेज सहित, को कवर किया जाता है।

(ख) इस समय असम में 10 आकाशवाणी केन्द्र और भिन्न-भिन्न क्षमता के 28 दूरदर्शन ट्रान्समीटर कार्य कर रहे हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सिलचर स्थित 10 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर को 20 कि०वा०मी०वे० ट्रान्समीटर में उन्नयित किया जा रहा है। इस परियोजना को 2000-01 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त सिलचर और गुवाहाटी स्थित उच्च शक्ति ट्रान्समीटर (डीडी-2) तथा डिब्रुगढ़ (डीडी-II), गोहपुर (डीडी-I) एवं बोकाखाट (डीडी-1) में स्थित अल्प शक्ति ट्रान्समीटरों को 9वीं योजना अवधि के दौरान असम में पहले ही चालू कर दिया गया है। गुवाहाटी में एक ट्रान्सपोजर (डीडी-1) कार्यान्वयनाधीन है जिसके 2001 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

बाजार विकास सहायता/निर्यात विकास निधि

4246. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए विकास संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने हेतु बाजार विकास सहायता योजना/निर्यात विकास निधि का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना/निधि को कार्यशील बनाने संबंधी कार्यवधि क्या है;

(ग) इससे देश में राज्य-वार कितने निर्यात/व्यापारिक घरानों को लाभ मिला है;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रत्येक एजेंसी को प्रतिवर्ष कितनी राशि वितरित की गई; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान इन निर्यात/व्यापारिक घरानों को कितना लाभ मिला है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय उत्पादों के निर्यातों के संवर्धन के लिए विकास क्रियाकलापों को सुकर बनाने हेतु निम्नलिखित क्रियाकलाप बाजार विकास सहायता योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं :-

(i) बिक्री-सह-अध्ययन दौरों व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी और विज्ञापन एवं प्रचार के तहत भारत से अलग-अलग निर्यातकों द्वारा विदेशों में बाजार विकास व्यय में रियायत देना।

(ii) भारतीय उत्पादों और मदों के निर्यात के लिए विकास और संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए मान्यताप्राप्त निर्यात संवर्धन परिषदों को सहायता देना, विदेशों में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और पाटनरोधी शुल्क संबंधी मामलों को लड़ना।

(iii) कोई अन्य विकासात्मक अथवा संवर्धनात्मक क्रियाकलाप, जिसे भारतीय उत्पादों और मदों का निर्यात बढ़ाने के योग्य समझा जाता है।

(ग) से (ङ) बाजार विकास सहायता राष्ट्रीय आधार पर विशेष उत्पाद समूहों के आधार पर स्वीकृत अनुदानग्राही संगठनों के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। मान्यताप्राप्त निर्यात/व्यापार घराने उक्त सहायता भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फिओ), जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, के जरिए प्राप्त करते हैं और अन्य निर्यातक उक्त सहायता निर्यात संवर्धन परिषदों, जिनके पास वे सदस्यों के रूप में पंजीकृत होते हैं, के परिए प्राप्त करते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार लाभान्वित हुए निर्यात/व्यापार घरानों की संख्या और फिओ द्वारा उन्हें वितरित की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

यद्यपि भारतीय उत्पादों और वस्तुओं के निर्यातों की वृद्धि पर इस प्रकार की सहायता के सही-सही प्रभाव का पता लगाना कठिन है क्योंकि निर्यातों में वृद्धि अनेक कारकों पर निर्भर होती है तथापि प्राप्त जानकारी से यह संकेत मिलना है कि यह विदेशों में भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजारों और विपणन के अवसरों का पता लगाने में अत्यधिक उपयोगी है।

विवरण

राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
	वितरित राशि (रुपए)	लाभान्वित निर्यात/ व्यापार घरानों की संख्या	वितरित राशि (रुपए)	लाभान्वित निर्यात/ व्यापार घरानों की संख्या	वितरित राशि (रुपए)	लाभान्वित निर्यात/ व्यापार घरानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	75125	1	—	—	50000	1
दिल्ली	6407679	77	10366323	91	3312493	48
गुजरात	218775	4	84410	2	150000	3

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	548687	8	952756	5	170000	2
जम्मू एवं कश्मीर	66512	1	34239	1	—	—
कर्नाटक	461292	7	41098	1	100000	2
केरल	642542	6	1632386	11	278577	3
मध्य प्रदेश	—	—	—	—	212199	2
महाराष्ट्र	3877185	44	7016052	71	2735976	42
पांडिचेरी	84274	1	—	—	98106	1
पंजाब	2604757	18	3736963	28	1533408	14
राजस्थान	1329872	14	4178802	25	376843	5
तमिलनाडु	1490056	13	1769839	24	661165	9
उत्तर प्रदेश	6553617	51	8219747	67	2283993	28
पश्चिम बंगाल	732433	10	2474693	20	422390	7

उच्च शिक्षा हेतु ऋण

4247. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **वित्त मंत्री** 1 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2167 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य, विशेषत: महाराष्ट्र में बैंक-वार कितने छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण देने के लिए चुना गया;

(ख) उन्हें बैंक-वार कितनी राशि का ऋण दिया गया;

(ग) ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों ने पात्रता संबंधी क्या शर्तें निर्धारित की हैं; और

(घ) कौन-कौन से पाठ्यक्रमों के लिए ऋण दिया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शिक्षा के लिए बकाया ऋण के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समय-समय पर जारी अपने नीतिगत मार्गनिर्देशों के तहत भारत में उच्च शिक्षा हेतु जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण देने की अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार की हैं। ऐसे सभी छात्र, जो लाभदायक रोजगार में नहीं हैं और जिनका किसी सामान्य, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में चयन हो गया है, इस योजना के तहत पात्र हैं।

इन योजनाओं के तहत ऋण बैंकों द्वारा योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अध्यधीन मंजूर किए जाते हैं। योजना के तहत संकायों में पाठ्यक्रमों के नाम हैं:- इंजीनियरी, कृषि, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, चिकित्सा-शास्त्र, शल्य चिकित्या, वाणिज्य, विधि, औद्योगिक एवं व्यवसाय प्रबंध का प्रशासनिक एवं व्यावसायिक परीक्षाएं जैसे सनदी लेखा शास्त्र (चार्टर्ड एकाउन्टैन्सी) और चार्टर्ड सेक्रेटरीज, आदि।

विवरण

मार्च 1997, 1998 और 1999 को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए बकाया शैक्षणिक ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	वर्ष					
	1997		1998		1999	
	खातों की संख्या	बाकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	10684	52.31	12237	68.60	13783	84.29
असम	180	0.65	143	0.60	137	0.69
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	7	0.56
बिहार	39348	32.20	669	3.07	733	4.71
गोवा	136	0.67	181	1.17	172	1.32
गुजरात	2325	8.18	1570	7.20	1852	10.21
हरियाणा	385	1.24	524	2.28	506	3.02
हिमाचल प्रदेश	111	0.29	155	0.45	151	0.76
जम्मू एवं कश्मीर	69	0.19	46	0.19	37	0.28
कर्नाटक	17542	63.09	19210	83.60	18050	102.48
केरल	8983	20.25	5979	24.20	7670	32.22
मध्य प्रदेश	622	2.20	616	3.39	891	5.10
महाराष्ट्र	12068	31.47	11652	43.78	71835	110.33
मणिपुर	–	–	–	–	5	0.02
मेघालय	11	0.05	14	0.04	16	0.07
मिजोरम	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	42	0.08	2	0.01	4	0.04
उड़ीसा	1097	2.46	8813	5.83	1262	6.92
पंजाब	446	2.01	437	2.24	561	4.38
राजस्थान	683	1.85	469	1.55	1069	2.62
सिक्किम	12	0.02	2	0.01	–	–
तमिलनाडु	16221	50.81	16349	63.72	15478	70.79

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	14	0.03	14	0.03	13	0.02
उत्तर प्रदेश	1276	5.18	1222	6.68	754	11.72
पं॰ बंगाल	820	3.31	966	4.88	1068	7.37
अंडमान एवं निकोबार	9	0.02	10	0.02	13	0.03
चंडीगढ़	111	0.81	140	1.24	129	1.74
दादर एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	1662	6.73	1722	14.21	736	12.27
दमन एवं दीव	3	0.02	—	—	—	—
लक्षद्वीप	--	—	—	—	—	—
पाण्डिचेरी	248	0.54	244	0.89	374	0.70

[हिन्दी]

संगीत दलों को सहायता

4248. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में अच्छे कार्यक्रम आयोजित कर देश की अच्छी छवि बनाने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए नृत्य नाटक एवं संगीत दलों की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूचिबद्ध दलों को कार्यक्रम, आदि तैयार करने के लिए भारतीय राजदूतों के माध्यम से कोई सहायता पहुंचाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन गीत और नाटक प्रभाग न तो नृत्य, नाटक के क्षेत्र में कलाकारों को सूचीबद्ध करता है और न ही विदेश में प्रदर्शन के लिए संगीत टोलियों को सूचीबद्ध करता है। यह कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए भारतीय दूतावास के जरिए सहायता की व्यवस्था नहीं करता है। विदेश मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, नृत्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में कलाकारों/टोलियों के संदर्भ पैनल तैयार करता है जिन पर विदेशी दौरों के लिए विचार किया जा सके। ऐसे कलाकारों/टोलियों की एक सूची जिन्हें चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा प्रायोजित किया गया है/प्रायोजित किया जाता रहा है, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नृत्य, नाटक, संगीत आदि के क्षेत्र में कलाकारों/टोलियों के नामों को दर्शाने वाली सूची जिन्होंने चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक समबन्ध परिषद द्वारा प्रायोजित किए गए हैं/प्रायोजित किए जाते रहे हैं

क्र.सं.	देश	टोली का नाम	अवधि	दौरे का विवरण
1	2	3	4	5
1.	वेनेजुएला कोलम्बिया ब्राजील	कथकली ग्रुप ऑफ इन्टरनेशनल सेन्टर फार कथकली-* 12, दिल्ली	1 अप्रैल-4 मई 2000	कोलम्बिया में बेन्नियाल आईबेरो अमेरिका समारोह के सातवें संसकरण और कराकास में 12वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह में भाग लेने के लिए।

1	2	3	4	5
2.	इन्डोनेशिया उत्तरी कोरिया चीन, मलेशिया	10 मेम्बर भरतनाट्यम डांस ग्रुप ऑफ मिस जयलक्ष्मी ईश्वर दिल्ली	8 अप्रैल-1 मई, 2000	प्योंग यांग में बसंतऋतु कलाओं एवं अन्य देशों में निष्पादन करने के लिए भाग लेने हेतु।
3.	यू०एस०ए०	•डा० एम० बालामुरली कृष्ण (कर्नाटक वोकल) *5, चेन्नई	20 अप्रैल-30 अप्रैल, 2000	त्यागराज संगीत समारोह में भाग लेने हेतु।
4.	यू०एस०ए०	•मिस अश्वनी भिडे (वोकल)* 3, मुम्बई	4 अप्रैल-24 मई, 2000	यू०एस० यूनिवर्सिटी सर्किट पर संगीत गोष्ठी के लिए प्रो० दीक्षित के आमंत्रण पर यू०एस०ए० के दौरा।
5.	इजरायल	12 मेम्बर गुजराती फोल्क डांस ग्रुप ऑफ हलर लोक कला मण्डल, रामनगर * 12	1-10 मई, 2000	आई०टी०पी०ओ० द्वारा आयोजित भारतीय व्यापार मेले के साथ-साथ ''इंडिया वीक'' में भाग लेने हेतु।
6.	यू०एस०ए०	10 मेम्बर पुंग ढोल चोलम ग्रुज ऑफ जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस अकादमी फॉर परफॉरमिंग आर्टस इम्फाल	4-30 मई, 2000	3-14 मई के बीच मेम्मफिस में मई, 2000 समारोह में और यू०एस०ए० के अन्य शहरों में निष्पादन के लिए भाग लेने हेतु।
7.	मिनिडाड एवं टोबागो	मिस दीपा राघवन (भारतनाट्यम)*-1	17-31 मई, 2000	भारतीय समारोह में भाग लेने हेतु।
8.	चीन	••डॉ० एल० सुब्रमणियम (वायलिन)* 11	24 मई-5, जून-2000	मई, 2000 में चीन की भारत के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान भारत और चीन गणराज्य के लोगों के बीच राजनयिक सम्बन्ध की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव हेतु।
9.	सिंगापुर	12 मेम्बर चारकुला नृत्य आवास बृज गीत मंच लेड बाई श्री मुरारली लाल, शर्मा, यू०पी०	30 मई-5 जून, 2000	सिंगापुर की राष्ट्रीय कला परिषद नाक द्वारा आयोजित किए गए सिंगापुर कला समारोह 2000 में भाग लेने हेतु।
10.	जर्मनी ब्रातसिलवा	मिस प्रगति सूद (कथक)* 5, दिल्ली	2 जून-23, जून	हन्नोवेर एक्स एवं क्षेत्र में भारतीय पॉविलियन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में निष्पादन करने हेतु।
11.	दक्षिण कोरिया मलेशिया	•श्री अम्मन्नूर छकयार मधोम केरल * 6 का नतनाकैराली से कुंडियान्तम नृत्य समूह	7 जून-20 जून	कोरिया राष्ट्र अकल विश्वविद्यालय नृत्य स्कूल के आमंत्रण पर भाग लेना।
12.	पोलैण्ड यू०के० मोरक्को	सुश्री सरन रानी बकलीवाल (सरोद) * 4, दिल्ली	11-28 जून 2000	14वां अन्तर्राष्ट्रीय आर्गन एंड चैम्पर संगीत समारोह, कोलोजको-2000 में भाग लेना और क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रस्तुति।

1	2	3	4	5
13.	मोरक्को मिस्र	रहमत खान लंगा, (राजस्थानी लोक गायक)* 6 दिल्ली	15-25 जून, 2000	मरक्का में राष्ट्रीय पापुलर आर्ट ऑफ फेस्टिवल में भाग लेना।
14.	यू॰के॰ हंगरी बोस्निया एवं हरजेगोविना पोलैण्ड, फ्रांस	सुश्री कौशल्या रेड्डी* 6, दिल्ली के कुचिपुड़ी नृत्य समूह नेतृत्व में	23 जून-16 जुलाई-2000	बुडापेस्ट फेयरवेल समारोह, 2000 एवं बी॰यू॰सी॰एस॰यू॰ समारोह में भाग लेना और क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रस्तुति।
15.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री प्रियदर्शनी गोविन्द* 5, चेन्नई का भरतनाट्यम नृत्य समूह।	24 जून, 12 2000	''ग्राम टाउन'' समारोह में भाग लेना और क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रस्तुति।
16.	पोलैण्ड जर्मनी	सुश्री प्रीति पटेल* 9 कलकत्ता के नेतृत्व में ''अंजिका'' मणिपुरी नृत्य समूह	8 जुलाई-3 अगस्त, 2000	कराकाऊ समारोह में भाग लेना हनओवर एक्सपो स्थित भारतीय पवैलियन में प्रदर्शन करना।
17.	यू॰एस॰ए॰	*लिल्लेते दुबे* 6, मुम्बई द्वारा संचालित प्राइम टाइम थियेटर ग्रुप	13 जुलाई-2 अगस्त, 2000	न्यूयार्क और यू॰एस॰ए॰ के अन्य शहरों में डॉन्स लाइक ए मैन के शो का प्रदर्शन करने के लिए।
18.	कनाडा यू॰एस॰ए॰	*सुश्री सुलाण तालुक्दार (ओड़िशी)* 5, कलकत्ता	25 जुलाई-27 सितम्बर	इंडो अमेरिकन एसोसिएशन, टेक्सॉस के आमंत्रण में हॉस्टन में और इस क्षेत्र में कार्यक्रम देना।
19.	केन्या तंजानिया जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका मदगास्कर मॉरिशस सिसलीज	राजकी पुरण नाथ सपेरा एक्स 10 का राजस्थानी लोक नृत्य ग्रुप	4 अगस्त-4 सितम्बर, 2000	कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए।
20.	म्यांमार लाहौस मलेशिया सिंगापुर फिलिपिन्स	श्री इदागुन्जी महागणपती यक्षगणी मण्डली केरैमैन एक्स 10 कर्नाटक लोक नृत्य ग्रुप	13-29 अगस्त, 2000	भारत की स्वतंत्रता दिवस समारोहों और अन्य कार्यक्रमों के अवसर पर कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए।
21.	यू॰के॰	*सुश्री रोशन दाते (कथक) एक्स 1 पुणे (टी॰जी॰)	16 अगस्त-17 सितम्बर, 2000	परियोजन ''नवग्रह'' नीलमणि कथक केन्द्र-लिसेस्टर, यू॰के॰ में भारतीय शास्त्री नृत्य केन्द्र के आमंत्रण में शहस्राब्दी में दिवाली के समारोह में भाग लेने के लिए।
22.	मिश्र तुर्की	श्री आत्मजीत सिंह एक्स 12 द्वारा संचालित सीजीएच पुलिस सांस्कृतिक क्लब।	22 अगस्त-20 सित॰, 2000	कैरो में ''इस्लामिक इंटरनेशनल लोकगीत समारोह'' में भाग लेने के लिए।

1	2	3	4	5
23. से 25.	उजबेकिस्तान किर्गीस्तान तुर्कमेनिस्तान	**(1) श्री राजेन्द्र प्रसन्ना (शहनाई और बांसुरी) एक्स 4, दिल्ली (2) सुश्री मंजरी चतुर्वेदी (सुफी गायन के लिए कथक) एक्स 10 (3) श्री तहल सिंह पंजाब द्वारा संचालित 10-सदस्यीय भांगड़ा/गिध्धा ग्रुप ''रांगला'' पंजाब सांस्कृतिक युग क्लब	26 अगस्त-10 सि॰, 2000	ओश शहर की 3000वीं वर्षगांठ के समारोह के अनुरूप कार्यक्रम का प्रदर्शन और तुर्कमेनिस्तान बैरमखां की 500वीं वर्षगांठ के संबंध में सांस्कृतिक समारोह ''डेज ऑफ इंडियन कल्चर इन तुर्कमेनिस्तान'' में भाग लेने के लिए।
26.	जर्मनी जैक-रिपब्लिक ईटली हंगरी स्पेन	सुश्री मीरा दास (ओडिशी) एक्स 52, उड़ीसा	1 सितम्बर-4 अक्टूबर, 2000	कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए।
27.	सऊदी अरब सीरिया कातर कुवैत संयुक्त अरब अमीरात	सुश्री किरण सेहगल (ओडिशी) एक्स 5, दिल्ली	2 सितम्बर-20 सित॰, 2000	कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए।
28.	यू॰एस॰ए॰	* सुश्री पद्मा तलवारकर (वोकल) एक्स 3	5 सितम्बर-24 अक्टूबर, 2000	यू॰एस॰ यूनिवर्सिटी सर्किट पर कार्यक्रम के लिए प्रो॰ दीक्षित के आमंत्रण पर यू॰एस॰ए॰ का दौरा।
29.	श्रीलंका	सुश्री लक्ष्मी विश्वनाथन एक्स 12 द्वारा संचालित भरतनाट्यम बैलेट ग्रुप	14-21 सितम्बर, 2000	कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए।
30.	यू॰एस॰ए॰	* श्री टी॰के॰एस॰ स्वामीनाथन और सुश्री टी॰के॰एस॰ मीनाक्षी सुंदरम नाशस्वरम एक्स 5 चेन्नई	15 सितम्बर-24 सित॰, 2000	वेसबियॉन यूनिवर्सिटी संगीत विभाग द्वारा आयोजित की जा रही नई सहस्राब्दी के लिए भारतीय नृत्य और संगीत के नवरात्रि समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
31.	यू॰ एस॰ ए॰	** श्री रतन शियाम एक्स 7 इम्फाल द्वारा संचालित कंटेमवररी थियेटर	17 सित॰-30 अक्टूबर, 2000	''उत्तरा प्रियदर्शनी'' के कार्यक्रम के लिए एशिया सोसायटी, न्यूयार्क से प्राप्त आमंत्रण।
32.	फिनलैण्ड जर्मनी आयरलैण्ड स्पेन हंगरी	कोहिनूर लांगा (राजस्थानी लोक नृत्य ग्रुप) एक्स 10	21 सित॰-4 नवम्बर, 2000	हेलसिंकी समारोह-2000 में भाग लेना और इस क्षेत्र में कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए।

1	2	3	4	5
33.	जर्मनी	जया रामा राव और वनश्री राव (कुचिपूडी) एक्स 6	22 सित०-13 अक्टूबर, 2000	डिग चैन टूर के लिए कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए।
34.	इराक मिस्र अजरबैजान तुर्की	सुश्री अलोका कानूनगो (ओडिशी) एक्स 5	22 सित०-4 अक्टूबर, 2000	सीरिया में ''बोसरा समारोह'' और इराक में ''बेबीलॉन समारोह'' में भाग लेने के लिए।
35.	बंगलादेश	कृष्ण मोहन और सुश्री वास्वती मिश्र द्वारा संचालित ''धावनी'' कथक नृत्य ग्रुप	24–29 सितम्बर, 2000	संगीत और नृत्य में भाग लेने के लिए।
36.	यू०एस०ए०	*गुरु केलुचरण महापात्र एक्स 4 उड़ीसा द्वारा संचालित ''सर्जन'' ओडिशी नृत्य ग्रुप	26 सित०-26 नव०, 2000	साऊथ एशिया कला केन्द्र, पालो आल्टो, केलिफोर्निया, यू०एस०ए० के आमंत्रण पर कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए।
37.	मेक्सिको	सचिन शंकर बैल्लेट एक्स 12, मुम्बई	1-18 अक्टूबर, 2000	सर्वनटिनो समारोह में भाग लेना और अन्य शहरों में कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए।
38.	नीदरलैण्ड	* लालगुडी सीजेआर कृष्णन (वायलिन) एक्स 4 चेन्नई (टी०जी०)	6-15 अक्टूबर, 2000	रॉयल ट्रॉपिकल संस्थान के आमंत्रण पर कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए।
39.	बहरीन सऊदी अरबिया दुबई कुवैत आबूधाबी कतर ईरान	(1) श्री विकास गुप्ता (सितार और सुरबहार) एक्स 3	7-26 अक्टूबर, 2000	बहरीन में संगीत समारोह में भाग लेने के लिए।
40.	ट्रिनिडाड और टोबेगो सूरीनाम् किंगस्टन	शर्मा बंधु (भजन गायक)* 6 ऊफ्र	17 अक्टू०-06 नव० 2000	दीवाली के समय पर कार्यक्रम।
41.	तुर्की, सीरिया, मिश्र, दुबई	कडगम/डमी हॉर्स फॉक ग्रूफ (चेन्नई)* 10	21 अक्टू-11 नव० 2000	कार्यक्रम देने के लिए।
42.	मॉरीशय, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया	अग्निहोत्री बंधू (भजन)* 6 लखनऊ	25 अक्टू-18 नव० 2000	कार्यक्रम देने के लिए।
43.	वियतनाम, लाओस	**माधवी मुदगल (ओडिसी)* 15	5-11 नव०, 2000	कार्यक्रम देने के लिए।
44.	पाकिस्तान	हरजी भट्ट और पार्टी* 5 (कठपुतली थिएटर), राजस्थान	10-21 नव०, 2000	रफी पीर के आमंत्रण पर पांचवें अंतराष्ट्रीय समारोह में भाग लेने के लिए।

1	2	3	4	5
45.	म्यांमार, मलेशिया	**श्री नियाज अहमद खान (कवाली ग्रुप)* 6	17-25 नव०, 2000	कार्यक्रम देने के लिए।
46.	भूटान	सुश्री पीनाज मसानी पोपुलर एण्ड गजल सिंगर	19-27 नव०, 2000	कार्यक्रम देने के लिए।
47.	बहरीन, सऊदी, अरब, मिश्र, ट्यूनिशिया संयुक्त अरब अमीरात	सुश्री मधूमिता बोस (सुगम शास्त्रीय)* 4	27 दिस०, 2000 17 जन०, 2001	कार्यक्रम देने के लिए।
48.	मस्कट, बहरीन, कुवैत जोर्डन, सीरिया, तुर्की, ट्यूनिशिया	"अविष्कार" का 12 सदस्यीय गुजराती लोक संगीत तथा नृत्य समूह अहमदाबाद	4 जन०-4 फर०, 2001	भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर।
49.	जर्मनी	सुश्री मालविका सरूक्काड़ (रतनाट्यम)* 6 चेन्नई	16-20 जन०, 2001	बर्लिन में नये दूतावास भवन का सुभारंभ समारोह।
50.	मारीशस, दक्षिण अफ्रिका, जाम्बिया, युगांडा	गुलाम वास्सि और गुलाम साबिर (कवाली)* 6 दिल्ली	17 जन०-15 फर०, 2001	कार्यक्रम देने के लिए।
51.	श्रीलंका	सुश्री प्रमिता मलिका (रविन्द्र संगीत)* 9 कलकत्ता	19-28 जन०, 2001	सांस्कृतिक कार्यक्रम देने के लिए।
52. से 54.	बंगलादेश	1. सुश्री प्रियदर्शनी गोविन्द (भारतनाट्यम)* 5 चेन्नई	19-23 जन०, 2001	नृत्य और संगीत समारोह में भाग लेने के लिए।
		2. सुश्री मीता पंडित (हिंदूस्तानी गायन)* 4 नई दिल्ली	19-24 जन०, 2001	
		3. श्री मुकेश शर्मा और सुश्री अनुप्रिया देवताले (सरोद तथा वॉयलिन दृव)* 4 नई दिल्ली	21-25 जन०, 2001	
55.	हांगकांग, इंडोनेशिया लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, म्यांमार	सुश्री एम० ललिता तथा सुश्री एम० नन्दिनी (वॉयलिन)* 4	23 जन०-8 फर०, 2001	भारत के गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम देने के लिए।
56.	नेपाल	सुश्री वसती श्रीधर भारतनाट्यम* 5 नई दिल्ली	24-26 जन०, 2001	कार्यक्रम देने के लिए।
57.	पाकिस्तान	एक गायन समूह* 4	25 जन०-30 जन०, 2001	गणतंत्र दिवस के साथ एक ही समय पर।
58.	नेपाल	सुश्री माधवी मुदगल (ओडिसी)* 16	25-28 जनवरी, 2001	सांस्कृतिक प्रदर्शनी।
59.	श्रीलंका	10 सदस्य चाहू मयूर कला केन्द्र, उड़ीसा का नृत्य समूह	23-30 जनवरी, 2001	प्रदर्शनी।

1	2	3	4	5
60.	श्रीलंका	*सुश्री अनामिका हक्सर एक्स 16, नई दिल्ली का एक थिएटर समूह	फरवरी, 2001	
61.	आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड	* श्री एन० रमणी (बांसुरी)* 4	13-28 फरवरी, 2001	एडीलेड में 2001 यूमैड (संगीत, कला और नृत्य का विश्व) समारोह में भारत को प्रस्तुति और आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अन्य शहरों में प्रदर्शन करना।
62.	नेपाल	उस्ताद जाकिर हुसैन (तबला)* 4	13-15 फरवरी, 2001	प्रदर्शनी।
63.	इटली बेल्जियम नीदरलैंड, जर्मनी	सुश्री श्रुति सादोलिकर (स्वर)* 4, मुम्बई	मार्च, 2001	प्रदर्शनी।
64.	आस्ट्रेलिया नीदरलैंड	रॉयल चाहु समूह* 10, पश्चिम बंगाल	मार्च, 2001	"एशिया 2000" समारोह में भाग लेने के लिए।
65.	पाकिस्तान	सुश्री सविता देवी (स्वर)* 4, नई दिल्ली	मार्च, 2001	दूसरे विश्व संगीत समारोह में भाग लेने के लिए।
66.	थाइलैंड हांगकांग सिंगापुर म्यांमार	श्री के० एल० कृष्णनकुट्टी पुलवर* 8, केरल के नेतृत्व में कठपुतली समूह "तोलपावाकोथू संगम"	मार्च, 2001	अन्तर्राष्ट्रीय छाया कठपुतली समारोह में भाग लेने के लिए।
67.	मालदीव	श्री प्रदीप राय (प्रसिद्ध)* 6, नई दिल्ली	मार्च, 2001	प्रदर्शनी के लिए।

*यात्रा अनुदान

**एजेंसी वर्क

[अनुवाद]

एन०सी०सी०एफ० में भ्रष्टाचार

4249. श्री रामजी मांझी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्थापित भ्रष्टाचार विरोधी इकाई को राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ में भ्रष्टाचार/भ्रष्ट आचरण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी भ्रष्टाचार विरोधी इकाई में राष्ट्री उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सफाई सामग्री तथा अन्य मदों की आपूर्ति में कथित भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेज दिया गया था।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है और ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ आगे की कार्रवाई करेगा।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों के भर्ती नियम

4250. प्रो० दुर्गा भगत :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में उच्च अधिकारियों की भर्ती सम्बन्धी मौजूदा नियम क्या हैं;

(ख) उच्च पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को नियुक्त करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या इन नियमों का उल्लंघन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) निदेशक मण्डल स्तर के पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है। नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड की अनुशंसाओं पर की जाती है।

निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों पर नियुक्ति का कार्य संबद्ध सरकारी उपक्रमों के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आरक्षण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित/अन्य जिछड़े वर्ग को रियायत देने के मामले में सामान्य तौर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुसरण करते हैं। ये अनुदेश सरकारी उपक्रमों को अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4251. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ क्षेत्रों के लघु उद्योगों में एक विशेष प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव-वार विदेशी निवेशकर्त्ताओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) ऐसे प्रस्तावों से विशेषत: महाराष्ट्र में लाभान्वित होने वाले उद्योग क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने भविष्य में विशेषत: महाराष्ट्र में इस प्रकार के निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण): (क) वर्तमान नीति के अनुसार, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को स्वत: मार्ग के तहत 24 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती है। यदि विदेशी निवेश की मात्रा इस क्षेत्र के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो औद्योगिक उपक्रम को लघु एकक का दर्जा छोड़ना पड़ता है, 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व लेना पड़ता है अथवा आरक्षित मदों को केवल लघु एककों से ही प्राप्त करने का वचन देना होता है।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित देशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों के ब्यौरे, जिनमें लघु औद्योगिक एककों को प्रदान किये गये अनुमोदन भी शामिल होते हैं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा निकाले जाने वाले मासिक एस०आई०ए० न्यूजलेटर में शामिल किये जाते हैं और यह न्यूजलेटर सदन के पुस्तकालय सहित अयापक रूप से परिचालित किया जाता है।

(ग) 1.1.1991 से 31.10.2000 कि अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए 41,256 करोड़ रुपये के बराबर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित किया गया है। इस राशि में लघु क्षेत्र से संबंधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी शामिल है।

(घ) सरकार ने पहले ही, देश में और अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से एक उदारीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति लागू कर दी है। महाराष्ट्र में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आयेगा वह जिन कारकों पर निर्भर करेगा, वे हैं–औद्योगिक और वित्तीय आधारभूत सुविधाओं के विकास का स्तर, बाजार का संभाव्य आकार, राज्य के कुशल मानव संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधन एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अनेक राजकोषीय व अन्य प्रोत्साहन।

सीमावर्ती शहरों का विकास

4252. **श्री पी०आर० किन्डिया**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोरेह, जोकाथार, डावकी और सूतरखंडी सीमावर्ती शहरों के विकास संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) की क्या स्थिति है;

(ख) क्या इन चार स्थानों का सीमावर्ती शहरों के रूप में विकास करने संबंधी डी पी आर को जुलाई, 2000 के अंत तक पूरा किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) डी पी आर तैयार किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा से लगे देशों के साथ व्यापार के मुद्दों पर गठित अंतर मंत्रालय कृतिक बल कि अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को लागू करने में कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी, 2000 में शिलांग में घोषित की गई पहल के एक भाग के रूप में,

मोरेह, डावकी और सुतारखंडी के सीमावर्ती के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी पी आर) वाणिज्य विभाग की ओर से सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन कारपोरेशन (सी डब्ल्यू सी) द्वारा तैयार की जा रही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ है क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त स्थानों पर प्रस्तावित सुविधाओं के लिए अभी भूमि उपलब्ध करवायी जानी है।

जहां तक जोकाथार का संबंध है, बी आर ओ, जिन्हें केन्द्र के विकास का कार्य सौंपा गया है, मिजोरम की राज्य सरकार द्वारा भूमि सुपुर्द किए जाने के तुरंत बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा।

(ङ) सीमा व्यापार संबंधी अंतर मंत्रालयी कार्य बल की सिफारिशों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्देशीय व्यापार मुद्दों की नियमित रूप से निगरानी तथा क्रियान्वयन हेतु उसकी समीक्षा वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जा रही है। कार्य बल की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाईयों की स्थिति की समीक्षा दिनांक 14.6.2000, 7.7.2000, तथा 25.9.2000 को आयोजित अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में की गई है। अधिकार प्राप्त समिति की इस प्रकार की पिछली बैठक दिनांक 25.9.2000 को गुवाहाटी में आयोजित हुई थी।

[हिन्दी]

ऋण वसूली अधिकरण

4253. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजी लाल सुमन :
श्री साहिब सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण को ऋण वापसी में चूक के कितने मामले भेजे हैं;

(ख) इन मामलों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और अब तक कितनी राशि वसूल की गई है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान ऋण वसूली अधिकरणों ने कितने मामले उच्च न्यायालय भेजे;

(घ) क्या बैंक ऋण की वापसी में चूक के मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार का विचार और अधिक ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटज पर रख दी जाएगी।

(ग) शून्य।

(घ) और (ङ) प्रारम्भ में यह निर्णय लिया गया था कि देश में केवल 10 ऋण अधिकरण स्थापित किए जाएंगे। तथापि, मौजूदा ऋण वसूली अधिकरणों पर कार्यभार को देखते हुए सरकार ने देश में बारह और ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया। इनमें से सरकार ने 15 ऋण वसूली अधिकरण पहले ही स्थापित किए हैं, जिनमें से कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद, चेन्नई, मुम्बई, जबलपुर, पटना, गुवाहाटी, हैदराबाद, इलाहाबाद, चंडीगढ़, एर्णाकुलम और औरंगाबाद प्रत्येक में एक-एक ऋण वसूली अधिकरण हैं। शेष ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली, कलकत्ता, कटक, चेन्नई, नागपुर प्रत्येक में एक तथा मुम्बई में दो को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

आयकर विभाग का पुनर्गठन

4254. श्री के० येरननायडू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने पदों के समाप्त हो जाने की संभावना है; और

(ग) अपीलीय निकायों द्वारा करदाताओं की शिकायतों पर ध्यान देने संबंधी कार्यों को सुचारू बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर विभाग के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा संस्वीकृत अनुमोदन में सेवारत किसी भी स्टाफ अथवा अधिकारी की छंटनी किए बिना स्टाफ स्तर पर 2752 पदों को समाप्त करने पर विचार किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश को सुकर बनाने, करदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से पुनर्गठन का अनुमोदन किया गया है।

(ग) कर कानूनों के कार्यान्वयन के दौरान करदाताओं को हुई किसी भी शिकायत का समाधान आयुक्त (अपील) के रूप में ज्ञात प्रथम अपीलीय अधिकरण के माध्यम से किया जाता है। आयकर विभाग के प्रस्तावित पुनर्गठन में अपीलों के निपटान की अवधि में भारी कटौती पर विचार किया गया है और इस प्रयाजनार्थ आयुक्त (अपील) की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

विभिन्न राज्यों पर ऋण का भार

4255. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों पर ऋण का भार तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2000 के अंत तक विभिन्न राज्यों पर विदेश और घरेलू ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद पर ऋण के प्रतिशत की तुलना में राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद पर आने वाले ऋण भार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने राज्यों का ऋण भार कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) अपने विचारार्थ के अनुसार ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 31.3.1999 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार राज्यों की ऋण स्थिति के बारे में आकलन करना और केन्द्र और राज्यों दोनों ही के दीर्घ आवधिक संपोषण को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाया जाना अपेक्षित था। वित्त आयोग ने यह संकेत दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्यों की ऋण देनदारियां 1993-94 के 21.53 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1999-2000 के अन्त में बढ़कर 24.52 प्रतिशत होने का अनुमान है। 31.3.2000 को यथाविद्यमान ऋणों के राज्यवार संयोजन और जी॰एस॰डी॰पी॰ के प्रतिशत के रूप में ऋण को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

ई॰ए॰पी॰ के लिए बाह्य सहायता राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में सकल ऋण और सकल अनुदान के तौर पर अंतरित की जाती है और इस प्रकार आन्तरिक ऋण का एक भाग होती है।

(घ) ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्य की राजस्व प्राप्तियों और कुल राजस्व व्यय के अनुपात में सुधार से जुड़ी दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत वर्तमान ऋण राहत की स्कीम को बढ़े हुए प्रोत्साहन के साथ जारी रखने की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने 2000-05 की अवधि के दौरान पंजाब राज्य से पुनर्भगतान हेतु देय उस ऋण और ब्याज की वसूली के भुगतान पर ऋण स्थगन की सिफारिश की है जो 1984-94 के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पंजाब को विशेष ऋण के तौर पर दिया गया था। आयोग ने आगे पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर को सुरक्षा पर हुए विशेष व्यय पर भी ऋण राहत देने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

विवरण

राज्य	31 मार्च, 2000 को राज्यों के यथाविद्यमान ऋण (करोड़ रुपए में)							
	ऋण			भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	भविष्य निधि इत्यादि	रिजर्व निधियां और जमा	कुल ऋण	जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में ऋण
	केन्द्र से	बाजार से	बैंक आदि से					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	16057	7037	1721	220	2857	4587	32479	20.95
अरूणाचल प्रदेश	409	58	220	0	193	16	896	48.00
असम	4591	1888	220	85	1082	689	8555	24.12
बिहार	16018	6185	168	0	7903	1782	32056	35.31
गोवा	1242	253	119	0	339	187	2140	34.54
गुजरात	16410	3007	853	0	2404	6130	28804	18.95
हरियाणा	6130	1462	561	18	3288	739	12198	22.58
हिमाचल प्रदेश	3141	613	530	853	1793	768	7698	58.59
जम्मू और कश्मीर	3630	665	328	1108	1329	30	7090	47.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	10751	3641	832	0	3644	3198	22066	18.94
केरल	6556	3929	1221	124	6584	1778	20192	28.16
मध्य प्रदेश	10990	4017	774	193	6423	2591	24988	19.17
महाराष्ट्र	27333	4442	1153	0	4561	14067	51556	13.92
मणिपुर	406	224	158	411	280	160	1639	46.80
मेघालय	358	309	108	0	148	208	1131	26.71
मिजोरम	355	124	164	83	269	102	1097	59.76
नागालैंड	352	464	185	169	380	6	1556	50.36
उड़ीसा	8224	4189	549	304	4721	1504	19491	39.95
पंजाब	14488	2049	1683	1006	4574	801	24601	34.89
राजस्थान	12222	5019	1777	885	6517	3139	29559	31.95
सिक्किम	221	186	69	0	155	10	641	71.24
तमिलनाडु	12377	4777	1189	0	4267	3718	26328	16.77
त्रिपुरा	657	331	179	0	541	51	1759	40.25
उत्तर प्रदेश	35226	11872	1205	570	8636	14423	71932	29.28
प. बंगाल	28552	4979	1328	0	2972	5394	43225	30.44
योग	236696	71720	17294	6029	75860	66078	473677	24.33

स्रोत : वर्ष 2000-05 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट।

[हिन्दी]

उपद्रवग्रस्त क्षेत्र भत्ता

4256. श्री ए० नरेन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों को ''उपद्रवग्रस्त क्षेत्र भत्ता'' दे रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनके कर्मचारियों को यह भत्ता मिल रहा है;

(ग) इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्य देशों को ऋण

4257. श्री उत्तमराव पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश ने किन-किन देशों को ऋण दिया है और अक्तूबर, 2000 तक देश-वार कितनी राशि दी गई है; और

(ख) इन देशों से ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त होती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जनवरी, 19996 से अक्तूबर, 2000 की अवधि के दौरान निम्नलिखित देशों को भारत सरकार द्वारा ऋण-श्रृंखला प्रदान की गई है:-

देश का नाम	ऋण की राशि	देश का नाम	ऋण की राशि
श्रीलंका	30 मिलियन अमरीकी डालर	म्यांमार	10 मिलियन अमरीकी डालर
वियतनाम	232 करोड़ रुपए	लाओ पीडीआर	2 मिलियन अमरीकी डालर
मारीशस	12 मिलियन अमरीकी डालर	इराक	25 मिलियन अमरीकी डालर
बंगलादेश	270 करोड़ रुपए	सेशल्स	2 मिलियन अमरीकी डालर
भूटान	563.30 करोड़ रुपए		

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राप्तकर्ता देशों से ब्याज के रूप में प्राप्त राशियों (भारतीय रुपए और अमरीकी डालर दोनों में) विवरण निम्नानुसार है:-

देश का नाम	ब्याज की राशि (भारतीय रुपयों में)	ब्याज की राशि (अमरीकी डालर में)
बंगलादेश	1,40,56,864	—
भूटान	5,57,08,445	—
घाना	6,36,892	—
गुआना	1,63,39,830	—
किर्गिस्तान	—	344,660
मारीशस	1,71,99,637	362,179
मंगोलिया	—	246,070
श्रीलंका	1,14,19,723	2,498,341
सूरीनाम	58,16,638	—
तुर्कमेनिस्तान	—	49,827
उजबेकिस्तान	—	2,728,824
वियतनाम	27,18,58,915	—
जिम्बाब्वे	3,78,626	—

भेल की वित्तीय स्थिति

4258. डा० बलिराम : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की मौजूदा वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) इस कंपनी में विभिन्न श्रेणी के इकाई-वार कुल कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) इन सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय राज्यमंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए भेल के लेखपरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी की वित्तिय स्थिति नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

पैरामीटर	1999-2000
टर्नओवर	6634
कर पूर्व लाभ	865
कर पश्चात लाभ	599
निवल पूंजी	3358

(ख) और (ग) निदेशक (वित्त) का पद 1.12.2000 से रिक्त है। इस रिक्ति को भरने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। आज की तिथि अनुसार, कार्यकारी निदेशक और महाप्रबन्धक वर्ग में कोई पद रिक्त नहीं है। अन्य वर्गों के संबंध में कंपनी में, संवर्ग क्षमता/निश्चित स्वीकृति की प्रणाली नहीं है। नई नियुक्तियां पूर्णत: आवश्यकता पर आधारित हैं।

ऑटो इंडस्ट्री के लिए निर्यात-प्रतिबद्धताएं

4259. श्री जोरा सिंह मान: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से निर्यात-प्रतिबद्धताओं से संबंधित विद्यमान प्रावधानों को समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार से यह अनुरोध किस तारिख को किया गया था और इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या ऑटो इंडस्ट्री निर्यात-प्रतिबद्धताओं को अब तक पूरा करती रही है; और

(घ) यदि हां, तो देश में स्थित उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने निर्यात के मामले में उक्त प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है और इन्ही के अनुरूप निर्यात भी किया है और साथ ही उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने निर्यात संबंधी इन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) इस मुद्दे पर किसी कंपनी से कोई विशिष्ट प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त नही हुआ है। तथापि, नई ऑटो नीति में शामिल करने के लिए कार विनिर्माता उद्योग सहित भिन्न-भिन्न तबकों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं; जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) वर्तमान नीति के अनुसार, सवारी वार के विनिर्माताओं के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है जिसके तहत वे स्वयं को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करते हैं कि सी के डी/एस के डी किटों/संघटकों के आयातों के वास्तविक सी आई एफ मूल्य तथा कारों और ऑटो संघटकों के निर्यातों के एफ ओ वी मूल्य के बीच मोटे तौर पर विदेशी मुद्रा संबंधी संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस निर्यात दायित्व की अवधि उत्पादन शुरू होने के तीसरे वर्ष से प्रारंभ होती है। निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। इसलिए, इस समय किसी कंपनी द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा को विश्व बैंक से ऋण

4260. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने उड़ीसा को परियोजनाओं का फिर से वित्तपोषण किया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सुधार और विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन कार्यक्रम सहित दिए गए ऋण संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा सरकार के लिए ऋण मंजूर करने के संदर्भ में निबंधन और शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) परियोजना के वित्तपोषण को पुन: आरम्भ करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि विश्व बैंक द्वारा उड़ीसा में परियोजना के वित्तपोषण को रोका नहीं गया है।

(ख) उड़ीसा में विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विश्व बैंक ने उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार तथा पुनर्संरचना परियोजना के लिए 350 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण उपलब्ध कराया है जिसके लिए दिनांक 10.7.1996 को एक समझौता हुआ था तथा यह दि॰ 7.10.1996 से प्राभावी है। इस परियोजना की समापन अवधि दिनांक 31.12.2002 है। दिनांक 30.9.2000 की स्थिति के अनुसार, इस परियोजना के अन्तर्गत 92.681 मिलियन अमरीकी डालर की राशि संवितरित की गयी। जहा तक उड़ीसा राजकोषीय सुधार परियोजना का सम्बन्ध है, इस योजना पर कार्रवाई चल रही है। इस परियोजना के क्षेत्र, आकार, और लागत के विवरण का पता इसके मूल्यांकन/अनुमोदन के समय चलेगा। इस समय, उक्त वर्णित परियोजना के लिए निधि की व्यवस्था करने हेतु विश्व बैंक से कोई वचनबद्धता प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) भारत सरकार की राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत सहायता स्वीकृत करने की मानक निबंधन तथा शर्तें हैं।

सामान्य श्रेणी के राज्यों को 70 प्रतिशत ऋण के आधार पर तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। ऋण की राशि पर मौजूदा ब्याज दी 12.5 प्रतिशत है। वापसी अदायगी अवधि 20 वर्ष है जिसमें ऋण की 50 प्रतिशत राशि के लिए 5 वर्ष की रियायत अवधि शामिल है।

विवरण

उड़ीसा में चल रही आईबीआरडी/अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता परियोजनाएं

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	दाता देश	समझौते की तारीख	ऋण/उधार राशि	स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	आईडीए	5.1.1996	290.90	उड़ीसा राज्य
2.	उड़ीसा स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना	आईडीए	13.8.1998	76.40	उड़ीसा राज्य
3.	हाइड्रोलोजी परियोजना	आईडीए	22.9.1995	142.00	बहु-राज्यीय

1	2	3	4	5	6
4.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	आईडीए	18.6.1992	153.00	बहु-राज्यीय
		आईबीआरडी		153.00	
5.	झींगा तथा मत्स्यपालन परियोजना	आईडीए	29.1.1992	85.00	बहु-राज्यीय
6.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	आईडीए	22.6.1998	100.00	बहु-राज्यीय
		आईबीआरडी		96.80	
7.	मोतिया बिन्द अंधता नियंत्रण परियोजना	आईडीए	19.5.1997	117.80	बहु-राज्यीय
8.	जिला प्राथमिक शिक्षा परि-II	आईडीए	15.7.1996	425.20	बहु-राज्यीय
9.	प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य सेवा परियोजना	आईडीए	30.7.1997	248.30	बहु राज्यीय
10.	क्षय नियंत्रण परियोजना	आईडीए	14.3.1995	142.40	बहु-राज्यीय
11.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	आईडीए	30.7.1997	164.80	बहु-राज्यीय
12.	द्वितीय एड्स नियंत्रण परियोजना	आईडीए	14.9.1999	194.75	बहु-राज्यीय
13.	प्रतिरक्षण कार्यक्रम को ठोस रूप देने संबंधी परियोजना	आईडीए	19.5.2000	142.60	बहु-राज्यीय

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

4261. **श्री रामदास आठवले** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों में यह सुझाव दिए गए थे कि विनिवेश हेतु पहचान किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चाहिए कि वे अपने शेयरों को विदेशों में बेचने के बजाय उन्हें घरेलू बाजार में ही बेचें;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में किसी समिति ने इस प्रकार की कोई सिफारिशें नहीं की हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रत्न उद्योग को बढ़ावा

4262. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान संश्लिष्ट/कृत्रिम रत्न उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की भारत में प्रमुख रत्न उद्योग समूह से संश्लिष्ट रत्न उद्योग को हटाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन लोगों के पुनर्वास या मदद हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं जो विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में संश्लिष्ट रत्न उद्योग में कार्यरत हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष सहित पिछले दो वर्षों के दौरान एक्जिम नीति में घोषित किए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ कदम ये हैं:

(i) निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना (ई पी सी जी) के अंतर्गत 5 प्रतिशत सीमा शुल्क की दर पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी गई है बशर्ते कि एफ ओ बी आधर पर पूंजीगत माल के 5 गुणा सी आई एफ मूल्य के बराबर अथवा निवल विदेशी मुद्रा (एन एफ ई) आधार पर पूंजीगत माल के 4 गुणा सी आई एफ मूल्य के बराबर निर्यात दायित्व पूरा किया जाए जिसे लाइसेंस जारी करने की तारीख से 8 वर्षों की एक निश्चित अवधि में पूरा करना होगा।

(ii) रत्न एवं आभूषण के निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति देना।

(iii) 20 लाख रुपए प्रति खेप के मूल्य तक चुनिंदा पत्तनों से कुरियर द्वारा रत्न एवं आभूषण मदों के निर्यात की अनुमति देना, दिनांक 1 अप्रैल, 2000 से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी निर्यातों की अनुमति दी गई है।

(iv) रत्न एवं आभूषण उद्योग द्वारा अपेक्षित खपत योग्य वस्तुओं का पूर्ववर्ती एवं आभूषण के निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के 1 प्रतिशत तक शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देना।

(v) सिंथेटिक रत्नों से जड़ित मंगलसूत्रों के लिए सादे आभूषण के बराबर कम मूल्य वर्धन संबंधी मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

एक्जिम नीति के अंतर्गत उठाए गए उपरोक्त कदमों के अलावा, सरकार ने अपरिष्कृत सिंथेटिक पत्थरों पर भी सीमाशुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान तराशे गए तथा पालिश किए गए सिंथेटिक पत्थरों के मूल्यवार निर्यात निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	निर्यातों का मूल्य (यू॰एस॰ मिलियन डालर में)
1998-99	2.41
1999-2000	2.62

स्रोत: रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जी जे ई पी सी), मुम्बई

(ग) जी, नहीं। सरकार द्वारा भारत में कोर जेम स्टोन इंडस्ट्रीज गिल्ड नाम से किसी भी निकाय का गठन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सिंथेटिक अथवा कृत्रिम रत्न उद्योग के संवर्धन हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन मदों का निर्यात बढ़ सके। सिंथेटिक रत्न उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से संबंधित राज्य सरकारों से सिंथेटिक रत्नों की बिक्री पर बिक्री कर तथा चुंगी जैसे अन्य करों से छूट देने, पर विचार करने का अनुरोध किया गया है जैसा कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों द्वारा किया गया है। इसके अलावा, सिंथेटिक रत्नों तथा सिंथेटिक रत्नों से जड़ित आभूषणों के निर्यात सहित रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से होने वाले निर्यातों को बढ़ाने के लिए नए नीतिगत उपायों की घोषणा कर निर्यात-आयात नीति को लगातार सुसंगत बनाया जा रहा है।

बंगलादेश को सीमेंट का निर्यात

4263. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बंगलादेश को कितनी मात्रा में सीमेंट का निर्यात किया गया;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान बंगलादेश को सीमेंट के निर्यात में कमी आई है; और

(ग) बंगलादेश को दिए जाने वाले निर्यात के पिछले स्तर को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) सीमेंट के बारे में मात्रा-वार निर्यात संबंधी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, गत तीन वर्षों के लिए बंगलादेश को हुए सीमेंट के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)
1997-98	21.85
1998-99	66.89
1999-2000 (अनुमानित)	54.00

(स्रोत: कैपेक्सिल)

(ख) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में बंगलादेश को हुए सीमेंट के निर्यातों में मामूली सी गिरावट आई है।

(ग) बंगलादेश को सीमेंट के निर्यातों में किसी विशिष्ट समस्या की सूचना नही मिली थी । सभी निर्यातों पर लागू होने वाले सामान्य निर्यात प्रोत्साहन सीमेंट के निर्यातों पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा विदेशी मेलों, प्रदर्शनियों में भागीदारी के जरिए विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने और व्यापार शिष्टमंडलों को भेजने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से निर्यातकों को बाजार विकास सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनियमितताएं

4264. **श्रीमती रेनु कुमारी:**
श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील:
श्रीमति जसकौर मीणा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले और चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय अनियतमतताओं/भ्रष्टाचार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) इन मामलों में कितने बैंक अधिकारी लिप्त पाए गए हैं; और

(ग) इन बैंकों में ऐसी अनियमितताओं/भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को यथा सूचित धोखाधड़ी के मामलों की संख्या वर्ष 1998 और 1999 के दौरान क्रमश: 1855 और 1839 है। वर्ष 1998 और 1999 के दौरान ऐसे मामलों में लिप्त क्रमश: 5366 और 4713 बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।

(ग) धोखाधड़ियों को रोकने के संबंध में बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी व्यापक मार्गनिर्देशों को कार्यान्वित कर रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ, आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाना, धोखाधड़ी के मामलों की सतत समीक्षा करना, बैंक कारोबार का 50 प्रतिशत कवर करने वाली शाखाओं की समवर्ती लेखा-परीक्षा करना, 10 लाख रुपए और इससे अधिक की नकद जमा राशि एवं आहरणों की छानबीन करना, आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था को सुधारना तथा परिचालन संबंधी कार्मिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है। जब कभी बैंक द्वारा किसी धोखाधड़ी का पता लगाया जाता है तो प्रारम्भिक जांच की जाती है। निष्कर्षों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि मामले की विभाग द्वारा पूर्ण जांच की जाए या इसे स्थानीय पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाए। आन्तरिक जांच या पुलिस या सीबीआई से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर बैंक, जहां कहीं आवश्यक हो, नियमित विभागीय कार्रवाई करते हैं और धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पाए गए पदधारियों को दंड देते हैं पुलिस एवं सीबीआई भी न्यायालयों में मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक मामले दायर करते हैं।

[अनुवाद]

गेहूं निर्यात के लिए एफसीआई में विशेष प्रकोष्ठ

4265. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम में बिना समुचित भंडारण व्यवस्था के खुले में पड़े गेहूं के भंडार की भारी मात्रा खाली कराने के उद्देश्य से गेहूं निर्यात की निगरानी और इसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए भारतीय खाद्य निगम में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विचारकर अंतिम निर्णय लिया है; और

(ग) इससे निर्यात व्यवस्था में कितनी मदद मिलने की संभावना है साथ ही इससे गोदामों पर दबाव कितना कम पड़ने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) भारतीय खाद्य निगम में इस मामले से निपटने के लिए स्वतंत्र प्रभाग पहले से ही मौजूद है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए चावल

4266. **श्री राम मोहन गाड्डे :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दर पर चावल की आपूर्ति के संबंध में वहां की सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने कल्याण योजनाओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दरों पर चावल के मासिक आवंटन का निम्नानुसार अनुरोध किया है:-

क्र.स.	चावल का मासिक आवंटन	(टन में)
1	2	3
1.	2000 की जनसंख्या के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर	85,000
–	गरीबी रेखा से ऊपर की 950 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर	1,15,000

1	2
2. कल्याण छात्रावासों आदि	15,000
3. अन्नपूर्णा (नि:शुल्क)	932
4. रोजगार सृजन योजना	20,000
जोड़	2,35,932

पहली अप्रैल, 2000 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चावल का आवंटन उनके लिए लागू दर पर 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दुगुना कर दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए आवंटन अब 1995 के पूर्व आधार की बजाय 1.3.2000 को स्थिति के अनुसार महा-पंजीयक द्वारा किए गए जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर किया गया है। दिसम्बर, 2000 से आंध्र प्रदेश के लिए चावल का संशोधित आवंटन 81,256 टन है जबकि मार्च, 2000 में यह आवंटन 37,780 टन था। आंध्र प्रदेश के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए चावल का मासिक आवंटन 153920 टन है।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय खाद्य निगम को प्राधिकृत किया गया है कि वह खुली बिक्री के प्राधिकार के प्रति सुविधाजनक किस्तों में 950 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर आंध्र प्रदेश को एक और दो वर्षों से अधिक पुराना चावल जारी करें। भारतीय खाद्य निगम को यह भी प्राधिकार दिया गया है कि वह यदि एक और इससे अधिक वर्ष पुराना स्टाक उपलब्ध नहीं हो तो आंध्र प्रदेश में उन स्थानों पर राज्य सरकार को 950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एक और दो वर्ष से अधिक पुराने चावल के अलावा अन्य चावल का स्टाक जारी करे जहां राज्य में सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल जारी किया जाता है।

जैसी कि मांग की गई थी कल्याण योजनाओं के अधीन आवंटन अभी तक नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बांड

4267. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कितने बान्ड बेचे गए हैं;

(ख) उक्त बांडों को बेचकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कितना लाभ कमाया है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इडबी) ने इस योजना को बन्द कर दिया है और एलेक्सी-बान्ड योजना के माध्यम से जमा की गई धनराशि को वापस करना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा वर्ष 1999 से अब तक जारी बांडों की संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) आईडीबीआई उद्योग, आधारभूत क्षेत्र का वित्तपोषण करने तथा अपने समग्र परिचालनों में अभिनियोजन संबंधी निधि अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु बांडों के माध्यम से संसाधन जुटाता है।

(ग) और (घ) बाजार के गति सिद्धान्त और आपसी को ध्यान में रखते हुए फ्लैक्सी बांडों में शीघ्र मोचन हेतु दोनों पक्ष वाला विकल्प है। वर्तमान प्रचलित ब्याज दर की स्थिति को देखते हुए आईडीबीआई ने निम्नानुसार डीप डिस्काउंट बांडों और रिटायरमेंट बांडों के संबंध में दिनांक 1 अगस्त, 2000 को फ्लैक्सी बांड-1(1996) के अंतर्गत उपलब्ध तेजी का प्रयोग किया है:-

योजना	फोलियों की संख्या (लाख में)	बांडों की संख्या (लाख में)	राशि (करोड़ रु. में)
फ्लैक्सीबांड-96 (फ्लैक्सी-1)	18.90	22.21	2197.94
1 दिसम्बर, 2000 तक पुन: शोधित	14.47	17.21	1707.22
1 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार पुन: शोधित किये जाने को शेष	4.43	5.00	490.02

विवरण

वर्ष 1999 से अब तक आईडीबीआई द्वारा जारी बांड

योजना	बांडों की संख्या	जुटाई गई राशि (करोड़ रु.)
1	2	3
(क) लोक निर्गम		
फ्लैक्सीबांड-5	290960	1500.00
फ्लैक्सीबांड-6	225834	1500.00
फ्लैक्सीबांड-7	63953	1500.00

1	2	3
फ्लैक्सीबांड 8	147036	573.52
कुल (क)	727783	5073.82
(ख) ओमनी बांड्स प्राइवेट प्लेसमेंट		
ओमनी-I	530303	5273.22
मिबार 99-ए	77	77.00
ओमनी 99 बी एंड सी (टीयर-II)	150000	1500.00
ओमनी-I (टीयर-II)	62165	621.65
मिबोर 2000-बी	116	116.00
ओमनी-2000-ए	84080	840.80
कुल (ख)	826821	8428.67
कुल योग (क+ख)	1554604	13502.19

[अनुवाद]

ऋण के जाल में फंसे राज्य

4268. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जो ऋण के जाल में फंसे हुए हैं;

(ख) आज की तारीख में इन राज्यों पर राज्य-वार कितनी राशि ऋण के रूप में बकाया है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा ऐसी समस्या का सामना किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऋण के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार का राज्य सरकारों को किस प्रकार की सहायता देने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) और (ख) अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 31.3.1999 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार राज्यों कि ऋण स्थिति के बारे में आकलन करना और केन्द्र और राज्यों दोनों ही के दीर्घ आवधिक संपोषण को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाया जाना अपेक्षित था। 31.3.2000 को यथाविद्यमान ऋणों के राज्यवार संयोजन और जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में ऋण को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा उधार ली गई निधियों के जरिए प्राप्तियों और व्यय में निरन्तर असंगति के वित्तपोषण से ऋण संचयन की स्थिति उत्पन्न हुई है।

(घ) ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्य की रजस्व प्राप्तियों और कुल राजस्व व्यय के अनुपात में सुधार से जुड़ी दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण राहत की स्कीम को बढ़े हुए प्रोत्साहन के साथ जारी रखने की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने 2000 05 की अवधि के दौरान पंजाब राज्य से पुन:भुगतान हेतु देय उस ऋण और ब्याज की वसूली के भुगतान पर ऋण स्थगन की सिफारिश की है जो 1984-94 के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पंजाब को विशेष ऋण के तौर पर दिया गया था। आयोग ने आगे पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर को सुरक्षा पर हुए विशेष व्यय पर भी ऋण राहत देने की सिफारिश की है। भरत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

विवरण

राज्य	31 मार्च, 2000 को राज्यों के यथाविद्यमान ऋण (करोड़ रुपए में)							
	ऋण			भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	भविष्य निधि इत्यादि	रिजर्व निधियां और जमा	कुल ऋण	जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में ऋण
	केन्द्र से	बाजार से	बैंक आदि से					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	16057	7037	1721	220	2857	4587	32479	20.95
अरूणाचल प्रदेश	409	58	220	0	193	16	896	48.00
असम	4591	1888	220	85	1082	689	8555	24.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	16018	6185	168	0	7903	1782	32056	35.31
गोवा	1242	253	119	0	339	187	2140	34.54
गुजरात	16410	3007	853	0	2404	6130	28804	18.95
हरियाणा	6130	1462	561	18	3288	739	12198	22.58
हिमाचल प्रदेश	3141	613	530	853	1793	768	7698	58.59
जम्मू और कश्मीर	3630	665	328	1108	1329	30	7090	47.15
कर्नाटक	10751	3641	832	0	3644	3198	22066	18.94
केरल	6556	3929	1221	124	6584	1778	20192	28.16
मध्य प्रदेश	10990	4017	774	193	6423	2591	24988	19.17
महाराष्ट्र	27333	4442	1153	0	4561	14067	51556	13.92
मणिपुर	406	224	158	411	280	160	1639	46.80
मेघालय	358	309	108	0	148	208	1131	26.71
मिजोरम	355	124	164	83	269	102	1097	59.76
नागालैंड	352	464	185	169	380	6	1556	50.36
उड़ीसा	8224	4189	549	304	4721	1504	19491	39.95
पंजाब	14488	2049	1683	1006	4574	801	24601	34.89
राजस्थान	12222	5019	1777	885	6517	3139	29557	31.95
सिक्किम	221	186	69	0	155	10	641	71.24
तमिलनाडु	12377	4777	1189	0	4267	3718	26328	16.77
त्रिपुरा	657	331	179	0	541	51	1759	40.25
उत्तर प्रदेश	35226	11872	1205	570	8636	14423	71932	29.28
प. बंगाल	28552	4979	1328	0	2972	5394	43225	30.44
योग	236696	71720	17294	6029	75860	66078	473677	24.33

स्रोत : वर्ष 2000-05 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट।

इक्विटी और निवेश के मामले में बैंकों का वित्त प्रबंधन

4269. **श्री उत्तमराव ढिकले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयरों में इक्विटी और निवेश के मामले में बैंकों के वित्त प्रबंधन विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित वित्तीय समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक से इक्विटी का विनिवेशीकरण करने की पारदर्शी और स्थायी प्रणाली के लिए परिचालन मार्गनिर्देश विकसित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के बीच समन्वय संबंधी स्थायी

तकनीकी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ आईपीओ का वित्तपोषण, दलालों की ओर से गारंटी जारी करना, शेयरों में निवेश आदि शामिल हैं। समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2000-2001 की अपनी मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधि पुनरीक्षा में इक्विटियों का बैंक द्वारा वित्तपोषण तथा शेयरों में निवेश के बारे में घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 नवम्बर, 2000 के परिपत्र के तहत सभी वाणिज्यिक बैंकों को इस संबंध में परिचालन मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंकों के बोर्डों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने समग्र जोखिम प्रोफाइल, आदि को ध्यान में रखते हुए इक्विटी के वित्तपोषण और साथ ही शेयरों में निवेश के लिए उपयुक्त परिचालन मार्गनिर्देश तैयार करें। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे इक्विटी निवेश के लिए पारदर्शी नीति एवं प्रक्रिया की तैयारी और साथ ही मूल्यों के गिरावट के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आधार पर शेयर निवेश पोर्टफोलियो की पुनरीक्षा और हानियों को कम करने हेतु उचित कदम उठाने में पर्याप्त सुविज्ञता प्राप्त करें।

भारत-नेपाल संधि

4270. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शुल्क मुक्त पुनर्निर्यात की रोकथाम के लिए भारत-नेपाल संधि में संशोधन हेतु कार्यवाही शुरू करनी है;

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या नेपाल को एक शुल्क मुक्त पुनर्निर्यात केन्द्र बनने से रोकने के लिए नए उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) वर्तमान भारत-नेपाल व्यापार संधि में तीन वस्तुओं की नकारात्मक सूची को छोड़कर नेपाल में विनिर्मित सभी वस्तुओं के लिए सीमाशुल्क मुक्त और मात्रात्मक प्रतिबंधों के बिना भारतीय बाजार में पहुंच की व्यवस्था है। इस संधि में यह भी व्यवस्था है कि ऐसी सुविधा की नजर में सामान्यत: आयातों में अथवा किसी विशिष्ट मद के आयात में बढ़ोत्तरी होने की स्थिति में दोनों सरकारें समुचित उपाय करने की दृष्टि से विचार-विमर्श करेंगी।

भारतीय प्राधिकारी उपरोक्त सुविधा के तहत नेपाल से वस्तुओं के आयात पर नजर रख रहे हैं। पाया गया है कि नेपाल में विनिर्मित कुछेक वस्तुओं के आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। संधि में किए गए प्रावधान के अनुसार समुचित उपाय करने के लिए महामहिम नेपाल की सरकार के साथ बातचीत शुरू की गई है।

[हिन्दी]

सेंसर बोर्ड के लिए नए मानदंड

4271. **श्री मानसिंह पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से संबद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों ने फिल्मों में अश्लील और आपत्तिजनक दृश्यों को दिखाने पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सेंसर बोर्ड के सदस्यों के परिशीलन और टिप्पणियों हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मानदंडों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों को सरकार द्वारा 6 दिसंबर, 1991 के जारी और सितम्बर, 1997 में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रमाणित किया जा रहा है। इस बारे में हाल में कोई नए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

थोक मूल्य और खुदरा मूल्य सूचकांक

4272. **चौधरी तेजवीर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान 30 अक्टूबर, 2000 तक आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की बिन्दुवार साप्ताहिक दर क्या है;

(ग) मूल्य सूचकांक में निरंतर वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि का मुद्रा स्फीति दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर अंकुश लगाने व मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अक्टूबर, 1999 के बाद से आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू० जी० आई०) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी०पी०आई०) तथा इस अवधि के लिए बिन्दु दर बिन्दु आधार पर आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर निम्नानुसार है:-

वर्ष/माह	थो॰मू॰सू॰—आवश्यक वस्तुएं		ऊमू॰सू॰—आवश्यक वस्तुएं	
	सूचकांक	वार्षिक मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	सूचकांक	वार्षिक मुद्रास्फीति (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1999				
अक्टूबर	156	3.5	415	-4.8
नवम्बर	156	2.8	415	-4.9
दिसम्बर	153	2.8	410	-3.0
2000				
जनवरी	152	2.9	408	0.0
फरवरी	152	1.7	406	-0.4
मार्च	157	5.4	407	2.8
अप्रैल	162	8.4	416	-0.2
मई	163	8.0	418	4.6
जून	163	7.2	419	4.1
जुलाई	163	5.9	423	5.3
अगस्त	161	4.8	420	4.9
सितम्बर	161	4.0	418	2.3
अक्टूबर	165	5.9		

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मार्च, 2000 में ईंधन उत्पादों की नियन्त्रित कीमतों में वृद्धि के बाद सितम्बर, 2000 के अंतिम सप्ताह में एल॰पी॰जी॰, पेट्रोल, केरोसीन और डीजल की कीमतों में की गई और वृद्धि ने थोक मूल्य सूचकांक और सामान्य मुद्रास्फीति दर को और अधिक बढ़ा दिया है। अद्यतन थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 7.4 प्रतिशत है।

इस समय ईंधन समूह का मुद्रास्फीति में अंशदान लगभग 66% है लेकिन प्राथमिक और विनिर्मित उत्पाद समूहों के मूल्यों में स्थिरता ने मुद्रास्फीति दर पर संतुलित प्रभाव डाला है।

(ङ) सरकार प्रभावी आपूर्ति प्रबंध के जरिए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति की स्थिति की कड़ी मानीटरिंग के जरिए भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए गहन प्रयास कर रही है। मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए जब भी जरूरी हो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक और वार्षिक मुदास्फीति का साप्ताहिक उतार-चढ़ाव

क्र॰सं॰	समाप्त/सप्ताह तारीख	थोक मूल्य सूचकांक आधार (93-94)			थो.मू.सू. में % परिवर्तन साप्ताहिक परिवर्तन		वित्तीय वर्ष		मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत) बिन्दु-दर-बिन्द			52 सप्ताह का औसत	
सप्ताह		98-99	99-00	00-01	99-00	00-01	99-00	00-01	98-99	99-00	00-01	99-00	00-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1 अप्रैल, 2000	136.3	142.2	151.8	0.35	0.60	0.35	0.60	4.20	4.33	6.75	5.95	3.34
2	8 अप्रैल, 2000	136.4	142.3	151.9	0.07	0.07	0.42	0.66	3.88	4.33	6.75	5.95	3.39
3	15 अप्रैल, 2000	137.6	142.3	151.6	0.00	-0.20	0.42	0.46	5.12	3.42	6.54	5.92	3.45
4	22 अप्रैल, 2000	137.4	142.7	151.7	0.28	0.07	0.71	0.53	5.05	3.86	6.31	5.89	3.50
5	29 अप्रैल, 2000	138.1	143.0	151.6	0.21	-0.07	0.92	0.46	5.50	3.55	6.01	5.85	3.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6 मई, 2000	138.0	142.7	151.6	-0.21	0.00	0.71	0.46	5.59	3.41	6.24	5.81	3.60
7	13 मई, 2000	138.2	142.6	151.7	-0.07	0.07	0.64	0.53	5.66	3.18	6.38	5.76	3.66
8	20 मई, 2000	138.3	142.9	152.0	0.21	0.20	0.85	0.73	5.65	3.33	6.37	5.72	3.72
9	27 मई, 2000	138.4	142.7	152.1	-0.14	0.07	0.71	0.80	5.81	3.11	6.59	5.66	3.79
10	3 जून, 2000	138.9	143.1	152.2	0.28	0.07	0.99	0.86	5.95	3.02	6.36	5.60	3.85
11	10 जून, 2000	139.5	143.3	152.5	0.14	0.20	1.13	1.06	6.33	2.72	6.42	5.53	3.92
12	17 जून, 2000	140.6	143.4	152.9	0.07	0.26	1.20	1.33	6.84	1.99	6.62	5.44	4.01
13	24 जून, 2000	140.4	143.5	153.0	0.07	0.07	1.27	1.39	6.61	2.21	6.62	5.35	4.10
14	1 जुलाई, 2000	141.0	143.7	153.0	0.14	0.00	1.41	1.39	7.31	1.91	6.47	5.24	4.19
15	8 जुलाई, 2000	140.9	143.7	152.9	0.00	-0.07	1.41	1.33	7.15	1.99	6.40	5.14	4.27
16	15 जुलाई, 2000	140.9	143.7	153.0	0.00	0.07	1.41	1.39	6.90	1.99	6.47	5.05	4.36
17	22 जुलाई, 2000	141.0	143.7	153.2	0.00	0.13	1.41	1.52	7.06	1.91	6.61	4.95	4.45
18	29 जुलाई, 2000	140.7	143.8	153.3	0.07	0.07	1.48	1.59	6.67	2.20	6.61	4.86	4.53
19	5 अग., 2000	140.3	144.3	153.4	0.35	0.07	1.83	1.66	6.21	2.85	6.31	4.79	4.60
20	12 अग., 2000	140.6	144.2	153.3	-0.07	-0.07	1.76	1.59	6.43	2.56	6.31	4.72	4.67
21	19 अग., 2000	140.7	144.9	153.2	0.49	-0.07	2.26	1.52	6.59	2.99	5.73	4.65	4.73
22	26 अग., 2000	140.8	144.8	153.7	-0.07	0.33	2.19	1.86	6.91	2.84	6.15	4.57	4.79
23	2 सित., 2000	140.9	145.3	154.2	0.35	0.33	2.54	2.19	5.94	3.12	6.13	4.52	4.85
24	9 सित., 2000	140.8	145.2	154.1	-0.07	-0.06	2.47	2.12	5.71	3.13	6.13	4.47	4.90
25	16 सित., 2000	140.7	145.6	154.2	0.28	0.06	2.75	2.19	5.95	3.48	5.91	4.42	4.95
26	23 सित., 2000	140.7	145.2	154.0	-0.27	-0.13	2.47	2.05	5.95	3.20	6.06	4.37	5.01
27	30 सित., 2000	141.3	145.5	156.8	0.21	1.82	2.68	3.91	6.00	2.97	7.77	4.31	5.10
28	7 अक्टू., 2000	141.6	146.6	156.9	0.76	0.06	3.46	3.98	6.07	3.53	7.03	4.26	5.17
29	14 अक्टू., 2000	141.7	147.2	157.3	0.41	0.25	3.88	4.24	6.30	3.88	6.86	4.21	5.23
30	21 अक्टू., 2000	142.6	147.5	157.5	0.20	0.13	4.09	4.37	6.98	3.44	6.78	4.15	5.29
31	28 अक्टू., 2000	142.9	147.5	157.7	0.00	0.13	4.09	4.51	7.28	3.22	6.92	4.07	5.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	4 नव., 2000	142.6	147.2	157.9	-0.20	0.13	3.88	4.64	7.22	3.23	7.27	4.00	5.44
33	11 नव., 2000	142.5	147.1	158.2	-0.07	0.19	3.81	4.84	7.06	3.23	7.55	3.92	5.52
34	18 नव., 2000	142.5	147.0	157.9	-0.07	-0.19	3.74	4.64	7.14	3.16	7.41	3.85	5.61
35	25 नव., 2000	142.7	146.7	157.6	-0.20	-0.19	3.53	4.44	7.29	2.80	7.43	3.76	5.70
36	2 दिस., 2000	142.8	146.4		-0.20		3.32		7.13	2.52		3.68	
37	9 दिस., 2000	142.5	146.1		-0.20		3.11		6.82	2.53		3.60	
38	16 दिस., 2000	141.9	146.0		-0.07		3.03		6.13	2.89		3.54	
39	23 दिस., 2000	141.3	145.9		-0.07		2.96		5.21	3.26		3.50	
40	30 दिस., 2000	141.3	145.8		-0.07		2.89		5.20	3.04		3.46	
41	6 जन., 2001	140.9	145.9		0.07		2.96		4.29	3.55		3.44	
42	13 जन., 2001	140.6	145.9		0.00		2.96		4.15	3.77		3.44	
43	20 जन., 2001	140.4	145.9		0.00		2.96		4.15	3.92		3.43	
44	27 जन., 2001	141.0	146.1		0.14		3.11		4.60	3.62		3.42	
45	3 फर., 2001	141.6	146.2		0.07		3.18		5.28	3.25		3.38	
46	10 फर., 2001	141.6	145.9		-0.21		2.96		5.44	3.04		3.33	
47	17 फर., 2001	141.4	146.1		0.14		3.11		5.60	3.32		3.29	
48	24 फर., 2001	141.2	147.4		0.89		4.02		5.29	4.39		3.28	
49	4 मार्च, 2001	141.7	148.8		0.95		5.01		5.59	5.01		3.27	
50	11, मार्च, 2001	141.6	149.1		0.20		5.22		5.51	5.30		3.26	
51	17 मार्च, 2001	141.6	149.2		0.07		5.29		5.28	5.37		3.27	
52	24 मार्च, 2001	141.7	150.9		1.14		6.49		5.27	6.49		3.29	

[अनुवाद]

विनिवेश की प्रक्रिया

4273. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अर्थव्यवस्था की गति को बेहतर बनाने के लिए विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) भारत सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही विनिवेश कर रही है जिसमें पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। इस प्रक्रिया में और तेजी लाने के उद्देश्य से इसकी क्रियाविधि की समय-समय

पर समीक्षा की जाती है और इसमें संशोधन किया जाता है। इस समय स्थिति इस प्रकार है:-

- विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर आधारित अथवा सरकार की घोषित विनिवेश नीति के अनुसरण में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश प्रस्तावों को विनिवेश पर मन्त्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

- विनिवेश प्रस्ताव को विनिवेश पर मंत्रिमण्डल समिति की मन्जूरी मिलने के बाद प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से सलाहकार का चयन किया जाता है।

- सलाहकार इच्छुक पार्टियों से हितों की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव आमन्त्रित करते हुए विज्ञापन तैयार करने और प्रमुख समाचार-पत्रों में उन्हें जारी करने में सरकार की सहायता करता है।

- हितों की अभिव्यक्तियों की प्राप्ति के बाद घोषित नीति/आवश्यकताओं के प्रकाश में वस्तुपरक छानबीन पर आधारित संभावित बोली दाताओं की संक्षिप्त सूची तैयार की जाती है।

- सलाहकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विधिवत अभ्यवसाय के बाद, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परामर्श से, सूचना ज्ञापन तैयार करते हैं इसे उन संक्षिप्त सूचीबद्ध संभावित बोलीदाताओं को प्रदान कर दिया जाता है, जिन्होंने गोपनीयता करार सम्पन्न किए हैं।

- शेयर खरीद करार और शेयर धारक करार मसौदे भी कानूनी सलाहकारों की सहायता से सलाहकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

- संभावित बोलीदाता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विधिवत अध्यवसाय अपने हाथ में लेते हैं और किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सलाहकारों/सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करते हैं।

- साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्य निर्धारण का काम मानक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटियों के अनुसरण में आरम्भ किया जाता है।

- संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर शेयर खरीद करार और शेयरधारक करार तैयार किए जाते हैं। विधि मन्त्रालय द्वारा इन करारों को पुनरीक्षा कर लेने के बाद सरकार इनका अनुमोदन करती है। तत्पश्चात इन्हें अन्तिम बाध्यकारी बोलियां (तकनीकी तथा वित्तीय) आमन्त्रित करने के लिए संभावित बोलीदाताओं को भेजा जाता है।

- विश्लेषण और मूल्यांकन पर विचार करने के बाद, अन्तर्मन्त्रालय दल की सिफारिशों को अनुकूल साझेदार के चयन, शेयर खरीद करार और शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर करने और अन्य अनुषंगिक मुद्दों के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के लिए विनिवेश पर मन्त्रिमण्डल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

- ऊपर उल्लिखित विनिवेश प्रक्रिया में विनिवेश विभाग को एक अन्तर्मन्त्रालय दल प्रत्येक चरण में सहायता प्रदान करता है जिसमें विनिवेश विभाग के अधिकारियों और सलाहकारों के अलावा वित्त मन्त्रालय, लोक उद्यम विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।

- कार्रवाई पूरी होने के बाद इससे संबंधित सभी कागजात और दस्तावेजों को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेजा जाएगा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक इसे संसद को भेजने तथा जन साधारण को जारी करने के लिए एक मूल्यांकन तैयार करेगा।

मसालों का निर्यात

4274. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मसालों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान देश से मसालों का वर्षवार कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया गया और इस प्रकार की कमी से कौन-कौन से राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिये कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मसाला बोर्ड द्वारा गत दो वर्षों के दौरान मसालों के निर्यात के संवर्धन के लिये कितने धनराशि खर्च की गयी;

(ङ) क्या सरकार को मसाला बोर्ड में कुप्रबंधन से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे सुधारने के लिये क्या कर्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ठमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान रुपया और डालर दोनों रूपों

में मसालों के निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि हुई है। तथापि, निर्यातित मसालों की मात्रा में निम्नानुसार गिरावट आई है:-

वर्ष	मात्रा (मी.टन.)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मूल्य (अमरीकी डालर)
1998-99(अ)	231389	1758.02	419.68
1999-2000(अनु.)	208825	1861.02	430.20

(अ) अनंतिम (अनु.) अनुमानित

स्रोत: सपाइसेस बोर्ड

चूंकि निर्यात हेतु मसाले प्राप्त करने के लिए राज्यवार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं इसलिए उन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों का पता लगाना संभव नहीं है जहां से निर्यात हेतु मसालों की प्राप्ति में गिरावट आई है।

(ग) और (घ) जी, हां। मसालों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछेक कादमों में शामिल हैं:-

(i) 0.5% की समेकित दर से मसालों के निर्यात पर उपकर को युक्ति संगत बनाना।

(ii) मूल्यवर्द्धित मसालों के निर्यातक को "भारतीय मसाला लोगों" प्रदान करने तथा बल्क में मसालों के निर्यातकों, जो गुणवत्ता संबंधी मानकों का अनुपालन करते हैं, को "मसाला गृह प्रमाण-पत्र" प्रदान करने जैसी ब्रांड संवर्द्धन योजनाओं को लागू करना।

(iii) उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू कर उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्द्धी बनाने के अलावा भारतीय मसालों और मसाला उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करना।

(iv) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद विकास।

(v) नए बाजारों, नए प्रयोगों और नए ब्रांडों को विकसित कर उत्पाद का विविधीकरण करना।

(vi) कार्बनिक मसालों उत्पादों के लिए लघु एवं विशिष्ट बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्बनिक मसालों और मसाला उत्पादों को विकसित करना।

(vii) भारतीय मसालों के लिए बाजार विकास हेतु व्यापार शिष्टमंडलों को भेजना।

मसाला बोर्ड ने विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं पर 1998-99 के दौरान 343.88 लाख रुपए और 1999-2000 के दौरान 410.00 लाख रुपए का व्यय किया है।

(ङ) और (च) मासाला बोर्ड के निष्पादन/कार्यकरण के संबंध में सामान्य स्वरूप के अभ्यवेदन/पत्र प्राप्त हुए हैं जिनपर कार्रवाई की गई है तथापि बोर्ड के कुप्रबंधन के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

यू. एन. आई. डी. ओ. से तकनीकी सहायता

4275. डा. बी.बी. रमैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान यू. एन. आई. डी. ओ. ने हमारे देश को क्या तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) क्या उक्त तकनीकी सहायता भारत द्वारा यू. एन. आई. डी. ओ. को उसके नियमित बजट हेतु, दिए जाने वाले वित्तीय और स्वैच्छिक सहयोग की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने यू. एन. आई. डी. ओ. से हमारे देश के लिए अच्छी गुणवत्ता की वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर यू. एन. आई. डी. ओ. ने क्या प्रत्युत्तर दिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) पिछले तीन वर्षों में यूनिडो द्वारा भारत को उपलब्ध करायी गयी तकनीकी सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

अनुमोदित/चालू परियोजनाएं	37,188,850/- अमरीकी डालर (कुल आबंटन)
पूरी की गयी परियोजनाएं	15,072,227/- अमरीकी डालर (कुल बजट)

(ख) से (ङ) यूनिडो, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है, का उद्देश्य अपने तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्वीय, आंचलिक, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर पोषणीय औद्योगिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। यूनिडो से भारत को प्राप्त हुई तकनीकी सहायता भारत द्वारा यूनिडो को दिए गए आर्थिक योगदान के अनुरूप है।

दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी समितियां

4276. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों को लेखन-सामग्री, कार्यालयी यंत्र, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए दिल्ली में सुपर बाजार

और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (एन० सी० सी० एफ०) जैसी कुछ सहकारी उपभोक्ता समितियों को प्राधिकार देने और सरकारी कार्यालयों के लिए केवल उन्हीं से वस्तुएं खरीदने की अनिवार्य बनाने के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इन उद्देश्य और लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है और कई सरकारी कार्यालयों द्वारा निविदाएं और कोटेशन आमंत्रित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रणाली से सरकारी खर्चे में कोई कमी आई है और क्या सरकार का विचार सरकारी कार्यालयों के लिए इन समितियों में सामान खरीदने की अनिवार्यता संबंधी आदेश की समीक्षा करने का है;

(घ) क्या ये समितियां वस्तुओं और इनकी बिक्री के अनुपात की अनदेखी करते हुए एक के बाद दूसरे आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत कर रही है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इन मामलों की जांच कराने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सहकारी समितियों का उद्देश्य अत्यंत किफायती और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, भारत सरकार ने 1963 में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस आशय के दिशा-निर्देश जारी किए थे कि सरकारी कार्यालय अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का खरीद उपभोक्ता सहकारी भण्डारों में ही करें। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने वित्त मंत्रालय और तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्रालय के साथ परामर्श करके 14 जुलाई, 1981 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसमें केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वे अपनी लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की खरीद केवल केंद्रीय भंडार से ही करें। बाद में 1987 और 1994 में उक्त कार्यालय ज्ञापन में क्रमश: सुपर बाजार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को भी शामिल किया गया, क्योंकि ये दोनों सहकारी समितियां बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और इन दो संगठनों में भारत सरकार प्रमुख अंशधारक है। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के होते हुए भी कुछ विशेष मदों की खरीद के मामले में केंद्रीय सरकार के कार्यालय टैंडर/कोटेशन मंगा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों का अंतिम उद्देश्य उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं खरीदता है। तथापि, ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 1981 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की खरीद पर सरकारी खर्चे में कोई कमी आई है या नहीं। तथापि, इस नीति की समीक्षा की जाती रहती है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, सुपर बाजार, दिल्ली और केंद्रीय भंडार स्वैच्छिक सहकारी संगठन है, जिनके प्रशासनिक तथा कारोबार संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए अपने निदेशक मंडल हैं। भारत सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि इन संगठनों की व्यापार नीति उनके वित्तीय और प्रचालनात्मक अवधारणाओं के अनुसार बनाई जाती है।

कच्चे चावल पर "ड्राइएज" की अनुमति

4277. **श्री जे०एस० बराड़** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1995-96 में खरीफ के मौसम से पूर्व कच्चा/सेला चावल तैयार करने हेतु 2% "ड्राइएज" की अनुमति दे रही थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे चावल के मामले में 1999-2000 के खरीफ के मौसम से इसे इसे घटाकर 1% कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसे पुन: बहाल करने का काई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1995-96 तक रॉ और सेला चावल के लिए दो प्रतिशत शुष्कन की अनुमति थी।

(ग) से (छ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई चावल मिलिंग संबंधी विशेषज्ञ समिति (गोकाक समिति) ने रॉ और सेला चावल के लिए किसी प्रकार की शुष्कन की छूट की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि रॉ और सेला चावल का आऊट टर्न अनुपात का निर्धारण करते समय इस समिति ने इस तथ्य पर विचार किया था। समिति ने पाया था कि नमी तत्व का ध्यान किए बगैर सेला (पार-बॉयलिंग) प्रचालनों के दौरान धान पानी सोखती है और नमी तत्व की समूची सीमा 28 से 35 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। शुष्कन प्रचालनों के दौरान ये नमी तत्व मिलिंग करने लायक स्तर तक कम हो जाते हैं और यह 12 से 15 प्रतिशत के बीच हो जाती है। इस परिवर्तन की दृष्टि में, पार-बॉयल्ड धान की मिलिंग के लिए भंडारण के दौरान नमी तत्व में कमी के कारण किसी शुष्कन हानि की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है।

तथापि, इस बात पर विचार करते हुए कि धान की मिलिंग करने से पूर्व इसमें कुछ शुष्कन होती हैं, 1998-99 में पंजाब के मामले में रॉ चावल के लिए दो प्रतिशत की शुष्कन की अनुमति दी गई थी। सरकार द्वारा पहली दिसम्बर, 1998 को लिए गए निर्णय के अनुसार रॉ चावल के उत्पादन के लिए धान की कस्टम मिलिंग के लिए सभी राज्यों के लिए इसे घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है।

घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुओं का आयात

4278. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुओं के आयात के मुद्दे पर निर्णय लिया है और सामान्य गुणवत्ता के मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना लागू करने का निर्णय भी लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आयात पर निगरानी रखने के लिए तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) भारत में होने वाले आयात, आयात-निर्यात नीति के अनुपालन के अधीन रहने के अलावा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुपालन के भी अधीन होते हैं। इस प्रकार, सभी आयातित वस्तुओं को घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लागू होने वाले सभी घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमनों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरणिक सुरक्षा संबंधी मापदंडों का अनुपालन करना होगा।

सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि घटिया क्वालिटी की वस्तुओं की देश में अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रयोजनार्थ 131 उत्पादों के आयात को घरेलू वस्तुओं पर लागू होने वाले अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। इस अपेक्षा के अनुपालन हेतु सभी विनिर्माताओं/भारत को इन उत्पादों के निर्यातकों के लिए स्वयं को भारतीय मानक ब्यूरो के पास पंजीकृत करवाना अपेक्षित होता है। 131 उत्पादों की सूची में शामिल हैं:-विभिन्न खाद्य संरक्षक एवं अभिवर्द्धक, दुग्ध पावडर, शिशु दुग्ध खाद्य, कुछेक प्रकार की सीमेंट, घरेलू और इसी प्रकार के बिजली के उपकरण, गैस सिलिन्डर और बहुप्रयोजनीय शुल्क बैटरियां।

[हिन्दी]

तस्करी के सामान की जब्ती

4279. **श्री रामचन्द्र बैंदा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान देश के विभिन्न विमानपत्तनों और समुद्रपत्तनों में तस्करी की कितने मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई;

(ख) तत्संबंधी विमानपत्तन-वार और समुद्रपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अलग-अलग कितने भारतीय और विदेशी लोग गिरफ्तार किये गये; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिलगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पहली मई, 2000 से 15 नवम्बर, 2000 के दौरान देश में विभिन्न विमानपत्तनों तथा बन्दरगाहों पर जब्त की गई तस्करी की वस्तुओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए भारतीयों तथा विदेशियों की संख्या क्रमश: 105 तथा 46 है।

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए चौकस रहते हैं।

विवरण

पहली मई, 2000 से 15 नवम्बर, 2000 के दौरान देश में विभिन्न विमान पत्तनों तथा बंदरगाहों पर जब्त की गई तस्करी की वस्तुओं का ब्यौरा

I. विमान पत्तन

क्र० सं०	विमान पत्तन का नाम	जब्त की गई वस्तु का मूल्य (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	अहमदाबाद विमानपत्तन	62.87
2.	बंगलौर विमानपत्तन	21.50
3.	कालीकट विमानपत्तन	120.64
4.	चेन्नई विमानपत्तन	1248.65
5.	सी एस आई विमानपत्तन, मुम्बई	2388.06
6.	कोचीन विमानपत्तन	43.49
7.	गोवा विमानपत्तन	35.41
8.	हैदराबाद विमानपत्तन	24.30
9.	आई०जी०आई० विमानपत्तन, नई दिल्ली	1242.90

1	2	3
10.	लखनऊ विमानपत्तन	4.87
11.	एन एस सी बी विमानपत्तन, कलकत्ता	113.34
12.	पटना विमानपत्तन	7.43
13.	राजासांसी विमानपत्तन, अमृतसर	23.00
14.	त्रिची विमानपत्तन	2.32
15.	त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन	153.67
16.	वाराणसी विमानपत्तन	0.03
	कुल	5492.57

II. बंदरगाह

क्र. सं.	बंदरगाह का नाम	जब्त की गई वस्तु का मूल्य (लाख रुपये में)
1.	अहमदाबाद बंदरगाह	1658.13
2.	कलकत्ता बंदरगाह	214.49
3.	चेन्नई बंदरगाह	281.23
4.	गोवा बंदरगाह	7.80
5.	मुम्बई बंदरगाह	352.00
6.	न्हावा शेवा बन्दरगाह	228.00
7.	पारादीप बंदरगाह	0.01
8.	विज़ाग बंदरगाह	65.76
	कुल	2807.42

[अनुवाद]

राजस्व सम्बन्धी व्यय

4280. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए अधिक धनराशि ऋण स्वरूप ली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है; और

(घ) राजस्व संबंधी व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जैसा कि 29 फरवरी, 2000 को सदन के पटल पर रखी गई "बजट का सार" पुस्तिका से देखा जा सकता है कि पूंजी-व्यय 57389 करोड़ रुपये होने की बजटीय व्यवस्था है जबकि निवल उधार (राजकोषीय घाटा) 111275 करोड़ रुपये होने की बजटीय व्यवस्था है। अत: उधारों का एक भाग राजस्व व्यय को वित्तपोषित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) सरकारी उधारों के उच्च स्तर अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के लिए संसाधनों की उपलब्धता को कम करते हैं, निजी को बढ़ाते हैं और ब्याज-दरों पर दबाव डालते हैं।

(घ) सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि राजस्वों को अधिकतम करके और उत्पादकता-भिन्न व्यय को नियंत्रित करके प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को नियंत्रित किया जाए।

समाचार वेब पोर्टल आरंभ किया जाना

4281. डा॰ जसवंत सिंह यादव :
श्री अनन्त नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का विचार एक समाचार वेब पोर्टल आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पोर्टल को संयुक्त उद्यम में खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) पोर्टल दूरदर्शन समाचारों की अनुपूर्ति करेगा और इसमें पाठ के साथ-साथ प्रवाहपूर्ण श्रव्य एवं दृश्य तथा मांग पर श्रव्य एवं दृश्य सुविधा भी उपलब्ध होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इसे 2001 की प्रथम तिमाही में शुरू किए जाने की संभावना है।

आन्ध्र प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए चावल

4282. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से 15 लाख टन चावल देने का अनुरोध किया था ताकि राज्य सरकार इसकी आपूर्ति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कर सके;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चावल कब तक दिये जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को आन्ध्र प्रदेश सरकार के लिए 950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सुविधाजनक किस्तों में चावल रिलीज करने के निदेश दिए हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से जब कभी अनुरोध प्राप्त होगा, चावल भारतीय खाद्य निगम रिलीज करेगा।

व्यक्तिगत निवेशक

4283. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंक में व्यक्तिगत शेयर-धारिता को इक्विटी के 1% तक सीमित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयास के पीछे क्या तर्क है;

(ग) क्या निवेशकों का समूह अपनी सीमित 1% इक्विटी का दुरुपयोग बैंक को हड़पने के लिए कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे निवेशकों के शोषण से बचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को संचालित करने वाली सांविधियां इन बैंकों में किसी व्यक्ति के शेयरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एकल शेयरधारकों के संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

(i) **राष्ट्रीयकृत बैंक** : बैंक में सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का एक प्रतिशत;

(ii) **भारतीय स्टेट बैंक** : बैंक की निर्गमित पूंजी का दस प्रतिशत; और

(iii) **भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक** : बैंक के दो सौ शेयरों से अधिक नहीं।

गन्ना आधारित उद्योग

4284. श्री सुबोध मोहिते : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गन्ना आधारित उद्योगों की शक्ति को विकसित करने के लिए और इन्हें विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत मुक्त व्यापार व्यवस्था का सामना करने योग्य बनाने के लिए इन उद्योगों पर लगाये गये सभी नियंत्रणों और विनियमों को हटा लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में गन्ना आधारित उद्योगों के विकास के लिए अन्य कौन-कौन से उपाय सुझाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) चीनी उद्योग देश में गन्ना आधारित एक प्रमुख उद्योग है। चूंकि चीनी एक आवश्यक वस्तु है इसलिए यह सरकार का कर्तव्य है कि इसे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर इसकी उपलब्धता तथा चीनी मिलों को पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसके उत्पादन, आपूर्ती और वितरण पर आवश्यक प्रतिबंध लगाए हैं। हाल में सरकार ने प्रतिबंधों/नियंत्रणों को हटाने/उनमें छूट देने के लिए निम्नानुसार कुछ उपाय किए हैं:-

(1) सितम्बर, 1998 में चीनी उद्योग से लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है।

(2) सरकार ने चीनी के मान्यताप्राप्त वितरकों पर लगी स्टाक रखने संबंधी सीमा हटा कर चीनी व्यापार को उदार बनाया है लेकिन 30 दिनों की कारोबार अवधि की सीमा जारी रखी गई है जिसे दिनांक 7.7.2000 की अधिसूचना के द्वारा घरेलू तथा आयातित चीनी पर लागू कर दिया गया है।

(3) प्रत्येक पखवाड़े के दौरान खुली बिक्री के मासिक कोटे के कम से कम 47.5% की बिक्री करने संबंधी प्रतिबंध था। दिनांक 13.4.1999 की अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने उक्त प्रतिबंध हटा दिया है। इसके अलावा, दिनांक 25.1.2000 की अधिसूचना के द्वारा सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों को खुली बिक्री के मासिक कोटे का 10% तक अगले मास में बेचने की अनुमति भी दे दी है जो इस शर्त के अधीन होगा कि यह बिक्री आगामी महीने की 7 तारीख तक कर ली जाएगी।

(घ) चीनी उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार कई उपाय कर रही है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) 1.1.2000 से चीनी फैक्ट्रियों पर लेवी की बाध्यता 40% से घटाकर 30% कर दी गयी है।

(ii) चीनी फैक्ट्रियों को ब्याज की रियायती दरों पर उनका आधुनिकीकरण, पुन:स्थापन करने और उनके क्षेत्रों में गन्ना विकास के लिए सहायता दी जाती है।

(iii) प्रोत्साहन योजना के अधीन नई स्थापित/क्षमता में विस्तार करने वाली चीनी फैक्ट्रियों को तब प्रोत्साहन दिया जाता है जब वे प्रोत्साहन योजना में विहित शर्तों को पूरा करती हैं।

[हिन्दी]

सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग

4285. श्री उत्तमराम पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोयाबीन उत्पादन से जुड़े राज्यवार कितने उद्योग कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्तमान में इनमें से राज्यवार कितने उद्योग बंद हैं;

(ग) इनमें से राज्यवार कितने उद्योग घाटे मे चल रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसे रूग्ण उद्योगों को कोई सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सोयाबीन का प्रसंस्करण विलायक निष्कर्षण विधि से किया जाता है। फिलहाल, सोयाबीन के प्रसंस्करण के काम में 506 विलायक निष्कर्षण इकाइयां लगी हुई हैं।

फिलहाल, 311 विलायक निष्कर्षण इकाइयां बन्द पड़ी हैं। चालू और बन्द पड़ी इकाइयों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में है।

(ग) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार बी॰आई॰एफ॰आर॰ के रास्ते वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बी॰आई॰एफ॰आर॰ के पास 112 इकाइयां पंजीकृत हैं।

विवरण

राज्य का नाम	कार्य कर रही एसईओ इकाइयों की संख्या	बंद की गई एसईओ इकाइयों की संख्या
हरियाणा	38	19
हिमाचल प्रदेश	–	2
जम्मू और कश्मीर	–	1
पंजाब	55	29
राजस्थान	24	21
उत्तर प्रदेश	28	26
असम	2	1
बिहार	1	5
उड़ीसा	4	8
सिक्किम	–	–
पश्चिम बंगाल	18	4
गुजरात	60	23
मध्य प्रदेश	81	41
महाराष्ट्र	56	24
गोवा	–	--
दादर और नगर हवेली	–	–
आंध्र प्रदेश	66	46
कर्नाटक	34	25
केरल	8	3
तमिलनाडु	29	24
पांडिचेरी	2	2
जोड़	506	311

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4286. डॉ॰ बलिराम : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कितने व्यक्तियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है और श्रेणी ''ग'' और ''घ'' के कर्मचारियों को भुगतान करने का क्या मानदण्ड है; और

(ग) निकट भविष्य में सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रमों में उक्त योजना कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-3-1999 तक सरकारी क्षेत्र के 2,31,885 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का लाभ उठाया। सरकारी क्षेत्र का उद्यमवार ब्यौरा, जहां पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति क्रियान्वित की गई, विवरण-I में दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निकट भविष्य में क्रियान्वित की जाने वाली स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त मानव शक्ति पर निर्भर करेगी। समूह ''ग'' तथा ''घ'' सहित सभी कर्मचारियों को अदायगी करने के लिए मापदण्ड संक्षेप में विवरण-II के अनुसार है।

विवरण-I

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने स्थापना होने से 31.3.99 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है

1.	राष्ट्रीय बीज निगम लि॰	727
2.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मा॰ लि॰	553
3.	बंगाल इम्युनिटी लि॰	345
4.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि॰	384
5.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि॰	192
6.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि॰	66
7.	इण्डियन पेट्रो केमिकल्स कारपो॰ लि॰	76
8.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मा॰ लि॰	9
9.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मा॰ लि॰	341
10.	फर्टिलाइजर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	1537
11.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि॰	367
	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो॰ लि॰	1751
13.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰	158
14.	पारादीप फास्फेट्स लि॰	25
15.	प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि॰	714
16.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ट कैमिकल्स लि॰	507
17.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰	240
18.	एयर इण्डिया लि॰	17
19.	इण्डियन एयरलाइन्स लि॰	232
20.	इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	69
21.	एमएमटीसी लि॰	1193.
22.	माइका ट्रेडिंग कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	971
23.	पीईसी लि॰	17
24.	मसाला व्यपार निगम लि॰	10
25.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि॰	717
26.	एचटीएल लि॰	485
27.	आईटीआई लि॰	5495
28.	केन्द्रीय भण्डारण निगम	884
29.	भारतीय खाद्य निगम	18
30.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो॰ लि॰	736
31.	भारत डायनामिक्स लि॰	131
32.	भारत अर्थ मूवर्स लि॰	1992
33.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि॰	3237
34.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि॰	268
35.	गोवा शिपयार्ड लि॰	3
36.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि॰	2013
37.	मझगांव डॉक लि॰	1325
38.	मिश्र धातु निगम लि॰	7
39.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि॰	85
40.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि॰	4

41. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि॰ 48
42. एण्ड्रयु यूले एण्ड कंपनी लि॰ 624
43. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि॰ 155
44. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि॰ 987
45. भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि॰ 143
46. भारत लेदर कारपो॰ लि॰ 94
47. भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि॰ 72
48. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि॰ 620
49. भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि॰ 163
50. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि॰ 1405
51 ब्रिज एण्ड एफ कंपनी (इण्डिया) लि॰ 351
52. बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि॰ 3094
53. सीमेंट कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰ 413
54. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि॰ 191
55. हैवी इंजीनियरिंग कारपो॰ लि॰ 6266
56. हिन्दुस्तान केबल्स लि॰ 1918
57. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि॰ 32
58. हिन्दुस्तान पेपर कारपो॰ लि॰ 67
59. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु॰ कारपो॰ लि॰ 881
60. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि॰ 21
61. एचएमटी लि॰ 5653
62. इंस्ट्रूमेंटेशन लि॰ 1004
63. जेसप एण्ड कंपनी लि॰ 657
64. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि॰ 298
65. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो॰ 2129
66. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि॰ 335
67. नेशनल बाईसिकल कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰ 683
68. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि॰ 55
69. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि॰ 513
70. नेपा लि॰ 854
71. प्रागा टूल्स लि॰ 269
72. आरबीएल लि॰ 63
73. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि॰ 1940
74. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि॰ 2139
75. सांभर साल्ट्स लि॰ 79
76. स्कूटर्स इण्डिया लि॰ 1070
77. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰ 339
78. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि॰ 619
79. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि॰ 204
80. टायर कारपो० ऑफ इण्डिया लि॰ 1132
81. वेबर्ड (इण्डिया) लि॰ 219
82. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि॰ 68
83. सीएमसी लि॰ 45
84. इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपो॰ लि॰ 28
85. सेमी-कण्डक्टर काम्प्लेक्स लि॰ 20
86. इस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ 13203
87. नेवेली लिग्नाईट कारपो॰ लि॰ 543
88. साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि॰ 1887
89. भारत एल्युमिनियम कं॰ लि॰ 507
90. भारत गोल्ड माइन्स लि॰ 4329
91. हिन्दुस्तान कॉपर लि॰ 7486
92. हिन्दुस्तान जिंक लि॰ 1769
93. खनिज गवेषण निगम लि॰ 4163
94. नेशनल एल्युमिनियम कं॰ लि॰ 20
95. बॉमर लॉरी एण्ड कंपनी लि॰ 148
96. बीको लॉरी लि॰ 423

97. इंजीनियर्स इण्डिया लि॰	53
98. आईबीपी कंपनी लि॰	35
99. इण्डियन ऑयल ब्लैण्डिंग लि॰	21
100. इण्डियन ऑयल कारपो॰ लि॰	794
101. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि॰	3551
102. ऑयल इण्डिया लि॰	5
103. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो॰ लि॰	847
104. नेशनल थर्मल पावर कारपो॰ लि॰	478
105. सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि॰	113
106. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि॰	437
107. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि॰	582
108. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र॰ लि॰	8068
109. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं॰ लि॰	1889
110. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि॰	7
111. महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि॰	41
112. मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि॰	398
113. मेटालर्जिकल एण्ड इंजी॰ कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि॰	73
114. स्पंज आयरन इण्डिया लि॰	108
115. स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लि॰	21516
116. विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कं॰ लि॰	1076
117. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि॰	840
118. कोचीन शिपयार्ड लि॰	154
119. ड्रेजिंग कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	18
120. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि॰	1818
121. हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि॰	514
122. ब्रिटिश इण्डिया कारपो॰ लि॰	1735
123. कानपुर टेक्सटाईल लि॰	1097
124. भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि॰	120
125. भारतीय कपास निगम लि॰	12
126. एल्गिन मिल्स कंपनी लि॰	4529
127. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि॰	97
128. जूट कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	176
129. नेशनल जूट मैन्यु॰ कारपो॰ लि॰	3231
130. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि॰	4
131. नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि॰	7588
132. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि॰	745
133. नेटेका (गुजरात) लि॰	8747
134. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि॰	8186
135. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि॰	12315
136. नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि॰	11700
137. नेटेका (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि॰	4884
138. नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि॰	9485
139. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि॰	8677
140. भारतीय पर्यटन विकास निगम लि॰	973
141. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि॰	481
142. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि॰	362
143. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि॰	1835
144. इलेक्ट्रानिक्स कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	1036
145. इण्डियन रेजर अर्थ लि॰	95
जोड़	231885

विवरण-II

समूह "ग" तथा "घ" सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सभी कर्मचारियों को अदायगी करने के लिए मापदंड

उद्यम जोकि वित्तीय रूप से मजबूत हैं और जोकि अपने अतिरिक्त संसाधनों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को बनाए रख सकते हैं वे वर्तमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को तैयार कर सकते हैं, उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं और उसमें घटबढ़ कर सकते हैं, परंतु किसी भी मामले

में मुआवजा सेवा के पूरा हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन अथवा शेष सेवा के माहों की संख्या के लिए वेतन, इनमें से जो भी कम हो, उसे अधिक नहीं होगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए वेतन में केवल मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता ही शामिल होगा और कोई अन्य अंश शामिल नहीं होगा।

2. वे उद्यम जोकि सीमांतिक लाभ अर्जित करते हैं, अथवा घाटा उठाने वाले उद्यम, वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की संशोधित योजना को अपना सकते हैं जोकि इस योजना पर तैयार की गई है, जैसाकि गुजरात राज्य में विद्यमान है। स्कीम का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) मुआवजे में सेवा के पूरे हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिनों का वेतन और सेवा की शेष अवधि के लिए सेवानिवृत्त होने तक 25 दिनों का वेतन शामिल है। मुआवजे की न्यूनतम राशि 25,000 रुपये अथवा 250 दिनों का वेनमान, जो भी अधिक हो, होगी। बहरहाल, यह मुआवजा उस वेतन की राशि से अधिक नहीं होगा जोकि कर्मचारी सेवा निवृत्त होने से पूर्व शेष अवधि के लिए विद्यमान स्तर पर ले रहा होगा।

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के लिए वेतन में केवल मूल वेतन और मंहगाई भत्ता ही शामिल होगा।

(iii) देय राशि के आंकलन में संशोधन के कारण मजूरी की बकाया राशि आदि को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) ग्रेचुटी की अदायगी ग्रेचुटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगी, आकस्मिक अवकाश का नकदीकरण स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना की तारीख तक अनुपात में किया जाएगा।

3. रूग्ण तथा अव्यवहारिक इकाइयों के लिए, भारी उद्योग विभाग के वी.एम.एस. पैकेज को अपनाया जाएगा। परिणामस्वरूप वी.एस.एस. पैकेज को गुजरात पद्धति पर तैयार किया जाएगा और उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार लागू किया जाएगा। वी.एस.एस. का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) कर्मचारी को पूरे किए गए सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के भत्ते (वेतन+महंगाई भत्ता) के बराबर अनुग्रह राशि अथवा सेवानिवृत्त होने के समय पर मासिक भत्ते, सेवानिवृत्त होने की सामान्य तिथि से पूर्व सेवा के शेष माह, जो भी कम हो, का हक प्राप्त होगा।

(ii) वे सभी जिन्होंने कम से कम तीस वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें मुआवजे के रूप में अधिकतम 60 (साठ) महीने के वेतन/मजूरी का हक प्राप्त होगा। इसमें यह शर्त भी लागू होगी कि यह राशि शेष रह गई सेवा की अवधि के वेतन/मजूरी से अधिक नहीं होगी। (स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त होने के समय पर मासिक वेतन/मजूरी की दर से)।

[अनुवाद]

कार्पोरेट अधिग्रहण

4287. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाएं प्रतिकूल कार्पोरेट अधिग्रहण के बारे में एक सामान्य दृष्टिकोण तैयार करने हेतु शीघ्र ही विचार-विमर्श करेंगी;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सामान्य नीति के क्या कारण हैं;

(ग) यदि इक्विटी शेयरों के लिए प्रतिस्पर्धा हो तो वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पर किस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) शेयरधारिता के बढ़ते मूल्य में अड़चन डालने वाली वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अगर कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने में प्रतिस्पर्धा होती है, तो वित्तीय संस्थाओं (एफआई) की इक्विटी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) शेयरधारक मूल्य बढ़ने से वित्तीय संस्थाएं कोई रुकावट पैदा नहीं करती।

लघु वृत्तचित्र

4288. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा निर्मित उन लघु वृत्तचित्रों के नाम क्या हैं, जिनका प्रसारण एक वर्ष से अधिक की अवधि से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वृत्तचित्रों के शीघ्र प्रसारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाकघर बचत योजनाओं में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

4289. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाकघर बचत योजनाएं चलाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एन॰बी॰एफ॰सी॰) स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु ऋण और पूंजी बाजार के लिए डाकघर बचत-बैंक की विशाल जमाराशि को किस प्रकार जुटाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) डाकघर बचत योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त लाभों के उपयोग की विधियों में बदलाव लाने के उद्देश्य से, डाकघर अधिनियम में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय डाकघर बचत योजनाओं के अधीन संग्रहणों के उपयोग के पैटर्न को परिवर्तित करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रसार भारती बोर्ड

4290. **श्री विलास मुत्तेमवार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती बोर्ड औपचारिक रूप से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या प्रसार भारती बोर्ड के कुछ सदस्य हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कितनी समयावधि के लिए नियुक्त किए गए थे;

(ङ) क्या उपर्युक्त सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। बोर्ड औपचारिक रूप से तीन अंशकालिक सदस्यों नामत: श्री बी॰जी॰ वर्गीस, प्रो॰ यू॰आर॰ राव और डा॰ आबिद हुसैन, एक कार्यकारी सदस्य नामत: श्री आर॰आर॰ शाह तथा सूचना और प्रसारण के केन्द्रीय मंत्रालय के एक प्रतिनिधि नामत: श्रीमती अरुणा माखन सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार से कार्य कर रहा है।

(ग) से (च) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 की धारा 6 की उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि अंशकालिक सदस्यों का कार्यालय छ: वर्ष होगा लेकिन ऐसे सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष की समाप्ति पर सेवा-निवृत्त हो जाएंगे। धरा 6 की उपधारा 5 राष्ट्रपति को कुछ अंशकालिक सदस्यों के कार्यकाल को कम करने के लिए ऐसे प्रावधान जैसा वे उचित समझें बनाने के लिए शक्ति प्रदान करती है जिससे कि उनमें से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवा-निवृत्त हो सकें। इन प्रावधानों की कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 1997 में दो अंशाकालिक सदस्यों नामत: प्रो॰ यू॰आर॰ राव और डा॰ आबिद हुसैन के कार्यकाल को कम करके 6 वर्ष से 4 वर्ष और अन्य दो अंशकालिक सदस्यों नामत: रोमिला थापर और श्री राजेन्द्र यादव के कार्यकाल को कम करके 6 वर्ष से 2 वर्ष कर दिया गया था।

कॉफी उद्योग के लिए प्रतिधारण-योजना

4291. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वभर के कॉफी उद्योग में, विशेषत: भारत के कॉफी-उद्योग में, संकट की स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो कॉफी बोर्ड ने किसानों की मदद के लिए एक कॉफी प्रतिधारण-योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में बंगलौर में ''यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इण्डिया'' और ''कर्नाटक प्लांटर्स एसोसिएशन'' का एक दो-दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में प्रमुखतया किन बातों पर विचार-विमर्श हुआ; और

(च) देश में कॉफी की लगातार कीमतों को ऊपर उठाने के लिए क्या उपाय करने का समेलन में सुझाव दिया गया और कॉफी प्रतिधारण-योजना को सफल बनाने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) हाल ही के महीनों में, बेशी आपूर्ति की स्थिति होने

के कारण कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है। चूंकि भारत में उत्पादित कॉफी का तकरीबन 80% हिस्सा, निर्यात किया जाता है, इसलिए यह उद्योग मुख्यत: कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर रहता है। इसलिए, भारतीय कॉफी के उपजकर्त्ताओं को आज वह कीमत नहीं मिल रही है जोकि उन्हें 2-3 वर्षों पहले मिलती थी। तथापि, कॉफी की दोनों किस्मों की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अभी भी ज्यादा हैं।

दि एशोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज (एसीपीसी), जिसका भारत 1999 में सदस्य बना था, ने मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने के लिए एक प्रतिधारण योजना का प्रस्ताव किया है जिसके अनुसार गिरती कॉफी कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से प्रत्येक देश से निर्यात की जाने वाली कॉफी का 20% हिस्सा उसे अपने पास रखना होगा।

(घ) से (ङ) उपासी और कर्नाटक प्लांटर्स एसोसिएशन (एसीपीसी) द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक 14 नवम्बर, 2000 को बंगलौर में एक-दिन का सम्मेलन आयोजित किए जाने की सूचना मिली है, जिसमें कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में कॉफी की कीमत की स्थिति, एसीपीसी की प्रतिधारण योजना, डब्ल्यूटीओ करार तथा भारतीय कॉफी सैक्टर पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर चर्चा की गई।

(च) सरकार द्वारा अब तक सम्मेलन के आयोजकों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, एक प्रतिधारण योजना के लिए कॉफी बोर्ड से एक सुझाव प्राप्त हुआ है। वास्तविक राशि इस योजना की संरचना पर निर्भर करेगी जिसका जिसे कार्यान्वित किए जाने का निर्णय लिया जाना है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर श्वेत पत्र

4292. श्री वाई॰एस॰ विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में एक विस्तृत श्वेत-पत्र को अंतिम रूप प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताविक पत्र की मुख्य बातें क्या-क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति की समीक्षा करना एक परामर्शदायी एवं सतत् प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना है। चूंक्रि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के उदारीकरण में सरकार के विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श अन्तर्ग्रस्त होता है, अत: उन विशेष क्षेत्रों का अनुमान लगाना कठिन होगा जिनमें नीति को भविष्य में उदारीकृत बनाया जायेगा।

राज्यों को ऋण

4293. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को, ऋणस्वरूप ली गई राशि का कितना भुगतान किया जाना शेष है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने अपनी समस्याओं का समाधान करने के प्रयोजन से, चालू वर्ष के दौरान उन्हें आसान और दीर्घावधि ऋण प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार (वित्त मंत्रालय) को चुकाए जाने वाले ऋणों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कुछ राज्य सरकारों ने उनके द्वारा किए जा रहे राजकोषीय तनाव को ध्यान में रखते हुए आसान शर्तों पर ऋणों के लिए अनुरोध किया है। ऐसे राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम और योजनागत और गैर-योजनागत सहायता अग्रिम रूप से जारी करते हुए केन्द्र सरकार ने उनके द्वारा प्राप्तियों और व्यय की अस्थायी असंगति का ध्यान रखते हुए चालू वर्ष में उन्हें सहायता प्रदान की है।

विवरण

11.12.2000 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार (वित्त मंत्रालय) को ऋण वापसी के तौर पर लौटाई जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15994.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	375.64
3.	असम	3776.48

1	2	3
4.	बिहार	14721.45
5.	छत्तीसगढ़	31.18
6.	गोवा	759.26
7.	गुजरात	15283.06
8.	हरियाणा	5209.47
9.	हिमाचल प्रदेश	2684.74
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3417.71
11.	झारखंड	21.19
12	कर्नाटक	9770.67
13.	केरल	6112.24
14	मध्य प्रदेश	10486.70
15.	महाराष्ट्र	23304.41
16.	मणिपुर	382.18
17.	मेघालय	339.13
18.	मिजोरम	247.13
19.	नागालैंड	346.93
20.	उड़ीसा	7693.76
21.	पंजाब	12510.65
22.	राजस्थान	10427.33
23.	सिक्किम	210.77
24.	तमिलनाडु	11558.09
25.	त्रिपुरा	607.02
26.	उत्तर प्रदेश	31701.53
27.	उत्तरांचल	4.56
28.	पश्चिम बंगाल	22839.37
	योग	210817.18

शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट से विद्युत

4294. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (बी॰ एच॰ ई॰ एल॰) का अनुसंधान और विकास स्कंध, वर्तमान में, शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट से विद्युत का उत्पादन करने के संबंध में अनुसंधान-कार्य में लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले उद्योग

4295. श्री चिन्तामन वनगा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार, संघ-राज्य क्षेत्रवार तथा क्षेत्रवार ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं, जिनमें शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या इस प्रकार के शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति लाभार्जक उपभोक्ता सामग्री वाले उद्योग, व्यापार-क्षेत्र इत्यादि में भी दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) से (ग) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में 100% विदेशी इक्विटी सहभागिता के लिए कुल 2334 प्रस्ताव, जिनमें 82907.32 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) की परिकल्पना है, अगस्त, 91 से अक्तूबर, 2000 की अवधि के दौरान अनुमोदित किये गये हैं। प्रस्ताव, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के परामर्श से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार अनुमोदित किये गये थे। उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित ऐसे प्रस्तावों का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण-I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

(अगस्त 1991 से अक्तूबर 2000) की अवधि के दौरान अनुमोदित 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों वाले उद्योगों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (करोड़ रु० में)	योग का %
	योग	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	75	0	75	1906.16	2.30
बिहार	6	0	6	626.80	0.76
गुजरात	59	0	59	3401.69	4.10
हरियाणा	50	0	50	1189.23	1.43
हिमाचल प्रदेश	2	0	2	6.55	0.01
कर्नाटक	300	0	300	6963.18	8.40
केरल	25	0	25	143.10	0.17
मध्य प्रदेश	12	0	12	5923.58	7.14
महाराष्ट्र	392	0	392	9457.54	11.41
मेघालय	1	0	1	44.46	0.05
उड़ीसा	12	0	12	2511.80	3.03
पंजाब	9	0	9	166.63	0.20
राजस्थान	17	0	17	455.96	0.55
तमिलनाडु	235	0	235	6106.82	7.37
उत्तर प्रदेश	73	0	73	699.01	0.84
पश्चिम बंगाल	28	0	28	499.50	0.60
अंडमान और निकोबार	2	0	2	1.58	0.00
चण्डीगढ़	4	0	4	2.50	0.00
दादर और नागर हवेली	4	0	4	62.78	0.08
दिल्ली	351	0	351	9395.49	11.33
गोवा	14	0	14	30.76	0.04
पांडिचेरी	7	0	7	32.08	0.04

1	2	3	4	5	6
दमन और दीव	1	0	1	1.64	0.00
राज्य जिनका उल्लेख नहीं किया गया है।	655	0	655	33278.48	40.14
कुल	2334	0	2334	82907.32	

विवरण-II

नीति की बाद की अवधि (1.8.1991 से 31.10.2000) के दौरान अनुमोदित 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और तकनीकी सहयोग का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	उद्योग का नाम	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (रु० करोड़ में)	योग का %
		योग	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मी उद्योग					
	फैरस	9	0	9	2369.25	2.86
	गैर फैरस	1	0	1	50.50	0.06
	विशेष अलोय	2	0	2	1.88	0.00
	खनन सेवा	17	0	17	3664.06	4.42
	विविध (अन्य मदें) धातुकर्मी	16	0	16	843.09	1.02
	जोड़	45	0	45	6928.78	6.36
2.	ईंधन					
	विद्युत	50	0	50	16195.71	19.53
	तेलशोधक कारखाना	21	0	21	6040.14	7.29
	विद्युत (अन्य)	28	0	28	1274.15	1.54
	तेलशोधक कारखाना (अन्य)	9	0	9	4151.38	5.01
	अन्य (ईंधन)	20	0	20	1855.62	2.24
	जोड़	128	0	128	29517.00	35.60
3.	बायलर और भाप जनित्रण संयंत्र	1	0	1	10.00	0.01
4.	वैद्युत को छोड़कर प्राईम मूवर्स	2	0	2	0.82	0.00

1	2	3	4	5	6	7
5.	वैद्युत उपकरण					
	वैद्युत उपकरण	76	0	76	2204.37	2.66
	कम्प्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	590	0	590	5132.83	6.19
	इलेक्ट्रोनिक्स	73	0	73	1511.77	1.82
	कम्प्यूटर हार्डवेयर	1	0	1	0.19	0.00
	अन्य (एस/डब्ल्यू)	8	0	8	59.11	0.07
	जोड़	748	0	748	8908.28	11.74
6.	दूरसंचार					
	दूरसंचार	38	0	38	1494.29	1.80
	रेडियो पेजिंग	1	0	1	0.00	0.00
	सेल्युलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा	6	0	6	101.71	0.12
	दूरसंचार (आई. एण्ड बी.)	22	0	22	257.56	0.32
	अन्य (दूरसंचार)	8	0	8	61.13	0.07
	जोड़	75	0	75	1914.69	2.31
7.	परिवहन उद्योग					
	ऑटोमोबाइल उद्योग	41	0	41	1611.26	1.94
	वायु/समुद्री परिवहन	28	0	28	580.15	0.70
	यात्री कारें	8	0	8	3199.70	3.86
	आटो सहायक समान/पुर्जे	31	0	31	1808.25	2.18
	पत्तन	6	0	6	361.80	0.44
	अन्य (परिवहन)	28	0	28	453.94	0.55
	जोड़	142	0	142	8015.11	9.67
8.	औद्योगिक मशीनरी	63	0	63	271.31	0.33
9.	मशीनी औजार	16	0	16	177.59	0.21
10.	कृषि मशीनरी	3	0	3	266.46	0.32
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	2	0	2	0.62	0.00
12.	विविध यांत्रिक व अभियांत्रिक	110	0	110	671.43	0.81

1	2	3	4	5	6	7
13.	वाणिज्य, कार्यालय और घरेलू उपकरण	7	0	7	327.32	0.39
14.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	18	0	18	241.54	0.29
15.	औद्योगिक उपकरण	8	0	8	13.80	0.02
16.	वैज्ञानिक उपकरण	5	0	5	18.22	0.02
17.	गणित्य, सर्वेक्षण तथा आरेखन	1	0	1	38.00	0.05
18.	रसायन (उर्वरक के अतिरिक्त)	124	0	124	3669.26	4.43
19.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म और कागज	4	0	4	187.32	0.23
20.	रंजक सामग्री	1	0	1	15.78	0.02
21.	औषध तथा भेषज	23	0	23	380.23	0.46
22.	वस्त्र (रंगे और छपे सहित)	63	0	63	484.35	0.58
23.	कागज उत्पाद सहित कागज और लुगदी	17	0	17	1567.44	1.89
24.	चीनी	2	0	2	910.00	1.10
25.	किण्वन उद्योग	8	0	8	437.26	0.53
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य उत्पाद	69	0	69	6050.88	7.30
	समुद्री उत्पाद	7	0	7	22.79	0.03
	विविध (खाद्य उत्पाद)	1	0	1	0.80	0.00
	जोड़	77	0	77	6074.47	7.33
27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	2	0	2	10.85	0.01
28.	साबुन, कास्मेटिक और टायलेट का सामान	15	0	15	283.27	0.34
29.	रबड़ की वस्तुएं	17	0	17	719.44	0.87
30.	चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स	25	0	25	145.17	0.18
31.	ग्लू तथा जिलेटिन	1	0	1	1.20	0.00
32.	कांच	14	0	14	641.87	0.77
33.	सिरेमिक	11	0	11	62.50	0.08
34.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	7	0	7	749.86	0.90
35.	कास्ट उत्पाद	3	0	3	19.81	0.02

1	2	3	4	5	6	7
36.	परामर्श सेवाएं					
	डिजाइन और इंजी. सेवाएं	78	0	78	337.11	0.41
	प्रबंधन सेवाएं	57	0	57	274.74	0.33
	विपणन	11	0	11	45.71	0.06
	निर्माण	3	0	3	42.90	0.05
	अन्य (परामर्श)	10	0	10	372.11	0.45
	जोड़	159	0	159	1072.58	1.29
37.	सेवा क्षेत्र					
	वित्तीय	32	0	32	955.99	1.15
	गैर-वित्तीय सेवाएं	64	0	64	2076.76	2.50
	बैंकिंग सेवाएं	1	0	1	10.00	0.01
	अस्पताल और डायग्नोस्टिक केन्द्र	24	0	24	183.37	0.22
	अन्य सेवाएं	8	0	8	645.92	0.78
	जोड़	129	0	129	3872.03	4.67
38.	होटल और पर्यटन					
	होटल और रेस्टोरेंट	32	0	32	1368.91	1.65
	पर्यटन	13	0	13	239.54	0.29
	अन्य (होटल व पर्यटन)	2	0	2	20.15	0.02
	जोड़	47	0	47	1628.61	1.96
39.	व्यापार	100	0	100	1145.59	1.38
40.	विविध उद्योग					
	बागवानी	8	0	8	17.31	0.02
	कृषि	13	0	13	53.83	0.06
	पुष्प खेती	2	0	2	0.33	0.00
	हीरा	2	0	2	5.89	0.01
	निर्माण कार्य-कलाप	12	0	12	440.91	0.53
	पुस्तकों आदि की छपाई	1	0	1	0.50	0.00
	अन्य (विविध उद्योग)	73	0	73	988.69	1.19
	जोड़	111	0	111	1507.47	1.82
	जोड़	2334	0	2334	82907.30	

[हिन्दी]

सूती वस्त्र मिलों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण

4296. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने सरकारी सूती वस्त्र मिलें लगाने के लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधिक ऋणों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी-मिलों को स्तरोन्नत बनाना

4297. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी-उद्योग और गन्ने के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को स्तरोन्नत बनाया जा रहा है, ताकि नौवीं योजना में दर्शाई गई चीनी की अनुमानित मांग को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो चीनी-उद्योग में अब प्रयोग की गई स्तरोन्नत प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी को भी लाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) चीनी-क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) भारत सरकार ने चीनी उद्योग की प्रौद्योगिकी के स्तर को उन्नत बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन चीनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है। चीनी प्रौद्योगिकी मिशन नई प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के अतिरिक्त विभिन्न चीनी मिलों के लिए अद्यतन प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए विस्तृत स्तरोन्नत स्कीमें तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है। वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से वाणिज्यिक ऋणों के साथ-साथ चीनी विकास निधि से उदार ऋण के जरिये ऐसी स्कीम का वित्तपोषण किया जाता है। चीनी प्रौद्योगिकी मिशन ने चीनी उद्योग में निम्नलिखित चार प्रौद्योगिकियां प्रस्तुत की है:-

(i) वैक्यूम फिल्ट्रेट का पृथक् विशुद्धिकरण;

(ii) पी.एल.सी. पर आधारित एकीकृत विशुद्धिकरण नियंत्रण प्रणाली;

(iii) थिन फिल्म सल्फर बर्नर; और

(iv) सिरप उपचार प्रणाली।

इसके अतिरिक्त, 12 अन्य प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिक परीक्षण किया जा रहा है और ये विभिन्न चीनी मिलों में पर्यवेक्षणाधीन हैं।

जहां तक गन्ने के विकास का संबंध है, भारत सरकार इस प्रयोजन के लिए चीनी फैक्ट्रियों को आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 30.9.2000 को स्थिति के अनुसार, विभिन्न गन्ना विकास योजनाओं के लिए 615 मामलों में चीनी विकास निधि से 670.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) देश में विभिन्न आठ प्रौद्योगिकियों को लागू करने के प्रयोजन के लिए विभिन्न विदेशी कम्पनियों से जानकारी हासिल की गई है:-

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी	भारतीय सहयोगी कम्पनी	विदेशी प्रौद्योगिकी स्रोत
1	2	3	4
1.	वैक्यूम फिल्ट्रेट का पृथक विशुद्धिकरण	फोर आइज, पुणे	एंजेनो नोवा, ब्राजील
2	कम दबाव निष्कर्षण प्रणाली	विक्रम प्रोजेक्ट्स, मुम्बई	लाइबिग इंजीनियरिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका
3.	गन्ना पृथक्करण प्रणाली	प्राज इंडस्ट्रीज, पुणे	अमेकन इंटरनेशनल, संयुक्त राज्य अमेरिका
4.	ब्लाको डायरेक्टर प्रोसेस	डिफटेक, नई दिल्ली	नोवाटेक, सलवाडोर,
5.	शार्ट रिटेंशन क्लैरीफायर	मकनेल्ली, बंगलौर	सुपाफ्लो टेक्नोलॉजीज, आस्ट्रेलिया
6.	पी.टी.एच. प्रणाली	मेटोस इंस्ट्रूमेंट्स, दिल्ली	एच.ओ.पी. इंजीनियरिंग, इजरायल

1	2	3	4
7.	मेस्सीकिट फिल्टर	के बोउवेट इंजी-नियरिंग, सतारा	जे. बोउवेट एंड एसोशिएट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
8.	ई.आर.पी. प्रणाली	सिमेन्स, मुम्बई	एस.ए.पी., जर्मनी

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

निजी एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन जारी करना

4298. श्री के०पी० सिंह देव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी विभाग निजी विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन जारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार ऐसी विज्ञापन एजेंसियों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी विभागों द्वारा, 1999-2000 के दौरान निजी एजेंसियों के माध्यम से कितने विज्ञापन जारी किए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) निजी विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से संभवतया सीधे विज्ञापन जारी करने वाले मंत्रालय/विभाग इस मंत्रालय को निजी विज्ञापन एजेंसियों के नाम अथवा जारी विज्ञापनों की राशि संबंधी जानकारी नहीं देते हैं। यह सूचना इस मंत्रालय में एकत्र नहीं की जाती है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान युवा कार्य एवं खेल विभाग ने मैसर्स गरुड़ एडवरटाइजिंग, नई दिल्ली नामक एक निजी विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से जारी एक विज्ञापन के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने हेतु इस मंत्रालय से अनुरोध किया था। इस पर खर्च की गई राशि 21.80 लाख रुपये थी। उक्त विभाग ने सूचित किया था कि उपरोक्त कार्य को अल्प सूचना पर किया जाना था।

एक अधिकारी वाले जिला कार्यालय

4299. श्री अशोक ना० मोहोल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''नाबार्ड'' ने वित्त उपलब्ध कराने वाले बैंकों को ऋण-नियोजन के क्षेत्र में विशेषज्ञतापूण-मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए देश में एक अधिकारी वाले जिला कार्यालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसे जितने जिला कार्यालय खोले गए हैं, उनका राज्यवार और स्थानावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यालयों की स्थापना के बाद से क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का देश में ऐसे कुछ और कार्यालय खोलने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र सरकार को विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान, कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बताया था कि उसने वित्त उपलब्ध कराने वाले बैंकों को ऋण योजना निगरानी और समन्वय के क्षेत्रों में विशेषज्ञतापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1989 से एक अधिकारी बाले जिला कार्यालय खोले हैं। वर्ष 1988-89 से 2000-2001 तक की अवधि के दौरान नाबार्ड ने देश में 304 जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) कार्यालय खोले हैं। ऐसे कार्यालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है जिला स्तर पर डीडीएम कार्यालयों के खोले जाने से ग्रामीण लोगों को आधारिक स्तर पर ऋण के प्रवाह में वृद्धि, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाने में सहायता मिली है। जिला बिकास प्रबंधक (डीडीएम) जिले में उपलब्ध दोहन योग्य क्षमताओं का उपयोग करने में जिला प्राधिकारियों/ऋणदात्री संस्थाओं को उपयोगी सहायता एवं मार्गनिर्देश प्रदान करते हैं और साथ ही स्व-सहायता समूहों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संघ आदि और माइक्रो ऋण न्योनमेष योजना के अन्तर्गत गरीब जनता की सहायता के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाले बैंकों के साथ उनके ऋण सम्बन्ध में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला विकास प्रबंधक जिले में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) परियोजनाओं/जल विभाजक विकास कार्यक्रम आदि के क्रियान्वयन और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने के कार्य की निगरानी भी करता है।

(घ) और (ङ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने चरणबद्ध ढंग से देश में कुछ और नए डीडीएम कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है। चालू वर्ष के दौरान नाबार्ड ने 23 नए डीडीएम कार्यालय खोले हैं।

(च) सिंचाई क्षेत्र, ग्रामीण सड़क और पुल, जल-विभाजक विकास, बाढ़-सुरक्षा नियंत्रण और विकास आदि के अन्तर्गत अधूरी आधारभूत परियोजनाओं और साथ ही नई परियोजनाओं को शुरु करने के लिए नाबार्ड ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) में से राज्य सरकारों को ऋण मंजूर करता है। पिछले तीन वर्ष के दौरान परियोजनाओं की संख्या और महाराष्ट्र सरकार को आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूर राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

उद्देश्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
	सं॰	राशि	सं॰	राशि	सं॰	राशि
ग्रामीण पुल	68	9.73	245	21.82	285	23.39
ग्रामीण सड़क	654	244.58	654	179.69	1264	326.89
लघु सिंचाई	—	—	12	88.77	—	—
मध्यम सिंचाई	—	—	1	11.71	—	—

विवरण

नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कार्यालयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा (30 नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या	डीडीएम कार्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	2	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	23	18
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	—
4.	असम	23	11
5.	बिहार	37	19
6.	चंडीगढ़	1	—
7.	छत्तीसगढ़	16	8
8.	दादरा और नागर हवेली	1	—
9.	दमन और दीव	2	—
10.	गोवा	2	2
11.	गुजरात	25	13
12.	हरियाणा	19	13
13.	हिमाचल प्रदेश	12	7
14.	जम्मू और कश्मीर	14	2
15.	झारखंड	18	10
16.	कर्नाटक	27	18
17.	केरल	14	13
18.	लक्षद्वीप	1	—
19.	मध्य प्रदेश	45	22
20.	महाराष्ट्र	32	23
21.	मणिपुर	9	—
22.	मेघालय	7	2
23.	मिजोरम	8	—
24.	नागालैण्ड	8	—
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1	—
26.	उड़ीसा	30	17
27.	पांडिचेरी	4	1
28.	पंजाब	17	11
29.	राजस्थान	32	19
30.	सिक्किम	4	—
31.	तमिलनाडु	29	19#
32.	त्रिपुरा	4	1
33.	उत्तर प्रदेश	70	40
34.	उत्तरांचल	13	5
35.	पश्चिम बंगाल	18	10
	कुल	581	304

#झालावाड़ (राजस्थान) में शीघ्र ही खोला जाने वाले डीडीएम कार्यालय सहित।

मक्के का निर्यात

4300. श्री जी॰ पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, आज तक, कुल कितनी मात्रा में मक्के का निर्यात हुआ;

(ख) सरकार की, घरेलू बाजार में मक्के की कीमतों में गिरावट को देखते हुए, मक्के के निर्यात को बढ़ावा देने की कोई विशेष योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में निर्यातित मक्का की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	मात्रा (मी॰ टन)	मूल्य (करोड़ रु॰)
1997-98	1605	1.62
1998-99	2063	1.85
1999-2000 अनंतिम	2446	5.11
अप्रैल-जुलाई, 2000 (अनंतिम)	1140	4.87

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता)

(ख) और (ग) एग्जिम नीति के अनुसार, मोटे अनाजों (मक्का सहित) मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति डी जी एफ टी द्वारा घोषित मात्रात्मक उच्चतम सीमाओं और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के अधीन रखते हुए प्रदान की जाती है। वर्ष 2000-01 के लिए निर्यात हेतु मोटे अनाजों की 50000 मी॰ टन उच्चतम सीमा घोषित की गई है।

विदेशी मुद्रा का अंतरण

4301. श्री रामजी मांझी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'मारुति उद्योग लिमिटेड' जापान स्थित 'सुजुकी मोटर कंपनी' को लाभ के बतौर भारत की विदेशी मुद्रा का अंतरण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो जापान की अब तक कितनी राशि का अंतरण किया जा चुका है; और

(ग) लाभ राशि का देश के बाहर प्रत्यावर्तन रोकने तथा 'मारुति उद्योग लिमिटेड', में भारत का लाभांश बढ़ाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड, सरकार की सामान्य नीति के तहत, सुजुकी मोटर कंपनी, जापान को लाभांश देती रही है। वर्ष 1982-83 से वर्ष 1999-2000 तक मारुति उद्योग लिमिटेड ने एक शेयर होल्डर के रूप मे, सुजुकी मोटर कंपनी को कुल लाभांश 114.84 करोड़ रुपये दिया है। मारुति उद्योग लिमिटेड में भारत सरकार के शेयर में वृद्धि करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

वाहनों के लिए अंत:रचित सुरक्षा-युक्तियां

4302. श्री ए॰ ब्रह्मनैया: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वचालित वाहनों और ट्रक-विनिर्माताओं को यह अनुदेश दिए हैं कि वे वाहनों को डिजाइन करते समय उनमें और अधिक अंत:रचित सुरक्षा युक्तियां लगाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क-सुरक्षा के इस पहलू में समन्वय की स्थिति नहीं बनी है;

(ग) क्या इस संबंध में स्वचालित वाहन विनिर्माताओं के साथ कोई बैठक की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) स्वचालित वाहन-विनिर्माताओं को उनके निर्मित वाहनों में और अधिक अतं:रचित सुरक्षा-युक्तियां लगाने की दिशा में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 के तहत् केन्द्र सरकार ने विभिन्न सुरक्षा से जुड़ी मदों के लिए नियम निर्धारित किए हैं, जैसा कि भूतल परिवहन मंत्रालय ने बताया है, इस संबंध से कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

उपयुक्त रूप से समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों को अंतिम रूप देते समय वाहन निर्माताओं सहित सभी संबंधितों से परामर्श किया जाता है। अन्य मंत्रालयों और वाहन निर्माताओं के साथ परामर्श की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है और इस उद्देश्य के लिए भूतल एवं परिवहन मंत्रालय के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, विशेषकर, जो सुरक्षा कंपोनेंट के संबंध में है की समीक्षा करने के लिए एक तकनीकी स्थाई समिति है। समिति की सिफारिशों में नियमों में कोई परिवर्तन करने से पहले सही रूप से विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक से ऋण

4303. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गरीबी के उन्मूलन के लिए विश्व बैंक ने 2000 करोड़ रुपए देने की संस्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो गरीबी का उन्मूलन करने के लिए उक्त सहायता के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जायेंगे उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) निर्धनता-उन्मूलन भारत में विश्व बैंक की सहायता

से चलाई जा रही सभी परियोजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य है। अभी हाल ही में विश्व बैंक ने जिला निर्धनता उपाय परियोजनाओं (डीपीआईपी), के लिए 321.6 मिलियन अमरीकी डालर (जो लगभग 1479.36 करोड़, रू० के समक्ष है) सहायता अनुमोदित की है। इस सहायता का उद्देश्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में सीधे ही निर्धनता पर प्रहार करना है। जहां आंध्र प्रदेश डीपीआईपी और राजस्थान डीपीआईपी अगस्त, 2000 में प्रभावी हो गई हैं; वहीं मध्य प्रदेश में डीपीआईपी अभी प्रभावी नहीं हुई हैं।

जिला निर्धनता उपाय परियोजनाओं का प्रयास समुदाय द्वारा चालित सहभागिता दृष्टिकोण और मांग आधारित निवेशों के जरिए ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें बेहतर उपायों की व्यवस्था प्रदान करना है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचनात्मक गतिविधियां आरंभ की जाएंगी जिनमें समूह आधारित आय-सृजन की गतिविधियां, ढांचागत क्षेत्र में लघु निवेश, लोक सेवाओं की अनुपलब्धता में सुधार करना और कौशल एवं संगठन में सुधार करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्वाह

4304. **डा० जसवंत सिंह यादव :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अमरीकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वास्तविक अन्तर्वाह अनुमोदनों की तुलना में कम था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों की समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंध समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में संयुक्त राज्य अमरीका और उन्य विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले निवेश को बढ़ाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) पिछले **तीन वर्षों** के दौरान अमरीका के लिए वर्षवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन और अन्त:प्रवाह नीचे दिए गए हैं:-

(राशि करोड़ रू० में)

वर्ष	एफ डी आई अनुमोदन	एफ डी आई अन्त:प्रवाह
1997	13569.82	2578.07
1998	3561.96	1371.09
1999	3575.17	1811.20
2000 (जनवरी से अक्टूबर तक)	3999.59	1340.36
जोड़	24706.54	7100.72

वास्तविक अन्त:प्रवाह निवेशकों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है। परियोजनाओं के लिए विशेषकर विद्युत, दूरसंचार, अवसंरचना, आदि जैसे क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं के मामले में, जहां फलन अवधि लंबी होती है, निधियों का अन्त:प्रवाह चरणबद्ध रूप से हो सकता है।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री कार्यालय में निम्नलिखित उद्देश्यों से एक रणनीति प्रबंधन समूह की स्थापना की गयी है:-

- बड़ी परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अन्तर-मंत्रालयिक समन्वय करना।
- उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना और उनसे संपर्क रखना।
- पूंजी के अन्त:प्रवाह की गति बढ़ाने के लिए तैयार किए गए नीतिगत उपायों की जांच करना तथा परामर्श करना।
- सरकार द्वारा घोषित की गयी सुधारात्मक शुरुआतों और नीतियों को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक मंत्रालयों से संपर्क रखना।
- अर्थव्यवस्था के बेहतर बृहत्-प्रबंधन के लिए तैयार किए गए नीतिगत उपायों पर विचार करना।

(ङ) अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (अमरीका सहित सभी देशों से) आकृष्ट करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा करना और इसे निवेशक के लिए ज्यादा अनुकूल बनाना एक सतत प्रक्रिया है। इससे पहले इस वर्ष, सरकार ने और उदारीकरण तथा सरलीकरण की ओर बढ़ते हुए एक छोटी निषेद्ध सूची को छोड़कर स्वत: मार्ग के अधीन सभी मदों/कार्यकलापों में 100% तक एफ डी आई/एन आर आई/ओ० सी० बी० निवेश की अनुमति दी है। बाद में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अन्य नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं। त्वरित

कार्यान्वयन में सुविधा के लिए तथा कार्यान्वयन की अवस्था में निवेशकों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ॰आई॰आई॰ए॰) की स्थापना की गयी है, जिसमें विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

मेगा आई॰एम॰डी॰ बाण्ड

4305. **प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक मेगा-आई॰एम॰डी॰ विदेशी मुद्रा बांड जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट और कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों का विचार इसी प्रकार की योजनाओं को लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजनाओं को कब तक शुरु किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय स्टेट बैंक ने इण्डिया मिलेनियम डिपाजिट प्रोग्राम को दिनांक 21 अक्तूबर, 2000 से प्रारम्भ किया है। जो 6 नवम्बर, 2000 को समाप्त होगा। अप्रवासी भारतीय (एन॰आर॰आई॰)/समुद्रपारीय कार्पोरेट निकाय (ओ॰बी॰सी॰)/बैंक, एन॰आर॰आई॰/ओ॰बी॰सी॰ के आधार पर न्यासीयता के रूप में कार्य करते हुए राशि जमा करने के पात्र थे। इसमें लगभग 5514 मिलियन अमरीकी डालर की कुल धनराशि जुटाई गई थी।

(ख) और (ग) समुद्रपारीय बाजार में विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट से प्राप्त प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

प्रेस की स्वतंत्रता का हनन

4306. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगं कि :

(क) क्या इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम ग्रुप ने भारत सहित 13 राष्ट्रमंडलीय देशों पर प्रेस की स्वतंत्रता की अवहेलना करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम ग्रुप द्वारा अन्य किन-किन देशों का नाम लिया गया है;

(ग) प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए भारत पर लगाए गए मुख्य आरोप क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) दिनांक 3 नवम्बर, 1999 की प्रेस विज्ञप्ति रिपोर्टर सान्स फ्रंटियर्स (एशिया-प्रशांत डेस्क) में उल्लेख किया गया है कि भारत सहित 13 राष्ट्रमंडलीय देशों ने प्रेस स्वतंत्रता की अवहेलना की है। भारत के अलावा इस रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य देश, बंगलादेश, कैमरून, गाम्बिया, केन्या, मलेशिया, मलावी, नाइलीरिया, सिएरा लिओन, श्रीलंका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे है।

(ग) भारत पर लगाए गए मुख्य आरोप अधिकारियों द्वारा पत्रकारों की हत्याओं/गिरफ्तारी की घटनाओं की समय से और गम्भीरतापूर्वक जांच न किए जाने से संबंधित है।

(घ) जब भी आदेश दिए जाते हैं, जांच को अंतिम रूप देने और अपराधियों के विरुद्ध कानून के अनुसार शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

व्यापार अवरोधों को समाप्त करने हेतु वार्ता

4307. **श्री एम॰वी॰वी॰एस मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाह्डे:
श्री शिवाजी माने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया और प्रशांत क्षेत्र के इक्कीस राष्ट्र पिछले वर्ष सिएटल विश्व व्यापार वार्ता को पुन: आरंभ करने की दिशा में व्यापार अवरोधों को समाप्त करने हेतु एक कार्यसूची बनाने और वार्ता आरंभ करने के लिए वर्ष 2001 में किसी तारीख को तय करने पर फिर से सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव एवं सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) एशिया-पैसिफिक आर्थिक सहयोग(एपेक) की मंत्रिस्तरीय बैठक दिनांक 12-13 नवम्बर, 2000 को बांदर सेरी, बागवान, ब्रूनेई दारूसलम में हुई थी। बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के नए दौर को यथा संभव शीघ्र अवसर पर शुरु करने के लिए अपने समर्थन को दोहराते हुए एपेक के संयुक्त मंत्रिस्तरीय विवरण पत्र में यह कहा गया है कि वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि नए दौर की सफल तथा शीघ्र शुरुआत के लिए एक एजेंडा की आवश्यकता है जो सन्तुलित हो और डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ के सभी सदस्यों के हितों एवं चिंताओं को व्यापक रूप से प्रदर्शित करता हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने वर्ष 2001 में एक एजेंडा पर सहमत होने के लिए जेनेवा के शिष्टमंडलों से भेंट की और डब्ल्यू टी ओ के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे एकजुटता की भावना से लोचशीलता का प्रयोग करें। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ में अपनाए गए विश्वास हासिल

करने के उपायों की सराहना की जिसमें अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए बाजार पहुंच संबंधी उपाय तथा डब्ल्यू टी ओ करारों के क्रियान्वयन के पहलुओं पर चिंता जताने वाले उपाय शामिल हैं। इसे दिनांक 16 नवम्बर, 2000 को एपेक के आर्थिक नेताओं के घोषणा पत्र में भी दोहराया गया था।

(घ) भारत डब्ल्यू.टी.ओ. एजेंडा को वार्ताओं के अनेक नए दौर से जोड़ने के पक्ष में नहीं है और इसने हर हालत में डब्ल्यू. टी.ओ. एजेंडा में मुख्य श्रम मानदंडों, पर्यावरणिक मुद्दों, संबद्ध वैश्विक निर्माण, निवेश तथा प्रतिस्पर्धा नीति जैसे नए गैर-व्यापारिक मुद्दों को जोड़ने का विरोध किया है। तथापि, भारत वार्ता के लिए कुछ नए मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उरुग्वे दौर से उठने वाले क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों को संतोषप्रद ढंग से हल कर लिया जाए।

बैंक ऋणों की वसूली

4308. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विचार कर बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि ऋण चूककर्ताओं से बकाया राशियों की वसूली करने के लिए न्यायालय गए बगैर वे प्रतिभूतियों पर कब्जा कर सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच कर रही उच्चाधिकार समिति ने भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए जबरन बंदी और परिसंपत्ति वसूली हेतु एक नए विधेयक के विधान मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनको कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत के भूतपूर्व सोलिसिटर जनरल श्री टी.आर. अंध्यारूजिना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना चूक करने वाले ऋणकर्ताओं की प्रतिभूतियों को स्थामित्व में लेने और बेचने के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शक्ति प्रदान करने हेतु कानून का अधिनियमन करने के लिए सिफारिश की है। सिफारिश की जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अक्टूबर 2000 में एक कार्यदल बनाया गया है। इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

उदारीकरण और इसका प्रभाव

4309. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वव्यापी उदारीकरण के पश्चात् भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली विदेशी कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ख) विश्वव्यापी उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या विश्वव्यापी उदारीकरण के कारण देश में बड़े पैमाने पर बेराजगारी उत्पन्न हुई है;

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) विश्वव्यापी उदारीकरण के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 1991 से तथा 31 अगस्त, 2000 तक विदेशी सहयोग अनुमोदनों की कुल संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	एस.आई.ए.*	आर.बी.आई.+	एफ.आई.पी.बी.**	जोड़
1991	760	188	2	950
1992	585	736	199	1520
1993	307	676	493	1476
1994	382	702	770	1854
1995	593	799	945	2337
1996	410	719	1174	2303
1997	167	801	1357	2325
1998	193	432	1161	1786
1999	221	571	1432	2224
2000	137	324	1004	1465

* एस.आई.ए. औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

+आर.बी.आई. : भारतीय रिजर्व बैंक।

**एफ.आई.पी.बी. : विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड।

(ख) 1992-93 से 1999-2000 की सुधार पश्च अवधि में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की औसत संवृद्धि दर 6.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जो 1980-81 से 1990-91 की सुधार-पूर्व अवधि में हासिल 5.8 प्रतिशत की औसत संवृद्धि दर से अपेक्षाकृत ऊंची है। सुधार-पश्च अवधि में औसत वार्षिक संवृद्धि दर न केवल उच्चतर है बल्कि सुधार-पूर्व अवधि की औसत संवृद्धि दर की अपेक्षा अधिक स्थिर भी है।

औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आई.आई.पी.) के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि दरें और समग्र औद्योगिक संवृद्धि दरें निम्न प्रकार हैं।

वर्ष	विनिर्माण	समग्र औ.उ.सु. (आई.आई.पी.)
1991-92	-0.8	0.6
1992-93	2.2	2.3
1993-94	6.1	6.0
1994-95	9.1	8.9
1995-96	14.1	13.0
1996-97	7.3	6.1
1997-98	6.7	6.5
1998-99	4.1	3.8
1999-00	9.2	8.2
2000-01 (अप्रैल-अक्टूबर)	5.8	5.7

(ग) और (घ) समग्र रोजगार (संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में) की औसत वार्षिक संवृद्धि दर 1972-1978 की अवधि के 2.75 प्रतिशत से निरन्तर घटते हुए 1983-88 में 1.77 प्रतिशत रह गई लेकिन 1987-94 की अवधि में बढ़कर 2.37 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1991 से 1998 के दौरान संगठित सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार की वार्षिक संवृद्धि दरें नीचे दर्शाई गई हैं। निजी क्षेत्र के संबंध में रोजगार की संवृद्धि दरें सभी वर्षों में सकारात्मक रही हैं जबकि सरकारी क्षेत्र में 1996 और 1998 में रोजगार में मामूली गिरावट देखी गई है। संगठित क्षेत्र में रोजगार की संवृद्धि दरें (प्रतिशत)।

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल संगठित
1991	1.52	1.24	1.44
1992	0.80	2.21	1.21
1993	0.60	0.06	0.44
1994	0.62	1.01	0.73
1995	0.11	1.63	0.55
1996	(-) 0.19	5.62	1.51
1997	0.67	2.04	1.09
1998	(-) 0.09	1.72	0.46

स्रोत : योजना आयोग

(ङ) भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों से देश की भुगतान-संतुलन स्थिति में काफी सुधार हुआ, विदेशी ऋण की स्थिति में सुधार हुआ और देश में विदेशी निवेश के अन्तर्प्रवाह में वृद्धि हुई। समग्र आर्थिक विकास बढ़ा है। मुद्रास्फीति, गरीबी एवं बेरोजगारी पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया। विश्वव्यापीकरण का लाभ उठाने के लिए नीतियों को जानकारी पर आधारित उद्योगों, निर्यातों और विदेशी निवेश पर केन्द्रित किया गया है। नीतियां एवं कार्यक्रम रोजगार एवं समानता सहित तीव्रतर विकास के अभिभावी उद्देश्यों से दिशा-निर्देशित होती हैं।

सत्यजीत राय फिल्म और टी०वी० संस्थान में अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षण

4310. श्री चिंतामन वनगा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डा० अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सत्यजीत राय और टी०वी० संस्थान, कलकत्ता की विभिन्न विद्याओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कुल सीटों के विरुद्ध प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कलकत्ता के विनियमों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों के आरक्षण का प्रावधान है।

शिक्षण वर्ष 1997 दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों की कुल संख्या और प्रत्येक विषय में कुल सीटों में से उनका प्रतिशत निम्न अनुसार है:-

विषय	कुल सीट	अ०जा०/अ०ज०जा० की संख्या	प्रतिशत
फिल्म निर्देशन मोशन पिक्चर	8	1	12.5
फोटोग्राफी	8	1	12.5
सम्पादन	8	1	12.5
ध्वनि रिकार्डिंग	8	शून्य	शून्य

वर्ष 1998 और 1999 में कोई दाखिला नहीं हुआ था।

विकास केन्द्रों के उद्देश्य

4311. **श्री रामजी मांझी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीन विकास केन्द्र योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास केन्द्र का विकास करके देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था परन्तु योजना के आरंभ होने के 10 वर्ष से ज्यादा अवधि के बाद भी यह उद्देश्य अपूर्ण ही रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना की सफलता सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) से (ग) यह सच है कि विकास केन्द्र योजना का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्रों के माध्यम से आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करना है ताकि राज्य इन क्षेत्रों में उद्योगो को आकर्षित कर सकें। विकास केन्द्र, अवसंचनात्मक सुविधाओं के विकास संबंधी परियोजनाएं हैं। इसमें शामिल होते हैं—भूमि का अधिग्रहण जो समय लेने वाली एक सांविधिक न्यायवत् प्रक्रिया है तथा भूमि-विकास, जिसमें भू-खंडों, सड़कों, जलापूर्ति, निकासी प्रणाली आदि शामिल होते हैं। ये कार्य लंबी फलारंभ अवधि के कार्य होते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इनमें सहायता प्रदान करने की भूमिका निभायी जाती है तथा प्रति विकास केन्द्र इक्विटी के माध्यम से 10 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थित विकास केन्द्रों के मामले में 15 करोड़ रुपये) के हिसाब से अंशदान दिया जाता है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों द्वारा किया जाता है, जो परियोजना के लिए शेष निधियों की उगाही के लिए जिम्मेदार होते हैं। लंबी फलारंभ अवधि की परियोजनाएं होने के कारण, जिनमें राज्य सरकारें प्रमुख भागीदार होती हैं, इन्हें पूरा करने का समय-सीमा संबंधी लक्ष्य केन्द्र द्वारा तय नहीं किया जा सकता।

यह योजना एक जारी योजना है जिसे सावधानीपूर्वक की गयी योजनागत समीक्षा के उपरांत नौवीं योजना तक बढ़ाया गया है। कुल 68 विकास केन्द्रों को स्वीकृति दी गयी है। और 27 ने कार्य करना आरंभ कर दिया है क्यों इन केन्द्रों पर औद्योगिक भू-खण्डों का आवंटन कार्य आरंभ हो चुका है। अन्य विकास केन्द्र भी विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 7891 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना और विकास केन्द्रों में रोजगार के 25115 अवसरों का सृजन इस बात का द्योतक है कि इस योजना के परिणाम आने आरंभ हो गये हैं।

उपभोक्ता एवं गैर-महत्व के उद्योगों में इक्विटी को बेचना

4312. **प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थानों से उपभोक्ता एवं गैर-महत्व के उद्योगों में अपनी इक्विटी को बेचने के लिए कहने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थानों से इक्विटी धारण करने के अपने प्रतिमानों को अवसंरचना क्षेत्र के पक्ष में बदले जाने के लिए कहने का है; और

(घ) सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों की इक्विटीधारिता की निगरानी करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का वास्तविक कार्य-निष्पादन

4313. **श्री अन्नासाहेब एम॰के॰ पाटील:**
डॉ॰ बी॰बी॰ रमैया:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1999-2000 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की समझौता ज्ञापन प्रणाली इसके वास्तविक कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा वास्तविक कार्य-निष्पादन और समझौता ज्ञापन रेटिंग के बीच बेमेल को किस प्रकार सुलझाने का विचार है;

(घ) क्या अलग-अलग निष्पादन मानदण्डों वाले पेट्रोलियम अभियांत्रिकी से लेकर विमान-सेवा तक विभिन्न क्षेत्रों के विविध सरकारी उपक्रमों के निष्पादन का आंकलन एक ही मानदण्ड से सम्भव हो जाएगा; और

(ङ) ऐसे केन्द्रीय सरकारी उपक्रम जिसमें एक वर्ष में तीन दुर्घटनाएं हुई हों और इसके बाद भी उसे इस कारण उत्कृष्ट दर्जा दिया गया हो कि रेटिंग प्रणाली के वित्तीय निष्पादन में उसे उक्त दर्जा दिया गया था इस प्रकार की रेटिंग को सरकार किस प्रकार औचित्यपूर्ण ठहरायेगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 108 उपक्रमों ने अपने सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ—समझौता ज्ञापन दस्तावेजों के मिशन वक्तव्य, उद्देश्य, कार्यनिष्पादन मैट्रिक्स, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की वचनबद्धता दर्शाने वाले मानदण्ड, सरकार से मांगी गई सहायता, शक्तियों का प्रत्यायोजन, सूचना प्रवाह तथा विगत 5 वर्षों के दौरान पिछले निष्पादन जैसी सामान्य विशेषताएं शामिज होती हैं।

(ख) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक कार्यनिष्पादन का आंकलन करने के लिए मानदण्डों का चयन इस प्रकार किया

जाता है कि यह प्रबंधन के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यकलापों को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न कार्यनिष्पादन मानदण्डों को कार्यकलापों के महत्व के अनुसार भारांक दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों के सन्दर्भ में किया जाता है। तदानुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा सामान्य तथा असंतोषजनक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा समझौता ज्ञापन प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालनरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की सामान्य विधि का प्रावधान है। इस कार्य में ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें उपयुक्त मानदण्डों का चयन पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् किया जाता है तथा उनका परिमाणन किया जाता है। वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत केवल वित्तीय मानदण्ड सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए सामान्य है तथा शेष मानदण्ड, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सापेक्ष हैं तथा उन्हें उपक्रम-विशेष के प्रचालन को स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाता है। वित्तीय मानदण्डों को 60% भारांक दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंन्धकों को लाभकारिता, बढ़ते प्रतियोगी परिवेश तथा अन्य वित्तीय सक्षमता के प्रति जागरुक करना है। हाल ही में समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत भारांक प्रणाली को विभिन्न स्थितियों में प्रचालनरत साकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए और तर्कसंगत बनाकर इसका यौक्तिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा स्थिति में यह प्रावधान है कि सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को तब तक उत्कृष्ट का दर्जा दिया जा सकता है, जबतक वह कार्यनिष्पादन का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो, भले हो वह दुर्घटना जैसी कठिन स्थितियों से गुजरा हो।

राष्ट्रीयकृत बैंक

4314. डा० बलिराम:
श्री टी० गोविन्दन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार शाखाएं कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में राज्य-वार और बैंक-वार कितनी राशि जमा थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों ने राज्य-वार और बैंक-वार कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किए;

(घ) क्या इन बैंकों ने उक्त अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे क्या कारण हैं; और

(च) इन बैंकों ने प्रत्येक राज्य में विकास संबंधी गतिविधियों के लिए बैंक-वार कितना निवेश किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्य-वार और बैंक-वार कार्यालय, जमाराशियां और ऋण क्रमश: विवरण I और II में हैं।

(घ) और (ङ) यूको बैंक को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने मार्च 2000 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत उधार सम्बन्धी 40 प्रतिशत का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत बैंक उधार के लिए राज्य-वार लक्ष्य नियत नहीं किया है।

(च) मार्च 1999 के अन्त की स्थिति के अनुसार बैंकों का राज्य-वार एवं बैंक समूह-वार निवेश (अद्यतन यथा उपलब्ध) विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राज्य-वार कार्यालय, जमाराशियां और ऋण

(राशि रु० करोड़ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	मार्च, 1998			मार्च, 1999			मार्च, 2000		
		कार्यालय	जमाराशियां	ऋण	कार्यालय	जमाराशियां	ऋण	कार्यालय	जमाराशियां	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3545	25608	19274	3591	30585	21893	3624	36565	24202
2.	अरूणाचल प्रदेश	49	399	43	49	464	51	49	514	63
3.	असम	830	5346	1751	835	6205	1986	825	7441	2413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	3087	22956	6230	3108	27399	6853	3120	32600	7343
5.	गोवा	265	4159	1014	274	4931	1155	277	5640	1351
6.	गुजरात	3061	33064	15111	3106	38696	17578	3128	44033	20466
7.	हरियाणा	1104	11219	4846	1142	13064	5589	1164	15349	6515
8.	हिमाचल प्रदेश	636	4054	881	641	4864	1079	644	5692	1312
9.	जम्मू और कश्मीर	253	2318	482	257	2690	582	259	3299	685
10.	कर्नाटक	2984	24293	16712	3032	27893	18742	3071	33436	21340
11.	केरल	1812	18103	7773	1826	22030	8703	1844	26152	10495
12.	मध्य प्रदेश	2852	19808	10372	2892	23860	11665	2910	27122	13500
13.	महाराष्ट्र	4835	78888	60225	4894	92719	70708	4903	102540	89428
14.	मणिपुर	56	273	161	57	392	163	57	440	161
15.	मेघालय	127	917	133	127	1027	165	127	1268	191
16.	मिजोरम	26	179	37	26	260	49	26	276	62
17.	नागालैंड	62	510	97	62	694	113	61	715	115
18.	दिल्ली	1155	48265	28273	1192	58124	44336	1216	68994	54591
19.	उड़ीसा	1340	7809	3448	1367	8973	3728	1370	11009	4255
20.	पंजाब	2179	26176	10301	2215	31005	12193	2236	36512	14354
21.	राजस्थान	1951	13551	6568	1988	16499	7490	2006	19030	9019
22.	सिक्किम	42	280	58	42	342	69	46	511	70
23.	तमिलनाडु	3438	29332	26245	3485	33936	28990	3507	39841	33061
24.	त्रिपुरा	91	647	189	92	790	211	92	948	224
25.	उत्तर प्रदेश	5537	50752	14439	5629	60948	16540	5696	70905	19594
26.	प. बंगाल	3378	33707	16338	3398	42072	18347	3418	48703	21625
27.	अंडमान और निकोबार	31	237	36	31	280	46	31	334	56
28.	चण्डीगढ़	141	4139	2658	149	4275	3966	152	5257	3014
29.	दादरा और नगर हवेली	7	100	21	9	123	28	9	150	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	दमन और दीव	13	245	51	14	287	51	14	363	53
31.	लक्षद्वीप	9	32	3	9	53	4	9	61	5
32.	पांडिचेरी	62	842	306	64	999	339	66	1191	389
	अखिल भारत	44958	470210	254076	45598	556482	303411	45957	646891	359985

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राज्य-वार कार्यालय, जमाराशियां और ऋण

(राशि करोड़ रु० में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	मार्च, 1998			मार्च, 1999			मार्च, 2000		
		कार्यालय	जमाराशियां	ऋण	कार्यालय	जमाराशियां	ऋण	कार्यालय	जमाराशियां	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भा. स्टेट बैंक	8905	107043	70202	8929	123609	86221	8964	145469	103363
2.	एस.बी. आफ बी.जे.	773	6405	3943	786	7681	4239	792	8874	4831
3.	एसबी आफ हैद.	829	7719	4923	857	10136	5786	877	12133	6598
4.	एसबी आफ इंदौर	390	3142	1955	389	3786	2238	402	4819	2941
5.	एसबी आफ मैसूर	562	4527	3018	569	4798	3140	584	6388	3958
6.	एसबी आफ पटि.	706	6914	4263	708	8715	5140	712	10054	6097
7.	एसबी आफ सौराष्ट्र	382	3908	2456	399	4743	2941	402	5625	3395
8.	एसबी आफ त्रावणकोर	657	6935	4493	653	8314	4726	655	9935	5482
9.	इलाहाबाद बैंक	1849	12771	5944	1862	14879	7292	1870	16904	8858
10.	आन्ध्रा बैंक	981	7607	3415	990	10157	4781	989	13983	5818
11.	बैंक आफ बड़ौदा	2448	32564	18414	2485	36556	19589	2520	42481	22775
12.	बैंक आफ इंडिया	2472	30169	16539	2491	34419	19383	2494	37577	21610
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1136	8593	4340	1164	10814	4678	1177	13176	5844
14.	केनरा बैंक	2291	34760	18105	2379	40277	20246	2404	45811	24113
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडि.	3095	25171	11521	3098	29369	13895	3102	33852	17032
16.	कारपोरेशन बैंक	544	8880	4226	612	12594	6361	629	14214	7847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	देना बैंक	1094	9522	5602	1107	11284	6927	1118	12633	7706
18.	इंडियन बैंक	1488	13729	7352	1495	15841	8506	1493	17840	8763
19.	इंडि. ओवर. बैंक	1369	17550	7608	1395	21280	9385	1413	23190	10635
20.	ओरि. बैंक आफ काम.	798	12617	6293	894	16268	7939	913	21425	9716
21.	पंजाब नेश. बैंक	3756	34660	16719	3815	40236	20140	3835	46801	23745
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	704	7224	3521	703	8673	4448	732	10053	5031
23.	सिंडिकेट बैंक	1624	13768	6195	1647	16876	8524	1705	19646	10056
24.	यूनियन बैंक	2135	22755	10615	2195	27657	11953	2220	30770	15863
25.	युनाइटेड बैंक	1332	11509	4185	1332	13865	4775	1330	15829	5470
26.	यूको बैंक	1808	11827	4768	1809	14086	5866	1788	15967	7342
27.	विजया बैंक	840	7943	3462	835	9568	4294	837	11444	5196
सभी सर. क्षेत्र के बैंक		44958	470210	254076	45598	556482	303411	45957	646891	359985

विवरण-III

मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्यवार और बैंक समूह-वार निवेश

(राशि लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य	भा. स्टेट बैंक और अनुषंगी	राष्ट्रीयकृत बैंक	अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	174718	323329	25957	217	524221
2.	अरूणाचल प्रदेश	1889	1162	2	—	3053
3.	असम	98687	73515	1387	—	173589
4.	बिहार	192571	248476	4988	63	446098
5.	गोवा	3058	9301	770	—	13129
6.	गुजरात	87960	129170	13907	13594	244631
7.	हरियाणा	42139	87675	2441	45	132300
8.	हिमाचल प्रदेश	22427	32124	726	—	55277

1	2	3	4	5	6	7
9.	जम्मू और कश्मीर	13197	27848	9092	—	50137
10.	कर्नाटक	86359	156791	31040	4348	278538
11.	केरल	101507	157841	45130	909	305387
12.	मध्य प्रदेश	189437	197044	5927	50	392458
13.	महाराष्ट्र	145324	261263	48653	7709	462949
14.	मणिपुर	6277	5315	1	—	11543
15.	मेघालय	9854	10906	586	—	21346
16.	मिजोरम	2998	2248	—	—	5246
17.	नागालैंड	11487	8850	587	—	20924
18.	एनसीटी दिल्ली					
19.	उड़ीसा	108967	181469	5521	99	296056
20.	पंजाब	41682	122361	4664	112	168819
21.	राजस्थान	136557	199081	19369	179	355186
22.	सिक्किम	4433	2986	2	—	7421
23.	तमिलनाडु	118572	197282	39024	8778	363656
24.	त्रिपुरा	7845	7645	2	—	15492
25.	उत्तर प्रदेश	246768	554481	15266	430	816945
26.	पश्चिम बंगाल	124841	271307	6713	201	403062
	अखिल भारत	1881295	3269470	282430	36734	5567463

बिहार के सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा धनराशि

4315. **मोहम्मद शहाबुद्दीन :**
श्री राजो सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा धनराशि का तीन-चौथाई हिस्सा अन्य राज्यों को दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे बिहार के विकास को नुकसान पहुंच रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया और कितना वास्तव में किसानों को दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) मार्च, 2000 के अन्तिम सुक्रवार की स्थिति के अनुसार, बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 22.5 प्रतिशत है। बैंक ऋण के अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंक, स्थानीय रूप से जुटाई

गई जमाराशियों में से राज्य में निवेश के रूप में निधियों का अभिनियोजन भी करते हैं। दिनांक 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार, बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा अनुपात की तुलना में ऋण के साथ-साथ निवेश 40.9 प्रतिशत बैठता है।

(ग) और (घ) किसी राज्य/क्षेत्र में ऋण का प्रवाह पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, क्षेत्र की ऋण खपाए जाने की क्षमता, मध्यम और बड़े उद्यमों का विकास, उपयुक्त रूप से विकसित की गई विपणन सुविधाएं, निवेश के लिए प्रेरक वातावरण, उद्यमकर्ता पहल, क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, बैंक देयराशियों की संतोषजनक वसूली आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। बिहार में ऋण के प्रवाह में सुधार लाने के लिए बैंक उपाय कर रहे हैं और राज्य में उद्योग से संबंधित समस्याओं पर एक विशेष कार्य दल और ऋण प्रवाह को बढ़ाने की परिचालन समस्याओं के संबंध में एक उप-समिति का गठन किया गया है। दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं और उपर्युक्त समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में प्रगति की समय-समय पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में निगरानी की जा रही है।

(ङ) विशेष कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को संवितरित ऋण की राशि वर्ष 1997-98 में 286.62 करोड़ रुपए, वर्ष 1998-99 में 308.03 करोड़ रुपए और वर्ष 1999-2000 में 309.40 करोड़ रुपए थी।

बैंकों की पूंजी

4316. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग संस्थाओं की संख्या क्या है और प्रत्येक संस्था की वास्तविक पूंजी कितनी है;

(ख) निजी क्षेत्र के कितने बैंक हैं और प्रत्येक बैंक की पूंजी कितनी है;

(ग) स्वदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कितने बैंक चलाए जो रहे हैं और प्रत्येक बैंक की पूंजी कितनी है; और

(घ) राष्ट्रीय हित में इन तीनों प्रकार के बैंकों के कार्य का तरीका और इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के 27 बैंक हैं। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों की बैंक-वार प्रदत्त पूंजी का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्तमान में भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में 32 बैंक हैं। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों की बैंक-वार प्रदत्त पूंजी का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत में 32 गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रवर्तकों/मुख्य शेयरधारकों के बैंक-वार नाम विवरण-III में दर्शाए गए हैं। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत में विभिन्न शाखाओं वाले 42 विदेशी बैंकों की सूची और बैंक-वार उनकी पूंजी और आरक्षित निधि का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) भारत में वाणिज्यिक बैंकों की विभिन्न श्रेणियों की कार्यप्रणाली की पद्धति में कोई मूलभूत अंतर नहीं है और इन सभी का विनियमन पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के उपबंधों के तहत किया जाता है।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधियां

बैंक का नाम	प्रदत्त पूंजी
1	2
भारतीय स्टेट बैंक	526.30
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	50.00
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	17.25
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	17.50
स्टेट बैंक आफ मैसूर	36.00
स्टेट बैंक आफ पटियाला	24.75
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	314.00
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	50.00
स्टेट बैंक समूह का कुल	1035.80
इलाहाबाद बैंक	246.70
आन्ध्रा बैंक	347.95
बैंक आफ बड़ौदा	294.33
बैंक आफ इंडिया	638.40
बैंक आफ महाराष्ट्र	330.52
केनरा बैंक	577.87
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1805.45

1	2
कार्पोरेशन बैंक	119.99
देना बैंक	206.82
इंडियन बैंक	2503.96
इंडियन ओवरसीज बैंक	333.60
ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	192.54
पंजाब एंड सिंध बैंक	243.06
पंजाब नेशनल बैंक	212.24
सिंडिकेट बैंक	471.83
यूको बैंक	2264.52
यूनियन बैंक आफ इंडिया	338.00
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1810.87
विजया बैंक	259.24
राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल	13197.89
सरकारी क्षेत्र के बैंक का कुल	14233.69

विवरण-II

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम और उनकी पूंजी दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	पूंजी
1	2
बैंक आफ मथुरा	11.77
बैंक आफ राजस्थान	62.76
बनारस स्टेट बैंक	62.11
भारत ओवरसीज बैंक	15.75
कैथोलिक सिरीयन बैंक	10.52
सिटी यूनियन बैंक	24.00
धनलक्ष्मी बैंक	14.66
फैडरल बैंक	21.71
जम्मू एंड कश्मीर बैंक	48.01
कर्नाटक बैंक	13.50
करूर वैश्य बैंक	6.00
लक्ष्मी विलास बैंक	11.51
लार्ड कृष्णा बैंक	23.48
नैनीताल बैंक	2.50
नेदुनगडी बैंक	10.20
रत्नाकर बैंक	6.93
सांगली बैंक	10.33
साऊथ इंडियन बैंक	35.53
तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक	0.28
युनाइटेड वेस्टर्न बैंक	29.89
वैश्य बैंक	19.76
यूटीआई बैंक	131.90
एसबीआई कं. एंड इंटरनेशनल	100.00
गणेश बैंक आफ कुरूंडवाड	0.81
इंड्स इंड बैंक	159.01
आईसीआईसीआई बैंक	196.82
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	121.36
एचडीएफसी बैंक	243.28
सेंचूरियन बैंक	152.47
बैंक आफ पंजाब	105.00
डेवल्वमेंट क्रेडिट बैंक	16.61
आईडीबीआई बैंक	140.00
कुल	1808.46

विवरण-III

31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार बैंकों के 5% अथवा इससे अधिक शेयरों के स्वामित्व वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रवर्तकों/मुख्य शेयरधारकों के नाम नीचे दिए गए हैं।

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रवर्तकों/मुख्य शेयरधारकों के नाम	प्रवर्तकों/शेयरधारकों द्वारा शेयरधारिता का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	बैंक आफ मथुरा लि०	1. कोडक महिन्द्रा फाइनेंस लि०	8.75
2.	बैंक आफ राजस्थान लि०	1. एनएसडीएल एंड सीडीएसएल (डिपोजिटरी)	25.88
		2. श्री पी०के० तायल	25.81
3.	बनारस स्टेट बैंक लि०	1. पी० राजारथीनम	22.54
		2. देव शुगर लि०	11.72
		3. एन० जयलक्ष्मी	9.66
		4. प्रभा राजारथीनम	4.03
		5. सुआशीष फाइनेंस लि०	16.10
		6. बेनेट कोलमन एंड कं. लि०	8.05
		7. यूनियन बैंक आफ इंडिया	5.86
4.	भारत ओवरसीज बैंक लि०	1. इंडियन ओवरसीज बैंक	30.00
		2. बैंक आफ राजस्थान लि०	16.00
		3. वैश्य बैंक लि०	14.66
		4. फैडरल बैंक लि०	10.67
		5. करूर वैश्य बैंक लि०	10.00
		6. साऊथ इंडियन बैंक लि०	10.00
		7. कर्नाटक बैंक लि०	8.67
5.	कैथोलिक सिरीवन बैंक लि०	शून्य	शून्य
6.	सिटी यूनियन बैंक लि०	1. इंटेग्रेटिड एडवाइजरी सर्विसेज लि०	7.50
7.	डेवल्पमेंट क्रेडिट बैंक लि०	1. दि आगावान फंड फार इकनॉमिक डेवल्पमेंट	13.55
		2. पलेटिनम जुबली इंवेस्टमेंट्स लि०	10.54

1	2	3	4
8.	धनलक्ष्मी बैंक लि०	शून्य	शून्य
9.	फैडरल बैंक लि०	1. आईसीआईसीआई लि०	21.35
10.	गणेश बैंक आफ कुरूंदवाड लि०	1. सीकाम लि०	16.68
		2. श्री पी०ए० गणु	6.00
11.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि०	1. मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	31.59
		2. सचिव वित्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	21.55
12.	कर्नाटक बैंक लि०	शून्य	शून्य
13.	करूर वैश्य बैंक लि०	शून्य	शून्य
14.	लक्ष्मी विलास बैंक लि०	शून्य	शून्य
15.	लार्ड कृष्णा बैंक लि०	1. आईसीडीएस लि०	17.32
		2. ए.के. पुरी	10.63
		3. मणिपाल इन्वेस्टमेंट	8.01
		4. मोहन एक्सपोर्ट्स (आई) लि०	12.71
16.	नैनीताल बैंक लि०	1. बैंक आफ बड़ौदा	94.24
17.	नेदुनगढ़ी बैंक लि०	1. श्री मंत्री एंड एसोसिएट्स	11.54
		2. श्री बंथिया एंड एसोसिएट्स	8.41
18.	रत्नाकर बैंक लि०	शून्य	शून्य
19.	सांगली बैंक लि०	शून्य	शून्य
20.	एसबीआई कॉम इंट बैंक लि०	1. भारतीय स्टेट बैंक	99.99
21.	साऊथ इंडियन बैंक लि०	1. आईसीआईसीआई लि०	11.37
22.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि०	शून्य	शून्य
23.	युनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि०	1. सीकाम लि०	9.92
24.	वैश्य बैंक लि०	1. बीपीएल मारीशस इंवेस्टमेंट्स	11.11
		2. बीपीएल मारीशस होलडिंग्स	8.89
		3. यूटीआई	7.36
25.	बैंक आफ पंजाब लि०	1. एस० दर्शनजीत सिंह	10.83

1	2	3	4
		2. हरप्रीत सिंह	10.56
26.	सेन्चूरियन बैंक लि०	1. केप्पल कार्पोरेशन लि०	17.71
		2. एशियन डेवल्पमेंट बैंक मनीला	10.22
		3. टीसीएफसी फाइनेंस लि०	23.12
		4. इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पो० वाशिंगटन	8.36
		5. 20वीं सेंचूरी फाइनेंस एंड कंशलटेंसी सर्विसेज लि०	7.88
		6. डी० आहुजा	10.15
27.	ग्लोब्रल ट्रस्ट बैंक लि०	1. इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन	11.52
		2. एशियन डेवल्पमेंट बैंक	8.24
		3. डीबीएमजीओएफ (मारीशस) लि०	5.02
		4. रमेश गेल्ली	8.12
28.	एचडीएफसी बैंक लि०	1. एचडीएफसी इंवेस्टमेंट्स	12.33
		2. एचडीएफसी लि०	11.32
		3. दि इंडिया प्राइवेट इक्यू०	8.78
		4. इंडोशियन फाइनेंस एच	6.21
		5. एचडीएफसी होलडिंग्स लि०	5.47
29.	आईसीआइसीआई बैंक लि०	1. आईसीआईसीआई लि०	62.24
		2. बैंकर्स ट्रस्ट कम्पनी	16.17
30.	आईडीबीआई बैंक लि०	1. इंडस्ट्रीयल डेवल्पमेंट बैंक आफ इंडिया	57.14
		2. सिडबी	14.29
31.	इंड्सइंड बैंक लि०	1. इंड्सइंड इंटरप्राइजेज एंड फाइनेंस लि०	31.25
		2. इंड्सइंड इंटरनेशनल होलडिंग्स लि०	10.93
		3. इंड्सइंड लि०	9.68
32.	यूटीआई बैंक लि०	1. यूटीआई	60.65
		2. एलआईमी	5.69

विवरण-IV

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार पूंजी और आरक्षित निधि

क्र. सं.	बैंक का नाम	कुल पूंजी और आरक्षित निधि (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	आबू धाबी कमिर्शियल बैंक	33.04
2.	एबीएन एमरो बैंक	576.02
3.	अमरीकन एक्सप्रेस बैंक	257.93
4.	एएनजैड ग्रिण्डलेज बैंक (अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिन्डलेज बैंक)	1132.33
5.	बैंक आफ अमेरिका	686.71
6.	बैंक आफ बहरीन और कुवैत	49.29
7.	मुशरक बैंक	28.89
8.	बैंक आफ नोवा स्कोशिया	136.93
9.	बैंक आफ टोक्यो मित्सुबीशी	129.66
10.	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसूज	69.3
11.	बीएनपी परिबास	197.31
12.	बर्कलेज बैंक	42.86
13.	सिटी बैंक	991.54
14.	क्रेडिट लियोनेस	84.08
15.	ड्यूटश बैंक	543.26
16.	हांगकांग एंड संघाई बैं.का.	837.39
17.	ओमान इंटरनेशनल बैंक	97.82
18.	सुकोरा बैंक	128.01
19.	सनवा बैंक	73.18
20.	सोसाइटे जनरल	82.63
21.	सोनाली बैंक	3.69
22.	स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	717.02
23.	आईएनजी बैंक	71.76
24.	दी चेज मनहट्टन बैंक	51.53
25.	स्टेट बैंक आफ मोरिशस	103.82
26.	डवलपमैन्ट बैंक आफ सिंगापुर	60.75
27.	ड्रेसनेर बैंक	72.69
28.	कामर्ज बैंक	77.14
29.	बैंक आफ सैलोन	49.9
30.	सियाम कामर्शियल बैंक	40.02
31.	बैंक इन्टरनेशनल इन्डोनेशिया	61.58
32.	अरब बंगलादेश बैंक	40.28
33.	चो-हुंग बैंक	38.32
34.	चाइना ट्रस्ट कॉमर्शियल बैंक	35.54
35.	फ्यूजी बैंक	72.06
36.	क्रुंग थाई बैंक	37.43
37.	ओवरसीज चाइनीज बैंक का०	38.23
38.	टूरन्टो डोमियन बैंक	46.74
39.	मोरगन गुरनटी ट्रस्ट क. आफ. न्यूयार्क	120.43
40.	बैंक मस्कट	43.81
41.	केबीसी बैंक	60.13
42.	सूमिटोमो बैंक लि०	57.01

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र की शीर्ष-बैठक

4317. श्री शिवाजी माने : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी०आई०आई०) द्वारा हाल ही में बीमा क्षेत्र की एक शीर्ष-बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बैठक में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ने भी भाग लिया;

(घ) यदि हां, तो इस शीर्ष-बैठक में क्या सुझाव दिए गए/सिफारिशें की गईं; और

(ङ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। सीआईआई ने 22 और 23 नवम्बर, 2000 को दिल्ली में अपना वार्षिक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क अपवंचन

4318. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** लौह और इस्पात विनिर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के बारे में 28-7-2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 929 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन): (क) से (घ) लोक सभा में 28-7-2000 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 929 के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इस संबंध में 27 जनवरी, 2001 तक उत्तर देने के लिए 25-10-2000 को आश्वासन दिया गया था। पूरे देश में स्थित लोहे और इस्पात के विनिर्माण में शामिल इकाइयों के विकेन्द्रीकृत और बड़ी संख्या में होने के कारण गत तीन वर्षों में ध्यान में आए अपवंचन आदि के मामलों के बारे में सूचना शीघ्र एकत्र नहीं की जा सकती है। आशा है कि यह सूचना दिसम्बर, 2000 के अन्त तक प्राप्त हो जाएगी।

[अनुवाद]

अग्रिम कर

4319. श्री रूप चन्द पाल :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा पुनर्भुगतान के संबंध में भुगतान की गई ऊंची ब्याज दर की तुलना में बैंकों की सावधि जमा राशि की वर्तमान कम दर के मद्देनजर कुछ निर्धारितियों के लिए अग्रिम कर भुगतान लाभकारी उपाय बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त अग्रिम कर के पुनर्भुगतान के कारण आयकर प्राधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि का ब्याज का भुगतान किया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जहां पुनर्भुगातान कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अग्रिम कर में से किया जाता है, वहां आयकर अधिनियम 1961 की धारा 244 क के अन्तर्गत कर निर्धारितियों को कर निर्धारण वर्ष की 1 अप्रैल से उस तारीख तक जिस दिन पुनर्भुगतान किया जाना है, की अवधि में शामिल प्रत्येक माह अथवा माह किसी भाग के लिए 1% की निर्धारित दर पर सांविधिक ब्याज प्रदान किया जाता है, बशर्ते पुनर्भुगतान की राशि धारा 143(1) के अन्तर्गत अथवा नियमित कर निर्धारण के अन्तर्गत निर्धारित कर से 10% से कम न हो। तथापि, प्रत्येक माह अथवा माह के किसी भाग के लिए 1.5% की दर पर ब्याज, अग्रिम कर के कम भुगतान किए जाने के लिए चूक की तारीख से प्रभारित किया जाता है। अत: जहां तक अग्रिम कर के कम भुगतान का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत उद्ग्रहीत दर से कम दर पर अतिरिक्त अग्रिम कर के पुनर्भगतान पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

(ख) करों के अतिरिक्त भुगतान की वापसी पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा धारा 244क के अन्तर्गत अदा किया गया ब्याज वित्त वर्ष 1995-96 में 669.36 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 1996-97 में 622.13 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 1997-98 में 878.87 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 1998-99 में 1727.12 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

सुपर-301 को पुन: लागू किया जाना

4320. कुमारी भावना पुडंलिकराव गवली : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरीका ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के एक भाग के रूप में सुपर-301 को पुन: लागू करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय व्यापार पर इससे क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) अमरीका ने 26 जनवरी, 1999 को सुपर 301 को पुन: लागू करने की घोषणा की थी।

यह कहा गया है कि इससे अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के लिए अमरीकी व्यापार विस्तार प्राथमिकताओं की वार्षिक समीक्षा करने के लिए और उस व्यवहार से निपटने के लिए एक तंत्र उपलब्ध होगा जिन्हें वे विदेशी बाजारों में अत्यधिक अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में समझते हैं।

(ग) इस प्रकार के उपाय अमरीका के आंतरिक प्रशासन और अन्य तंत्रों का भाग हैं।

[अनुवाद]

पेंशन का प्रबन्धन करने हेतु प्राधिकरण

4321. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एस॰ए॰ दवे की अध्यक्षता में गठित समिति ने पेंशन देयताओं का प्रबन्धन करने हेतु एक समिति का गठन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। ऐसा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा श्री एस॰ए॰ दवे की अध्यक्षता में राजदिष्ट परियोजना ओएसिस (एन॰ एक्रोनियम फार ओल्ड ऐज सोशल सेक्योरिटी इन इंडिया–भारत में वृद्धावस्था के लिए एक सामाजिक सुरक्षास्थली) के एक भाग के तौर पर किया गया है। इस रिपोर्ट में अपनी वृद्धावस्था के लिए पर्याप्त बचत करने में श्रमिकों की मदद करने की दृष्टि से भारतीय पेंशन प्राधिकरण गठन सहित विभिन्न उपायों की सिफारिशें की गई हैं। सरकार इन सिफारिशों पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है।

भारत-स्विट्जरलैंड संयुक्त आयोग की बैठक

4322. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्विट्जरलैंड के बाजारों में किए जा रहे कृषि एवं समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 7 नवम्बर, 2000 को बर्न में आयोजित संयुक्त भारत-स्विट्जरलैंड संयुक्त आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर सरकार के रुख का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्विट्जरलैंड भारत से समुद्री उत्पादों को मंगाए जाने की अनुमति नहीं दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संयुक्त बैठक में कोई निर्णय लिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) सरकार का प्रयास स्विट्जरलैंड सहित अपने सभी व्यापारिक भागीदारों को कृषि एवं समुद्री उत्पादों जैसी संभावना वाली मदों के होने वाले निर्यातों को बढ़ाने का रहा है।

(ख) टैरिफ से जुड़े कोटा और स्वच्छता/पादप स्वच्छता संबंधी मानकों समेत कृषि एवं समुद्री उत्पादों के क्षेत्रों में भारतीय उत्पादों की बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों पर भारत-स्विट्जरलैंड संयुक्त आयोग की बैठक में विचार किया गया था।

(ग) से (ङ) भारत से होने वाले समुद्री उत्पादों के आयातों पर स्विट्जरलैंड द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

चीनी की उत्पादन लागत

4323. श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने चीनी के बहुतायत मात्रा में उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए देश की सहायता का रास्ता ढूंढ निकाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी के प्रति क्विंटल उत्पादन पर लगभग 1400 रूपए की लागत आती है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य लगभग 1000 रुपए चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के कार्य निम्नानुसार हैं:-

- देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए गन्ने की फसल तथा चीनी और विशेष रूप से चुकन्दर के उत्पादन तथा सुरक्षा तकनीकों के सभी पहलुओं पर मूलभूत तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान करना।
- गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के सहयोग से उप-उष्णकटिबंधी क्षेत्र के लिए किस्मों के प्रजनन के बारे में कार्य करना।

– सूचना, सामग्री तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य अनुसंधान केन्द्रों, अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ निकट संबंध स्थापित करना।

– क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्पादन तथा सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में स्नातकोत्तर तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

– किसानों, उद्योगों तथा अन्य प्रयोक्ताओं के बीच प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना तथा आंकड़ों पर आधारित प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करना।

देश में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है:-

गन्ने के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रौद्योगिकियां अर्थात् स्पेस्ड् ट्रांस्प्लांटिंग तकनीक (एस॰टी॰पी॰), गन्ने पर आधारित उत्पादन पद्धति का विविधीकरण, जिसमें आलू/गेहूं/सरसों/धनिये के साथ फसल उगाना शामिल है, सिंचाई की स्कीम फरों विधि तथा ट्रैश मल्चिंग, पौधे तथा पेड़ी फसल के लिए उर्वरक अनुसूचि, एकीकृत पोषक आपूर्ति प्रणाली, व्हीट केन प्रणाली का प्रबंधन।

संस्थान ने फसल सुरक्षा तकनीकों में त्रि-पंक्ति बीज कार्यक्रम (थ्री-टीयर सीड प्रोग्रेम), पाइरिला, स्केल कीटाणुओं, शूट बोरर, टॉप बोरर, स्टाल्क बोरर, ब्लैक बग, प्लासी बोरर के लिए एकीकृत कीट नियंत्रण तथा एकीकृत खर-पतवार प्रबंधन का विकास किया है।

संस्थान ने गन्ने को कुशलतापूर्वक रोपने के लिए तथा पेड़ी एवं रोग प्रबंधन के लिए मशीनरी का विकास किया है अर्थात् ट्रैक्टर चालित शुगरकेन कटर प्लांटर, शुगरकेन कटर प्लांटर जिसमें बीज लगाने का उपकरण हो, बहुद्देश्यीय उपकरण, स्टबल शेवर, सैट-बार्न रोगों पर नियंत्रण के लिए एम॰एच॰ए॰टी॰ प्लांट।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन में वहन की गई वास्तविक लागत का ब्यौरा इस विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है। नवम्बर, 2000 माह के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार (लन्दन) में चीनी का मूल्य जहाज तक निष्प्रभार 225 अमेरिकी डॉलर प्रति मी॰ टन तथा 255 अमेरिकी डॉलर प्रति मी॰ टन के रेंज में था और इसका औसत मूल्य 243.04 अमेरिकी डॉलर प्रति मी॰ टन बैठता है।

(ङ) चीनी मिलों की आर्थिक सक्षमता में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

(i) 1.1.2000 से लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी के अनुपात को 40 : 60 से बदलकर 30 : 70 कर दिया गया है।

(ii) आयातित चीनी की आमद को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(क) 9.2.2000 से आयातित चीनी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

(ख) आयातित चीनी को निर्मुक्ति व्यवस्था के अधीन लाया गया है।

(ग) 17.2.2000 से आयातकों के पास रखे आयातित चीनी के स्टाक पर 30% की दर से लेवी लगाई गई है।

(iii) खुली बिक्री की चीनी के कोटों की विवेकपूर्ण निर्मुक्ति के माध्यम से घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने और उन्हें उचित स्तर पर बनाए रखने की नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2833/2000]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ बल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):-

(क) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2834/2000]

(ख) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) लेखापरीक्षकों और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दस्तावेजों की समीक्षा और वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रबंधन द्वारा दिए गए उनसे संबंधित उत्तर के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2835/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2836/2000]

(ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2837/2000]

(ग) (एक) स्पाइसेस् ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पाइसेस् ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2838/2000]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2839/2000]

(3) (एक) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2840/2000]

(4) (एक) इंडियन इंस्टट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2841/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 1070(अ) जो 30 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें प्रगति पेपर मिल लिमिटेड, गाजियाबाद को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित करने का आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी-संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2842/2000]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख की उपधारा (2ज) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 673(अ), जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का०आ० 477(अ), में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2843/2000]

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना, जिसके द्वारा 11 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का०आ० 857(अ) में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा जो उस आधार के, जिस पर विशिष्ट मद का विनिर्माण करने वाले किसी औद्योगिक उपक्रम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लघु उद्योग उपक्रम अथवा आनुषंगी उद्योग उपक्रम के रूप में माना जाएगा, बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2844/2000]

(4) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर इन्स्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2845/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 की धारा 19 की उपधारा

(4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2000 जो 22 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/4464/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 22 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 22 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/लीगल/0576 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कारपोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 22 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जीएडी: आईआर: ओएसआर अमेंड: 227:2000-2001 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पंजाब एण्ड सिंध अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 7 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसडी/डीएसी/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पंजाब एण्ड सिंध अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 12 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/ओएसआर/स्टाफ/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 12 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/आईआरडी/1535/00 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) आन्ध्र बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 17 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/ए1/393 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम,

2000 जो 19 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3926 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 19 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3927 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशान और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 19 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएल: 2000-2001 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 19 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ: पीआरएस/लीगल: मिस०2869: एसएके: 2000-2001/281 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 19 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएल/एमआर/पीओएल: 91 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सिन्डीकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 19 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2275/0089/पीडी: आईआरडी(ओ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) सिन्डीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 19 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2276/0089/पीडी: आईआरडी (ओ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) कारपोरेशन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 19 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी: आईआर: ओएसआर अमेड: 371:2000-2001 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 26 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरएस 124सी 3256-एनएके में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 26 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओडीएआर/1/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) बैंक आफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 2 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ:ओएसआर एण्ड आईआर: ए/5/19/2066 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) यूको बैंक बधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 2 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओडीएआर/2/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 9 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संखया 2/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(बाइस) पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 25 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएस बी/डीएसी/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(तेइस) आन्ध्र बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 21 अक्टूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/आईआर/139 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) इलाहाबाद बैंक अधिकरी कर्मचारी (आचरण संशोधन विनियम, 2000 जो 28 अक्टूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/लीगल/0926 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) बैंक ऑफ बदौड़ा अधिकारी कमचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 जो 2 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ: ओएसआर एण्ड आईआर : 27/107/4/2173 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 जो 16 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनबी/डीएसी/पी-1/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 जो 23 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2799/0089/पीडी: आईआरडी(ओ)/रेग॰ 24ए में प्रकाशित हुए थे।

(अठाईस) इंडियन बैंक सामान्य विनियम, 1999 जो 17 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडीवीटी/III/IV/290/2000-एक्सटी॰ में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2846/2000]

(2) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण):-

(एक) भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) नियम, 2000 जो 16 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी डीओ/पीएम/एसपीएल/339 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन और गारंटी निधि (संशोधन) नियम और विनियम, 2000 जो 12 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडीओ/पीएम/स्पैशल/340 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2847/2000]

(3) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2000 जो 20 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एक्जिम/पेंशन/2000 में प्रकाशित हुए थे, की (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2848/2000]

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वेंचर कैपिटल फन्ड्स) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 15 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 831(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर) विनियम, 2000 जो 15 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 832(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स एण्ड सब-ब्रोकर्स)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2000 जो 30 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 787(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फॉरेन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000 जो 20 अक्टूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 946(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2849/2000]

(5) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डाकघर (मासिक आय खाता) चौथा संशोधन नियम, 2000 जो 5 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 706(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 707(अ) जो 5 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आवेदन पत्र 1 (एसबी III) में संशोधन करना है।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 784(अ) जो 16 अक्टूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 707(अ) को निरस्त करना है।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2850/2000]

(6) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 907(अ) जो 4 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 24 जनवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या 7/97/-सी॰शु॰ और अधिसूचना संख्या 897 सी॰शु॰ को निरस्त करना है; की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2851/2000]

(7) निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन:-

(एक) वल्लार ग्राम बैंक, कुड्डालोर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2852/2000]

(दो) अभियामन ग्राम बैंक, धर्मपुरी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2853/2000]

(तीन) एटा ग्रामीण बैंक, एटा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2854/2000]

(चार) सिवान क्षेत्री ग्रामीण बैंक, सिवान।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2855/2000]

(पांच) निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खरगोन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2856/2000]

(छह) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2857/2000]

(सात) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, रथरोड उरई।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2858/2000]

(आठ) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2859/2000]

(नौ) डूंगरपुर-बांसवाडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डुंगरपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2860/2000]

(दस) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2861/2000]

(ग्यारह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2862/2000]

(बारह) कल्पतरू ग्रामीण बैंक, तुमकुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2863/2000]

(तेरह) कामराज रूरल बैंक, सोपोर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2864/2000]

(चौदह) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2865/2000]

(पन्द्रह) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2866/2000]

(8) (एक) सेन्टर फार डवलपमेंट इकोनोमिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी ताथा अंगेजी संस्करण)।

(दो) सेन्टर फार डवलपमेंट इकोनोमिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्टर फार डेवलपमेंट इकोनोमिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2867/2000]

(9) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2868/2000]

(10) (एक) इंस्टिट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2869/2000]

(11) (एक) इंडियन काउंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशल इकोनोमिक रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल इकनोमिक रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2870/2000]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद की ओर से बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बाट और माप मानक (सामान्य) संशोधन नियम, 2000, जो 24 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 892(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2871/2000]

अपराह्न 12.3½ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव . महोदय, मैं 21 नवम्बर, 2000 को सभा में दी गई सूचना के बाद चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) माल बहुविध परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2000;

(2) कोल इंडिया (अंतरण विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000;

(3) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2000;

(4) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन विधेयक, 2000;

(5) समपहरण (निरसन) विधेयक, 2000; और

(6) आप्रवास (वाहक-दायित्व) विधेयक, 2000।

अपराह्न 12.03¾ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र बैठा (बगहा) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित संचार संबंधी स्थायी समिति (अब सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति) के "दूरदर्शन प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स-इन-हाउस एण्ड बाई आउट साइड प्रोड्यूसर्स" से संबंधित आठवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 18 दिसम्बर, 2000 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. वर्ष 2000-2001 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) (दूसरी खेप) पर चर्चा और मतदान तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार और पारित करना।

3. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को संशोधित करने की अधिसूचना का अनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा ताकि चर्म, खालों तथा चमड़ों, शोधित तथा अशोधित, सभी तरह के लेकिन सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची के शीर्ष संख्या 14 के अन्तर्गत आने वाले चमड़ों के उत्पाद शामिल नहीं हैं पर उदग्रहणीय निर्यात शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा सके।

4. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।

5. वर्ष 2000-2001 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार और पारित करना।

6. रेल अभिसमय समिति (1999) ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में 2000-2001 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामलों के संबंध में की गई विभिन्न सिफारिशों की स्वीकृति चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

7. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों का प्रतिस्थापना चाहने वाले विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(क) भारतीय विश्व कार्य परिषद अध्यादेश, 2000

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2000

8. 1992 के सी॰ ए॰ संदर्भ संख्या 11 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड ''घ'' के वेतनमानों में बढ़ोतरी पर माध्यमस्थ बोर्ड के अधिनिर्णय को अस्वीकृत करने का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

9. जे॰ सी॰ एम॰ योजना के अन्तर्गत अपेक्षित समयोपरि भत्ते पर माध्यमस्थ बोर्ड के अधिनिर्णय का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

10. 1991 के सी॰ ए॰ संदर्भ संख्या 2 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों (ग्रेड ''क'' और ''ख'' सम्मिलित) को विशेष वेतन दिये जाने से संबंधित माध्यमस्थ बोर्ड की अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

11. संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार और पारित करना।

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान संशोधन क्या है। इसमें क्या छपा हुआ है, हमें पता नहीं है लेकिन पता चला है कि यह महिला आरक्षण बिल है और महिला आरक्षण बिल में जब तक संशोधन नहीं होगा, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे और यदि सरकार इसे जबरदस्ती रोकने का प्रयास भी करेगी। . . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अगले सप्ताह की कार्य-सूची का विवरण प्रस्तुत किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान संशोधन विधेयक के रूप में महिला आरक्षण विधेयक पेश होने वाला है। हम उसका विरोध करते हैं। यह घालमेल हो गया है। जब तक मुसलमान, पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की महिलाओं का आरक्षण संविधान संशोधन में नहीं लाया जाता है तब तक समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को सदन में पास नहीं होने देगी। मेरा आग्रह है चुनाव आयोग ने जो राय दी है उसे मान लिया जाये और महिला आरक्षण का प्रावधान चुनाव आयोग द्वारा नहीं बल्कि कार्यों द्वारा किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा यह घालमेल हो रहा है। महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने का यह गोपनीय तरीका अपनाया जा रहा हैं। यदि महिला आरक्षण विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में सदन में विचार के लिए आएगा, तो हम उसका विरोध करेंगे और विरोध ही नहीं करेंगे बल्कि उसे पास नहीं होने देंगे।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, जब वह आए तब विरोध करना। अभी आया नहीं है। अगले हफ्ते आने वाले जो विधेयक हैं उनके ऊपर आप अभी अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे संसदीय कार्य मंत्री हैं. . .*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम आपको सावधान कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। यदि सरकार ने जबर्दस्ती पास कराने की कोशिश की तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगले हफ्ते आने वाले प्रोग्रामों का आप अभी विरोध कर रहे हैं। यह कैसे होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैं अगला आइटम सबमीशन्स ले रहा हूं। प्रो॰ रासा सिंह रावत।

प्रो॰ रासासिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह होने वाली कार्रवाई में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अगले सप्ताह होने वाले कार्यों की सूची में माननीय सदस्यों द्वारा शामिल करने हेतु सबमीशन्स को शामिल करने का आइटम चल रहा है। कृपया शान्त रहिए।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अगले सप्ताह महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत करने वाले हैं, यह जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने हमेशा यही कहा है कि शीघ्रातिशीघ्र महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाए। मगर हमारे बार-बार कहने के बावजूद इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने में सरकार विलम्ब करती रही है। इसके लिए हमें खेद है। . . .*(व्यवधान)*

श्री राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। आपने मुझे सदन के प्रारंभ में ही कहा था कि मैं अपने मसले को जीरो आवर में पेश करूं, लेकिन अब मुझे समय नहीं दिया जा रहा है।. .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पप्पू जी, यह जीरो आवर नहीं है। कालिंग अटेंशन मोशन के बाद आपको समय जरूर दिया जाएगा। आप बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, उनको भी सुन लीजिए। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं बोल रहा हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण चाहते हैं। हम महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अगले हफ्ते की कार्य-सूची में क्या-क्या होना है उसके ऊपर सबमीशन्स चल रहे हैं। कृपया आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाएं। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं बोल रहा हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नहीं बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : संविधान संशोधन विधेयक पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि हमारी मांगें नहीं मान ली जाती हैं। . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं आप नहीं बोल सकते। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय जो कार्य हुआ है वह यह है कि सरकार ने अगले सप्ताह की कार्य सूची पेश कर दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले श्री प्रभुनाथ सिंह जी को सुन लीजिए। . . . *(व्यवधान)* श्री प्रभुनाथ सिंह जी के बोलने के बाद आप अपनी बात कहिये। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात कहने के बाद उनको सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह आइटम अगले हफ्ते की कार्यसूची का है। मैम्बर्स का यह सबमिशन है कि उसमें क्या-क्या आइटम लेने हैं। वह होने के बाद कालिंग अटेंशन लेना है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हर सत्र में इस बिल को बिना राय लिये लेकर आते हैं। . . . *(व्यवधान)* हमारा कहना है कि पहले उस पर सबकी राय ली जाये। . . *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे एक आग्रह यह करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा बिल जो विवादास्पद हो और जिसमें सर्वसम्मति न बनती हो, उसे सरकार क्यों बार-बार लाकर इस सदन में हंगामा खड़ा करना चाहती है। . . *(व्यवधान)* सरकार उस पर सर्वसम्मति क्यों नहीं कराना चाहती? . . . *(व्यवधान)* हमारा कहना है कि सर्वसम्मति राय लेकर ही ऐसे मामलों को लाया जाये . . . *(व्यवधान)* एक परम्परा बिगड़ रही है कि सदन में आये दिन अनावश्यक चर्चा होती है और उस पर हंगामा होता है। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह कौन सा बिल है? उस बिल के बारे में बतायेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम बता रहे हैं कि जो महिला बिल आ रहा है, उस पर सर्वसम्मत राय नहीं हुई है इसलिए इस बिल को सदन में नहीं लाना चाहिए। . . . *(व्यवधान)* पहले इस पर सबकी राय लेनी चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब इंट्रोडक्शन होगा तब आप उसका घोर विरोध कीजिए। अभी कुछ मत कहिये।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर कटुता होगी इसलिए इसको वापिस लिया जाये। . . . *(व्यवधान)*

प्रो॰ रासासिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :-

(1) पुष्कर जिला अजमेर एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल तथा पर्यटकों का भी प्रसिद्ध आकर्षण केन्द्र है। सरकार ने इस तीर्थस्थल को अजमेर से रेलमार्ग द्वारा जोड़ने की स्वीकृति तो प्रदान

कर दी परन्तु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। पुष्कर को अजमेर से रेलमार्ग द्वारा जोड़ने हेतु शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने की आवश्यकता।

(2) अजमेर की सुप्रसिद्ध दरगाह शरीफ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं हेतु 1954 में बने दरगाह एक्ट में वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन की अवश्कता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैंने पहले ही उनको बुला दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से खड़ा हूं। . . . *(व्यवधान)* मेरा प्वाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन यह है कि बार-बार चेयर से आपका जो नियमन हुआ है कि अगले हफ्ते की कार्यसूचि में लाने वाले विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है तो अगले हफ्ते में जो विषय लायेंगे उसमें जो 50वां संशोधन विधेयक है, उस पर आम सहमति बनाने की बात पिछले सत्र में हुई थी। . . .*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आम सहमति न होकर सर्वसम्मति होगी। . .*(व्यवधान)* श्री प्रभुनाथ सिंह जी ठीक कह रहे हैं। . .*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मुलायम सिंह जी, आप हमारी भी बात सुन लिजिए।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप उनकी भी राय सुनने की कृपा कीजिए।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आम सहमति या सर्वसम्मति हो, पिछले सत्र में जब यह तय हो गया था चूंकि यह संवैधानिक संशोधन है और यह वूमैन्स रिजर्वेशन बिल केवल मामूली मैजोरिटी से पास नहीं होगा। इसलिए इसमें सर्वसम्मति से सदन की पूरी भावना ली जायेगी, हर पोलीटिकल पार्टी से राय ली जायेगी। . . . *(व्यवधान)* मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह राय हो गई है और यदि नहीं हुई है तो इसको स्थगित करके इस पर पूरी राय ली जाये।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर विचार करने का मौका नहीं आया है। अगले हफ्ते में जब वह बिल आयेगा तभी मौका आयेगा। आपने अभी से इस पर चर्चा शुरू कर दी है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक आदेश जारी हुआ है कि दिल्ली की 45 हजार इंडस्ट्रियल यूनिट तीन जनवरी तक बंद हो जायेंगी जिसमें 8-10 लाख. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : वे तीन जनवरी तक बंद हो जायेंगी। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगले हफ्ते की कार्यसूची के बारे में बोल रहा हूं और आपने जीरो आवर शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री के॰ येरननायडू (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक पहले ही पुर:स्थापित कर दिया गया है। यह अब सभा की सम्पत्ति है। अब इस पर बहस शुरू होगी तो राजनीतिक दल अपने विचार रखेंगे। इस पर विचार करने में कुछ भी बुरा नहीं है। अत: सरकार को चाहिए कि इसको विचार करने के लिए लाए तथा उस विधेयक पर बहस की जाए।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह आज की कार्यसूची में नहीं है। इसे अगले सप्ताह लाया जाना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस विधेयक को अगले सप्ताह लाना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : लेकिन, महोदय मांग यह है कि हम सभी को इस विधेयक को पारित करने का प्रयास करना चाहिए।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, जब यह लाया जाएगा तब आप इसका समर्थन कर सकते हैं लेकिन इस समय नहीं।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : इसे पारित किया जाना है। हम दिन प्रतिदिन पाखंडी होते जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया था।. . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि जीरो आवर में चांस मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि॰ पाटील (लातूर) : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। सरकार इसे पुर:स्थापित करने का प्रयास कर रही है। मेरा मानना है कि इस विधेयक को सभा में लाया जाना चाहिए तथा हम सभी को चाहिए कि कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे कि न केवल इस सभा का बहुमत बल्कि सभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है वे सभी संतुष्ट हो जाएं। कोई तरीका निकालने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि कोई तरीका निकालने की इच्छा जाहिर की जाए तो इससे श्री मुलायम सिंह यादव तथा अन्य भी संतुष्ट हो जाएंगे। हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इसे सभा में लाया जाना चाहिए। यदि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो हमें सर्वप्रथम महिलाओं को सामाजिक न्याय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अगले सप्ताह में लाया जाएगा। लेकिन बहस अभी शुरू हो गयी है। समस्या यही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री खारबेल स्वाइं। कृपया उन विषयों का उल्लेख करें, जिन्हें आप अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करना चाहेंगे।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैं इनका उल्लेख करूंगा, महोदय, चीन से आयातित वस्तुओं से भारतीय लघु उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव पर सभा में संपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। इसमें न केवल उद्योगों बल्कि उपभोगताओं के विचारों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने केवल दो विषयों को ही शामिल करने की सूचना दी है।

श्री खारबेल स्वाइं : जी हां, महोदय, मैं चाहता हूं कि इन्हें शामिल किया जाए। अत: निम्न विषयों पर चर्चा की जाए :-

1. अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन; और
2. रेल सुरक्षा।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं:-

1. मध्य प्रदेश में बिजली संकट एवं सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रानी अवंतीबाई सागर परियोजना की बायीं तट की उपनहरों के निर्माण में युद्ध स्तर की तेजी लाई जावे तथा दायीं तट की नहर को बनाया जाना बांध की सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है।
2. नर्मदा नदी जो अत्यन्त पवित्र नदी है, उसमें सां वालेस जैसी फैक्ट्री अपना दूषित प्रानी फेंक रही है। उसे रोका जाए तथा तट पर बसे गांवों में कटाव से उत्पन्न गंभीर स्थिति के लिए तट बंध बनाए जावें। जो पवित्र नर्मदा नदी के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी उपयोगी होंगे।

श्री ताराचंद साहू (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल स्थिति पर चर्चा को सम्मिलित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं:

1. एच॰एस॰सी॰एल॰ में 18 महिनों तक और आई॰डी॰ पी॰एल॰ और अन्य सार्वजनिक ईकाइयों जैसे बर्न स्टैण्डर्ड तथा अन्य में तीन से चार महिनों तक वेतन का भुगतान न करना।
2. सभी के लिए काम और शिक्षा का अधिकार।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाए :-

1. देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। नौवीं पंचवर्षिय योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के अनुसार, विकास दर पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। व्यापार घाटा बढ़ा रहा है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में लक्षित विकास होने की संभावना नहीं है।
2. देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 50 मिलियन से भी अधिक हो गई है। केन्द्र सरकार ने केन्द्र सरकार के विभागों में भर्ती पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए। ताकि बेरोजगार युवकों को केन्द्रीय विभागों में रोजगार मिल सके, बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

डा॰ एन॰के॰ जयशीलन (तिरूचेंदूर) : निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह के कार्यवाही में शामिल किया जाए:-

1. तमिलनाडु के तिरूचेंदूर निर्वाचन क्षेत्र में समुद्र के पानी को पेयजल में परिवर्तित करने संबंधी परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता ताकि वहां पर पेयजल की समस्या का समाधान हो सके।

2. कन्याकुमारी जिले में समुद्री ज्वारभाटा की सहायता से बिजली उत्पादन की परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:-

1. देश में 2002 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाया जाना।

2. देश की सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्कूल स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो बोलने का मौका दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, अभी यह आइटम खत्म नहीं हुआ। जरा पढ़ो और देखो कि हम क्या कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने ही कहा था कि जीरो ऑवर में मौका देंगे। .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये, आप इस तरह की बात मत करिये। आप मेरे एनड्यूरेंस को टैस्ट करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको पता है सभा में क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूचि में शामिल करने का कष्ट करें:

1. जल नल पुखण योजना मंजूर करते वक्त दस प्रतिशत लोक वर्गणी भरण के लिए भारत सरकार ने जी०आर० निकाला है। इस जी०आर० को रद्द करना और लोक वर्गण को छूट देना।

2. औरंगाबाद, मनमाड, चांदवऊ वडा की भोई, वर्ण कोरिवे, मनवउ, वान्हेराक्षस भवन, बकसाड, यह रास्ता नेशनल हाईवे में शामिल करना।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करने का कष्ट करें:-

1. 10 वर्षों से बन्द भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की गोरखपुर स्थित इकाई की जगह कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित उर्वरक इकाई को मंजूरी देने के सम्बन्ध में।

2. पूर्वी उत्तर प्रदेश के बन्द हो रहे चीनी उद्योग के जीर्णोद्धार तथा गन्ने के काश्तकारों के बकाया भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज देने के संबंध में।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है. . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आरोप लगाने से पहले, आपको सूचना देनी होगी। आपने सूचना नहीं दी है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। . . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव, मैं आपके व्यवहार को गंभीरता से लूंगा। मैं आपको शुरू से ही देख रहा हू।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको नोटिस देना होगा। आपने स्पीकर साहब ने इजाजत मांगी है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अभी नहीं, जीरो ऑवर में कहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि आपको जीरो ऑवर में स्पीकर महोदय ने इजजात दी है। जीरो ऑवर में आपको इजाजत देंगे। अभी कालिंग अटेंशन ले रहे हैं, अभी नहीं बोलें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पता नहीं, हाउस को क्या बना रहे हैं। इसी तरह से होगा तो कैसे काम चलेगा। कैसे हम काम कर सकेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यही एक नियंत्रण का तरीका है, और क्या कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है, आप भले ही बोलते जाएं। क्या आप हमारी बात नहीं सुनेंगे नहीं।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : रघवंश बाबू, आपका स्थगन प्रस्ताव डिसएलाऊ कर दिया गया है।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : डिसएलाऊ है तो हमें पुनर्विचार के लिए कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्पीकर साहब करेंगे। आप एक पार्टी के लीडर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाना है और इस तरह से सदन का समय बर्बाद हो रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाएं। मैंने आपको बोला है कि जीरो ऑवर में चांस मिलेगा, अभी मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : पिछली बार स्पीकर साहब ने ध्यानाकर्षण प्रस्वाव को रोक कर मुझे बोलने का मौका दिया था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद मौका मिलेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : स्पीकर साहब ने पहले भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रोक कर इनको चांस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का समय बर्बाद हो रहा है। इस तरह आप बीच में न बोलें। अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेना है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रोक कर शून्य काल को लिया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा कि इश्यू गम्भीर नहीं है। स्पीकर साहब ने भी कहा है, मैंने भी कहा है इनको इजाजत देंगे, लेकिन ध्यानाकर्षण के बाद देंगे। आप सीनियर लीडर हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह से करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह आप जबर्दस्ती से हाउस नहीं चला सकते। यहां रूल्स हैं, नियम हैं, उनके मुताबिक सदन चलेगा। आप खड़े होंगे तो सदन ऐसे नहीं चलेगा, यह ध्यान में रखें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हम आपकी सीमाओं को नहीं लांघेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे . . .*(व्यवधान)* हमारी बात सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे बार-बार कहा है। स्पीकर साहब ने मुझसे कहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नागमणी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नागमणी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कौनसी पार्टी के हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि इन्हें सम्भालें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हमें कब मौका देंगे, यह बता दें?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद जब शून्य काल शुरू होगा, तब आपको स्पीकर साहब ने चांस देने के लिए कहा है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : एक बजे के बाद शून्य काल होगा, तब हम बोल सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल जब होगा, तब मौका देंगे। शून्य काल एक बजे भी शुरू होता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस का कितना समय बर्बाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर दूसरे लोगों का है। ये लोग हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं।. . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हाउस का कितना समय बर्बाद हो गया है।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की रक्षा कौन करेगा?. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, आपका हाउस में कंडक्ट बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। क्या आपको समझ में नहीं आता? मैंने अंग्रेजी में नहीं बोला है, हिन्दी में बोला है, हिन्दी में बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हमें हमारा अधिकार तो दिया जाएगा या हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा? हमें हमारा अधिकार दिया जाये।. . .*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.30 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

डाककर्मियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर संचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:-

"डाक कर्मियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल के परिणामस्वरूप लोगों को हो रही अत्यधिक असुविधा से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"।. . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री बैसीमुथियारी, अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको कहा है कि यह "शून्य काल" नहीं है। ध्यानाकर्षण की शुरूआत हो चुकी है। अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, मैंने कहा न कि आपको बाद में चांस मिलेगा।

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, तीन डाक फेडरेशनों ने अपने मांग पत्र को लेकर दिनांक 05.12.2000 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के संबंध में दिनांक 06.11.2000 को एक नोटिस दिया था, जिसमें दो प्रमुख मुद्दे हैं:-

(i) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए न्यायमूर्ति चरणजीत सिंह तलवार समिति की सकारात्मक सिफारिशों का कार्यान्वयन, विशेष रूप से उन्हें दर्जा और पेंशन दिए जाने के संबंध में।

(ii) डाक कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों जैसे समूह घ कर्मचारी, डाक/छंटाई सहायक, पोस्टमैन, डाक लेखाकार आदि के लिए वेतनमानों और वित्तीय तथा अन्य लाभों में सुधार की मांगें।

इस मांग पत्र की मांगें लगभग वैसी ही हैं जैसी कि डाक फेडरेशनों ने 2.5.2000 से हड़ताल पर जाने के अपने नोटिस में उठाई थी। उस समय विभाग और फेडरेशनों के बीच हुए समझौते के अनुसार कार्रवाई कर ली गई है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए दर्जा और पेंशन प्रदान करने की मांग की जांच की गई थी, और यह पाया गया कि दिसम्बर, 1998 में तलवार समिति की सिफारिशें पूर्ण और अंतिम रूप से कार्यान्वित कर दी गई हैं, तथा तत्कालीन संचार मंत्री द्वारा इस आशय की सदन में घोषणा की गई थी। जहां तक यूनियनों द्वारा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नामावली में परिवर्तन करने से संबंधित मांग है। विधि मंत्रालय के परामर्श से इस नामावली में संतोषजनक समाधान किया जा रहा है। सरकार ने दिसम्बर, 1998 में ईडी एजेंटों को जो पैकेज दिया था, उसमें उन्हें पर्याप्त लाभ प्रदान किए गए थे। इसमें ईडी एजेंटों के मासिक भत्ते में 1.1.1996 से 28.2.1998 तक के लिए 3.25 के गुणक में वृद्धि 1.3.1998 से भत्ते में वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समय सापेक्ष निरंतरता भत्ता (टाइम रिलेटिड कन्टीन्यूटी अलाउंस). प्रत्येक आधे वर्ष के लिए 10 दिन की छुट्टी, अनुग्रह उपदान को 6000/- रु. से बढ़ाकर 18000/- रु. करना, ईडी, एजेंटों के लिए अनुमत कार्यालय भत्ते को 25/- रु.

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम विलास पासवान]

से बढ़ाकर 50/- रु. करना तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को रोजगारोत्तर लाभ के रूप में एकमुश्त सेवा विच्छेद भत्ता देना भी शामिल है। ईडी एजेंटों को दिए गए इस लाभ पैकेज के संबंध में, उस समय यह हिसाब लगाया गया था कि इससे बकाया राशि के भुगतान के रूप में 157.74 करोड़ रु. का व्यय होगा। इन लाभों की अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक लागत 301.35 करोड़ रु. थी। इस प्रकार, ईडी एजेंटों के वेतन बिल को 69% से अधिक बढ़ाया गया। ईडी एजेंटों को इतना अधिक लाभ प्रदान करते हुए, अतिरिक्त विभागीय नेटवर्क का आकार छोटा करने, अतिरिक्त विभागीय पदों को भरने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने तथा 10 वर्ष तक अतिरिक्त विभागीय संस्थापना में कोई वृद्धि न करने, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की उच्च आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष कर देने से संबंधित न्यायमूर्ति तलवार समिति की नकारात्मक सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।

विभागीय संवर्गों से संबंधित मांगें दो श्रेणी की हैं—एक तो वे हैं जिनका असर डाक विभाग पर और दूसरी वे हैं जिनका पूरे सरकारी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित है। डाक तथा छंटाई सहायक संवर्ग के लिए अतिरिक्त एचएसजी I ग्रेड के पदों की मांग, कनिष्ठ, लेखा अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेष वेतन, सार्टरों को लेखा संवर्ग में अवर श्रेणी लिपिक बनाने तथा वर्कशाप कर्मचारियों की संवर्ग पुनरीक्षा की मांगें ऐसे मुद्दे हैं, जो विभाग से संबंधित हैं, जिनका प्रभाव सीमित होगा। इनके शीघ्र समाधान के लिए कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न विभागीय संवर्गों का वेतनमान बढ़ाने तथा अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की मांगें पांचवें वेतन आयोग से संबंधित हैं। डाक फेडरेशनों से लिखित अनुरोध प्राप्त करने के बाद एक अंतर्विभागीय समिति (आईडीसी) द्वारा इनकी जांच की गई। अंतर्विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट को जांच करने पर यह पाया गया कि तीन मांगें पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें से संबंधित थी, जिन्हें या तो मंत्रिमंडल स्तर पर अस्वीकार कर दिया गया था अथवा विभागीय विसंगति समिति/राष्ट्रीय जेसीएम स्तर पर असहमति दर्ज की गई थी। इस प्रकार इस समय कोई कार्रवाई संभव नहीं है। यूनियन की मांग यह है कि पोस्टमैन के बढ़ाए गए वेतनमान को 1.1.96 से प्रभावी किया जाए। पोस्टमैनों की मांग थी कि उनकी सीपीओ के कांस्टेबल के साथ पूर्व-समानता बरकरार रखी जाए। उनकी मांग के जवाब में, उन्हें उन्नत वेतनमान दिया गया। सीपीओ के कांस्टेबल के बढ़े हुए वेतनमान के लिए प्रभावी तारीख 10.10.97 निर्धारित की गई थी। चूंकि, इन उन्नत वेतनमानों की प्रभावी तारीख के संबंध में मामला इस समय न्यायाधीन है, और इसलिए इस बारे में फिलहाल कोई निर्णय संभव नहीं है।

कर्मचारियों की लंबित मांगों के शीघ्र समाधान के लिए, प्रधान मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि लंबित मामलों को मंत्रियों के स्थायी ग्रुप को सौंप दिया जाए जिसका गठन पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए किया गया है। मंत्रियों के ग्रुप ने इस मामले पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। फिर भी, डाक फेडरेशनों ने इन विचार-विमर्शों के परिणाम की प्रतीक्षा न करने का निर्णय लिया और 5.12.2000 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।

कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर गहन विचार-विमर्श किया गया था। सरकार ने सिफारिशों को लागू करते समय पर्याप्त सुधार किए। इस संबंध में दिनांक 11.9.97 को सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष द्वारा जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें डाक विभाग के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के समूह घ और समूह ग कर्मचारियों के एस-1 से एस-13 तक के वेतनमान शामिल थे। सरकार द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से, पर्याप्त वित्तीय लाभ मिलने के बावजूद डाक कर्मचारी तथा उनकी फेडरेशनें वेतनमानों और अन्य भत्तों में और अधिक सुधारों के लिए मांग करती रही है। चूंकि, विसंगति के निराकरण के लिए तंत्र पहले से ही मौजूद है, इसलिए इन मांगों पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका अन्य विभागों में तीव्र असर पड़ेगा। सरकार का यह सुविचारित मत है कि सरकार द्वारा लागू किए गए वेतनमानों के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय होना चाहिए। निपटाए जा चुके मामलों को दुबारा नहीं उठाया जाना चाहिए। तथापि, समानस्तर अथवा ऊपरी स्तर की सापेक्षताओं में परिवर्तन के कारण विसंगतियों के मामलों को, इस प्रयोजन के लिए गठित विसंगति समिति को भेजा जा सकता है। डाक कर्मचारी पक्ष ने अभी तक इस फोरम का उपयोग नहीं किया है।

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप दूसरे विभागों की तुलना में विभागीय कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों में पर्याप्त सुधार किए गए हैं। समूह ख डाक कर्मचारियों के साथ-साथ सहायक अधीक्षक एवं निरीक्षक, स्टेनोग्राफर ग्रेड-II, कनिष्ठ अभियंता, लेखाधिकारी, उप प्रबंधक और ड्राइवर ग्रुप-I सहित मशीन मैन, सभी को उन्नत वेतनमान दिये गये हैं। इस प्रकार, डाक कर्मचारियों को सामान्य रूप से तथा उसके तीन महत्वपूर्ण घटकों अर्थात् पास्टमैन, ग्रुप घ कर्मचारी तथा मूलत: प्रचालन ग्रुप ग संवर्गों के लिए पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय अत्यधिक अनुकूल व्यवस्थाएं की गईं। दिसम्बर, 1998 में जारी किए गए आदेशों द्वारा ईडी एजेंटों को भी पर्याप्त लाभ मिला है।

गत कुछ दिनों के दौरान डाक फेडरेशनों तथा इनकी संबद्ध यूनियनों के प्रतिनिधियों ने डाक सेवा बोर्ड के सदस्यों, सचिव डाक विभाग औा व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ एक से अधिक बार बैठकें कीं, जिनमें उनकी मांगों तथा उन पर सरकार की राय के पीछे अंतर्निहित तर्काधार पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। 23 नवंबर, 2000 को भी उनके साथ मेरी 3 घंटे लंबी बैठक हुई और उसके बाद उनसे टकराव का रास्ता छोड़ने एवं हड़ताल का नोटिस वापस लेने का अनुरोध करते हुए लिखित अपील जारी की गई, ताकि उपलब्ध संसाधनों एवं बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी वास्तविक शिकायतों का परस्पर स्वीकार्य हल निकल सके। मंत्रियों के ग्रुप की 2.12.2000 को बैठक हुई जिसमें उन्होंने डाक कर्मचारियों की मांगों पर विस्तृत विचार विमर्श किया।

उसके बाद से, यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर बातचीत चल रही है और मैंने 4 दिसम्बर को उन्हें पुन: बुलाया और उनके साथ दो घंटे तक लंबी बातचीत की तथा उनसे हड़ताल समाप्त करने की अपनी अपील को दोहराया ताकि हड़ताल के फलस्वरूप आम आदमी को होने वाली दिक्कतें खत्म हो सकें। गांवों की गरीब जनता काफी हद तक मनीआर्डर सेवा पर निर्भर करती है तथा यूनियन के प्रतिनिधियों से इस बात पर विशेष रूप से गौर करने का अनुरोध किया गया। मुख्य श्रम आयुक्त हड़ताल समाप्त करवाने के अपने प्रयासों में यूनियन के प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों के साथ सुलह सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्य श्रम आयुक्त ने तीनों फेडरेशनों को यह भी सलाह दी कि वे हड़ताल न करें क्योंकि उनकी मांगें मंत्रियों के ग्रुप के समक्ष हैं और सुलह सफाई की कार्रवाई भी चल रही है।

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों से कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ है, जिनमें डाक सेक्टर के कर्मचारी भी शामिल हैं। डाक यूनियनों की उन मांगों पर, जो केवल डाक संवर्गों से संबंधित है व जिन पर बाहर प्रतिक्रियाएं नहीं हो सकतीं, पहले ही सकारात्मक रूप से ध्यान दिया जा रहा है तथा मंत्रियों का ग्रुप भी इन बातों से अवगत है। डाकघर समाज के सभी वर्गों को बहुमूल्य सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन गरीब और कमजोर वर्गों तथा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें डाक हड़ताल से सबसे अधिक नुकसान होता है। अत: मैं इस महान सदन के माध्यम से डाक यूनियनों तथा कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी हड़ताल समाप्त कर दें तथा अपनी शिकायतों का समाधान ढूंढने के लिए बातचीत की टेबल पर वापस आएं।

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डाक की चल रही हड़ताल के विषय में दिनांक 13.12.2000 को लोक हित के एक मुकदमें की सुनवाई की गई थी। डाक की हड़ताल के कारण आम आदमी को हुई अत्यधिक असुविधा को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि इस मामले से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय में ध्यान देना होगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बात की चर्चा भी की गई थी कि डाक सेवाएं 15.12.2000 तक बहाल कर दी जानी चाहिए और सरकार के पास यह विकल्प होगा कि वह डाक सेवाओं को बहाल करने के लिए परिस्थिति के अनुसार आवश्यक सेवा अधिनियम का आश्रय लेने सहित ऐसे कदम उठाए जो इन परिस्थितियों में उचित हों। . . .*(व्यवधान)* हमने कहा कि हम कोर्ट का आदेश पढ़ रहे हैं तो आप शेम-शेम कर रहे हैं। ये कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह न्यायालय का निर्णय है. . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मुख्य श्रम आयुक्त ने डाक फेडरेशनों की हड़ताल को औद्योगिक विवाद अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत गैरकानूनी घोषित किया है और उनसे अनुरोध किया है कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वे अपनी हड़ताल वापस लें। सचिव (डाक) ने 13 और 14 दिसम्बर, 2000 को यूनियन प्रतिनिधियों से बात करके माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और इसके परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट किया तथा हड़ताल वापस लेने और तत्काल काम पर लौट आने का उनसे फिर से अनुरोध किया। सभी डाक सर्किलों को इस आशय के उपयुक्त अनुदेश दिए गए हैं कि वे स्थानीय यूनियन नेताओं और कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों और इसके प्रभावों से अवगत कराएं तथा उनसे काम पर लौट आने का अनुरोध करें ताकि डाक सेवाओं में तत्काल सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बात इतनी ही कि आप हड़ताल खत्म कराइये, समझौता कराइये।

श्री राम विलास पासवान : आप क्यों हल्ला करते हैं, आपका नाम तो टेलीविजन और रेडियो में आ ही जाएगा। मंत्रियों के ग्रुप (जीओएम) ने 14-12-2000 की अपनी बैठक में माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों पर विचार किया है और डाक सेवाएं बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपको पता है कि ध्यानाकार्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को बोलने के लिए दस मिनट और दूसरों को पांच मिनट दिए जाते हैं। आप एक स्पष्टीकरण प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री पप्पू यादव बोलने का इंतजार कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं दस मिनट से अधिक का समय नहीं लूंगा। एक दो मिनट अधिक लग सकते हैं।

महोदय, सरकारें ने उन 6 लाख डाक-कर्मचारियों के विरुद्ध जंग छेड़ दी है जो 5 दिसम्बर, 2000 से हड़ताल पर चले गये हैं। डाक-कर्मी अचानक ही हड़ताल पर नहीं चले गये। महोदय, आपको याद होगा कि जुलाई, 1998 में, आठ दिनों तक हड़ताल चली थी और इस मामले को सभा में भी उठाया गया था। पूर्व संचार मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस संबंध में सभा में वक्तव्य भी दिया था। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि डाक कर्मचारियों के विशेषकर विभागेतर स्टाफ के लंबित मामालों को सुलझा लिया जाएगा और चिरंजीत सिंह तरवार समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। मंत्री महोदय के आश्वासन पर, डाक-विभाग के सभी कर्मचारी संघों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। पुन:, उन्होंने तीन महिने का लंबा इंतजार किया। परंतु उस आश्वासन को लागू नहीं किया गया। तब उन्होंने दिसम्बर में पुन: हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। पुन: आश्वासन दिया गया और कार्यालय

[श्री बसुदेव आचार्य]

ज्ञापन सं॰ 23106/98 दिनांक 17.7.1998 और पुनः दिनांक 5.8.1998 उसके आधार पर एक समिति गठित की गई। उस समिति ने भी यह सिफारिश की उस समिति में मंत्रालय और साथ ही कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि हैं।

समिति के सभी सदस्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, परंतु समझौते को लागू नहीं किया गया। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में, कहा है कि ईडी ऐजेंटों के पेंशन और दर्जा देने संबंधी मांगों पर विचार किया गया था, परन्तु यह पाया गया कि तलवार समिति की सिफारिशों को 1998 में पूरी तरह लागू किया गया था।

महोदय, तलवार समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी? तलवार समिति की मुख्य सिफारिश थी कि विभागेतर डाक कर्मचारियों को, ग्रामीण डाक कर्मचारियों के समान दर्जा प्रदान किया जाए, परंतु यह दर्जा उन्हें नहीं दिया गया है। पेंशन के संबंध में भी, सरकार ने तलवार समिति की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया है। मंत्री महोदय ने तत्कालीन संचार मंत्री, श्री जगमोहन द्वारा दूसरे सदन में दिए गये वक्तव्य का हवाला दिया है। सीवेरेन्स एलौंस की मंजूरी दी गयी थी किन्तु विभागेतर डाककर्मियों को दर्जा देने और उन्हें पेंशन देने के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया जैसा कि न्यायमूर्ति तलवार समिति द्वारा सिफारिश की गई थी।

महोदय, यह सच नहीं है कि न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया गया है। जब सभी कर्मचारी संघों ने मई माह में हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया तो वरिष्ठ एवं कनिष्ठ दोनों मंत्रियों ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि डाककर्मियों को सभी मांगों पर बिचार किया जाएगा। वे चार महीने का समय चाहते थे और उन्हें यह समय दिया गया। किन्तु इन चार महिनों के दौरान मंत्रालय को डाककर्मियों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों को कार्यान्वित करने का समय नहीं मिला।

महोदय, दिनांक 1.5.2000 को एक दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें यह आश्वासन दिया गया कि सभी स्वीकृत मुद्दों को वरीयता के आधार पर चार महीनों के अंदर लागू कर लिया जाएगा। विभागेतर कर्मियों से संबंधित मुद्दों यथा उनको दर्जा दिये जाने और पेंशन संबंधी मामलों की देखरेख हेतु एक पदनामित अधिकारी की नियुक्ति भी की गयी। इस प्रकार दोनों मंत्रियों द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कर्मचारी संगों द्वारा हड़ताल की योजना त्याग दी गयी। वे इतने महीनों तक इंतजार करते रहे। जब विभागेतर कर्मियों और उनकी डाक विभाग के ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' कर्मचारियों की मांगों के साथ-साथ उनकी अधिकांश लम्बित मांगें पूरी नहीं की गयीं तो नवम्बर में उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया।

जब मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का अध्यक्ष था तो इस समिति ने भी अनुशंसा की थी कि डाककर्मियों--दोनों विभागेतर और नियमित विभागीय कर्मचारियों के सभी लम्बित मुद्दों को निपटा लिया जाना चाहिए। उस समय मंत्रालय द्वारा इस समिति को आश्वासन दिया गया था कि तलवार समिति विभागेतर कर्मियों के पेंशन तथा उनको दर्जा दिए जाने संबंधी मुद्दों पर विचार करेगी और समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा। यहां तक कि सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की सिफारिशों को भी संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है। उन्होंने बस यही किया कि इस मामले को मंत्रियों के ग्रुप को सौंप दिया। इसे कब सौंपा गया? कितने समय से यह मामला मंत्रियों के इस ग्रुप के पास लम्बित पड़ा हुआ है। यह वर्षों से वहां लम्बित है। विसंगतियों, एवं ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को उच्चतर ग्रेड दिए जाने के प्रश्न हैं। डाक विभाग के ग्रुप 'डी' कर्मचारियों की तुलना हम दूसरे विभागों के ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के साथ कर सकते हैं।

एक समय मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया था कि उनकी मांगें जायज हैं। इसके बावजूद, ये सभी मुद्दे वर्षों तक अनसुलझे रहे। मंत्री महोदय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उद्धृत किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में जो कुछ भी कहा है वह उक्त फैसले का मात्र एक पक्ष है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप अपना स्पष्टीकरण पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अभी तक 12 मिनट ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो जवाब मांगा है वह भी महत्वपूर्ण है। हम उसे उद्धृत करना आवश्यक समझते हैं : "हम यह जानकर आश्चर्यचकित हैं कि प्रतिवादियों ने विसंगतियों एवं शिकायतों को दूर नहीं किया है।" उन्होंने विसंगतियों एवं शिकायतों से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के उस भाग को उद्धृत नहीं किया है जो कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था : "ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यदि ऐसा है तो आज से एक सप्ताह के अंदर निर्णय ले लिया जाना चाहिए।"

उन्होंने अपने वक्तव्य में इस ओर कोई इशारा नहीं किया है कि वे कर्मचारियों की लम्बित मांगों के संबंध में किस वक्त निर्णय लेने जा रहे हैं। क्या उन्होंने राज्य सरकारों से आवश्यक सेवा अधिनियम लागू करने को कहा है? जब सन् 1981 में 'एस्मा' को अधिनियमित किया जा रहा था तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। उनका मतभेद क्या था?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, अब आप प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने उनका भाषण पढ़ा है। उन्होंने कहा कि मजदूर संघ आन्दोलन के विरुद्ध इसका दुरूप्रयोग होगा। किन्तु आज मंत्री बनने के पश्चात् वे उस बात को भूल गए हैं जिसे उन्होंने

तक कहा था जब वे विपक्ष में थे। आज वे श्रमिक वर्ग यानी डाक कर्मचारियों के विरुद्ध इस अधिनियम का दुरूप्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने उनकी हड़ताल को गैर-कानूनी करार दिया है।

ये मुद्दे पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की तिथि से नहीं अपितु सन् 1997 से लम्बित हैं। इससे भी पहले 1995 में एक प्रश्न पूछा गया था। उस वर्ष यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।

अपराह्न 1.00 बजे

डाककर्मियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि तलवार समिति की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों के दर्जे तथा उन्हें 50 प्रतिशत पेंशन की स्वीकृति के संबंध में क्या किया गया है। पांचवें वेतन आयोग द्वारा भी इसकी सिफारिश की गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि पेंशन के साथ-साथ कर्मचारियों को दर्जा देने के संबंध में तलवार समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं।

जब सरकार की पहल पर समिति का गठन किया गया।. . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार के प्रतिनिधियों एवं कर्मचारी-संघों के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ था. . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सरकार के प्रतिनिधियों एवं कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते को लागू करेंगे। चूंकि महोदय ने हड़ताल को गैरकानूनी घोषित किया है, तो क्या वे संबंधित आदेश को वापस लेने जा रहे हैं?

इसका दूसरा पक्ष भी है जहां दिल्ली उच्च न्यायलय ने भी सरकार से मांगों को मानने तथा विभागेतर कर्मियों सहित डाककर्मियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं मुझे दिए गए समय से एक सेकन्ड भी अधिक नहीं लूंगा। मैं अपने समय की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : चलिए, हम आप पर नजर रखेंगे।

श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति : माननीय मंत्री जी का वक्तव्य विरोधाभासों से भरा पड़ा है। पहले उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों को 1998 में पूर्णत: लागू कर दिया गया। किन्तु जब उन्होंने 2 मई को हड़ताल की सूचना दी तो उन्होंने कहा कि सरकार इसका समाधान करने के लिए चार महीने का समय चाहती है।

अपराह्न 1.03 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए]

सरकार ने इसे उसी समय क्यों नहीं निपटा लिया जबकि सभी मुद्दे निपटा लिये गए हैं? जब दो मई को हड़ताल की सूचना दी गयी तब उन्होंने फिर चार महीने का समय क्यों मांगा? यह सरकार की निर्दयता को दर्शाता है। चार महीने से अधिक हो गए हैं और सरकार ने इसपर कोई कदम नहीं उठाया है। यह सरकार की निष्क्रियता है। डाककर्मियों का हड़ताल पर जाना कहां गलत है जबकि सरकार उनके मुद्दों को निबटा नहीं रही है।

महोदय, उनमें कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति अवश्य होनी चाहिए। वे पत्र बांटने प्रत्येक गांव में जाते हैं। विभागेतर एजेंटों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। गरीब जनता के पास फैक्स मशीन, कुरियर सर्विस या ई-मेल आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत एक निर्धन देश है और ये विभागेतर एजेंट गरीब लोग हैं। जबतक इनका निबटान नहीं किया जाता मुझे बताया गया है कि अधिकांश पेंशनभोगी अपना मनीआर्डर भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

भुखमरी भी होगी। मैं आपको यह आज बता देना चेहता हूं आप इसे निपटाएं। आज न्यायालय द्वारा दी गयी अंतिम तिथि है। न्यायालय आवश्यक नहीं है। सरकार सर्वोच्च है। सरकार के पास इच्छाशक्ति होनी चाहिए। आपको अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करना चाहिए पर 'एस्मा' के द्वारा नहीं। 'एस्मा' बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप किसी को भी डरा धमका सकते हैं। यह उतना कठिन नहीं है। किन्तु सरकार को 'एस्मा' और इन सभी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सरकार की क्षमता कहीं इससे भी अधिक है। बेचारे डाककर्मी बहुत ही दु:खद स्थिति में हैं। मैं उनके कार्य करने की स्थितियों को जानता हूं। मैंने उनकी बहुत सारी बैठकों में भाग लिया है। उनमें से अधिकांश अत्यंत गरीब हैं। यही कारण है कि कोई आयु सीमा नहीं रखी गई थी। आपने कहा कि तलवार समिति ने उन सभी शर्तों को निर्धारित किया जिनके लिए सुझाव दिया गया था। उन्होंने अधिवार्षिता आयु 60 वर्ष रखने की सलाह दी है। आपने इसे लागू क्यों नहीं किया? आपको इसे लागू करना चाहिए था। आपको नए लोगों को कुछ और आदेश देने चाहिए थे। इसे स्पष्ट होता है कि आपने न्यायमूर्ति तलवार समिति के प्रतिवेदन को लागू नहीं किया है। यह मेरा पहला बिन्दु है।

दूसरे आपने समय से कार्रवाई नहीं की है। जब दो मई को उन्होंने कहा कि वे हड़ताल पर जा रहे हैं तब उन सब चीजों को निपटाने हेतु आपने चार महीने का समय मांगा। सरकार दुबारा असफल रही। अपने चार महीने के भीतर इसका निपटारा नहीं किया। अब फिर आप उन्हें 'एस्मा' की धमकी दे रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर और क्या कह

[श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति]

सकता हूं। इन गरीब लोगों के लिए आपके पास बड़ा दिल होना चाहिए। मैं राजनीतिक आधार पर बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बातें वास्तविकता पर आधारित हैं। आपको यथार्थवादी होना चाहिए। आपको इसका अवश्य समाधान करना चाहिए। अन्यथा अत्यंत गरीब लोग अपने मनीआर्डर प्राप्त नहीं कर पाएंगें।

सैनिक स्कूलों, आई॰आई॰टी॰ और अन्य बहुत से स्कूलों में परीक्षा फार्म पहुंचने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। बहुत से लोगों ने आवेदन किया है। यदि वे आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं करते हैं तो एक शैक्षणिक वर्ष निकल जाएगा। अतएव, रक्षा मंत्री जी को भी राय दें कि वे सभी सैनिक स्कूलों में आवेदन प्राप्त करने की तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी करें ताकि आपकी निष्क्रियता के चलते बच्चों को नुकसान न उठाना पड़े। कृप्या उस बात पर विचार करें। आप जो भी कर सकते हैं करें। आज अंतिम तिथि है। माननीय मंत्री जी काफी मायनों में उदार हैं। मैं जानता हूं आप बहुत उदार हैं। आपने बहुत से लोगों को बहुत सारी छूटें दी हैं. . .*(व्यवधान)* मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं आप उदार हैं। मैं कहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी बहुत उदार हैं। मैं पिछले दस वर्षों से उन्हें व्यक्गित रूप से जानता हूं। वे बहुत उदार हैं। दलितों के प्रति उनकी चिन्ताएं हैं। उनकी चिन्ताएं गरीब लोगों के लिए हैं। उनको सरोकार आम जनता के प्रति है। तब, फिर आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? कृपया समय पर कुछ करें। कृपया आज शाम तक इसका समाधान करें। आप उन्हें बुलाएं और सबके प्रति न्याय करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): माननीय, सभापति महोदय, हम ने इस सभा में, या तो न्यायालय या न्यायालय आदेशों से उत्पन्न लंबे भाषणों को सुना है या हमें यह बताया जाता है कि स्थिति कितनी खराब है। परंतु देश में, बदलाव के लिए उठाए गये सुधारात्मक उपायों का क्या? क्या सरकार हमारे देश में व्याप्त प्रमुख मामलों के प्रति पूर्णत: असंवेदनशील हो गई है? चाहे वह सूखा हो, अथवा बाढ़ या फिर वह किसानों के मामले से संबंधित हो, सरकार का रवैया इन सभी मूल समस्याओं के प्रति बहुत ही असंवेदनशील और निराशाजनक है।

जहां तक डाककर्मियों के हड़ताल का संबंध है, मुझसे वरिष्ठ दोनों माननीय सदस्यों ने इस समस्या का कैसे समाधन किया जाए, पर पहले ही बोल चुके हैं।

सभापति महोदय: आप पहले सवाल पूछिए।

श्रीमती श्यामा सिंह: जी हां, परंतु मैं सवाल पूछने से पहने मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। क्योंकि यह सरकार का कर्त्तव्य है के वह देश की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे।

सभापति महोदय: इसके लिए भाषण की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती श्यामा सिंह: यदि इस हड़ताल को पहले ही दिन गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था तो इ एस एम ए को लागू कर दिया जाना चाहिए था। माननीय मंत्री को पता था कि यह हड़ताल गैर-कानूनी है, तो 12 दिनों से एस्मा क्यों नहीं लगाया गया? जबकि, इस अधिनियम को संसद ने पारित किया था। हमें आशा थी कि कम से कम, डाककर्मियों के हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर एस्मा लागू कर काबू पाया जा सकता था।

दुसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ-साथ गरीब व्यक्ति को भी डाक सेवा न मिल पाने के कारण भारत और विदेश में नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। मैं महसूस करती हूं कि दूरसंचार योजना की तरह ही डाक विभाग हेतु सरकार के डाककर्मियों की हड़ताल से निपटने के लिए विशेष और व्यावहारिक योजना बनानी चाहिए।

सरकार डाक विभाग के लिए एक स्पस्ट और सकारात्मक कार्य योजना बना सकती थी और दूसरा कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीकी विकास के साथ-साथ नयी तकनीक को लाना चाहिए। मेरे विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अन्य तीन लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह उन लोगों को जो हड़ताल के कारण सड़कों पर आ गये हैं विशेषकर आम आदमी के लिए, जो पिछले दिनों से परेशानी में हैं, पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): मैं इस गंभीर समस्या पर माननीय मंत्री का ध्यान आर्पित करना चाहता हूं। 6 लाख डाक-कर्मी, शायद पिछले दस दिनों से, देशव्यापी हड़ताल पर हैं। संपूर्ण देश की डाक-संचार व्यवस्था पूर्णत: ठप्प हो गई है। पूरे देश के युवा और विद्यार्थी हताश हो गये हैं और सरकार इस समस्या को कैसे सुलझाए इस पर विवाद है।

मुझे लगता है कि राजद में शामिल होने के बाद मंत्री अपने अतीत को भूल गये हैं। मैं उन्हें याद नहीं दिलाना चाहता, परंतु उन्होंने पहले इस सभा में इससे बाहर भी यह कहा था कि वे दलितों के हितों के पक्षधर हैं। डाक-विभाग में कई पिछड़े वर्गों के लोग कार्यरत हैं। वे आज वक्तव्य दे रहे हैं क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार किया है।

परंतु मुझे नहीं पता कि पहले उन्होंने सभा में, जब सभा का सत्र चल रहा था, किन कारणों से वक्तव्य नहीं दिया। इस गतिरोध को दूर करने के लिए कौन सी समस्याएं आ रही थीं?

सभापति महोदय: कृपया मुद्दे पर आइए। भाषण मत दीजिए।

श्री अजय चक्रवर्ती: मैं चार प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि, इसके क्या कारण हैं. . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): सभापति जी, उद्योग बंद हो रहे हैं।. . . (व्यवधान)

सभापति महोदय: इसलिए, तो हम विषय पर आने के लिए कह रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूं।. . .(व्यवधान) श्री खुराना ने भी प्रश्न पूछे हैं।. . . .(व्यवधान)

मेरा पहला प्रश्न है कि वे क्या कारण थे जिसके कारण सरकार को संसद की उपेक्षा करके इस हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करना पड़ा, वह भी तब जब संसद का सत्र चल रहा था?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक भाग को गुप्त रखा है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह कर्मचारी संघ से बातचीत करें और उनके मांगों की सूची को 48 घंटे के भीतर सुलझाने हेतु आगे आएं। मुझे नहीं पता कि क्या माननीय मंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया है या नहीं।

सभापति महोदय: श्री जी०एम० बनातवाला।

श्री अजय चक्रवर्ती: मेरा तीसरा प्रश्न है यह कि क्या सरकार डाक-विभाग के गैर-विभागीय कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सुविधाओं संबंधी न्यायाधीश तलवार समिति की सिफारिशों को सकारात्मक रूप से लागू नहीं किया है।

मेरा चौथा सवाल है कि यह कोई नई मांग नहीं है, सभी मांगें उन 6 लाख कर्मचारियों ने की है जो हड़ताल पर हैं।

आपके पूर्ववर्ती, श्रीमती सुषमा स्वराज और माननीय प्रधानमंत्री, दोनों ने इस सभा को आश्वस्त किया था कि, वे इस मामले को सुलझाएंगे और समस्या का समाधन ढूंढ़ेंगे तथा इसके लिए वे सारी सुविधाएं देंगे, जिनकी मांग डाक-कर्मचारी कर रहे हैं।. . . (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सिर्फ श्री बनातवाला की बात रिकार्ड में जाएगी और कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला: माननीय, सभापति महोदय, माननीय मंत्री का उत्तर मामले की अपेक्षा का सुन्दर उदाहरण है। जो मामले थे उनकी पूर्णत: अनदेखी की गई। यह मामले की उपेक्षा का सुन्दर उदाहरण है। उदाहरण के लिए, उच्च न्यायालय की टिप्पणी का संदर्भ तो दिया गया किंतु डाक-कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की संवेदनहीनता पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई निन्दा का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

महोदय, मेरा न्यायालय की उन टिप्पणियों का कुछ उद्धरण है, परंतु समय का आभाव मुझे वह आपके समक्ष रखने की इजाजत नहीं देता। यह मंत्रालय एक संवेदनाहीन मंत्रालय है। हमें इसका अनुभव है क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के मामलों में भी, जब हम कई मुद्दे और मांगें रखते हैं, हमें यह बताया जाता है कि सब नियमानुसार होगा और हमारी बातें अस्वीकार कर दी जाति हैं। हमारे यहां मंत्रालय इस प्रकार के हैं।

जो हड़ताल चल रही है वह अचानक नहीं उठ खड़ी हुई है। तलवार समिति ने अपनी सिफारिशें 1997 में दी थी। जुलाई, 1998 को हड़ताल की गई। माननीय प्रधान मंत्री ने उस समय हस्तक्षेप किया और सभा को आश्वस्त किया कि, एक महिने के भीतर, सभी समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों को भी इस मंत्रालय ने नहीं माना।

पुन: 4 अप्रैल, को माननीय मंत्री, श्री राम विलास पासवान ने डाक-कर्मियों की हिमायत की। परंतु, उसके बाद वे पुन: चुप हो गये। इस हड़ताल की सूचना मई, 2000 को दी गई थी।. . .(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री बनातवाला, कृपया समाप्त कीजिए, आपका प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला: महोदय, मैं प्रश्न पर आता हूं कृपया धीरज रखें। मुझे पता है मेरे पास कितना समय है। इसलिए, कृपया धीरज रखें।

महोदय, हम उन गरीब लोगों की बात कर रहे हैं जो कठिन श्रम करते हैं। विभागीय कर्मचारी, जो कर्मचारियों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत है, को उन्य कर्मचारियों की तुलना में उनको वेतन का 50 प्रतिशत से भी कम मिल रहा है।

महोदय, 1 मई को डाककर्मियों और सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समय, डाक-कर्मियों को यह आश्वासन दिया गया था कि 4 महिने के अंदर इस समझौते को लागू कर दिया जाएगा। उसका क्या हुआ? इस उत्तर में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था। मेरा प्रश्न है कि: इस वर्ष मई में किन बातों पर सहमति हुई थी? आप उस बारे में हमें बतायें। कृपया जिन बातों पर सहमति हुई थी

[श्री जी०एम० बनातवाला]

उन्हें अनदेखा न करें, आप हमें बतायें कि आप ने उन सहमत बातों को किस हद तक और किस प्रकार लागू किया है? आप उन बातों को लागू करने में असफल हुए हैं। इसके कारण क्या हैं?

महोदय, इस गोलमोल उत्तर में, तलवार समिति के द्वारा स्थिति, पेंशन आदि के बारे में की गई सिफारिशों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह गलत उत्तर हैं।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि दमन और दबाव की नीति के बारे में न सोचें। कृपया दमन और दबाव के बारे मे ही न सोचें। लोग गैर विभागीय कर्मचारियों के कार्य की सराहना करते हैं। वे सुदूर क्षेत्रों में कठिन कार्य करते हैं।

अब, मनीआर्डर भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। राजस्व स्टाफ भी उपलब्ध नहीं है। लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कालिंग अटेंशन में क्वश्चन पूछने की परिपाटी है, भाषण करने की नहीं। रामदास जी, आप क्यों खड़े हैं, प्लीज बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला: महोदय, हमें यह बताया गया कि मंत्रियों के समूह ने यह निर्णय लिया है कि देश में डाक-सेवा को कायम करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कृपया लोगों की असुविधाओं के प्रति असंवेदनशील न हो। आधे-अधूरे उपायों से डाक सेवा पूरी तरह कायम नहीं हो पाएगी। हमने यह प्रयोग पहले भी किया था। परंतु वह उपाय असफल हो गये। मुख्य बात यह है कि डाककर्मियों की सभी मांगों को मान लिया जाए। आप यह देखें कि डाक के मामले में लोगों को कोई असुविधा नहीं है।

इसलिए यह जाने कि इस वर्ष मई में किन मुद्दों पर स्वीकृति दी गई थी और आपने उन्हें लागू किस ढंग से किया। दरअसल उन्हें लागू किया ही नहीं गया। सरकार ने फिर उन्हीं मुद्दों और आश्वासनों को उठाया. . .*(व्यवधान)* इसलिए हम इस हड़ताल पर हैं।

यह सरकार **इतनी** असंवेदनशील है कि हड़ताल को समाप्त कराने के लिए उसने **डाककर्मियों** को कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। ऐसा असंवेदनशील व्यवहार नहीं होना चाहिए और हमें यह भी बताएं कि इस विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या स्पष्ट संकेत देना चाहती है. *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ऑनरेबिल मिनिस्टर का जवाब हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण विषय है, कृपया बैठ जाइये।

श्री राम विलास पासवान: कालिंग अटेंशन में जिनका नाम होता है, उन्हीं को बोलने का हक होता है, दूसरों को नहीं होता है। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कालिंग अटेंशन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाने का काम किया है और मुझे भी यह मौका दिया है कि मैं इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति को सदन के सामने रखने का काम करूं। माननीय सदस्य चक्रवर्ती साहब ने कहा कि जब पार्लियामेंट का सैशन चल रहा है तो आपने सुओ-मोटो स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। आपको मालूम है कि पांच तारीख से हड़ताल है और पांच तारीख से पार्लियामेंट बन्द रही। जब पार्लियामेंट खुली तो उस समय आपने जब मुद्दे को उठाया तो मैं दो दिन तक यहां बैठा हुआ था कि अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो मैं उस पर कुछ कहूं।. . . *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप जवाब नहीं दे रहे थे, आप खड़े होकर जवाब दे सकते थे, लेकिन आपके रेस्पॉंड नहीं किया।. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्लीज बैठ जाइये, जवाब सुनिये।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी ने चेयर से घोषणा की कि कालिंग अटेंशन हमने मंजूर कर लिया है। यही कारण था कि कल माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। चूंकि आपको मालूम था कि कालिंग अटेंशन मंजूर हो गया है। आपकी बात पर मुझको आश्चर्य हो रहा है और मैं समझता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं कि जहां कर्मचारी का सवाल आता है तो मैं कर्मचारी के हित में खड़ा होता हूं, भले आप पोलिटिक्स करते हों, लेकिन मैंने कर्मचारी के मामले में कभी पोलटिक्स नहीं की है और न भविष्य में करूंगा। कम से कम बसुदेव आचार्य जी इस बात के गवाह हैं।. . . *(व्यवधान)* चलिये, थोड़े हल्के हो गये, कम से कम हंसी तो आ गई। बसुदेव आचार्य जी इस बात के गवाह हैं कि जब मैं लेबर मिनिस्टर था, आज मैं इस बात को कहता हूं कि वह रामविलास पासवान था कि मैंने लेबर मिनिस्टर की हैसियत से वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबन्धन में मजदूरों की भागीदारी हो, इसके लिए मैंने लेबर मिनिस्टर की हैसियत से राज्य सभा में बिल पेश किया और अपने कम्युनिस्ट बन्धुओं से मैं बार- बार आग्रह करता था कि आप इनको पास करवाओ, सरकार इसके लिए तैयार है।

आप कहते थे कि जरा हल्ला-गुल्ला होने दीजिए, तब पास होगा, बिना मांगे क्यों दे रहे हैं। अंत में वह सरकार गिर गई।. . .*(व्यवधान)*

मैं रिकार्ड में दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने मुखर्जी साहब थे, चतुरानन मिश्र जी थे।. . . *(व्यवधान)* हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर यह चार्ज लगाए कि राम विलास पासवान मजदूर विरोधी है, मैं इनको सहन नहीं कर सकता। इसका सबूत है चाहे रेल मंत्रालय में कैजुअल लेबर का मामला हो। आप रोज हमसे लड़ते थे और हम अपने अधिकारियों को बुलाकर डील करने का काम करते थे। अभी भी संचार मंत्रालय में चाहे क्लास थ्री या क्लास फोर को या सफाई कर्मचारियों को टेलीफोन देने का मामला हो, जितना सम्भव हुआ हमने मजदूरों के साथ उतना सहयोग किया। जितना मन में दुख है, हमारे भी है। मैंने सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट के यूनियन लीडर्स से ही नहीं, अपितु बाहर के भी यूनियन लीडर्स को बुलाकर बातचीत की है। हमने कहा कि इनको समझाएं, इनकी क्या मांगें है। जिन लोगों ने भी उनकी मांगें देखीं, उन्होंने कहा कि इस कारण ये लोग पूरे देश को हड़ताल पर ले जा रहे हैं, यह समझ में नहीं आता। आपने भी उनकी मांगें बताई हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उनकी मांगों का जिक्र किया। ये मांगें हैं, जो बनातवाला साहब कह रहे थे, जिनको मई के महीने में भी रखा गया था। आपने सुषमा जी का नाम लिया। सुषमा जी ने संसद में मंत्री की हैसियत से 16 और 17 जुलाई को स्टेटमेंट दिया था। जो सैटलमेंट हुआ, वह 17.12.1998 को हुआ, जिसको फुल एंड फाइनल सैटलमेंट कहा गया। यह बात मैंने अपने एम्प्लाइज से पूछी थी। उन्होंने कहा कि शायद फुल एंड फाइनल विभाग ने कहा, हमने नहीं कहा। मेरे पास विभाग की चिट्ठी है, जिसमे हमारे कर्मचारी बंधुओं ने प्रशंसा की है। यह यूनियन की चिट्ठी है, जो उन्होंने 18 दिसम्बर, 1998 को लिखी थी।

[अनुवाद]

मांगों के संकल्प पर उठाये गए महत्वपूर्ण कदमों की हम प्रशंसा करते हैं, जिन पर एन.एफ.पी.ई/एफ.एम.पी.यू. का प्रतिनिधित्व कर डाककर्मी और दूसरी पंजीकृत यूनियनें/संगठन जुलाई 1998 के दौरान हड़ताल पर चले गए थे। अतिरिक्त-विभागीय एजेंटों को सुविधाओं के पैकेज के बारे में तथा विभाग के विभिन्न संवर्गों के लिए वर्तमानों में बढ़ोतरी में गठित समिति के प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में जिसके कारण 10 सूत्री मांग पत्र जुलाई 1998 में हड़ताल की गई, संसद में संचार मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हम अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा 21 और 22 दिसम्बर 1998 की दो दिवस की हड़ताल का दिनांक 7.12.1989 का नोटिस वापिस लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य: आप आखिरी लाइन भी पढ़ें कि क्या लिखा है।

श्री राम विलास पासवान: मैं पढ़ रहा हूं।

[अनुवाद]

"यह आशा की जाती है कि प्रशासन बकाया मुद्दों को क्रियान्वित करने में तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगा।"

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं हुआ, तो वे क्या करें. . .*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: आपने अपनी बात रख दी है, अब मेरी भी सुनें। मैंने यह कहा कि उन्होंने एप्रीशिएट करने का काम किया. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वसुदेव आचार्य जी, आप इतने सीनियर मेम्बर हैं। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: अब उसके बाद मांग क्या है? उनकी मांग की सूची मैं एक-एक करके पढ़ता हूं। उनकी तीन तरह की मांग ई.डी.ए. एक्सट्रा-डिपार्टमेंटल एजेंट्स से संबंधित है। उन ई.डी.ए. कर्मचारी की भी तीन मांगे थी। एक मांग नोमिनक्लेचर की थी। अभी हमारे साथी मूर्ति जी कह रहे थे कि कांट्रेडिक्शंस हैं। बनातवाला साहब भी कह रहे थे कि यह एग्रीमेंट था। आपस में एग्रीमेंट था, उसकी बातें हो रही हैं। नोमिनक्लेचर के संबंध में कांट्रेडिक्शंस हैं। फुल एंड फाइनल के बाद यह बात सही है कि जब हम लोग बैठे थे तो उसके बाद हम लोग नहीं चाहते हैं कि कंफ्रंटेशन का रास्ता हो उसको देखते हुए लॉ मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। लॉ मिनिस्ट्री ने साफ कहा कि नोमिनक्लेचर को नहीं बदला जाएगा। फिर हम लोगों ने विचार-विमर्श किया कि चूंकि ई.डी.ए. में नब्बे प्रतिशत कर्मचारी दलित लोग हैं और इसीलिए जहां तक उनकी मांगें हैं, उनकी मांगों को हम आज भी कहते हैं कि जायज हैं, कल भी कहते थे कि जायज हैं और आगे भी कहेंगे कि जायज हैं। आप तथा सब लोगों ने कहा कि जायज हैं। सब लोगों ने कहा कि जायज हैं और हर लोगों की सरकार यहां थी तो अभी तक उनकी मांगें पूरी क्यों नहीं हुई?. . .*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य: हुई नहीं, तो अब पूरी करो।. . . *(व्यवधान)* अब तो आप हैं। आपको ही पूछेंगे और किसको पूछेंगे?. . .*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: इस देश में कांग्रेस की भी सरकार रही। इस देश में आपके समर्थन से भी सरकार रही।. . . *(व्यवधान)* आप 1998 में चाहते तो. . . *(व्यवधान)* इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मांगे जायज हैं लेकिन मांगे जायज होने के बावजूद सरकार के पास जो रिसोर्सेज और जो पैसा होता है, उसको देखते हुए मैंने कहा कि उनकी दो तरह की मांगें हैं एक मांग है जिसमें पैसा खर्च नहीं होगा और दूसरी मांग जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर की है और यदि पैसा खर्च भी होगा तो भी हम दोनो मांगों तथा पिल्लै साहब को तुरंत मानेंगे। इसीलिए जो नाम का मामला है, भट्टाचार्य साहब कल सुबह हमारे पास आये थे। उन्होंने कहा कि दूसरा नाम रखना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि पासवान जी, यह नाम रखिये। मैंने तुरंत लॉ सैक्रेटरी और हमारे डिपार्टमेंट के सैक्रेटरी सं.म जी को टेलीफोन किया कि यह नाम रख दीजिए और इस तरह वह नाम रख दिया।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या नाम रख दिया?. . . *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: जब आप फाइल विदड्रॉ करवाएंगे, तब नाम बतलाएंगे।. . . *(व्यवधान)* उसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक अफसर को नियुक्त करो। 01-05-2000 का एग्रीमेंट यह था कि जो हम लोगों का समझौता विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके हुआ था कि अतिरिक्त विभागीय एजेंट्स की नामावली को बदलने की पुनर्जांच करनी है। उन्होंने कहा कि पुनर्जांच करो और हमने उस मांग को मान लिया। उन्होंने कहा कि केवल अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक अधिकारी मनोनीत करो और हमने मनोनीत कर दिया। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी के साथ परामर्श करके ई.डी. एजेंटों की पेंशन की मांग की जांच की जाए। अब आप समझ सकते हैं कि ई.डी. एजेंट जो यहां हैं, ये कर्मचारी केवल हमारे डिपार्टमेंट में ही नहीं हैं, बल्कि रेलवे में भी हैं, हरेक जगह में हैं। उनकी जहां तक पेंशन का सवाल है, हम लोगों ने उसके संबंध में कहा कि सिक्योरिटी के तहत हम उसकी कुछ व्यवस्था करेंगे लेकिन जहां तक पेंशन का सवाल है, यदि एक जगह करेंगे तो चाहे कारण कुछ भी हो, लिस्ट लगी हुई है, यदि हम एक जगह पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो उसका प्रभाव दूसरी जगह पर भी पड़ेगा। मैंने शुरु में ही कहा था कि जिस मांग का प्रभाव हमारे मंत्रालय से बाहर पड़ेगा, उस मांग को विचार करने में हम असमर्थ हैं। उसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स देख रहा है और जो हमारी अंदर की मांग है, हम उसको देखने के लिए हैं। तीन में से दो मांग पूरी मान ली है। एक मांग को अस्सी प्रतिशत मान लिया है और वह तीन लाख नौ हजार कर्मचारी से संबंधित है। उसके बावजूद आप हड़ताल पर रखे हुए हैं और कहते हैं कि दलित लोग हैं। जो उसमें लीड कर रहे हैं, वे कौन लोग हैं?. . *(व्यवधान)* उनको कोई चिंता नहीं होगी।

पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। ईडीए के विभागीय कर्मचारी 3 लाख 9 हजार हैं। इन कर्मचारियों की पहली मांग है, यदि डाक सहायक एकाउन्ट परीक्षा पास कर चुका है, तो उनको स्पेशल वेतनमान दिया जाए। हमने कहा—स्वीकार है। इसके बाद उन्होंने कहा ग्रेड-दो के दस प्रतिशत लोगों को एचएसजी ग्रेड-एक में अपग्रेड किया जाए। हमने कहा—यह मांग भी हमको स्वीकार है। फिर उन्होंने कहा—पोस्टल एकाउन्ट कैडर में मोटर को एलडीसी के पद पर पदोन्नत किया जाए। हमने कहा—यह भी हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा—मोटर मेल सेवा और स्टाफ का वेतन बढ़ाने के लिए कैडर रिव्यु किया जाए। हमने कहा—कैडर रिव्यु कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा—पोस्टमैन को जो वेतन दिया गया है, वह कान्सटेबल के बराबर दिया जाए और इसको 1.1.96 से लागू किया जाए। हमने कहा—पांचवां पे-कमीशन 1906 में आया था, पहले कान्स्टेबल और पोस्टमैन का एक स्केल था, इसमें पोस्टमैन को नीचे कर दिया गया है और कान्सटेबल को ऊपर कर दिया गया है। मामला सरकार के पास गया। हमारी सरकार ने निर्णय लिया—नहीं, पोस्टमैन के बराबर करो। दोनो को एक तरह से कर दिया गया है और जिस दिन से कान्सटेबल को वेतन मिला, उसी दिन से, 1997 से, इनके भी वेतन देना शुरू कर दिया। अब पोस्ट वाले कहते हैं कि नहीं, हमको 1.1.96 से लागू करो। ये लोग कोर्ट में गए हुए। हमने कहा, मामला कोर्ट में है, यदि कोर्ट 1.1.96 से लागू कर देती है, तो हम भी लागू कर देंगे। यदि नहीं करती है, तो हम भी नहीं करेंगे। इस स्थिति में यदि अभी कर देते हैं, तो कन्टैम्प्ट आफ कोर्ट हो जाएगा। मैं सदन को पंच मानकर चलता हूं, हमारा और आपका मामला टैग है और कोर्ट में पैंडिंग है। तो कैसे किया जा सकता है। इसके बाद टीओबीपी और बीसीआर तथा ग्रेड-डी का मामला है। उनका कहना है कि पोस्ट में जो काम कर रहे हैं, उनका काम अलग है, इसलिए अलग वेतन दिया जाए। हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट में पीयन है और जो पीयन प्राइम मिनिस्टर के गेट पर काम करता है, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। कहा गया कि हमारा डिफ्रेंट नेचर आफ वर्क है। हमने कहा कि अगर आप डिफ्रेंट नेचर ऑफ वर्क है, तो आप सब ट्रेड यूनियन बैठ और स्किल्ड और सैमी स्किल्ड की सूची अलग-अलग तैयार कर लें, लेकिन वहां कोई एक लीडर तो है नहीं। झगड़े के कारण कोई बोलता नहीं है। सब लोग समझते हैं कि बात सही है, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें स्किल्ड भी हैं और यह भी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वाले भी हैं। इसको बाइफरकेट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी तरह से पे की बात है, पांच स्केल बनाए गए हैं, ग्रेड एक से ग्रेड पांच वे कहते हैं कि ग्रेड-1 नहीं रहेगा और ग्रेड दो-चार और छः करो। इनका मामला स्टैनोग्रफर के वेतन में वृद्धि करने का है, डिसपैच राडर में वृद्धि और ये दोनों मामले जेसीएम के पास गए हुए हैं। दोनों ने अपने-अपने पक्ष को रखा, तो दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया। वे भी जानते हैं कि संभव नहीं है। इसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसके बावजूद भी हमने कहा कि सरकार ने रिजैक्ट नहीं किया है। अभी जितना मिल रहा है, ले लो और अभी जीओएम-ग्रुप आफ मिनिस्टर्स-बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर इनकी ये मांगें हैं और इन मांगों को लेकर पूरे देश में इतनी क्राइसेस डालना, मैं समझता हूं कि न इसे सदन एप्रीशिएट करेगा और न कोई अन्य करेगा।

आप यदि हमसे कहें तो मैं आपको बता सकता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यह क्या मामला है, हर साल-दो के बाद यह आंदोलन क्यों होता है।. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी का भाषण समाप्त होने दिजिए।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, इस पर इतना समय हो गया है।. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : खुराना जी, आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप तो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, आप मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना: महोदय, इस पर एक घंटा 40 मिनट हो गए हैं।. . . *(व्यवधान)* दिल्ली में इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, उसके ऊपर चर्चा कब करेंगे?. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप क्या चाहते हैं, मंत्री जी जवाब न दें?

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: अब यदि ये वाक आउट करने के मूड में हैं तो चले जाएं, नहीं तो मेरी बात सुन लीजिए।. . . *(व्यवधान)* इन्होंने तलवार कमेटी के बारे में कहा।. . . *(व्यवधान)* देखिए तलवार कमेटी के पहले कितना मिलता था। जब तलवार कमेटी लागू हुई, उसके पहले 770 रुपये से 1142 रुपये मिलते थे और अब 1884 रुपये से 3637 रुपये मिल रहे हैं।. . . *(व्यवधान)* आपने कहा कि तलवार कमेटी की रिपोर्ट का आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं. . . *(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। यहां रघुवंश बाबू बैठे हुए हैं। यदि तलवार कमेटी की रिपोर्ट को पूरे तौर से लागू किया जाए तो सरकार को डाउन साइज करना होगा। . . .*(व्यवधान)* दस साल तक भर्ती और ईडी आफिस खोलने पर रोक, यह तलवार कमेटी की रिपोर्ट है। अधिकतम आयु सीमा 60 साल, जिनकी तीन साल से कम सेवा हो, उन्हे छ: माह का वेतन देकर छुट्टी कर दीजिए, ये सारा का सारा है। हमने नेगेटिव प्वाइंट को नहीं माना है, उनका जो पोजिटिव प्वाइंट है उसे हमने मानने का काम किया है।

आप जो एस्मा के संबंध में कह रहे थे, मैने कहा कि एस्मा का सुझाव नहीं है, यह कोर्ट का आदेश है। खुराना साहब कहते हैं यह उनका मामला हैं। कोर्ट का आदेश डेढ़ पन्ने का है, आप कहें तो मैं उसे पढ़ दूं।. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सरकार को मामला सुलझाने का आदेश दिया था।. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनसे भी बात कर सकता हूं। मेरे पास जो भी माननीय सदस्य आएंगे, मैं उनके साथ बात कर सकता हूं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि देश में काम रुके, हमारे जो गरीब भाई हैं—चाहे सरकारी कर्मचारी हों या जिनको पैसा मिलने वाला हो, उन दोनों को कोई बाधा पहुंचे।

लेकिन मैं जानता हूं कि वहां राजनीति भी नहीं होनी चाहिए लेकिन वहां राजनीति हो रही है, खुलकर राजनीति की जा रही है और गरीब जनता को इससे परेशानी हो रही है।. . . *(व्यवधान)* इसलिए मैं अपमानित हो गया हूं।. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब शून्यकाल लिया जाएगा। शून्यकाल से यशवन्त सिन्हा जी आप इंटूड्यूस कर सकते हैं।. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गये उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं और इसके विरोध स्वरूप हम सभा के बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 1.46 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा के बाहर चले गए)

श्री टी०एम० सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, ए.डी.एम.के. की ओर से हम बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 1.47 बजे

(इस समय, श्री टी.एम. सेल्वागनपति और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 1.47 बजे

विधेयक पुर:स्थापित

(एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा: मै विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।**

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 15.12.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 1.47½ बजे

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2000 द्वारा विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 1.48 बजे

(दो) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकार अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू): महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): सभापति जी, यह नोटिस कैसे जारी हुआ।. . .*(व्यवधान)* आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं, मेरा नाम क्यों नहीं आया है।

सभापति महोदय: खुराना साहब, आपका नाम आयेगा। अभी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बुलाया है। शून्यकाल के विषय शुरू हो रहे हैं, इसके बाद आपको बुलाएंगे।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): सभापति जी, माननीय पप्पू यादव जी से पहले खुराना जी को दो-तीन मिनट का समय दे दीजिए, पप्पू यादव जी तो लम्बा बोलेंगे।. . .*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। इसी सदन में शांता कुमार जी ने बिहार के किसानों के सवाल पर एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में 19 क्रय केन्द्र खोल दिए गये हैं और 30 क्रय केन्द्र हम और खोलने जा रहे हैं तथा बिहार सरकार जितने केन्द्रों के लिए प्रस्ताव भेजेगी उतने क्रय केन्द्र हम खोलने के लिए तैयार हैं। क्रय केन्द्र और खुलें या नहीं खुलें लेकिन 19 क्रय केन्द्र कमीशनरी वाइज खुले जरूर हैं। लेकिन एफसीआई के मैनेजर और जो दूसरे संबंधित विभाग के मैनेजर्स हैं उन्होंने भारत सरकार को एक परिपत्र लिखकर भेजा है कि पंजाब में धान की खरीदारी इसलिए हो रही है क्योंकि पंजाब के धान की मानक स्थिति 8 प्रतिशत है और बिहार में धान की मानक स्थिति 3 प्रतिशत है। जब तक बिहार के धान की मानक स्थिति को 8 प्रतिशत नहीं दिया जाएगा तब तक एक किलो भी धान किसी भी एजेंसी के द्वारा, एफसीआई के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है।

इस देश में दो तरह के नियम हैं जबकी पंजाब में बिजली है, उच्च कोटि की जमीन है, बोरिंग है। पंजाब में सारी सुविधाएं हैं। बिहार बाढ़ और सुखाड़ की चपेट से साल भर तबाह रहता है। ऐसी परिस्थिति में बिहार में ज्यादा मानक धान खरीदने की स्थिति पैदा होती है। मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार आठ प्रतिशत मानक धान खरीदने की व्यवस्था करें।. . .*(व्यवधान)* यह एक गम्भीर मामला है। आठ प्रतिशत मानक धान खरीदने की इजाजत मिलनी चाहिए। बिहार सरकार देश के किसानों को गुमराह कर रही है। यह बिहार के आठ करोड़ लोगों का सवाल है। मेरे पास फोटो हैं जिन्हें आप देख लीजिए कि वहां कैसे गोली चलाने की स्थिति पैदा हो गई?*

सभापति महोदय: पहले चेयर को यह दिखाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

डा० रघुनाथ प्रसाद जी (वैशाली): यह गलत बात कर रहे हैं . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप पैनल ऑफ चेयरमैन हैं। आप बैठ जाइये। पप्पू यादव जी, आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सभापति महोदय, किसानों ने परसों आन्दोलन किया था। उसमें कई गाड़ियां जल गईं। वहां विधायकों पर लाठीचार्ज किया गया। सिविल ड्रैस में पुलिस द्वारा गोली चलाने की नौबत पैदा हो गई। मुझे अपनी रक्षा चाहिए। बिहार में किसानों की रक्षा अनाज के बारे में नहीं की जाती है और दूसरी तरफ उनके ऊपर गोली चलाई जाती है। बिहार सरकार ने गलत कहा कि उसने क्रय केन्द्र खोले हैं। केन्द्र सरकार ने भी गलत कहा कि वह अनाज

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 15.12.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

की खरीदारी करना चाहती है। आठ प्रतिशत मानक धान खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। केन्द्र सरकार बिहार के किसानों के कृषि ऋण माफ करने का भी प्रवधान करे। पुलिस ने जो गोली चलाई, उसके बारे में आप बिहार सरकार को निर्देश दें। मंत्री जी यहां जवाब देकर बताएं कि किसानों का अनाज कब खरीदा जाएगा। जब तक मंत्री जी इस बारे में जवाब नहीं देंगे मैं नहीं बैठूंगा। किसानों का धान कब खरीदा जाएगा?. .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: एफ.सी.आई. द्वारा कब धान खरीदा जाएगा? इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। जान से मारने की साजिश रची गई है। लालू यादव बिहार पुलिस द्वारा पप्पू यादव को और एक-एक को मरवाना चाहते हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण एम.एल.ए. पर लाठियां चलाई गईं।. . . *(व्यवधान)* मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा।. .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य एसोशिएट करना चाहते हैं। आप उन्हें बोलने दें।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): पप्पू यादव जी ने जो कुछ कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उसके साथ अपने आप को जोड़ कर यह कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार मारने की साजिश कर रही है। इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। पंजाब के किसानों का जो सुविधाएं दी गई हैं वही सुविधाएं बिहार में देने की मैं मांग करता हूं।. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आप को बारी-बारी से समय दे रहा हूं। श्री रघुनाथ बाबू आप बैठ जायें। आपको भी समय मिलेगा। श्री प्रभुनाथ सिंह जी।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, श्री राजेश रंजन जी ने यह सवाल उठाया और बताया कि किस तरह से बिहार के किसानों के साथ दोरंगा व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ पंजाब, आंध्र प्रदेश के साथ एक मानक और दूसरी तरफ बिहार के साथ दूसरा मानक अपनाया जा रहा है। आज बिहार के किसान कंगाली के कगार पर पहुंच चुके हैं। यहां केन्द्र सरकार द्वारा 19 केन्द्र खोले जाने की बात कही जा रही है। हमने बिहार में कमिश्नर से फोन पर बात की थी तो हमें बताया गया कि केन्द्र खोले जाने वाले नामों की सूची गुम हो गई है। जब कमिश्नर कहता है कि सूची गुम हो चुकी है तो केन्द्र कहां खोले गये हैं और कहां पर किसानों के सामान की खरीदारी की गई है। बिहार के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं श्री पप्पू यादव की बात का समर्थन करते हुये अपनी बात रखना चाहूंगा कि सरकार इस बात को गम्भीरता से ले इस सदन को अवगत कराये कि सरकार कहां पर केन्द्र खोलने जा रही है?

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): सभापति जी, केन्द्र सरकार ने इस बात से आश्वस्त किया था कि एफ.सी.आई. के 19 केन्द्रों को बढ़ाकर 33 किया जायेगा तथा राज्य सरकार के पी ए सी द्वारा क्रय किया धान एफ.सी.आई. द्वारा खरीद कर लिया जायेगा। लेकिन चार दिन पहले संबंधित बैंकों और कोआप्रेटिव सैक्रेटरी को एफ.सी.आई. ने नोटिस दिया है कि अब एफ.सी.आई. बिहार से धान का प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। अगर हमारी एजेंसी नहीं कर पायेगी तो बिहार की पी ए सी राज्य में प्रोक्योरमेंट करेगी। बिहार में 400 के लगभग पी ए सी एक्टिविएट किये गये हैं जिन्होंने धान प्रोक्योर कर लिया है और एफ.सी.आई. के गोदामों की ओर ले जा रहे हैं लेकिन एफ.सी.आई. लेने से इनकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से परिस्थिति विशेष में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि उक्त मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर है। राज्य के हालत बहुत खराब हैं। इस बात को देखते हुये जब एफ.सी.आई. पी ए सी से धान नहीं क्रय कर रहा है तो वहां किसानों में गोली चलने की स्थिति आ गई है। एफ.सी.आई. के इस रवैये से राज्य में बहुत विरोध हो रहा है। सरकार इस ओर ध्यान दे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): सभापति महोदय, संबंधित मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं लेकिन माननीय सदस्य ने जो भावनायें यहां रखी हैं, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। . . .*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.58 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और कुछ माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

सभापति महोदय: पप्पू यादव जी, सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है और संबंधित मंत्री तक पहुंचा दी जाएगी। अब आप अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना: सभापति महोदय, दिल्ली में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे 8-10 लाख मजदुरों को नोटिफिकेशन ने बेरोजगार कर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 3 जनवरी तक इन उद्योगों को बंद कर दिया जायेगा। मेरा कहना यह है कि इसका अल्टरनेटिव क्या है? हम सब चाहते हैं कि दिल्ली प्रदूषण रहित हो। मैं चाहता हूं कि इस नोटिस के कारण इंडस्ट्रीज मे जो दहशत फैली हुई है, उस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाये और दिल्ली का मास्टर प्लान बदला जाये। यह मेरी मांग है। . . .*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.00 बजे

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): सभापति महोदय, यह दिल्ली से संबंधित मामला है। 18 नवम्बर को दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियों को सील करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। लेकिन दिल्ली सरकार ने उन सारी फैक्टरियों को भी सील करने का काम किया है जो प्रदूषण नहीं फैला रही थीं। इस संबंध में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियां हैं उन्हें यहां से जाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और जो प्रदूषण न फैलाने वाली फैक्टरियां हैं, उन्हें यहीं रखा जाए। दिल्ली

[श्री लाल बिहारी तिवारी]

के मास्टर प्लान में संशोधन किया जाए और 15 लाख मजदूर और लगभग एक लाख उद्योग मालिकों को उजड़ने से बचाया जाए। . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है, सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है। सदन को डिसऑर्डर करने से आपका परपज सोल्व नहीं होगा। सदन को ऑर्डर में रहने दीजिए, सदन में व्यवधान पैदा मत कीजिए। आप भी पुराने सदस्य हैं। सदन में काम संचालन के तरीके हैं।

श्री लाल बिहारी तिवारी: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि इन सब लोगों को यहां से तब तक न उजाड़ा जाए, जब तक कि उन्हें दूसरा स्थान न दिया जाए और स्थान परिवर्तन के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मैं यह मांग करता हूं। . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है। आपके द्वारा उठाये गये बिंदु को संबंधित मंत्री तक पहुंचा दिया जायेगा। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है। आप बैठ जाइये। यह शून्यकाल नहीं है, सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): सभापति महोदय, दिल्ली में 45 हजार औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के मामले पर मैं बोलना चाहता हूं जिसके कारण आज दिल्ली के उद्योग संकट में पहुंच गये हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें हटाने के लिए सरकार कोई समय सीमा निर्धारित करे। . . .*(व्यवधान)* इसके लिए मैं पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री से मिला था और मैंने उन्हें कहा था कि जब तक ऑल्टरनेटिव जगह की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक इन उद्योगों को बंद न किया जाए। आप यकायक इन उद्योगों को बंद कर देंगे तो वे सब लोग क्या करेंगे। .*(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं जो राष्ट्रीय हित में है और जिसके लिए ये सारी राजनीतिक पार्टियां . . .*(व्यवधान)* गोयल साहब उन्होंने मेरा नाम बुलाया है *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री जे०एस० बराड़: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन के सामने राष्ट्रीय हित का एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप खुराना जी के साथ सेम सब्जैक्ट पर एसोसिएट कर सकते हैं।

अपराह्न 2.03 बजे

(तत्पश्चात् श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सभा-भवन से बाहर चले गए।)

श्री विजय गोयल: सभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि आज तक उच्चतम न्यायालय ने लोक महत्व के बहुत सारे निर्णय दिये हैं और उनमें से बहुत से निर्णय अच्छे हैं। परंतु सवाल यह है कि उच्चतम न्यायालय जो निर्णय दे रहा है या तो वह सरकार या संसद की अक्षमता को प्रकट करता है या ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय सरकार या संसद के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि क्योंकि उच्चतम न्यायालय जब निर्णय लेता है तो उसका इम्पलीमेंटेशन नीचे सरकारों को करना होता है। कई बार उसका जो दूसरा पक्ष है जैसे दिल्ली में लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे, चूंकि उच्चतम न्यायालय ने यकायक निर्णय दिया है कि जो प्रदूषण वाले उद्योग हैं उन्हें बंद किया जाए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं कि प्रदूषण वाले उद्योगों को बंद न किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए कोई समय सीमा हो, उन्हें टाइम दिया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार पिछले दो सालों के अंदर कोई इंतजाम नहीं कर सकी है, उसके लिए दिल्ली सरकार को दोषी ठहराया जाना चाहिए और दिल्ली सरकार को भंग किया जाना चाहिए।. .*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): मेरा नाम नहीं बुलाया गया है। . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लिस्ट में जिनका नाम है, उन्हीं को बुलाया जा रहा है, जिनका नाम नहीं है उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। आपको भी समय मिलेगा। लेकिन एक ही बार में सब सदस्यों को समय नहीं मिल सकता है।. . .*(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात को सुनने के बाद शायद थोड़े वक्त के लिए खामोश हो जाएं, क्योंकि मैं उन्हीं की भावनाओं को प्रकट करने जा रहा हूं। मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबिल संसदीय कार्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं।

मुद्दा यह है कि डेढ़ वर्ष पूर्व हमारे देश ने और देश के वीर जवानों ने जो महान कारगिल का युद्ध लड़ा जिसमें 600 से अधिक सैनिक शहीद हुए और 1500 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, उसके बारे में सरकार ने एक सुब्रहमण्यम समीक्षा कमेटी रिपोर्ट सदन में रखी है। डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसके लिए 17000 फुट की ऊंचाइयों पर हमारे जवानों ने बलिदान दिया और इतनी बड़ी शहादत दी, आज उनके परिवार संसद की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि क्या कारगिल मुद्दे की रिपोर्ट पर भी हिन्दुस्तान की संसद

बहस नहीं कर सकती? मैं प्रमोद महाजन जी से विनती करना चाहता हूं कि कारगिल समीक्षा समिति रिपोर्ट पर बहस करवाई जाए ताकि इस मुद्दे पर जो बहुत चिन्ता देश में है, वह सारे देश को पता लगे।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 के इंडो-चाइना वार में जिस तरह नेफा पर हमला हुआ और संसद में बहुत आवाज उठी थी कि 1962 कि लड़ाई के दोषी व्यक्ति कौन थे? हिन्दुस्तान की संसद में और हिन्दुस्तान की मिलिट्री, इंटेलिजेन्स, रॉ और सरकार की सब एजेन्सियां फेल हो गई फिर क्यों हम सब इस मुद्दे पर विचार करने को तैयार नहीं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो परिवार इस बात का इंतजार कर रहे हैं उनको हम कुछ तसल्ली दे पाएंगे। फरीदाबाद की एक खबर छपी है कि जिन परिवारों ने शहादतें दी हैं, उन शहीदों के परिवारों की चिन्ता नहीं की जा रही है जिनकी लाशें हमने हिन्दुस्तान के टेलिविजन में पत्रकारों की मेहरबानी से डिब्बों में बंद देखी। इसलिए दोबारा आपके जरिये में विनती करना चाहता हूं और सारे सदन की इस मुद्दे पर सहमति है कि कारगिल समीक्षा पर बहस हो ताकि पूर्ण रूप से हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के लिए कुर्बानी दी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा अपराह्न 2.40 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.45 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर पैंतालीस मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 15 पर चर्चा आरंभ करेगी। श्रीमती मेनका गांधी, इसके लिए आवंटित समय एक घंटा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :-

"कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का, उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख संरक्षण, उपचार का उपबंध करते हुए तथा उनसे संबंधित विषयों का न्यायनिर्णयन और व्ययन करने में बालकों के सर्वोत्तम हित में, बालकों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा इस अधिनियमित के अधीन स्थापित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उनके अंतिम पुनर्वास के लिए समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, संसद द्वारा अधिनियमित उपेक्षित या किशोर अपचारी बालकों की देखभाल, संरक्षण, विकास और पुनर्वास का उपबंध करने वाला किशोर न्याय अधिनियम, 1986, 2 अक्तूबर 1987 से लागू है, सरकार ने महसूस किया कि इस अधिनियम के उपबंध उपेक्षित बालकों की देखभाल और संरक्षण के मुद्दों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस विधेयक में संशोधन कुछ समय से लम्बित है और विगत वर्षों में इस अधिनियम की समीक्षा और कार्यान्वयन से पता चला है कि इस अधिनियम में अनेक कमियां/खामियां हैं अत: इसमें व्यापक संशोधन किया जाना चाहिए। इस सम्माननीय सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत यह विधेयक न्याय प्रणाली को बालकों के अनुकूल बनाने और उसे संपूर्ण देश में किशोर या बालक या उनकी ओर से पुलिस, स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्त्ता अथवा बालक या किशोर के माता-पिता और संरक्षक सहित किसी भी व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध कराने और निराश्रित बालकों का पुनर्वास करने का प्रयास है।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 भारत द्वारा अनुसमर्थित बालक के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 1995 जैसे बालक के अधिकारों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के अनुरूप नहीं है, इन कन्वेंशनों ने कुछ ऐसे मानदंड विहित किए हैं जिनका बालक के सर्वोत्तम हितों को प्राप्त करने के लिए, सभी पक्षकार राज्यों द्वारा पालन किया जाना है। बालक के अधिकारों सें संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के बाद आयोजित की गई। अत: यह आवश्यक है कि किशोर न्याय अधिनियम को बालक के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप बनाने के लिए उसमें संशोधन किया जाए।

सरकार ने इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और जानकार लोगों से परामर्श किया और उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर विद्यमान किशोर न्याय अधिनियम, 1986 का स्थान लेने के लिए इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था। विशेषज्ञों द्वारा विद्यमान अधिनियम की समीक्षा करने से पता चला कि अधिनियम में अनेक संशोधन करने होंगे अत: किशोर न्याय अधिनियम, 1986 का स्थान लेने के लिए इस सम्माननीय सभा के समक्ष एक नया विधेयक लाने का निर्णय किया गया।

मैं प्रस्तावित विधेयक की मुख्य बातों पर प्रकाश डालना चाहती हूं जो इस प्रकार हैं :-

[श्रीमती मेनका गांधी]

यह विधेयक अधिनियम को दो भागों में विभाजित करेगा—पहला, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए और दूसरा देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किशोरों या बालकों के लिए है जिससे निरूपण में स्पष्टता और भेद होगा; प्रस्तावित विधेयक वयस्कों को लागू होने वाली दंड न्याय प्रणाली की तुलना में न्याय प्रणाली को किशोर/बालकों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक उपयोगी बनाएगा; यह किशोर विधि को बालक के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप बनाता है, यह बालक से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के अनुसार एक समान आयु विहित करता है; यह चार मास की सीमित अवधि के भीतर मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करता है; यह प्रस्तावित अधिनियम के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय निकायों को शामिल कर राज्य की भूमिका कार्य करने वाले के बजाय सुकर बनाने वाले के रूप में तय करता है; इसमें पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाकर और प्रशिक्षण देकर मानवीय दृष्टिकोण वाले विशेष किशोर पुलिस एककों के गठन करने का प्रस्ताव है; यह प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति और गृह स्थापित करके किशोर या बालक की उन तक पंहुच को सुकर बनाएगा; और बालक के अधिकारों से संबंधित संयुक्तराष्ट्र कन्वेशन के अनुच्छेद 18 से 21 के अनुसार इसमें परित्यक्त, निराश्रित, उपेक्षित और अपचारी किशोर या बालक के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए दत्तक ग्रहण, पोषण, देखरेख, प्रवर्तकता और पश्चात्वर्ती देखरेख जैसे विभिन्न विकल्पों के लिए प्रभावी उपबंध किए गए हैं।

मुझे आशा है कि इस विधेयक के अधिनियमित होने से देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों को अधिक लाभ मिलेगा। अनौपचारिक प्रणाली विशेष रूप से कुटुम्ब, स्वैच्छिक संगठनों और समुदायों को शामिल कर प्रस्तावित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित अवसंरचना तैयार करके बालकों के साथ यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से व्यवहार करने और समाज में उन्हें उचित स्थान सुनिश्चित करने के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> ''कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का, उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख संरक्षण, उपचार का उपबंध करते हुए तथा उनसे संबंधित विषयों का न्यायनिर्णयन और व्ययन करने में बालकों के सर्वोत्तम हित में, बालकों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा इस अधिनियमिति के अधीन स्थापित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उनके अंतिम पुनर्वास के लिए समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, किसी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक सूचक उसकी सैनिक शक्ति और शहरों की भव्यता नहीं अपितु उस राष्ट्र के बच्चों की दशा, उनका स्वास्थ्य, पोषाहार स्तर, शिक्षा तक उनकी पहुंच और शिक्षा का स्तर और राष्ट्र द्वारा बच्चों व युवाओं को प्रदत्त देखरेख और संरक्षण सुविधाएं हैं।

उत्तरवर्ती पीढ़ियों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि आज हम बच्चों के लिए क्या करते हैं। बच्चे हमारी बहुमूल्य संपत्ति हैं। किंतु साथ ही वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के भी हैं। दुखद तथ्य यह है कि वर्तमान में भारत में 3.2 करोड़ से अधिक बच्चे विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं।

महोदय, वे आजीविका अर्जित करने के कारण बाल्यावस्था का आनन्द नहीं उठा पाते हैं। पारिवारिक दरिदता और विद्यालयों की कमी के कारण बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के निर्बंधात्मक उपबंध प्रभावी नहीं रहे हैं। चिन्ता की बात यह है कि कई मामलों में सुकुमार आयु के बच्चों को खान, कारखानों, कूड़े के ढेरों जैसे खतरनाक स्थानों पर लगातार 12 घंटे से अधिक तक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसी श्रम से बालकों को भारी क्षति पहुंचती है और वह बच्चों में मासूमियत और सुन्दरता की स्वाभाविक भावना नष्ट कर देता है, इससे बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है और बीमारियां होती हैं जो घातक हो सकती हैं।

अभाव और आर्थिक मजबूरियां कई बार बालक का गलत सामाजिक प्रभाव का शिकार बनने और ऐसे कार्य करने को बाध्य करती हैं जिन्हें कानून के अन्तर्गत अपराध होते हैं और उसे अपराधी घोषित किया जाता है। समय की मांग है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को जेल में दुर्दान्त अपराधियों के साथ रखने के बजाए उनके बारे में सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए और उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक 2000 का आशय इन उपायों का उपबंध करना है। महोदय, यह प्रयास स्वागत योग्य है किंतु मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि यह विद्यमान कानून में वांछित सुधार नहीं कर पाया है जो व्याप्त भयावह स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है।

जैसा कि मंत्री महोदया ने कहा है कि इस विधेयक में दो विभिन्न श्रेणियों के बालकों के बारे में उपबंध किया गया है। पहला, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अर्थात् वे बालक जिन्होंने कोई अपराध किया है; और दूसरा, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक अर्थात् वे बालक जो परित्यक्त हैं या जिनकी देखरेख न की गई हो या शोषित हों और जिन पर अत्याचार किया गया हो। महोदय, बालकों के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए समुचित उपबंध नहीं किए गए हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और हम अपेक्षा करते हैं कि जब पुराने अधिनियम का स्थान लेने के लिए नया विधेयक लाया जाएगा तो उसमें इसे शामिल किया जाएगा। ऐसे मामलों के लिए 'विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर' अध्याय में केवल कुछ खंड दिए गए हैं। बालकों के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए अलग से एक

विस्तृत अध्याय होना चाहिए था। महोदय यह इसमें सम्मिलित मुद्दों की व्यापकता या इस समस्या के प्रति आधा-अधूरा दृष्टिकोण दर्शाता है।

हमें बाल उत्पीड़न की घटनाओं के दुखद तथ्य की जानकारी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में बलात्कार की शिकार महिलाओं में से 27 प्रतिशत दस वर्ष से कम आयु की बालिकाएं हैं। हमने उनके लिए क्या किया है? बाल उत्पीड़न कई घिनावने रूपों में किया जाता है। किंतु हमारा विद्यमान कानून अर्थात् भारतीय दंड संहिता उसे नहीं मानता है।

कानून के अनुसार यदि कोई कृत्य संभोग से कम श्रेणी का है, जो बलात्कार को साबित करने के लिए कानूनी अपेक्षा है तो बलात्कारी का कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि उसके विरुद्ध पीड़ित की लज्जा भंग करने का आरोप लगाया जाएगा। फिर उस बालिका को बलात्कारी के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए पुलिस के समक्ष या न्यायालय में घटना का पूरा ब्यौरा देना एक भयावह अनुभव है। यह न केवल भयावह है अपितु कानून के प्रयोजन को स्वत: निष्फल करने वाला है।

यह विधेयक बाल उत्पीड़न के इन महत्वपूर्ण पहलुओं की अपेक्षा करता है। इस विधेयक के प्रारूपण में मुझे निश्चिन्तता या अज्ञानता की झलक दिखाई देती है जो इन संवेदनशील मुद्दों पर मंत्री महोदया की चिन्ता के विरोधाभासी है। अन्यथा आप खंड 2(घ)(VI) को कैसे स्पष्ट करेंगे जिसमें पीड़ित के लिए बाल दुरुपयोग के साथ गंभीर रूप से क्रिया विशेषण लगाया गया है तथा जो देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक की श्रेणी में आता है। यह दोषी व्यक्ति को कानूनी तकनीकियों की आड़ में बचने का रास्ता उपलब्ध कराए और कार्यवाही से बचता रहेगा।

वर्तमान विधेयक 'दुरुपयोग' शब्द की संतोषजनक परिभाषा देने में विफल रहा है तथा इसीलिए समानुपातिक दण्ड देने में असफल है।

महोदय, मैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अत्यंत संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें बाल-दुर्व्यवहार को निम्नवत् बताया गया है :

> "बाल-दुर्व्यवहार जिसे बच्चों के ऊपर अत्याचार करना भी कहा जाता है, जानबूझकर अन्यायोचित ढंग से उन्हें पीड़ा और तकलीफ पहुंचाना है। इस शब्द का तात्पर्य-असामान्य शारीरिक हिंसा, अनुचित और मौखिक दुर्व्यवहार, समुचित आश्रय, पोषण, चिकित्सीय इलाज अथवा भावनात्मक सहारा प्रदान करने में असफलता, कौटुम्बिक व्यभिचार, यौनाभिचार अथवा बलात्कार और अश्लील बाल साहित्य की रचना करने के अन्य मामले हैं।"

यदि यह कानून मेरे द्वारा उद्धृत एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की भांति बाल-दुर्व्यवहार को परिभाषित नहीं करता तो मेरे विचार से बालकों को उनकी देखभाल और संरक्षण प्रदान करने के समय उनकी मदद करने की हमारी मंशा पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि अंतत: जब आरोपी और पीड़ित के बीच इस प्रकार का मामला होता है तो न्यायालय ही कानून की व्याख्या करते हैं। ये न्यायालय उस कानून की शब्दों के अनुसार व्याख्या करते हैं उसकी मूल भावना के अनुरूप नहीं।

बाल-दुर्व्यवहार की घटनाओं का संबंध जब विशेष तौर पर कौटुम्बिक व्याभिचार और यौन-दुर्व्यवहार से होता है तो हालांकि ऐसी घटनायें अधिक होती हैं परन्तु उनकी सूचना बहुत कम मिलती है। यहां तक कि इससे होने वाली संभावित शर्मिन्दगी की वजह से, जो घटना के प्रकाश में आने से होती है, पीड़ित बच्चे के परिवार वाले भी उसकी अनदेखी करते हैं और कुछेक मामलों में तो देखा गया है कि पीड़ित बच्चे के नि:सहाय माता-पिता को धमकियां दी जाती हैं, पैसे तथा अन्य चीजों का लालच दिया जाता है ताकि वे न्यायालय में लंबित मामले को वापिस ले लें, जिसमें अंतत: आरोपी को दोषमुक्त कर दिया जाता है। इस पीड़ाजनक आघात से वह उबर नहीं पाता ओर इसकी परिणति बाद में गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं के रूप में होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों के अपराधियों को कठोर दण्ड देना चाहिए। इस कानून में वह महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है।

महोदय, बहुत से मामलों में जैसे नि:सहाय रूचिका, को स्वयं पुलिस महानिरीक्षक ने उत्पीड़ित किया था, पीड़ित व्यक्ति बदनाम और प्रताड़ना से बचने के लिए स्वयं जीवन लीला समाप्त कर लेता है। हम सभी जानते हैं कि घरेलू नौकरों के रूप में काम करने वाली लड़कियां अपने नियोजक की वासना का शिकार होती हैं। ऐसे मामलों में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बलप्रयोग, लालच देकर और हिंसा का प्रयोग करके स्वीकृति प्राप्त की जाती है। समाज विरोधी तत्व, शोषण करने वाले वातावरण और गरीबी का लाभ उठाकर नवयुवतियों को वेश्यावृति में धकेलते हैं। यूनिसेफ के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 18 वर्ष से कम आयु के 4-5 लाख बच्चे वेश्यावृति में लिप्त हैं। यदि मेरे आंकड़े गलत नहीं हैं तो यह किसी भी अन्य देश से अधिक है। इससे एड्स तथा अन्य खतरनाक बीमारियां होने की आशंका है।

अपराह्न 13.00 बजे

महोदय, प्रश्न विधेयक मैं ऐसे बच्चे शामिल हैं, जो सैन्य संघर्ष, विद्रोह अथवा प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं। आजकल युद्ध, जन-संघर्ष और आतंकवाद बच्चों को अधिक प्रभावित करते हैं। यह हमारा दुखद अनुभव है। उन्हें मार दिया जाता है अपाहिज, अनाथ और निराश्रित बना दिया जाता है। समाज पर उनका बहुत ऋण है। इन अत्याचारों से उन्हें जो भावानात्मक बुरी तरह प्रभावित उनकी भयावह स्मृतियां उनके मानस- पटल से क्यों नहीं मिलती।

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल, आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, ये महत्वपूर्ण मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, परंतु आप बाद में बोल सकते हैं। अब तीन बजे हैं और हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लेंगे। अब श्री एम.ओ.एच. फारूक बोलेंगे।

अपराह्न 3.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री एम०ओ०एच० फारूक (पांडिचेरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 13.12.2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 13.12.2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) गन्ना उत्पादकों की समस्याएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा डा० मदन प्रसाद जायसवाल द्वारा 1 दिसम्बर, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी:-

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह गन्ने की आपूर्ति के एक सप्ताह के अन्दर गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों द्वारा उचित कीमत या भुगतान सुनिश्चित करे और उत्तर-प्रदेश-बिहार तथा गन्ना उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख राज्यों में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुन: चालू करने के लिए तुरंत कदम उठाये।"

अब डा० रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, डा० मदन प्रसाद जायसवाल द्वारा सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत संकल्प पर मेरा भाषण अपूर्ण था। उस संकल्प में कहा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में गन्ना किसानों की समस्याएं हैं और चीनी मिलें बंद हैं, उनके चलते हुए जो गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, उनका समाधान हेतु विचार करने के लिए उन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को सभी जानते हैं, बिहार के विभाजन के पश्चात् जो बचा बिहार है, उसमें 19 चीनी मिलें हैं, जो बंद हैं। प्राइवेट क्षेत्र में जो चीनी मिलें हैं, वे तो चालू हैं, लेकिन सरकारी चीनी मिलें बंद हैं। स्थिति यह है कि उत्तर बिहार में इस उद्योग के अलावा दूसरा उद्योग नहीं है। जब देश में नौ लाख टन चीनी पैदा होती थी, तो बिहार में तीन लाख टन यानि एक-तिहाई, चीनी पैदा होती थी। अब देश में 164 लाख टन चीनी पैदा होती है, लेकिन बिहार में वहीं तीन लाख टन चीनी ही पैदा हो रही है। इस बारे में हमने माननीय मंत्री जी से सलाह की। चीनी पैदा करने में बिहार राज्य का स्थान दूसरा था और अब नीचे जाने के बाद भी उसका स्थान चार या पांच होगा। बिहार की घोर उपेक्षा हो रही है। किसान के विषय पर सारे सदन के सदस्य खड़े थे। पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वही व्यवहार आज बिहार के साथ नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। सदन में जब यह मामला उठा, तो माननीय मंत्री जी उस समय सदन में नहीं थे। अनाज प्रोक्योरमेंट का सवाल हो, धान हो या मक्का हो, लेकिन गन्ना किसान भी तबाह हुआ है। गन्ने का किसान दो कारणों से तबाह है। देश भर में 500 करोड़ रुपया किसान का चीनी मिलों की तरफ बकाया है। चीनी मिलें बंद हैं और किसानों द्वारा गन्ने के उत्पादन की खपत नहीं हो रही है। इस कारण सारे किसान तबाह हैं। जो सदस्य गन्ना उत्पादक क्षेत्रों से आते हैं, जैसे श्री राम नगीना मिश्र जी, उनको किसानों की स्थिति के बारे में पता है। हम देखते हैं कि सरकार इस मामले में उदासीन है। उदासीन ही नहीं, हम कहते हैं कि सरकार किसान विरोधी काम कर रही है।

यह देखना चाहिए कि अगर राज्य सरकार किसानों की मदद में पीछे हो तो केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए, लेकिन हम वैसा देख नहीं रहे हैं। माननीय मंत्री जी जब इस संकल्प का उत्तर देंगे तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों की मदद के लिए आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की वैसी हैसियत नहीं। बिहार में 3000 करोड़ का घाटा हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है और 3000 करोड़ का घाटा होने से वहां के कर्मचारियों को वेतन मिलना दुर्लभ हो जाएगा, विकास कहां से होगा। फिर केवल खेती बचती है। खेती पर आधारित किसानों की तरक्की नहीं होगी तो फिर बिहार का भला नहीं हो सकता। 19 चीनी मिलों में से तीन चीनी मिलें बीआईएफआर में हैं और तीन चीनी मिलें निजी क्षेत्र में थीं, जिसे सरकार ने टेकओवर किया था। फिर उसे लौटाने की बात हुई है। जो 13 चीनी मिलें बची हैं उनके लिए कोई उपाय नहीं हुआ है।

महोदय, गन्ना किसानों के सवाल पर विधान सभा में भी बहस हुई। अब वहां की केबिनेट ने यह फैसला लिया है कि उन चीनी मिलों को आईएफसीआई के मार्फत प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ज्वाइंट वेंचर में अथवा लीज पर कर दिया जाए। मतलब किसी भी हालत में चीनी मिलों को चालू कराया जाए। बिहार सरकार के मंत्री, पदाधिकारी और आईएफसीआई, सब को अपने यहां बुला कर आप बैठक कराएं ताकि किसी भी हालत में मिल चालू हो जाए। इसके लिए वे प्रबंध कराएं तो देश के लिए, बिहार के लिए और गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी भारी मदद होगी। लोग कहते हैं कि 1930-32 की चीनी मिले हैं, जो पुरानी हो गई हैं। उनकी मशीनरी चौपट हो गई है। आधुनिकीकरण का, विस्तार का, गन्ना क्रशिंग की केपेसिटी के बारे में विशेषज्ञ बताते हैं कि जब तक 5000 टन क्रशिंग केपेसिटी प्रति दिन की नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। निश्चित रूप से वह किसी भी हालत में चलाने में लाभदायक नहीं हैं। किसी-किसी चीनी मिल का हिसाब जोड़ा गया है तो पता चला है कि एक किलों चीनी तैयार करने में 400 रुपए का खर्च लगता है। उस तरह की चीनी मिलें चलाने से, उसका इकनोमिक्स कहता है, सरकार कहती है कि कि उन्हें बंद रख करके मजदूरों को हम वेतन दें तो कम घाटा होगा, बशर्ते उसे चालू किया जाए। इस तरह की हालत है। इसलिए किसी भी हालत में भारत सरकार उसमें आगे आए। सरकार की तरफ से जब आफिसर का बनाया हुआ उत्तर आ जाता है, जैसे कोई कानून ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, उसमें हेर-फेर नहीं होता, संविधान संशोधन होता है। एसटीएफसी को लोन देने का कानून है, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्री स्तर पर हो, वित्त मंत्री, प्लानिंग कमीशन के स्तर पर हो, एक स्पेशल पैकेज देकर भी हो, मतलब किसी भी हालत में मिलों का आधुनिकीकरण हो और उन्हें जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, जिससे किसानों को राहत हो। तीन चीनी मिलें बीआईसी के आधीन हैं और वे तीनों चीनी मिलें बंद हैं। किसानों का बकाया भी, जो टैक्सटाइल विभाग के आधीन है, कपड़ा विभाग के आधीन है, वह पहले से सारा जर्जर है और किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इसलिए वे सभी अधिकारी, संबंधित लोगों को, फूड और कंज्यूमर मिनिस्टर का भी विभाग पड़ता है, यह उन्हीं के विभाग हैं, आईएफसीआई को, इन सब को बुला कर बैठक करें। 15 दिन पहले बहस हुई थी तो हमें लगता था कि मंत्री जी पर असर हुआ होगा, लेकिन हमें लगता है कि कोई असर नहीं हुआ है। आज भाषण पूरा होने के बाद इस पर ख्याल और अमल करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।

अपराह्न 3.10 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

इसलिए 10-15 दिन के अंदर में यह किया जाए। माननीय मदन जायसवाल जी के क्षेत्र में भी कई चीनी मिलें हैं, और जो चीनी मिल एरियाज के सदस्यगण हैं, उनको भी बुला लें तो बड़ी कृपा होगी। अब बिहार की दस करोड़ की आबादी में से हम केवल आठ करोड़ बचे हैं लेकिन वह भी कम हिस्सा नहीं है। आप राज्यवार प्रयत्न करें तो एसटीएफ से लोन भी लिया जा सकता है। आईसीआई, आईएफसीआई आदि को लें और राज्य सरकार को भी कसने की जरूरत हो तो राज्य सरकार को भी कसें और आप लीड करें और ऐसा प्रयास करें जिससे वहां की चीनी मिलें चालू की जा सकें। इससे देश समाज और किसानों का भला होगा और एक बहुत भारी काम आप कर सकेंगे।

मेरा पहला सवाल यह है है कि बंद चीनी मिलें किसी भी हालत में चालू हों और दूसरा सवाल यह है कि आप देश में एक कानून सब राज्यों के लिए रखिये। पंजाब के लोगों ने शोर मचाया, हरियाणा के लोगों ने शोर मचाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने शोर मचाया तो उन्हें कुछ मिला। आंध्र प्रदेश के भाई मैदान में आये तो उन्हें भी कुछ मिला। लेकिन बिहार का किसान आज धान जला रहा है और बिहार में धान का प्रक्योरमेंट नहीं हो रहा है। उसमें भेदभाव की नीति हुई तो बिहार का किसान भी उठेगा और दिल्ली हिलेगी और उसके भयंकर परिणाम होंगे। *(व्यवधान)* पटना तो हिला हुआ है अब दिल्ली की बारी है। सभापति जी, माननीय हुक्मदेव जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं लेकिन आज सरकार में उनकी क्या दशा है इस पर भी आप गौर करें। कभी माननीय नीतीश जी के नीचे स्टेट मंत्री बना देते हैं तो उसी में खुश हो जाते हैं। इस सरकार में कभी मंत्रियों से डेयरी का महकमा छिनता है तो कभी एग्रीकल्चर का और कभी जहाज की जगह पानी का जहाज दे देते हैं। अब सरकार में ये लोग हैं और किसी प्रकार से अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आज गरीबों के साथ, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ, दबे-कुचले लोगों के साथ दुश्मन का सा व्यवहार यह सरकार कर रही है। इसलिए यह गंभीर मामला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

सभापति जी, मेरा कहना है कि सभी किसानों के हित में एक-सा व्यवहार किया जाना चाहिए। पंजाब में प्रक्योरमेंट हो रहा है लेकिन आज बिहार में भी किसान ने 70-80 लाख टन अनाज पैदा किया है। अगर उसका प्रक्योरमेंट नहीं होगा, वह नहीं बिकेगा तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं और किसान की हालत का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के किसान की हालत क्या होगी?

आज गन्ना किसान की भी वही हालत है। चाहे गन्ना किसान हो, आलू, धान, मक्का का किसान हो, आज सब परेशान हैं। जो दो विभाग इससे संबंधित हैं उनके अधिकारियों को बुलाकर आप बात कीजिए और किसानों की मदद कीजिए।

बिहार की हालत पहले भी खराब थी और उसके विभाजन के बाद भी खराब है। जब से यह सरकार केन्द्र में आई है तब से ही बिहार विभाजन का काम शुरू हुआ।

पंचायत के चुनाव का ऐलान हुआ तो भाजपा के विपक्ष के नेता बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं जो कहता था वहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं। भारत सरकार ने कहा कि वहां चुनाव हों, विपक्ष ने कहा कि चुनाव हो लेकिन वहां किस कानून के तहत चुनाव हों? वहां मुखिया

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह]

का आरक्षण नहीं, प्रमुख का आरक्षण नहीं, महिलाओं का आरक्षण नहीं, अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यह कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं और कभी हाई कोर्ट विरोधी हो जाते हैं। हम हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चलते हैं तो कहा जाता है कि यह संविधान विरोधी है। वहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुए क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कहा जाता है कि इसके लिए बिहार सरकार कसूरवार है। गरीब राज्य का 500 करोड़ रुपया रोक कर बिहार की 10 करोड़ आबादी के साथ क्रिमिनल व्यवहार किया जा रहा है। इधर बिहार के जो लोग बैठे हैं वे बिहार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और न्याय नहीं कर रहे हैं। इसमें बिहार सरकार का कोई कसूर नहीं है। यदि कुछ घड़ी के लिए उनका कसूर मान भी लिया जाए तो वहां की जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसका पैसा नहीं काटना चाहिए और जनद्रोह नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, आपके एरिया में भी छोटी-मोटी चीनी मिलें हैं। वहां के किसान परेशान हैं। वे कहते हैं कि हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आप हमारी मिल चालू करवा दें जिससे गन्ने की खपत हो जाए। इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा। इस बारे में ठोस काम होने चाहिए। आप इस बारे में 10-15 दिन में सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाएं और सख्ती से कार्रवाई करें। इस बारे में केन्द्र सरकार मदद करके किसी भी हालत में बंद चीनी मिलों को चालू करवाए। आज बिहार के गन्ना किसान परेशान हैं। गन्ना किसानों का 500 करोड़ रुपया जो बकाया है, उसका भुगतान हो। उत्तर प्रदेश में 32 चीनी मिलें बंद हो गई हैं और भी बंद हो रही हैं। वे क्यों बंद हो रही हैं? आप इसे देखें। चीनी की रिकवरी बढ़े। ये सब काम हों जिससे शुगर इंडस्ट्री, गन्ना किसानों और देश को लाभ हो सके।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : सभापति महोदय, आज का विषय जितना अहम है उतना पुराना है। हमें याद है आप मंत्री थे और उस समय इस विषय को लेकर बार-बार आपसे मिले। इसके बाद रघुवंश बाबू इसी विभाग के मंत्री हुए। हमने उन्हें भी यही गाथा सुनाई। ग्रामीण उद्योग का यह सवाल है। ग्रामीण किसान इसके साथ बंधा है। चीनी मिलें चाहे निजी क्षेत्र में हों, चाहे कोआपरेटिव क्षेत्र में हों, चाहे सरकारी क्षेत्र में हों, हर चीज का कंट्रोल सरकार के ऊपर रहता है। किसान कब लाएगा, कैसे गन्ना बिकेगा, किस दिन लाएगा चीनी मिलें कितनी लैवी शूगर देंगी, कितना फ्री शूगर देंगी, किस तरह चलेगा, सरकार इसे कंट्रोल करती है। यह बहुत पुरानी बीमारी हो गई है। गौरी बाजार हमारे संसदीय क्षेत्र में आता है। पहले वह मिल बंद हुई। हम उस समय से चिल्ला रहे हैं। इस संसद में बार-बार चिल्ला रहे हैं लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाला गया।

जब बीमारी बढ़ जाती है तो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। उस बीमारी को दूर करने के लिये बहुत बड़े आप्रेशन करने की जरूरत होती है। मैं उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की बात करूंगा। यही हाल बिहार की चीनी मिलों की है। उनकी हालत दयनीय है। इसमें सोच तो बहुत हो चुकी है, अब कार्यवाही करने का समय आ गया है। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पैसा कहां से आयेगा? उत्तर प्रदेश में 128 चीनी मिलें हैं। 1996 के आंकड़ों के अनुसार 910 करोड़ रुपये का बकाया था और आज की स्थिति में यह बकाया 140 करोड़ रुपये है। इस समस्या से बहुत से किसान प्रभावित हो गये हैं। इस कारण से पूर्वी उत्तर प्रदेश कंगाल होता जा रहा है। उन किसानों के पास रोजी-रोटी का कोई जरिया नहीं है।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा 29 चीनी मिलें मेरे क्षेत्र देवरिया और कुशीनगर जनपद में थीं और धीरे धीरे ये बंद होती चली गईं। आज चीनी का व्यवसाय बीमार पड़ता जा रहा है और यही हालत बिहार की चीनी मिलों की है। हमारे संसदीय क्षेत्र में कठकुइंया, पडरौना, सरदार नगर, गौरी बाजार, देवरिया, भटनी और बैतालपुर में चीनी मिलें हैं। इनमें से पांच चीनी मिलें निजी क्षेत्र में हैं जो बंद हैं। यदि आकलन किया जाये तो मालूम होगा कि हमारे क्षेत्र में इस समय बकाया राशि 45-50 करोड़ रुपये है। मैं नहीं समझ पा रहा कि किस तरह से हमारे संसदीय क्षेत्र 50 करोड़ रुपये का बकाया सह सकेगा? यह सोचने की बात है। सरदार नगर की चीनी मिल का 27 करोड़ रुपये बकाया है। यह चीनी मिल निजी क्षेत्र में है। किसानों का गन्ना सरकार के कहने पर चीनी मिल को दिया गया है लेकिन इनमें से तीन चीनी मिलें—कठकुइंया, पडरौना और गौरी बाजार राज्य सरकार की तरफ से संचालित नहीं होती थीं, ये केन्द्र सरकार की ओर से संचालित की जा रही थी। इस कारण से प्रदेश सरकार का यह विषय नहीं है, यह केन्द्र सरकार का विषय है। अब ये निजी क्षेत्र में चली गई हैं और बी.आई.एफ.आर. के पास हैं। चीनी उद्योग के मामले में यह बीआईएफआर के पास नहीं रही बल्कि ये ब्यूरो आफ फाइनेंशियल डैस्ट्रक्शन के पास हो गयी हैं। यह क्षेत्र कोर्ट हो गया, सामाजिक नहीं रह गया है जनता से उसका कोई लगाव नहीं है। उसने आदेश दे दिया कि पहले आई.सी.आई.सी.आई. को और आई.डी.बी.आई. को पैसा दो लेकिन किसानों को पैसा नहीं दिया। इस कारण हम लोग बी.आई.एफ.आर. के पास गये। ये तीनों चीनी मिलें मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइसेस ने ले रखी हैं। हमने बात की लेकिन सुनी नहीं गई और कहा कि यह कोर्ट है। हमने कहा कि आप समाज को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिये ये चीनी मिलें उनसे वापस ले लें। यह सब व्यवस्था की बात है। हम हमारे सामने यह सवाल है कि पिछले 4-5 साल का बकाया गन्ना किसानों को किस तरह से पहुंचाया जाये? इस सब के चलते हमारे क्षेत्र पडरौना में गोली कांड भी हो गया।

जब गोलीकांड हुआ तो हर पार्टी के नेता, पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी, हमारी नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी आदि सब लोग वहां पहुंचे थे और इन सब लोगों ने वहां पहुंच कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की। पिछले पांच साल तक हम इसके लिए लड़ते रहे हैं और अब सब लोग पहुंच कर सरकार से कह रहे हैं कि फौरन पैसा दे दो, हम भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन

यह बात बहुत पुरानी है, यह हमें विरासत में मिली है। हमारी सरकार के समय में यह बात नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार का, हमारे शासन का यह दायित्व बनता है कि इस गिराव को रोके और यह गिराव दो मामले में है। पहला यह है कि किस तरह से 137 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के लिए और किस तरह से 40-45 करोड़ रुपया हमारे क्षेत्र के लिए पहुंचाया जाए, यह पुराना बकाया है, निजी मिलों का बकाया है, यह कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए। दूसरा मामला यह है कि जो मिलें पुरानी हो गई हैं, साठ साल से लगी हुई हैं, यदि उन्हें बंद करना है तो उनमें से कुछ मिलें जो ठीक काम कर रही हैं, किस तरह से उनका आधुनिकीकरण हो, किस तरह से उनका विस्तारीकरण हो, ताकि वे मिलें घाटे में नहीं, मुनाफे में चल सकें और गन्ना किसानों का गन्ना पहुंच सके, गन्ना किसानों का भुगतान कैसे किया जाए।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इनके सामने कई बार यह बात आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से भी बात हो चुकी है। प्रधान मंत्री जी के पास भी जा चुके हैं। हर स्तर पर बात हो चुकी है। लेकिन हमें यह दिखाई पड़ता है कि ये निजी क्षेत्र की मिलें हैं, ये बी.आई.एफ.आर. की मिलें हैं, मंत्री जी यही सब कहने वाले हैं। लेकिन किस माध्यम से किस तरह से उन्हें पैसा दिया जाए, यह कोई नहीं सोचता। मैंने बार-बार यही कहा है कि सरकार मिलों को पैकेज देती है, उसमें किसी ने किसी तरह से पैसा लगाती है। हमारे सरदार नगर की मिल निजी क्षेत्र में है, कठकुनिया और पडरौना की मिल निजी क्षेत्र की हैं। इन मिलों के प्रभावित किसानों को पैसा एक पैकेज के लिहाज से डायरेक्ट दिया जाए और उन्हें यह समझा दिया जाए कि मिल को बेचकर भी उनसे पैसा वापिस लिया जायेगा चाहे वह कोई और माध्यम इस्तेमाल करें। गन्ना किसान ने उस मिल को अपना गन्ना सरकार के हुक्म से दिया है। यह मैं मानता हूं कि मिल मालिक को फायदा हुआ है। लेकिन उसमें हुक्म सरकार का रहा है। इसमें सरकार का हाथ है इसलिए कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा। मैं केवल आलोचना के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, मैं बार-बार यह सुझाव दे चुका हूं कि जितना पैसा है इसका पेमेन्ट गन्ना किसान को उन मिल मालिकों की तरफ से दिया जाए और मिल मालिकों से यह कहलवाया जाए कि इसका भुगतान वे करेंगे और इसके लिए एक समयबद्ध तरीका हो। अगर छः महीने तक भुगतान नहीं करते हैं तो उस मिल को बेचकर सरकार अपना पैसा वापिस ले ले। यह एक कठोर तरीका है, इस पर काम करना है। हमारे ख्याल से किसी के दिमाग में यह बात नहीं है, रघुवंश बाबू वहां बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के दिमाग में यह नहीं है कि चार-पांच साल से जो ज्यादती हमारे किसानों के साथ हुई है, उसमें किस तरह से हम सबको मिलकर उन्हें पैसा पहुंचाना है। आज क्या दर्दनाक हालत किसानों की हो गई है, मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहता हूं। आज किसानों की बहुत दयनीय हालत हो गई है, उसका वर्णन करना बेकार है। उसका वर्णन करके हम केवल माननीय मंत्री जी को समझ सकते हैं कि इसकी फौरन जरूरत है। इसलिए निजी मिलों का पुराना भुगतान इस बात को लेकर कि कौन सी व्यवस्था बनाई जायेगी, इसके बारे में हमारे मंत्री महोदय आज स्पष्ट करें, यह हमारी मांग है।

सभापति महोदय, हमारी दूसरी मांग यह है कि यहां पर पैसा दिया गया है 63 शुगर मिल उत्तर प्रदेश में हैं उनके आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 223 करोड़ रुपया दिया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे जनपद में और हमारे संसदीय क्षेत्र में जो मिलें हैं, क्या उनमें से किसी का भी विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा, क्योंकि हमारे ख्याल में जितना पैसा जा रहा है, उसमें से एक करोड़ रुपया भी हमारे क्षेत्र में जिसमें सबसे ज्यादा मिलें हैं उसमें नहीं जा रहा है और उसका आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। हमें यह कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रपोजल भेजे, हम उसमें मदद करेंगे, ऐसी बात हमें बताई जाएगी। लेकिन दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से प्रपोजल का इंतजार होता रहेगा जबकि कुछ क्षेत्र जलते रहें? क्या सांसदों को बुलाकर नहीं कहना चाहिए कि आपके क्षेत्र में किसका आधुनिकीकरण करवाना है और मैं देखूंगा कि जो मिल अच्छी तरह से चल रही है, जहां पर स्वयं मजदूर और किसान मेहनत कर रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसका आधुनिकीकरण किया जाए। यह काम एक समयबद्ध तरीके से 10-15 दिन में करने की कृपा करें क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित है। वह जनसंख्या जो कि आज अच्छा धान पैदा कर रही है, उसका उचित दाम भी उसे नहीं मिल रहा है। गन्ने का भुगतान भी बाकी है। इस प्रकार से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। वह किसलिए उत्साहित होकर कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा यह हम जानना चाहते हैं और किसानों की उपेक्षा हो रही है यह हम बार बार कहना चाहते हैं, लेकिन इसका समाधान क्या हो इसके बारे में मंत्री महोदय हमें बताएं।

[अनुवाद]

श्री के०के० कलिअप्पन (गोबिचेट्टिपालयम) : माननीय सभापति महोदय, मैं उन गन्ना उत्पादकों, जिन्हें लाभकारी मूल्य समय पर नहीं मिल रहे हैं, की दुर्दशा पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से पाये गये संकल्प पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी ओजस्वी नेता, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी अन्नाद्रमुक के महासचिव डा० पुरात्ची थैलैवी का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस सभा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर मुझे स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। मैं एक किसान हूं और प्रतिवर्ष लगभग हजारों टन गन्ने का उत्पादन करता हूं। अब मैं इस सभा का सदस्य हूं जहां आज गन्ना उत्पादकों की दुर्दशा पर चर्चा की जानी है। संघ सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही गन्ना उत्पादकों की अपेक्षा कर रहे हैं और उन पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। गन्ना उत्पादकों को उनका कोई दोष न होते हुए भी सजा मिल रही है।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री के०के० कलिअप्पन]

सरकार ने उनके लिए उपयुक्त लाभकारी मूल्य सुनिश्चित न करने के साथ-साथ, उन्हें देय शेष राशि का भुगतान भी लंबित रखा है। चीनी मिलों द्वारा खरीद के एक वर्ष के पश्चात् भी लंबे समय से भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद के वर्ष की फसल के लिए उस किसान की क्या स्थिति होगी? उनके पास अपनी संपत्ति और पत्नी और बच्चों के गहने गिरवी रखने के अतिरिक्त कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। वे बैंक के पास हैं और किसान कर्जदार हैं और उन कर्जों तथा ब्याज वचनबद्धताओं के कारण काफी परेशान हैं। इन सरकारों ने उन्हें भारी कर्जे में डूबे रहने के लिए छोड़ दिया है। किसानों की यह दुर्दशा है लेकिन फिर भी व कृषि उत्पादन विशेष तौर पर गन्ना उत्पादन बढ़ाने में अपना सामर्थ्य लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। परंतु यह सरकार निरंतर उनकी उपेक्षा करके और विदेशों से चीनी का आयात करके इस देश के गन्ना उत्पादकों पर भारी प्रहार कर रही है। यह सरकार की बड़ी गलत नीति है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। चीनी के आयात में कमी की जानी चाहिए। इस देश के गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

आजकल हम देखते हैं कि हमारे किसान मारे-मारे फिर रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिलती है। मैं पुन: इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस सरकार ने बहुत गलत नीति अपनाई है। किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। उन्हें गरीबी के गर्त में धकेल दिया गया है। ये समृद्ध किसान शीघ्र ही कंगाल हो जाएंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में उन्हें इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है अर्थात् उन्हें समय पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इससे अगली फसल प्रभावित होती है और इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था भी अत्यधिक प्रभावित होगी।

बढ़ते हुए मूल्य सूचकांक के आधार पर जब कभी मूल्य वृद्धि होती है तो आप सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर देते हैं। परंतु जो मूल्य वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, उन किसानों की स्थिति की आप निरंतर उपेक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल जैसे तेल-उत्पादों में कई बार मूल्य वृद्धि की गई है। इससे हमारे देश के प्रत्येक कोने में बसे किसानों और उनके परिवारों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। मुझे भारी दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने सत्ता में आने के दो वर्षों के बाद भी गन्ना उत्पादकों की दुर्दशा की उपेक्षा की है। तमिलनाडु में श्री करूणानिधि के नेतृत्व में बनी सरकार ने चुनावों के दौरान किए गए वायदे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने 8.5 प्रतिशत के शक्कर संघटक वाले गन्ने के लिए अधिक मूल्य देने का वायदा किया था। लेकिन उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया जिससे अंतत: गन्ना उत्पादकों को हानि हुई है। गन्ने के मूल्य में वृद्धि न किये जाने तथा गन्ना खरीद का भुगतान न किये जाने के कारण किसानों की दशा लगातार खराब होती जा रही है।

अन्य किसानों विशेषत: गन्ना उत्पादकों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गन्ना उत्पादकों का सारा परिवार गन्ना के खेत में कठिन परिश्रम कर रहा है। वे अपने बच्चों तथा परिवार की आवश्यकताओं पर भी ध्यान नहीं देते हैं। किसानों के बच्चे स्कूल जाने से पहले गन्ना के खेतों में कठिन कार्य करते हैं। वे पानी लगाने तथा खेतों की सिंचाई का कार्य करते हैं। गन्ना उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें इस देश में कृषि के विकास के योगदान का पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है।

गन्ना उद्योग से मिलने वाला उप उत्पाद शीरे का प्रयोग पश्चिम देशों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जाता हैं। गन्ना का प्रयोग इतने अधिक उत्पादक कार्यों के लिए हो सकता है फिर भी आप देश के किसानों की समस्या की अनदेखी कर रहे हैं तथा विदेश से चीनी का आयात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह शर्मनाक कार्य है। इससे हमारे किसानों की समस्या और कारुणिक हो जाएगी।

हम पर्याप्त मात्रा में गन्ना पैदा कर सकते हैं और हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हमें प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान से चीनी का आयात किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम की संस्तुतियों के विरुद्ध आपकी नई आयात नीति के कारण गन्ने का आयात किया गया। श्री वाजपेयी सरकार की विदेश से चीनी आयात करने की नीति ने चीनी उद्योग को बहुत अधिक प्रभावित किया है। प्रधान मंत्री को हमारे देश के किसानों की दयनीय स्थिति की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इस देश के अधिकांश लोग परिश्रमी हैं। वे खेतों में कार्य करते हैं। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस महान सभा में भी काफी संख्या में ऐसे सदस्य हैं जो कि किसान हैं। लेकिन यह देखकर मुझे तकलीफ होती है कि उनमें से अधिकांश इस सभा में किसानों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। कोई किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है।

इस सरकार को एक उपयुक्त कृषि मंत्री नियुक्त करने में प्रर्याप्त समय लगा। वह विशाल देश जहां कि बहुत अधिक मात्रा में खेती योग्य जमीन है तथा बहुसंख्यक लोगों का पेशा कृषि है, वहां किसी उत्तरदायी व्यक्ति को कृषि मंत्री नहीं बनाया गया। वास्तव में यह दयनीय स्थिति है। इस देश के सत्तर प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं। इस देश की कृषि-अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन किसानों की स्थिति दयनीय है।

तमिलनाडु में डा० पुरात्ची थैलैवी के पांच वर्ष के स्वर्णिम शासन में किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए अनेक योजनायें बनाई गई थीं। लेकिन अब जबकि श्री करुणानिधि जी तमिलनाडु में सत्ता में हैं गन्ना उत्पादकों को अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही किसानों की उपेक्षा कर रही हैं।

किसान अनेक समस्याओं जैसे कि विद्युत की कटौती तथा सब्सिडी की कटौती का सामना कर रहे हैं। उन्हें उपयुक्त सिंचाई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। किसान अपने खेतों में भूमि से जल निकालने के लिए रातों-दिन कार्य कर रहे हैं। वे स्वयं व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन उनकी

समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गन्ना के खेतों में सांप रहते हैं। वहां कार्य करना कठिन होता है। गन्ने के छिलके से गन्ना के किसानों को चोट पहुंचती है फिर भी वे वहां कार्य करते रहते हैं। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि गन्ना के किसानों की समस्या को देखने के लिए महीने में कम से कम एक बार गन्ना के खेतों में जाएं तथा गन्ना उत्पादकों की समस्या को देखें।

पश्चिमी देशों में गन्ना उत्पादकों को अधिक भुगतान किया जा रहा है। जब 1500 रुपये बढ़ाये जाना चाहिए—तब 1,000 रुपये भी नहीं बढ़ाये जा रहे हैं। मैं आरोप लगाता हूं कि सरकार की आयात नीति गलत है। मैं वह भी बताना चाहता हूं कि हमारे उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन की नूई उद्योग नीति के रूप में कृषि विरोधी जो नीति लाई गयी है उससे हमारा किसान बहुत अधिक प्रभावित हुआ है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री के०के० कलिअप्पन : केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही गन्ना उत्पादकों की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर रही हैं। मैं इस सम्माननीय सभा के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अच्छी भावना से सोंचे। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस देश के किसानों की खराब स्थिति को सुधारने के लिए आगे आयें।

मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे उस संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया जो कि गन्ना उत्पादकों की शिकायतों को दूर करने के लिए लाया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सांसद डा० मदन प्रसाद जायसवाल द्वारा चीनी मिलों के जीर्णोद्धार व गन्ना काश्तकारों के भुगतान के संबंध में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बड़ा आश्चर्य होता है कि इस उच्च सदन में हम उपस्थित होकर किसानों के बारे में बहुत चिल्लाते हैं और हर पक्ष का हर सदस्य यह कोशिश करता है कि वही सबसे ज्यादा किसानों का हित-चिंतक है। इस देश में उन्हीं किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा वर्तमान में है। वह दुर्दशा केवल आज की नीति से नहीं बल्कि आजादी के बाद इस देश में जो नीतियां बनीं, उन सबका परिणाम हमारे सामने है। मुझे वे दिन भी याद हैं जब वर्ष 1998 में इस उच्च सदन में हमने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों की व्यथा पर चिन्ता व्यक्त की थी, जब इस देश के कुछ प्रदेशों में उन 400 से 500 किसानों ने, जो कपास उद्योग से जुड़े हुए थे, आत्म-हत्याएं की थी। उस समय सदन चिन्तित हुआ था और उन किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी जिनके बारे में इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया था। किसानों की जय-जयकार हमने नारों के रूप में तो की लेकिन वास्तव में उसकी वेदना को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि जब भी इस सदन का सत्र प्रारंभ होता है तो हर पक्ष के सदस्य किसानों की समस्याओं के बारे में चिल्लाते हैं। लेकिन वास्तव में आजादी के बाद कभी भी किसानों की समस्याओं के समाधान की ओर गंभीरता से प्रयास नहीं किए गए। इसलिए आज यह संकल्प एक सदस्य के नाते डा० जायसवाल को प्रस्तुत करना पड़ा। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्र से संबंधित हूं जो प्रदेश का सबसे सघन गन्ना क्षेत्र है, सबसे ज्यादा चीनी मिलें उस क्षेत्र में हैं। मुझसे पूर्व माननीय सदस्य श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा। निश्चित ही गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर आदि जनपद ऐसे हैं जो सघन गन्ना क्षेत्र हैं। हर चीनी मिल में पचास लाख क्विंटल से अधिक गन्ना काश्तकारों द्वारा उन चीनी मिलों तक पहुंचाया जाता है।

लेकिन आज जो दुर्दशा उन क्षेत्रों की है, किसानों की जो दुर्दशा है, निश्चित ही मुझे वे दिन पुन: याद आते हैं, जब 1998 में इसी सदन में हम लोगों ने किसानों की व्यथा पर विचार व्यक्त किये थे, आज किसान उस क्षेत्र में उस स्थिति तक पहुंच गये हैं। इसके लिए कौन दोषी है? निश्चित ही आज हम लोग इसीलिए इस संकल्प पर बोलने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। कहने के लिए कोई कहेगा कि जो चीनी मिलें हैं, वे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं या राज्य सरकार से संबंधित हैं, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी होगी कि गन्ना उत्पादक का जो मुख्य उत्पाद चीनी है, अगर उस पर किसी का वित्तीय नियंत्रण है तो वह भारत सरकार का है। इसलिए भारत सरकार आज अपनी उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें आज जिस दुर्दशा की ओर जा रही हैं, जो वहां का किसान और वहां का जो उद्योग चौपट हो रहा है, उसके लिए निश्चित ही जिस प्रकार से 1961 में तत्कालीन भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित में, जनहित को देखते हुए उन सभी चीनी मिलों का अधिग्रहण किया था, वहां पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था, वैसा कदम अब भी उठाना चाहिए। आज आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि बिहार या देश के उस हर क्षेत्र में, जहां चीनी उद्योग से जुड़े हुए किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, वहां पर हम इस प्रकार की नीति बनायें, जिससे किसानों का हित हो सके। किसानों के व्यापक हित में हम कुछ कदम उठायें। उत्तर प्रदेश, खास तौर से गोरखपुर और उस क्षेत्र से सम्बन्धित जो चीनी मिलें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलें हैं, उन चीनी मिलों में पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य चीनी निगम की हैं, वे 11 चीनी मिलें हैं, जिन्हें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बन्द करने की घोषणा की थी। इससे पूर्व भी जो पूरे उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की स्थिति है, उन चीनी मिलों में अकेले उत्तर प्रदेश में 125 चीनी मिलें हैं, इनमें से 35 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, 58 निजी क्षेत्र की हैं और 32 सहकारी क्षेत्र की हैं। इन चीनी मिलों में से 1996-97 में उत्तर प्रदेश में दो मिलें बन्द की गईं, 1997-98 में दो मिलें बन्द की गईं, 1998-99 में 10 मिलें बन्द की गईं और 1999-2000 में छ: चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सरकार ने बन्द की हैं। ये चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के निगम से संबंधित हैं। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की स्थिति उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की

[योगी आदित्यनाथ]

है और वहां पर गन्ना किसानों की जो गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है, वर्षों से आज भी उन चीनी मिलों में कार्यरत जो श्रमिक, मजदूर और कर्मचारी हैं, उनको वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इस बार जब पूरा देश 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय इसी देश के एक क्षेत्र सरैया चीनी मिल, सरदारनगर में वहां के मजदूर आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे थे, क्योंकि उनको 22-22 महीने से वेतन नहीं मिला है। उस चीनी मिल पर 27 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। उसी प्रकार से भारत सरकार से संबंधित गणेश शुगर मिल, महाराजगंज है, वह पिछले सात वर्षों से बन्द पड़ी हुई है। आपको आश्चर्य होगा कि हमने कपड़ा मंत्रालय से इस संबंध में पिछले चार वर्षों में न जाने कितनी बार सम्पर्क किया और कहा कि कोई फैसला तो आप ले लें, क्यों आप लोग चीनी मिल के मजदूरों और किसानों को अधर में लटकाये हुए हैं, लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई। आज उसका परिणाम है कि पिछले कई महीनों से मजदूरों को कोई वेतन नहीं मिल पाया है। वह चीनी मिल बन्द है। जब कोई चीनी मिल बन्द होती है तो उस चीनी मिल में केवल कार्यरत कर्मचारी या मजदूर ही प्रभावित नहीं होते हैं, उस क्षेत्र का किसान ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उससे उस क्षेत्र का व्यापार भी प्रभावित होता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में घुघली चीनी मिल अन्यायपूर्वक बंद कर दी गई। वह उस स्थिति में बंद कर दी गई जिन 11 चीनी मिलों को बी.आई.एफ.आर. में गलत तरीके से सिक यूनिट घोषित किया था, उसमें यह भी थी। उन 11 में से छः मिलों को बंद किया गया, उसमें यह भी थी, जो कि परफारमेंस की दृष्टि से बहुत अच्छी चीनी मिल थी। उस चीनी मिल की क्षमता 982 टी.डी.सी. गन्ना पेरने की थी। 1998-99 में वहां 6,80,000 क्विंटल गन्ने की पेराई की गई थी। उसकी रिकवरी 8.50 प्रतिशत थी और उसे बंद कर दिया गया। जबकि उससे कम क्षमता की चीनी मिलें आज भी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जिनकी रिकवरी भी उस चीनी मिल से कम है। इस प्रकार राजनैतिक विद्वेश की भावना से चीनी मिलों को बंद किया जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, हम स्वतः अनुमान लगा सकते हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। आज वह क्षेत्र आई.एस.आई. की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का केन्द्र बनता जा रहा है। अगर उस क्षेत्र का नौजवान बेरोजगार होगा तो रोजगार की तलाश में कहीं न कहीं वह उन राष्ट्रविरोधी तत्वों के हाथों का खिलौना बन सकता है। इसलिए वह आई.एस.आई. की राष्ट्रविरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना न बने, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो फैसले पूर्व की सरकारों ने लिए और अन्यायपूर्वक इन चीनी मिलों को बंद करने की एक रणनीति चलाई थी, उस पर ध्यान दिया जाए। मैं जानता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था, जब निजी क्षेत्र की इन चीनी मिलों को लिया था। वह इस आधार पर लिया था कि इन चीनी मिलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसमें मेरे क्षेत्र की पिपराईन चीनी मिल, जो गोरखपुर जनपद में है, वह भी थी। जिसके जीर्णोद्धार के लिए किसानों की जमीन भी अभिग्रहीत की गई थी, लेकिन उसका नवीकरण नहीं किया। बाउंड्री वाल पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। इसी तरह घुघली चीनी मिल के साथ किया गया, वह भी आज तक चालू नहीं हुई। सरकारी नीति किस प्रकार से बनती है, सरकारों के फैसले किस प्रकार से होते हैं, यह इससे पता चलता है। अगर उस क्षेत्र मे संबंधित जो गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, उसके बारे में वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की राय ली गई होती तो ऐसे गलत निर्णय नहीं होते।

सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से आजादी के बाद से उस क्षेत्र में एकमात्र जो चीनी मिल लगाई थी, वह 1979 में नन्दगंज, गाजीपुर में लगाई थी, जबकि वहां गन्ने का उत्पादन नहीं होता, फिर भी चीनी मिल लगा दी गई। गोरखपुर जनपद में एक चीनी मिल सहकारी संघ ने लगाई और वह धुलियापार लगाई। वहां का एक भी किसान गन्ना पैदा नहीं करता, फिर भी चीनी मिल लगा दी गई। लगाने के बाद फिर उसे बंद कर दिया गया। उस चीनी मिल में एक महीना भी गन्ना नहीं पेरा गया। मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार कोई फैसला लेती है तो फैसला लेने से पहले इस बात पर अवश्य ध्यान दे कि उस क्षेत्र मे चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी बैठ कर राय ले और उनके विचारों को जान ले।

जब किसान को बैंकों से ऋण दिया जाता है, अगर एक हजार रुपए उस किसान पर बकाया होता है तो उस किसान को बेइज्जत कर दिया जाता है। उसका ट्रैक्टर थाने में या तहसील में बंद कर दिया जाता है और उसे जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन उस क्षेत्र के किसानों का आज चीनी मिलों पर करोड़ों रुपया बकाया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार एक राष्ट्रीय चीनी निगम की स्थापना करे। उसके माध्यम से जो जर्जर चीनी मिलें हैं, उनके नवीकरण के लिए एक कार्य योजना तैयार करे और साथ-साथ गन्ना उद्योग से जुड़े काश्तकारों की जो समस्याएं हैं, जिनका पैसा बकाया है, उसका भुगतान कराए। इससे उस क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को हम काम दे सकेंगे और वे जो आज भटकाव की स्थिति में हैं, उससे उभरकर वे राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग जाएंगे। निश्चय ही इससे न केवल देश का हित होगा, बल्कि उस क्षेत्र में चीनी उद्योग बंद हो रहा है, वहां के किसानों की यह नकदी फसल थी, उनको भी फायदा होगा। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की तुलना हम खाड़ी के देशों के पैट्रोल से करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार खाड़ी के देशों में अगर तेल के भंडार समाप्त हो जाएं तो वहां क्या स्थिति होगी, वही हालत पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की है।

अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी मिलों को बंद कर दें तो आज आवश्यकता है कि आजादी के बाद से जो स्थिति उस क्षेत्र में पैदा हुई है, एकमात्र उद्योग भारत सरकार ने गोरखपुर में उर्वरक निगम का लगाया था। भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड ने एकमात्र

उद्योग लगाया था। पिछले दस वर्षों से यह उद्योग बंद पड़ा है और पिछले दो सालों से वह फाइल इन्वेस्टमेंट बोर्ड की अंतिम योजना के साथ, अपनी स्वीकृति के साथ मंत्रालय के पास पड़ी हुई है। कृषको कारखाने को लगाना चाहता है लेकिन आज भी वह मंजूरी मंत्रालय से नहीं मिल पा रही है। किसानों को समय से खाद नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा तो किसानों के उत्थान की बात बेईमानी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जो अन्याय होता रहा है, हम चाहते हैं कि यह अन्याय बंद होना चाहिए और एक समान नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अगर क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा होगी तो क्षेत्रीय असंतुलन का परिणाम आज देश के पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जा रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश भी उसकी चपेट में न आ जायें, उसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। भारत सरकार जिस प्रकार से किसानों के हित में काम कर रही है, किसानों के लिए नयी कृषि नीति बनाई गई है, उसी के तहत गन्ना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय चीनी निगम की स्थापना करके किसानों का उत्थान करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्री मदन प्रकाश जायसवाल जी का गन्ना किसानों की समस्या और यू.पी. तथा बिहार में जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, उनके ऊपर जो चिंता व्यक्त करने वाला उनका यह संकल्प है वह निश्चित रूप से आज गन्ना किसानों की जो स्थिति है, उसको लेकर है और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। अगर वह इस संकल्प को वापस न लें तो और ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा लेकिन मुझे मालूम है कि शांता कुमार जी उन्हें पटा लेंगे और बाद में वह इस संकल्प को वापस ले लेंगे।

पूरे हिन्दुस्तान में 493 चीनी मिलें हैं और 68 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। किसानों का अरबों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। आजादी के पहले ये सब चीनी मिलें निजी हाथों में थी। बाद में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ। जो स्थिति बन रही है, उसमें निश्चित रूप से अधिकांश चीनी मिलों के निजी हाथों में ही जाने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब काम भारत सरकार के जिम्मे है। शुगर एक्ट भारत सरकार का है। मेरे पास यह ''नयी दुनिया, इंदौर'' का अखबार है। यह 2 नवम्बर 1999 का छपा है–''समस्याओं के घेरे में है गन्ने के शक्कर कारखाना तक का सफर'' तथा इसमें लिखा गया है कि गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र शासन तय करता है परंतु कारखाने को गन्ने का भाव समर्थित मूल्य के हिसाब से गन्ना उत्पादक को चुकाना पड़ता है और इन दोनों दरों में अंतर होता है। कभी-कभी तो राज्य समर्थित न्यूनतम समर्थन मूल्य से यह पचास फीसदी अधिक है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि निर्माता गन्ना राज्य सरकार की दरों पर खरीदे और लेवी शक्कर केन्द्र सरकार की दरों पर खरीदे। इसका मूल्यांकन न्यूनतम और समर्थन मूल्य पर होता है, उस पर बेचा जाता है। यह अत्यधिक विरोधाभास है कि सब कुछ होने के बावजूद भी स्थिति यह है कि पूरे साल गन्ना किसान मेहनत करता है, फसल पैदा करने के लिए गुडाई करता है, पानी देता है।

अपराह्न 4.00 बजे

जब वह मिल के दरवाजे पर पहुंचता है, तो उसको 10-10, 12-12 घंटे और कभी तो 24-24 घंटे इन्तजार करना पड़ता है। इसके बावजूद भी उसको पर्ची पकड़ा दी जाती है। उसके गन्ने की कीमत के भुगतान की कोई गारन्टी नहीं होती है। इस तरह से गन्ना किसानों की बहुत ज्यादा दुर्गति है। अभी प्रकाशमणि त्रिपाठी जी भाषण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देवरिया में गोली चली और दो किसान मारे गए तथा 11 किसान घायल हो गए। यह बात सही है, सभी राजनीतिक दलों के लोग वहां गए थे। हमारी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी भी गए थे। मैं समझता हूं कि हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। गन्ना किसानों के बारे में आप क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, किसानों की समस्याओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे कर्म से किसान यह सोचता है या नहीं सोचता है कि उसे कुछ लाभ हुआ है। लफ्फाजी से लम्बे समय तक न आप जिन्दा रहते हैं और न हम जिन्दा रह सकते हैं। असल सवाल यह है कि जिन वर्गों की समस्यायें हैं, उनको सही मायनों में लाभ हुआ है या नहीं हुआ है और वह लाभ चाहे आप पहुंचायें या हम पहुंचायें। एक लम्बे समय से लोग कोशिश करते रहे हैं कि उनको भुगतान हो जाए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। पर एक ऐसी स्थिति है, आदमी जब मर्यादा से बाहर हो जाता है, उसका घर बरबाद हो गया, परिवार बरबाद हो गया, साहूकार उसके दरवाजे पर खड़े हैं, कर्ज मांगने वाला उसके दरवाजे पर खड़ा है, उसकी बेटी की शादी है और जब वह इन सब दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाता है, तब जो स्थिति बनती है, उसका आप सहज ही मूल्यांकन कर सकते हैं। यही स्थिति पड़रौना में बनी, जिसकी वजह से वहां गोली चली। किसानों को पैसा नहीं मिलेगा और जब किसान पैसा मांगने जाएगा, तो गोली चलायेंगे इस तरह से किसानों की समस्याओं को आप कैसे हल करेंगे। सरकार उसमें सकारात्मक भूमिका कैसे निर्वहन करेगी। यह एक विचारणीय सवाल है, क्योंकि हमारे भाषण देने से समस्या हल नहीं होने जा रही है। यह दिखाई भी देना चाहिए कि हमारे करने से उनका भला भी हो रहा है।

जहां तक बन्द मिलों का सवाल है, योगी जी ने ठीक ही कहा। जब चीनी मिलें बन्द होगी, तो मजदूर बेरोजगार होगा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण एक तरह से सरकार का भाषण होता है। सरकार की प्रतिबद्धता होती है, सरकार का कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट यह था कि सरकार एक वर्ष में एक करोड़ रोजगार के नए अवसर देने का काम करेगी। अब सब चीजें निजी हाथों में जा रही है और रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं, तो फिर आप किस तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे। व्यवस्थित रूप से देश में बेरोजगारी बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। मिलें बन्द होंगी, तो मजदूरों को काम मिलना बन्द हो जाएगा। निजी हाथों में काम देंगे, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। मशीनीकरण की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। नई तकनीक की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। जब चारों तरफ से बेरोजगारी बढ़ेगी, तो त्रिपाठी जी मुझे माफ करेंगे, अभी तो पड़रौना में गोली चली है, फिर आपको हर गोली हर गली और हर कूचे में चलानी पड़ेगी। बेबसी, परेशानी, लाचारी, गरीब, भुखमरी–इन सब समस्याओं का हल नहीं निकलेगा,

[श्री रामजीलाल सुमन]

तो क्या होगा। गांधी जी से देश में हिंसा की जगह नहीं है, लेकिन वह कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जब वह वातावरण हिंसक बन जाता है, इस पर हम लोगों को विचार करना होगा।

महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। गन्ना किसानों की समस्याओं के हल के लिए दो कमीशन—भार्गव कमीशन और महाजन कमीशन—बने थे। एक परम्परा सी हो गई है कि विभिन्न सवालों पर कमीशन बनते हैं, लेकिन उनकी संस्तुतियों को इम्पलीमेंट नहीं किया जाता है।

भार्गव कमीशन और महाजन कमीशन की क्या रिपोर्ट है। जायसवाल जी, जरा आप दिखवा लीजिए और सरकार से कहिए कि इनकी संस्तुतियों को लागू करें। यहां शांता कुमार जी बैठे हैं वे लागू करने का काम करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिसे खोई कहते हैं, अंग्रेजी में बगास कहते हैं, जिससे कागज वगैरह बनता था, अब जो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है उससे बिजली बनाने का काम किया जा रहा है। भेल ने शायद यह काम शुरू भी किया है। इसी से अल्कोहल और दवाएं बनाने का काम भी किया जा सकता है। गन्ने से शुगर के अलावा और क्या-क्या संभावनाएं नई टैक्नोलॉजी से हो सकती हैं, दवा बनाने की, बिजली, अल्कोहल बनाने की, इन सब संभावनाओं पर भी हमें विचार करना चाहिए।

महोदय, हम कभी दुनिया में चीनी उत्पादन के मामले में नम्बर एक पर थे, अब शायद नम्बर दो पर हैं और ब्राजील नम्बर एक पर है। उन्नत किस्म के बीजों का भी अभाव है। क्यूबा और मोरिशस का बीज हमारे यहां की तुलना में ज्यादा बेहतर है। इन सब सवालों पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में शुगर के उत्पादन पर इतने कर नहीं हैं, जितने हमारे देश में हैं।

महोदय, मैं पुनः एक बार जायसवाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि वे एक सामयिक सवाल पर संकल्प लाए हैं। शांता कुमार जी, हमारे मित्र जो चर्चा कर रहे हैं उसके बाद अगर गन्ना किसानों पर आप थोड़ी सी मेहरबानी कर सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : इस रिजौल्यूशन के लिए जो समय निर्धारित किया गया था, वह समयावधि समाप्त हो रही है। इसलिए अगर सदन की सहमति हो तो इस संकल्प पर एक घंटे का समय और बढ़ाया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इस पर एक घंटे का समय और बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : महोदय, इस पर दो-तीन दिन चर्चा चलाई जाए। *(व्यवधान)* कम से कम गन्ना किसानों के संबंध में कुछ कहने का अवसर मिल जाए।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मुझे इस विषय की व्यापक जानकारी नहीं है। तथापि निराशाजनक स्थिति देखकर मैं आज की इस बहस में भाग लेने के लिए प्रेरित हुआ। महोदय, कुछ मिनट पहले माननीय सदस्य श्री रामजी लाल सुमन ने भारत में कृषि की स्थिति पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। मैं उनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं।

वर्तमान में सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र में गंभीर निराशा व्याप्त है। इसकी वजह से देश को कपास तथा नारियल का उत्पादन करने वाल किसान परेशान हैं। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में भी जूट के किसान इसी प्रकार की वित्तीय स्थिति से परेशान हैं।

जहां तक गन्ने का संबंध है यह भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। सदियों से भारत के लोग गन्ने का उत्पादन करते रहे हैं। गन्ना उत्पादक चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल को आपूर्ति करते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कच्चे माल के उत्पादों तथा उत्पादकों के बीच अच्छा संबंध होना चाहिए क्योंकि इससे हमारी राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है। 45 मिलियन व्यक्ति गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि 45 मिलियन किसान तथा उनके आश्रित इस क्षेत्र से अपनी जीविका चलाते हैं। पांच लाख कुशल और अकुशल श्रमिक चीनी उद्योग में लगे हैं। प्रत्येक वर्ष चीनी उद्योग में 20,000 करोड़ का लेन-देन होता है। इसका केन्द्र तथा राज्यों के राजकोष में बहुत अधिक योगदान है। यह योगदान 18000 करोड़ रुपये का है। लेकिन मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि गन्ना उत्पादकों की देखभाल करने की प्रमुख जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की ही नहीं है जहां तक बकाया की वसूली का संबंध है इस पर राज्य सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए।

भारत को सदैव अपनी स्थिति का लाभ प्राप्त है क्योंकि भारत के चारों तरफ स्थित देश श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल तथा कुछ दूरी पर स्थित देश बहुत अधिक मात्रा में चीनी का आयात कर रहे हैं। भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति चीनी की खपत 15 कि०ग्रा० है। इस वर्ष चीनी का उत्पादन 180 लाख टन हुआ है। यदि हम पिछले वर्ष के स्टाक को भी सम्मिलित करें तो यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि जहां तक चीनी की आवश्यकता का संबंध है भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है।

चीनी उद्योग देश का दूसरा कृषि आधारित उद्योग है। भारत ब्राजील के बाद देश का दूसरा बड़ा उत्पादक है तथा वह संसार में दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। लेकिन यह सरकार निजी क्षेत्र को सहयोग देने में अत्यन्त उदारता बरतती है। निःशुल्क, बिक्री कोटा बढ़ा दिया गया है। पहले जो लेवी लगाई गयी थी वह चीनी निर्यातकों के लिए हटा दी गई है लेकिन यह सरकार गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति का ध्यान नहीं रख रही है।

यह सबको ज्ञात है कि गन्ना उत्पादकों पर उत्तर प्रदेश में गोली चलायी जाती है। गुलबर्गा में गन्ना उत्पादक गन्ने के मूल्य में गिरावट आने के कारण अपने उत्पाद में आग लगा रहे हैं। भारत ने पहले ही गैर तथा डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। उसके समझौते में कृषि से संबंधित जो प्रावधान हैं उसका विकृत रूप अत्यन्त स्पष्ट है। भारत कृषि से संबंधित समझौते का उस रूप में लाभ नहीं उठा सकता जिस रूप में कि विकसित देश उठा सकते हैं। इसलिए डंपिंग विरोधी उपाय इस देश में प्रभावी नहीं हो सके हैं।

महोदय, आयात शुल्क में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। डब्ल्यू. टी. ओ. को दर 150 प्रतिशत है। मैं माननीय मंत्री जी को सूचित करूंगा कि गन्ना से बहुत अधिक मात्रा में 'बायोमास' प्राप्त होता है जो कि विद्युत उत्पादन में काम आ सकता है। अब 'बायोमास' से 3000 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। दूसरा उप उत्पाद ईथानल है जिसका प्रयोग राष्ट्र के हित में किया जा सकता है। इसलिए, यदि हम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर सकें तो इस से गन्ना उत्पादकों को मदद मिल सकेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृषि परिदृश्य पर सम्पूर्ण रूप से विचार किया जाए तथा प्रभावी उपाय किए जाएं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): सभापति महोदय, माननीय लक्ष्मी नारायण पांडेय जी का यह दृष्टिकोण है कि बिहार में गन्ना नहीं होता है लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि इस देश में सबसे पुरानी चीनी मिल मढ़ौरा चीनी मिल मेरे संसदीय क्षेत्र में है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस स्थान को चुना। चीनी का इतिहास इसी इलाके से शुरु होता है। इसके बाद वह चम्पारण के इलाके में फैला। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करके महाराष्ट्र, गुजरात और पूरे देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ता गया। विडम्बना इस बात की है कि गन्ने का इतिहास ऐसे इलाके से शुरु हुआ जहां हम पले। गन्ने की ख्याति बढ़ते-बढ़ते देश के दूसरे हिस्सों गुजरात और महाराष्ट्र में फैल गई। अखिर यह विषय ऐसा क्यों है? आज चीनी उत्पादन में हमारे देश का दूसरा स्थान है। देश की आर्थिक नींव में गन्ने की फसल और चीनी की बड़ी अहम भूमिका है। यह देश के अर्थ तंत्र से जुड़ा मामला है लेकिन यह देश के अर्थ तंत्र को प्रभावित भी नहीं करता है। खेत में काम करने वाला एक छोटा किसान और गाड़ीवान जो मिल में गन्ना पहुंचाता है, उसकी अपनी एक अर्थव्यवस्था है। हम बचपन में अपने गांव जाते थे जो देखते थे कि छोटी रेल गाड़ी में इंजन लगा कर लम्बे डिब्बे में गन्ना मिलों में पहुंचाया जाता था। कुछ वर्षों बाद देखा कि वह रेल गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद गन्ना ट्रक से जाने लगा। इसके बाद ट्रक भी चले गए। फिर ट्रॉलियों से पहुंचाया जाने लगा। उसके बाद बैलगाड़ियों से पहुंचाया जाने लगा। जैसे-जैसे इतिहास बीतता गया, इसका उत्पादन कम होता गया। अब इसकी स्थिति खराब हो रही है।

अब किस को दोष दें, व्यवस्था को दें या प्रबंधन को दें, कर्मचारियों को दें या गन्ना किसानों को दें? आखिर इस देश में पिछले पचास सालों से गन्ना की खेती करने के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है, हमारे जैसे राजनेताओं को यह बात समझ में नहीं आती है।

सभापति महोदय, आपको याद होगा कि तीन वर्ष पूर्व जब आप केन्द्रीय मंत्री थे तो मैंने आपके दरवाजे पर धरना दिया था। उस समय आपने एक निर्णय लिया था जो भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार लिया गया था। हालांकि आपके सचिव और पदाधिकारी इसका विरोध करत रहे लेकिन आपने वह निर्णय ले लिया। मैंने उस समय आपसे निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र की चीनी मिल बंद हो रही है, उसके लिये एक साल के लिये रियायत दे दिजियें। उत्तर प्रदेश की कानपुर शूगर मिल तथा अन्य तीन चीनी मिलें और बिहार की एक चीनी मिल के लिये आपने कानून देखकर, पढ़कर एक निर्णय लिया और आपने एक वर्ष के लिये उस चीनी मिल की लेवी शूगर फ्री कर दी। आपने उस चीनी मिल को जीवित करने के लिये कदम उठाया। इसी आधर पर देश की अन्य चीनी मिलें, जिनकी स्थिति खराब थी, को एक साल की रियायत देकर जिन्दा कर दिया। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार के टैक्सटाइल मिल के अधीनस्थ होने के कारण उस चीनी मिल में कुप्रबंधन के कारण वह बंद हो गई।

सभापति महोदय, आज देश में लगभग 500 चीनी मिलें हैं। इन चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने की बात हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस मामले में सरकार का क्या और कैसा निर्णय होगा। आप जानते हैं कि जब किसान की आर्थिक अवस्था खराब होती है और पैसे की जरूरत होती है तो वह धान, गेहूं या गन्ने की जमा की हुई खेती को बेचता है। गन्ना एक क्रैश क्राप है। जिस इलाके में गन्ने की खेती होती है, उस इलाके से खुशहाली दर्शायी जाती है। आज इस देश में क्या हो रहा है और इस सरकार की क्या नीति और नीयत है यह समझ में नहीं आता है? गन्ने की उपेक्षा हर एक सरकार ने की है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है क्योंकि गन्ना किसानों के प्रति अपनी सोच उजागर नहीं होती।

सभापति महोदय, यहां कहा गया कि कई सारे विशेषज्ञों की समिति और 2-3 आयोग बनाये गये लेकिन अंतिम नियमन कहां से प्राप्त हुआ? इस उद्योग को बचाने के लिये सरकार का ध्यान कब जायेगा, कब आप तय करेंगे कि इस देश में गन्ना किसान जो उत्पादन में लगा हुआ है, उसकी देखरेख करके इस उद्योग को जिन्दा रखने का उपाय करेंगे? कुछ ऐसे प्रान्त हैं जिनकी चीनी मिलों पर विचार किया जा रहा है। आज बी. आई. एफ. आर. के पास तीन मिलें उत्तर प्रदेश और चार बिहार की हैं। उनकी आप्रेटिंग एजेंसी आई. एफ. सी. आई. को बनाया गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बिहार में बीआईएफआर ने कहा है कि चारों चीनी मिलें एक साथ खरीद लें या अलग-अलग खरीदना चाहते हैं तो हम देने के लिये तैयार हैं। बी. आई. एफ. आर. के विज्ञापन के आधार पर आई. एफ. सी. आई. ने यह बात निकाली। मैंने देश के लगभग 50 उद्योगपतियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और कहा कि बिहार बंट गया है, यह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, आप आ जाइये। यह लगभग चार करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। मैंने लोगों से कहा कि बंटे बिहार की इन चीनी मिलो के चालू

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

करने के लिये जितना पैसा लगेगा, हम संस्थाओं से लेकर उन्हें देंगे क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है लेकिन एक भी उद्योगपति वहां आकर चीनी मिलों का जीर्णोद्धार करने के लिये तैयार नहीं है। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं तो कोई उद्योगपति आने को तैयार नहीं है। हम किस प्लेटफार्म पर किसानों की बात को रखें? उनकी समस्याओं का कब तक निदान होगा, उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी, उसका क्या दायित्व होगा? जब देश के पूंजीपति निजी क्षेत्र में पैसा के लिये तैयार नहीं हैं तो वर्तमान परिस्थिति कैसे उभरे?

आखिर यह व्यवस्था कैसे हुई। महोदय, हमें इन सब मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। समझता हूं कि यह बहस अधूरी रहेगी। क्योंकि इस बहस के बाद यदि हम लोग उस अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे तो इसका निदान नहीं निकल पायेगा। मैं आपके माध्यम से मात्र चीनी मिल, गन्ना किसान, मजदूर और किसानों के संदर्भ में इस विषय को सदन के सामने विचारार्थ रख रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे किसानों के संबंध में चर्चाएं जब जब सदन का सत्र चलता है, होती रहती हैं और इस सत्र में भी कई माध्यमों से किसानों के विषय में चर्चाएं चलीं। लेकिन खासकर श्री मदन प्रसाद जायसवाल ने गन्ना किसान और उनसे जुड़ी समस्याओं के संबंध में जो सवाल उठाया है, उस पर हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस देश में अजीब स्थिति है। केन्द्रीय सरकार में भी वही स्थिति है। यह स्थिति हम इसलिए कहते हैं कि अगर पेट्रोलियम विभाग से संबंधित कोई चर्चा हो तो निर्णय लेने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपके सामने है। लेकिन अगर किसानों के संबंध में चर्चा करने की बात हो तो कृषि मंत्री जी उत्पादन की बात करेंगे। लेकिन अगर खेत में उपजे हुए सामान को बेचने की बात है तो शांता कुमार जी बात करेंगे। किसानों की बिजली की समस्या है तो सुरेश प्रभु जी बात करेंगे। अगर किसानों की सिंचाई से संबंधित समस्या है तो उसके लिए सेठी जी बात करेंगे। यानी किसानों से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालयों में नाचते नाचते फाइल किसी निर्णय पर पहुंचने की स्थिति में नहीं रहती है। इसलिए हम कहना चाहता हूं कि किसानों की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे जब चुनाव का समय आता है तो आप, हम और सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। किसानों की समस्याओं पर हम घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हम लोग चुनाव जीत कर आ जाते हैं तो सदन में हम लोग चर्चा करते हैं और किसानों की समस्या एक चर्चा बनकर रह जाती है। इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाता है। यदि कोई निर्णय होता है तो वह किसानों के हित में नहीं हो पाता है।

सभापति महोदय, अभी चर्चा चल रही थी कि नई कृषि नीति की घोषणा हुई है। किसानों को लाभ देने की बात चल रही है, कृषि नीति को हमने पढ़ा है, जो कृषि नीति में दिया गया है, उससे हमें लगता है कि इस देश के किसानों को गुलामी की जंजीरों में बांधने का एक रास्ता खोला गया है। एक विश्व व्यापार को खोल दिया गया है, पट्टा सिस्टम लागू कर दिया गया है। यह किसानों के साथ आज क्या हो रहा है। हमें गन्ना किसानों की समस्या को समझना होगा। वर्ष 1966 में सरकार द्वारा कानून बनाये गये, नियम बनाये गये कि गन्ना किसानों का भुगतान मिलों द्वारा 15 दिन में कर दिया जायेगा और 15 दिन में भुगतान न करने पर उन्हें सूद दिया जायेगा। अगर मेरी जानकारी सही है तो इस देश में लगभग सात सौ करोड़ रुपया किसानों का मिलों पर बकाया है। आप जो नियम बनाते हैं, आप जो कानून बनाते हैं, अगर उसका अनुपालन नहीं होता है तो उसकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी किस पर है।

अपराह्न 4.29 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

उसका अनुपालन कौन करायेगा। हम किसानों के साथ बेदर्दी से पेश आते हैं चाहे वह सरकार हो, चीनी मिल मालिक हों या निजी चीनी मिल मालिक हों। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने जो कानून बनाये हैं क्या उनके अनुपालन के लिए आप कोई कदम उठाना चाहते हैं। अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो हम यह आपसे जवाब में जानना चाहेंगे कि किसानों का जो बकाया पैसा है, उसके भुगतान के लिए क्या करने जा रहे हैं, तथा आप इस पैसे का भुगतान क्या सूद के साथ करवा रहे हैं या सिर्फ दिलवा रहे हैं और यदि आप भुगतान करवा रहे हैं तो कब तक करवा रहे हैं।

जो ईख का किसान है उनकी परेशानी को देखना हो तो खेती के समय देखें जब वे ईख पैदा करते हैं, उस समय देखें जब उनको बिक्री करनी होती है। जब वे मिल के चक्कर लगाते हैं, जब तक पुर्जा नहीं मिलता है, तब तक उनके गन्ने को मिल में नहीं लिया जाता है। बिचौलियों के माध्यम से उन्हें पुर्जा मिलता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि दूसरे के नाम पर अपनी ईख देनी पड़ती है और कभी-कभी वह पेमेन्ट होती है तो उस पुर्जे पर ही दूसरा पैसा ले लेता है और किसान को उसके पैसे का मूल भी नहीं मिलता है। बिहार में इस समय करीब 28 चीनी मिलें हैं जिसमें 15 सरकारी थीं। सरकारी मिलें बंद हैं। कुल 19 चीनी मिलें बंद हैं लेकिन जो 19 चीनी मिलें बंद हैं इसमें जैसा कि माननीय सदस्य रूडी जी ने कहा, मरहौरा चीनी मिल बंद हुए वर्षों बीत गए और वहां के किसानों का पांच करोड़ रुपया अभी भी उस मिल पर बकाया है। एक बार रूडी जी ने वहां धरना दिया था और प्रदर्शन कराया था। हम उस समय विधायक थे। हमें भी रूडी जी ने बुला लिया। वहां किसान घेरा डाले हुए थे और मिल का मैनेजर पुलिस और फोर्स की मदद से लाठी और डंडे चलवा रहा था। हम भी पहुंच गए तो रूडी के कहने से क्या-क्या हो गया, मैनेजर को हम पर भी मुकदमा करना पड़ा था। किसानों के सवाल पर जहां उसको पैसे देने चाहिए थे वहां उन पर लाठियां चलवाईं और मुकदमा किया। किसान की पीड़ा देखिये कि

एक तरफ किसान परिश्रम करके गन्ना मिल में पहुंचाता है चाहे वह सरकारी मिल हो या निजी मिल, और पैसा मांगने पर उसे पुलिस के डंडे मिलते हैं। इन सब परेशानियों को नजदीक से देखा जाना चाहिए। मूल्य निर्धारण में क्या होता है कि एक तरफ तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों की मिलों में जो सामान बनता है उसका मूल्य निर्धारण ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने की बात होती है और दूसरी तरफ किसानों के खेत में जो उपज पैदा होती है उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारण किया जाता है और उसका निर्धारण कौन लोग करते हैं जो एयरकंडीशंड कमरों मे बैठते हैं जो किसानों की पीड़ा नहीं जानते हैं। उनके बाप दादा बड़े लोग होते हैं और वह भी कुर्सी पर बैठते हैं। अगर किसानों के खेत से पैदा हुए सामान का मूल्य निर्धारण कराना हो तो किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल कराना चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग-अलग खर्च किसानों पर पड़ते हैं, जिसका उन अधिकारियों को पता नहीं होता है और वे किसानों के गले पर तलवार चलाने का काम करते हैं। कभी-कभी सरकार की गड़बड़ नीतियों के कारण भी किसानों को मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए जब कारगिल में युद्ध हो रहा था तो एक तरफ हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान से ही चीनी का आयात कर रहे थे। एक तरफ हम दुश्मन की आर्थिक मदद ही कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ अपने देश के उद्योग पर हमला कर रहे थे, इस देश के गन्ना उत्पादकों के साथ मजाक कर रहे थे। हम सरकार में बैठकर क्या कर रहे थे? इसलिए हम कह रहे हैं कि किसानों के मामले में संवेदनशीलता से अगर नहीं देखा गया तो किसानों की समस्या का समाधान सिर्फ भाषण और मंत्री जी के उत्तर से होने वाला नहीं है।

बिहार में इस समय किसान परेशान है। राज्य बंटवारे के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई है। बिहार वर्ष भर बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में रहता है। शून्य काल में माननीय सदस्य पप्पू यादव जी ने किसानों के मामले को उठाया था और मंत्री जी यहां बैठे हैं, वहां केन्द्र खोलने की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली।

सभापति महोदय, लेकिन एक भी क्रय केन्द्र बिहार में चालू नहीं हुआ है, जहां किसान अपना अन्न बेच सके। आखिर बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के किसानों के हित में अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो हम यह मानते हैं कि बिहार की धरती की जो बनावट है वह ऐसी है कि वहां से निकली चिनगारी से देश में क्रांति आ जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है। जब 1857 में देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और अंग्रेजों के साथ युद्ध हो रहा था, तो बिहार की धरती आरा से बाबू कुंवर सिंह ने तलवार उठाई और अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वे चाहे गुजरात में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बिहार के चम्पारण से ही शुरूआत की थी। फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई शुरू की, तो वह भी बिहार से ही बाबू जयप्रकाश नारायण ने शुरू की और इंदिरा गांधी की सरकार को जाना पड़ा। इसलिए मैं केन्द्र सरकार को बता रहा हूं कि यदि उसने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, बिहार के किसानों का गन्ने का बकाया नहीं दिलाया, तो बिहार से निकलने वाली चिनगारी से न राज्य सरकार बचेगी और न केन्द्र सरकार। बिहार के किसानों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए और मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को और बिहार के किसानों के सवाल को गंभीरता से लें और उनके गन्ने का चीनी मिलों पर जो बकाया है, उसका भुगतान कराएं।

सभापति महोदय, मूल्यों के निर्धारण की बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार के किसानों को दस क्विंटल का आप 770 रुपए दे रहे हैं और 9 क्विंटल गन्ने में यदि एक क्विंटल चीनी मिलती है, तो वह 770 रुपए की पड़ी और उसको आप बाजार में 1600 रुपए की बिकवा रहे हैं। इससे किसानों का मजाक हो रहा है। सारा मुनाफा आप मिल मालिक को दे रहे हैं। मेहनत किसान की, परिश्रम किसान का और धनी मिल मालिक बन रहा है, यह कैसे चलेगा? किसान अपना गन्ना बैल पर लादकर लाता है और उसके बैल को गोबर और ईख का पत्ता भी मिल मालिक बेच लेते हैं। उनके गन्ने का दाम तो मिल मालिक किसान के बैल के गोबर और ईख के पत्ते को बेचकर ही निकाल लेता है। फिर आप किसान को मात्र 693 रुपए गन्ने का दाम दे रहे हैं और 693 रुपए के गन्ने से पैदा हुई एक क्विंटल चीनी को आप 1600 रूपए में बिकवा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि किसान को कम से कम एक हजार रुपए तो 10 क्विंटल गन्ने का दाम दिलाएं ताकि उसे कुछ तो मिल सके।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मढ़ावरा चीनी मिल है, वह कैसे चले इस पर गंभीरता से विचार कीजिए, चिन्तन कीजिए। रूडी जी, अभी कह रहे थे कि उस चीनी मिल को चलाने वाला कोई पूंजीपति नहीं मिलता है। मेरा उनसे आग्रह है कि आप सरकार से बात कीजिए, मैं एक सप्ताह में उसके लिए कोई न कोई पूंजीपति ढूंढकर आपको बताऊंगा जो उस चीनी मिल को चलाएगा ताकि किसानों की व्यवस्था हो सके। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। आप सरकार से बात करिए। मैं एक सप्ताह के अंदर आपको कोई न कोई पूंजीपति ढूढकर बताऊंगा।

सभापति जी, मैं जानता हूं कि मंत्री जी एक भावनात्मक आदमी हैं। मैंने उन्हें कुछ दिन पूर्व उन्हें भ्रष्टाचार के बारे में एक पत्र लिखा था। मुझे मालूम है उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर डांटा था और कहा था कि इस केस में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय, बिहार की जनता और गरीब किसानों की भावनाओं को समझेंगे और उन्हें अहमियत देंगे, उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए उनके बकाया के भुगतान और ईख के दाम बढ़ाने के बारे में जरूर घोषणा करेंगे।

सभापति महोदय, मैं इसी प्रकार डॉ॰ मदन प्रसाद जायसवाल से भी आशा करूंगा कि वे विचलित नहीं होंगे और इस संकल्प को वापस नहीं लेंगे। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, सायंकाल के बजे चुके हैं। यदि इसी प्रकार से चलता रहा, तो आज जो दो बहुत महत्वपूर्ण संकल्प हमारी ओर से प्रस्तुत करने के लिए हैं, वे सदन में प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। महोदय, दोनों संकल्प बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक तो आदिवासियों से संबंधित है और दूसरा फारेस्ट कंजर्वेशन

[श्री नरेश पुगलिया]

एक्ट से संबंधित है। मेरा आग्रह है कि आप हमारी भावनाओं का आदर कीजिए तथा तीन और चार नम्बर पर ये जो दो संकल्प हैं, इन्हें आप प्रस्तुत कराइए।

सभापति महोदय : कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिए। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मुझे मालूम है कि इसके बाद दो बिलों का सदन में इंट्रोडक्शन होना है तथा उससे पहले इस बहस का जवाब भी मंत्री जी को देना है। मैं इस संकल्प के प्रस्तावक डा० मदन प्रसाद जायसवाल से भी आशा करूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस नहीं लेंगे और सरकार इसके ऊपर कोई ठोस उत्तर लेंगे।

सभापति महोदय, मैं डा. मदन प्रसाद जी जायसवाल द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। इसमें वोट लेने का प्रश्न नहीं है। मेरा निवेदन है कि सरकार भी इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करे और किसानों को उनके गन्ने के बकाया का भुगतान कराकर उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास करे।

सभापति महोदय, 1966 में शुगर एक्ट बना था और उसमें यह प्रावधान था कि 15 दिन के अंदर यदि मिल वाले किसान के गन्ने का दाम नहीं देंगे, तो उन्हें ब्याज सहित किसान के गन्ने का दाम देना पड़ेगा, लेकिन वह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप किसान का 707 करोड़ रुपया आज भी चीनी मिलों पर बकाया है।

483 या 493 के करीब मिलें होंगी जिनका अलग-अलग क्षेत्रों में काम बांटा गया है। इनमें से 68 मिलें बंद हैं। मेरा निवेदन है कि उन मिलों का सात दिन के अंदर भुगतान किया जाये। मेरा कहना है कि चीनी विकास कोष का 1100 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है। इस प्रकार से जिन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उनकी दशा बहुत ही खराब है, शोचनीय है। किसानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान जो चीज बोता है जैसा मेरे पूर्ववक्ता बता रहे थे कि उसे इन चीजों को बोने में कई प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। आज मैं इतनी बात कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार अब कौन आगे है और कौन पीछे है लेकिन जब मैं हरिद्वार की यात्रा करने के लिए जाता हूं तो रास्ते में देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में सब जगह किसानों ने गन्ना बो रखा है। जब उसको गन्ने का मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान निश्चित रूप से परेशान होगा। इसलिए किसान जो चीज मेहनत से बोता है, उसको भारत सरकार खरीदती है और वह किस रेट पर खरीदेगी, यह रेट भी भारत सरकार तय करती है। मेरा मतलब यह है कि इस प्रकार से जो आयोग बने हैं जिनका पिछले वक्ता जिक्र कर रहे थे, इसमें पता नहीं कौन भार्गव आयोग मेरी जात का बन गया है। इसके अलावा एक दूसरा आयोग भी बना है। इन दोनों ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को कार्यन्वित किया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा कहना यह है कि भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है तो मैं समझता हूं कि वे इसको ठीक प्रकार से चलायेगी। निश्चित रूप से भारत सरकार उन चीनी मिलों को चलायेगी।

इसके बाद आधुनिकीकरण और विस्तार करने पर जो रकम खर्च की जा रही है, उस संबंध में माननीय सदस्यों ने अपनी आशंका प्रकट की है कि भारत सरकार ने जो पैसा उनके आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए देने का आश्वासन दिया है, वह काम पूरी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। इसलिए वहां के जन प्रतिनिधियों को, लोक सभा के सदस्यों को, विधायकों को विश्वास में लेकर उन मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जाये। मेरा यह भी निवेदन है कि भारत सरकार ने जो मिलें बंद की हैं, उन किसानों के हित के नाते उन मिलों को पैसा चुकाया जाये और किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए, वह उन्हें मिले वरना किसान आंदोलित होगा, दुखी होगा। कई जगह किसानों को अपनी उपज का भरपूर पैसा न मिलने के कारण आत्महत्यायें करने या अपनी जान से हाथ धोने की जो घटनायें अखबारों में पढ़ने को मिल रही हैं, वह भी नहीं मिलेंगी। यहां पर दोनों मंत्री विराजमान हैं इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वे इस संबंध में प्रयास करे।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि डा. साहब इस प्रकार का जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इस पर निश्चित रूप से ध्यान देगी। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति जी, किसानों की समस्या के बारे में अपने मन की बात कहने के लिए आपने हमें आज्ञा दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे विद्वान साथियों द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया है। मैं यहां लेक्चर देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। शायद मंत्री जी चले गये हैं। *(व्यवधान)*

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : राज्य मंत्री बैठे हुए हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : ठीक है। मैं दो-तीन समस्याएं जैसे सूखे, बाढ़ और गन्ने की समस्या हर बार उठाता हूं लेकिन कुछ काम नहीं होता है। हमारे सारे साथियों ने इस बारे में काफी कुछ कहा है। मैं सारे देश के बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार से मेरा घनिष्ठ संबंध है, उसके बारे में मैं जरूर कहूंगा। सबको मालूम है कि दोनों प्रदेश की जलवायु ऐसी है कि वहां अन्य फसलों की अपेक्षा गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है। आज भी शासन की यह रिपोर्ट है कि जितना गन्ना पैदा होता है, उसका आधा गन्ना भी शुगर फैक्टरियों को नहीं जाता है। केवल 35 से 40 प्रतिशत ही गन्ना शुगर फैक्टरियों को जाता है। बाकी का गन्ना कृषकों और कोल्हू को जाता है। आप जाकर देखिये तो आपको मालूम होगा कि गांव-गांव में छोटी-छोटी मिलें चल रही हैं और 40 रुपये, 45 रुपये या 50 रुपये प्रति क्विंटल में उनका गन्ना बिक रहा है जबकि हमारे यहां गन्ने का दाम 90

या 95 रुपये प्रति क्विंटल है। शायद बिहार में भी 90-95 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

किसान अपना गन्ना आधे दाम पर कोल्हू में दे देता है। आश्चर्य यह है कि कहां कहें, किससे कहें, कब कहें। अगर कानून बनाने वाले कानून की धज्जियां उड़ाते हैं तो किसान कहां जाएगा।

अभी प्रभुनाथ बाबू ने कहा कि कानून बना हुआ है कि मिल मालिक को पन्द्रह दिन के अंदर गन्ने का दाम देना होगा। यदि पन्द्रह दिन के अंदर नहीं देता तो पन्द्रह प्रतिशत के हिसाब से ब्याज सहित गन्ने का भुगतान करना पड़ेगा। बुलंदशहर का एक केस है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि गन्ने का दाम और मजदूरों की तनख्वाह पन्द्रह प्रतिशत के हिसाब से जोड़ कर, अगर फैक्ट्री घाटे में जा रही है तो उसे बेच कर देना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन अब क्या हो रहा है। गोरखपुर कमिश्नरी और पटना के पश्चिम का इलाका तबाह हो रहा है।

अभी हमारे मित्र ने कहा, भारत सरकार की एक कानपुर शुगर मिल्स लिमिटेड फैक्ट्री थी। वह 80 करोड़ रुपये के घाटे में गई है। बार-बार तकाजा किया गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वह फैक्ट्री भारत सरकार के हाथ में थी। इसका कौन जिम्मेदार होगा। वहां के सैक्रेटरी का नाम लेना उचित नहीं है लेकिन मैंने बार-बार कहा कि गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ। इसलिए मैं मंत्री जी और सदन से कहूंगा कि शासक पक्ष में रहते हुए भी जब हालत खराब हो गई, उत्तर प्रदेश और केन्द्र में हमारी हुकूमत थी, मैंने सरकार से बात की। उत्तर प्रदेश में 128 चीनी मिलें हैं जिनमें से 35 उत्तर प्रदेश चीनी निगम के अंतर्गत हैं। जो पुरानी चीनी मिलें थीं, प्राइवेट सैक्टर में, उनकी आर्थिक दशा खराब हुई तो सरकार ने उन्हें टेक ओवर कर लिया। हमने कहा कि इसे भी ले लें। कपड़ा मंत्रालय भी तैयार था लेकिन फिर भी नहीं ली गई। मैं सदन में कह रहा हूं, मंत्री जी सच्चाई का प्रमाण भी ले लें। उस समय श्री वाजपेयी प्रधान मंत्री थे। उन्होंने भी प्रयास किया। मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है कि उनकी बात भी नहीं मानी गई। जैसे कानपुर शुगर मिल्स की बात की। उसके अंदर चार फैक्ट्रियां हैं, 18 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया था और 80 करोड़ रुपये की लायबिलिटी थी। हमको मजबूर होकर आन्दोलन करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में समझौता हुआ और फैक्ट्री उस शर्त पर चलाई जाए कि 80 फीसदी गन्ने का दाम कठकुइयां और पडरौना बैंक को दिया जाए और गन्ने का दाम लिया जाए। इस पर पुन: फैक्ट्री चली। लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। फिर मजबूर होकर उसे रूग्ण घोषित किया गया। बी.आई.एफ.आर. की बात होती है। मंत्री जी एक भी उदाहरण बता दें कि बी.आई.एफ.आर. में जो फैक्ट्री गई, कहीं कोई चली है, केवल टी.ए., डी.ए. और फैक्ट्री बंद करने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि सरकार क्यों बी. आई.एफ.आर. कर रही है। मैं जानना चाहता हूं खासकर कानपुर शुगर वर्क्स का केस दे रहा हूं। कितने दिनों से फैसला कर रहे हैं। हमारी जानकारी में था। एक अच्छी कम्पनी आई, उसे नहीं दिया। ऐसी कम्पनी को दे दिया जो चला नहीं पाई। *(व्यवधान)* चार साल से 18 करोड़ रुपये बकाया है। हमको तो जेल में बंद किया जाता है। हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो सूद दर सूद वसूल होता है, हमारी खेती ले ली जाती है, जमीन बिकवा दी जाती है। सुनते हैं कि साढ़े पांच साल में दुगना हो जाता है, डेढ़ साल में 36 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसका कौन जिम्मेदार होगा।

अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किसानों ने मजबूर होकर–

बुभुक्षतम किम् न करोति पापम्
क्षुधा जनानि निष्करूणा भवन्ति।

भूखा इंसान संसार का हर अपराध कर सकता है। जब भगवान के गुरू विश्वमित्र को भूख की ज्वाला सताने लगी तो उनको चंडाल के घर में जाकर कुत्ते का मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसी तरह पडरौना के किसान मजदूरों को मजबूर होकर अपना आन्दोलन करना पड़ा।

उसके परिणामस्वरूप उनके सीने पर गोली चलाई गई और तमाम लोग घायल हो गये। आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर हम लोग कहां जाएंगे, किस न्यायालय में जाएंगे? मैं मंत्री जी से गम्भीरता के साथ कहता हूं कि इसके बारे में मैं अपनी सरकार से भी मिला हूं। मैं केवल लैक्चर देने के लिए नहीं खड़ा हूं। मंत्री दरयाफ्त कर लें, मैं प्रधान मंत्री जी से मिला और प्रधान मंत्री जी ने गोरखपुर की मीटिंग में एलान किया था कि हमारी हुकूमत अगर दिल्ली में बनी और प्रदेश में रही तो मिलें बंद नहीं होंगी और गन्ने का दाम बाकी नहीं रहेगा। प्रधान मंत्री से मिलने के बाद उस वक्त गोली चली थी। प्रधान मंत्री कहते हैं, राम नगीना जी, मैं भी चाहता हूं कि वहां की समस्या का समाधान कर दिया जाये, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, वित्त मंत्री से बात की, वे भी इसके लिए तैयार हैं। इसलिए कोई बीच का रास्ता बात करके निकालने के लिए यह सब तय हो जाये।

सभापति महोदय : मिश्र जी, थोड़ा संक्षेप में।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं, कम से कम हमें रोने तो दीजिए, न दाम मिल रहा है, न मिल चल रही है, लेकिन सही बात तो कहने दीजिए।

सभापति महोदय : मैंने संक्षेप में बोलने के लिए कहा है, आपको बोलने से रोका नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : आप सुन लीजिए, मैं कोई गप्प बात नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात कह रहा हूं जो रिकार्डिड होगी और आप समझेंगे। मैं मंजी जी से सिर्फ यह चाहता हूं कि मंत्री जी प्रधानमंत्री जी से बात कर लें और जो बात मैं कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी कहें कि बिल्कुल झूठ है तो फिर एक ही काम है। यह साधारण समस्या नहीं है, हमारे यहां 15 चीनी मिलें हैं और हमारे जिले में 15 में से नौ मेरे क्षेत्र में हैं। गोरखपुर कमिश्नरी में चार निजी क्षेत्र

[श्री राम नगीना मिश्र]

की मिलें और एक सरकारी क्षेत्र की, कुल पांच मिलें बन्द हैं। 10 में से पांच मिलें वहीं बन्द हैं और क्या होने जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट 35 मिलों की उत्तर प्रदेश सरकार की है, उनमें से 29 मिलें बन्द होने जा रही हैं। इनको कोई चला नहीं पाएगा, ये 12 अरब रुपये के घाटे में जा रही हैं। 12 अरब रुपये से ऊपर का घाटा हो रहा है। अगर 29 मिलें ये भी बन्द हो जाएंगी तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा, उत्तर प्रदेश कहां जायेगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये 800 और 1000 टन क्षमता की पुरानी मिलें हैं। इनको भगवान भी नहीं चला सकता है, वे घाटे में जाएंगी। आज 2500 और 3000 टन से ऊपर की मिलें जो होंगी, वही चल सकती हैं। इस वक्त एक नई मिल बनाने में 50 करोड़ रुपया लग रहा है और 12 अरब रुपये के घाटे में उत्तर प्रदेश चीनी निगम की फैक्टरीज हैं। 12 अबर में कम से कम 24 मिलें बन जातीं, 20 मिलें बन जातीं तो मेरा यह सुझाव है कि कम से कम हर साल अगर 2-2 मिलें बिठा दें तो भी उत्तर प्रदेश के किसानों का भला हो जायेगा।

मैं यह भी कह रहा हूं कि चीनी विकास निधि में उत्तर प्रदेश से कितना रुपया आपके फंड में जमा है। इन बीमार चीनी मिलों के लिए चीनी विकास निधि से कितना रुपया उत्तर प्रदेश को दिया गया है, कितना रुपया बिहार को दिया गया है? यह फंड क्यों बना, यह फंड इसलिए बना कि जिस मिल की हालत खराब हो, उसको अनुदान देकर ठीक कराया जाये। इतना ही नहीं, आपने कहा, देख लें, आज से दस साल पहले जो पुरानी चीनी मिलें थीं, उनको सरकार सब्सिडी देती थी, अपने टैक्स में छूट देती थी। अब वह टैक्स उन पर लग गया है।

जहां तक चीनी के मूल्य का सवाल है, यह बात सही है कि मर-मर कर किसान चीनी पैदा करता है और उस चीनी को कौन खाता है, वह करोड़पति को मुफ्त में, रिटेल प्राइस पर दी जाती है। जो गन्ना बेचता है, उसको एक किलो चीनी भी कोई देता है? कोई उसको एक किलो चीनी भी नहीं देता है। मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गन्ना किसान है, खून पसीना बहाकर चीनी बनवा रहा है, क्या आप ऐसा कोई नियम बनाएंगे कि उसको भी कम से कम साल में पांच किलो चीनी कम दाम पर दे दें, रिटेल प्राइस पर दे दें। अभी आपकी तमाम कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट्स भी आई हैं। कोई भार्गव कमेटी है, मेरा कहना है कि हमारे यहां तो गन्ना बंदरबांट कर नहीं जाता है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मिश्र जी, मैं आपको रोकता नहीं, आपका भाषण बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो समय बढ़ाया है, उसकी सीमा भी समाप्त हो रही है। इसके बाद मंत्री जी को भी उत्तर देना है।

श्री राम नगीना मिश्र : यह जरूरी थोड़े ही है कि अभी उत्तर दें, अगले सत्र में दे दें।

सभापति महोदय : उसके बाद इस संकल्प के जो मूवर हैं, उनको भी बोलना है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप संक्षेप में अपनी बात कह दें। अभी यह संकल्प डिस्पोज आफ नहीं होगा। इस संकल्प पर मंत्री जी का जवाब पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए यह अधूरा रहेगा।

श्री राम नगीना मिश्र : आज की बहस का मुख्य मुद्दा यह है कि यूं तो देश भर की यह समस्या है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की विकट समस्या है। वहां के गन्ना किसानों का और शुगर मिलों का क्या होगा। बिहार में 17 चीनी मिलें बंद हो गई हैं, हमारे यहां दस हो गई हैं और 29 बंद होने जा रही हैं। इस तरह 40 के करीब चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। इसके लिए मंत्री जी कोई ऐसा प्रबंध करें, जिससे ये मिलें बंद न हों। हमारे पास आपके द्वारा भेजा हुआ रिकार्ड है, जिसमें लिखा है कि 29 मिलें घाटे में हैं, उनको हम नहीं चला पाएंगे। इसलिए आप बताएं कि क्या भविष्य में कार्पोरेशन की ये 29 चीनी मिलें चलेंगी या नहीं और क्या इनकी केपेसिटी बढ़ेगी या नहीं? मिसाल के तौर पर आज से दस साल पहले कांग्रेस के राज में हमारे यहां तीन चीनी मिलों, बेतालपुर, लक्ष्मीगंज और पिपराइच, की केपेसिटी बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ। वह प्रस्ताव आपके यहां आज वैसा ही पड़ा है, और जगह भटनी आदि में जगह भी ले ली गई, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन केपेसिटी नहीं बढ़ाई गई।

सभापति महोदय, हमारे पास मंत्री जी का और राज्य सरकार का जवाब आता है कि हमने इतने प्रतिशत, 95 प्रतिशत पेमेंट गन्ने की कर दी है। यह बात सही है कि चीनी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। चीनी का स्टाक इतना हो गया है कि रखने की जगह नहीं है। यह भी सही है कि बाहर से भी चीनी आई थी, लेकिन अब हमारे यहां 20 लाख टन चीनी का उत्पादन बढ़ा है, जिसको रखने की जगह नहीं है। इसलिए चीनी का उत्पादन बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग से मिलें बनी हैं, इसमें भी दो राय नहीं हैं। लेकिन पूर्वांचल में, गोरखपुर कमिश्नरी में जहां दो करोड़ की आबादी है, कह दिया जाता है कि वहां 95 प्रतिशत तक पेमेंट कर दी गई है। प्रधान मंत्री जी गोरखपुर गए। हमारे मंत्री जी ने कह दिया कि 95 प्रतिशत तक पेमेंट हो गई है। जब अखबार वालों ने वहां के लोगों से पूछा कि कितना पैसा बकाया है तो उन्होंने कहा कि 65 करोड़ रुपए के करीब बकाया हैं। सरदार नगर में 22 करोड़ रुपए, कानपुर शुगर मिले पर 18 करोड़ रुपए और कप्तानगंज में दस करोड़ रुपए बकाया हैं। पांच करोड़ रुपए सरकारी मिलों पर बकाया है। यह मैं केवल एक जगह की बात कर रहा हूं। पुरानी कहानी है कि एक विद्वान अपने बच्चों के साथ नदी पार करने लगा तो उसने नदी की गहराई साढ़े तीन फीट नापी। उसके बाद उसने अपने बच्चों की ऊंचाई किसी की साढ़े चार फीट, किसी की चार फुट और किसी की तीन फीट नापी और हिसाब लगाया कि नदी पार कर सकते हैं, क्योंकि नदी की गहराई से ज्यादा हमारी ऊंचाई बनती है। इस तरह वह बच्चों को लेकर नदी

में उतर गया। जब बच्चे डूबने लगे तो वह हैरान होकर कहने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए आप पूरे प्रदेश का हिसाब बता देते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का खा जाते हैं। इसलिए अलग-अलग हिसाब देखें।

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। पहले कानपुर शुगर मिल बंद की गई, अब गंगोत्री मिल का नम्बर है। कानपुर शुगर मिल बी.आई.एफ.आर. के जिम्मे डाल दी और एक महीने का मौका दिया। आज तक कोई ग्राहक नहीं आया। पडरौना की चीनी मिल है, जो 29 रुग्ण चीनी मिलें हैं, उनसे बेहतर है। हमारे प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी के सामने वह प्रस्ताव विचाराधीन है। हम कहना चाहते हैं कि 29 बीमार हैं तो एक चारपाई और बीमार की डाल दो। अगर 29 को 106 डिग्री बुखार है तो हमारे मरीज को तो 101 डिग्री ही बुखार है।

अपराह्न 5.00 बजे

उसको बिठा दीजिए क्योंकि कॉरपोरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, शुगर मिल का तभी भला हो सकता है। हमारी जो बात यहां हो रही है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी से बात कर लें, प्रधान मंत्री जी भी यू.पी. से हैं। अगर मेरी बातों में दम है तो बात करके कानपुर शुगर मिल का भला करवाइए। चीनी की पॉलिसी पर जो रिपोर्टें आई हैं, उनमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। इसी सदन में मैंने मांग की थी कि चीनी गन्ना किसान पैदा करता है, मजदूरों को देते हैं, गरीबों को देते हैं तो बात समझ में आती है लेकिन यह पूंजीपति और करोड़पति को क्यों दे रहे हैं? 40 प्रतिशत लेवी की चीनी में दस प्रतिशत की कमी हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि दस-बारह प्रतिशत चीनी फौज को देने के लिए सरकारी काम में देने के लिए ले लीजिए, बाकी फ्री दीजिएगा। खाली मिल मालिक को गाली देने से कुछ नहीं होगा। भारत सरकार में आप मंत्री हैं, आपके जिम्मे सारे देश की चीनी मिलें हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रधान मंत्री जी से बात करके कम से कम कानपुर शुगर मिल का भला अवश्य करवाइए।

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, मदनलाल जायसवाल जी द्वारा गन्ना उत्पादकों की समस्याओं के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। यू.पी. और बिहार की बात यहां की गई लेकिन हमारे राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में बूंदी जिले के अंदर चीनी की एक बहुत बड़ी मिल है जिसक ऊपर केन्द्र का अधिकार है। यह मिल लाभ में चलती थी लेकिन राज्य सरकार को सौंप दी गई और राज्य सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण केशवराय पाटन शुगर मिल निजी हाथ में सौंपने का षडयंत्र चल रहा है। विगत चालीस वर्षों से यह केशवराय पाटन मिल चल रही थी और दस करोड़ रुपये का टर्न ओवर है और राजस्थान सरकार उसे बंद करना चाहती है। अब तक मिल की साज-सफाई का काम शुरुकर देना चाहिए था, कल पुर्जों के रख-रखाव का काम शुरु कर देना चाहिए था लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ। सितम्बर में हर साल शुरु हो जाता है। 25 दिसम्बर से गन्ने की पिराई शुरु हो जाती है और 12 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई इस केशवराय पाटन शुगर मिल बूंदी में होती थी। मिल बंद होने से किसान को गन्ना बेचने में बड़ी समस्या आएगी और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बूंदी जिले के अंदर 5053 हेक्टेयर भूमि में 26.15 लाख क्विंटन गन्ना आज की तारीख में खड़ा है लेकिन अगर यह मिल बंद हो गई और जैसा कि राजस्थान सरकार दस करोड़ रुपये के घाटा में चलने वाली गंगानगर शुगर मिल को चालू रख रही है और केशवराय पाटन मिल जो हमेशा से फायदे में चल रही थी और करोड़ों रुपये का टर्न-ओवर दे रही थी तथा चालीस वर्षों से चल रही थी, उसे निजी हाथों में सौंपकर उपेक्षा बरत रही है। इससे किसानों की स्थिति क्या होगी, वे बिचारे आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाएंगे। इसीलिए मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि राज्य सरकार पर दवाब डालकर उन चीनी मिलों को प्रारम्भ कराएं नहीं तो मिल बंद होने से हजारों किसान दर-दर के भिखारी हो जाएंगे और सारी कमाई पर पानी फिर जाएगा। 1978 में भी जब घाटा हुआ था और शुगर अंडरटेकिंग एक्ट राजस्थान सरकार ने पास किया था और केन्द्र से प्रार्थना की थी, केन्द्र सरकार ने अधिग्रहण किया और 1985 तक इस मिल को चलाया था। इसलिए आज जहां देश के अंदर 68 मिलें बंद हैं, 700 करोड़ बकाया है, वहीं पर अगर राजस्थान की एकमात्र मिल बंद हो गई तो राजस्थान के किसानों का क्या होगा? हड़ौती क्षेत्र के किसानों का क्या होगा? मेरा आपसे आग्रह है कि गन्ने की आपूर्ति गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों के द्वारा उचित कीमत का भुगतान किया जाये। गन्ना पैदा करने वाले जो राज्य हैं, वहां पर बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया जाये और राजस्थान में केशवराय पाटन क्षेत्र के अंदर एकमात्र शुगर मिल तथा दूसरी गंगानगर शुगर मिल दोनों को चालू रखा जाये। बूंदी का किसान चार बार चक्का जाम कर चुका है, दसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है।

मिल को प्रारम्भ करने के लिए केवल पांच करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जो पहले दिया जाता रहा है, लेकिन अब वह राशि देने में आना-कानी कर रही है। गंगानगर की शुगर मिल में दस करोड़ का घाटा है, सरकार उस मिल को पैसा देकर चलाना चाहती है, लेकिन इस मिल को पांच करोड़ रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की समस्याओं से जुड़ा हुआ यह सवाल है, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मिल किसानों और कर्मचारियों की मदद से चलाई जा सकती है और उनको केवल 3.61 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कार्य करने के लिए सिर्फ एक करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को कहकर उस मिल को चलाने के लिए प्रावधान कराये। किसानों के माध्यम से और कर्मचारियों के माध्यम से उस मिल को चालू करवाने का प्रावधान किया जा सकता है।

खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है, जब तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वह मिल हमेशा चलती रही, लेकिन 1998

[प्रो० रासासिंह रावत]

में कांग्रेस की सरकार आने के बाद उस मिल को एक पैसा भी नहीं दिया गया। अप्रैल, 2000 में सरकार को 3.52 करोड़ रुपया का मिमो दिया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत अन्तिम वक्ता हैं। उनके भाषण के बाद माननीय मंत्री जी को हस्तक्षेप करना है तथा इसके बाद प्रस्तावक को उत्तर देना है। यदि यह सभा सहमत हो तो हम समय को बीस मिनट और बढ़ा सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : महोदय, बहस के लिए समय केवल चार बजे तक था लेकिन यह अब तक चलती रही। *(व्यवधान)* महोदय, मेरा भी संकल्प है।

सभापति महोदय: जब तक पहले वाला पूरा नहीं होगा तब तक यह कैसे हो सकता है। इसके बाद हमें डा. वी. सरोजा के संकल्प पर विचार करना है। इसके बाद आपके संकल्प पर विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या सभा 20 मिनट का सभा बढ़ाए जाने पर सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो० रासासिंह रावत : इस मिल के डायरैक्टरों को बदल दिया गया है। यह सब कार्य कुप्रबन्धन के कारण हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मिल को चलवाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय, अब आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, आपके पूछने के बाद श्री जायसवाल अपना उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : महोदय, सदन में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि गन्ना पैदा करने वाले किसानों को बकाया न मिलने की चिन्ता है और माननीय सदस्यों की चिन्ता से सरकार बिलकुल सहमत है। सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं।

सभापति जी, वस्तुस्थिति यह है कि 1999-2000 में कुल 11,914 करोड़ रुपया बकाया था, जिसमें से 11,648 करोड़ रुपया दे दिया गया है। इस प्रकार 266 करोड़ रुपया बकाया है और यह बकाया 2.24 प्रतिशत है। इसी प्रकार की फसल जब 1995 में हुई थी, तो बकाया 5.9 प्रतिशत था। पिछला बकाया 134 करोड़ रुपया और इस साल का बकाया 266 करोड़ रुपया, यानि 400 करोड़ रुपया बकाया है। इस साल बकाया 266 करोड़ रुपए सात प्रदेशों का है। माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है कि बकाया मिलना चाहिए। मेरे पास बिहार, उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन आपका निर्देश है कि संक्षिप्त में बात कही जाए, तो मैं संक्षिप्त में दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि आदेश के मुताबिक 14 दिन के अंदर बकाया देने की उन पर बाध्यता है। यदि 14 दिन के अंदर बकाया न दिया जाए तो उसके बाद 15 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाना चाहिए। अब यह शक्तियां प्रदेश की सरकार के पास हैं, इन शक्तियों का प्रयोग प्रदेश की सरकार ने करना है। अगर प्रदेश की सरकार इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती तो भारत सरकार क्या कर सकती है, उस बारे में हमने कुछ सोचा है। आप भी कुछ सुझाव दीजिए, हमें आपके सुझाव स्वीकार होंगे। जहां तक बंद मिलों का सवाल है, कुल मिला कर 69 मिलें बंद हैं और उनमें से उत्तर प्रदेश में 19, बिहार में 18, 69 में से इन दो प्रदेशों में ही 37 मिलें आज बंद हैं। इनमें से 39 बीआईएफआर को सीका के मुताबिक दी जा चुकी हैं।

महोदय, जब कोई मिल सिक होती है तो निश्चित रूप से कानून के मुताबिक प्रकिया शुरू होती है और उसे बीआईएफआर को रेफर किया जाता है, यह कानून है, नियम है। अब यदि रेफर किया गया है तो हमने नहीं किया, यह प्रदेश की सरकार की सरकार ने किया है। उसमें किसी मिल का क्या स्टेटस है, यह भी मेरे पास है, लेकिन मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब एरियर अदा होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। उस दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है, सरकार ने क्या किया। यहां एक बात की गई कि यहां जो सभापति जी बैठे थे, उनका धन्यवाद किया गया। जब एक मिल के बारे में बात की गई तो उन्होंने उस मिल की लेवी शुगर एक साल के लिए क्षमा कर दी तो उन्होंने धन्यवाद किया। मैं चाहूंगा कि मेरा भी धन्यवाद करते, क्योंकि एक मिल का नहीं बल्कि पूरे देश की लेवी की प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत हमने की। पूरे देश को यह सुविधा दी और दस प्रतिशत जब हमने कम की तो एक बात बड़े जोर-शोर से की गई थी, यह जो दस प्रतिशत का लाभ हमें दे रहे हैं कृपा करके यह लाभ सीधे किसानों को पहुंचाइए। यह बहुत बड़ा निर्णय था कि हमने दस प्रतिशत लेवी कम की। दूसरी बात यह कही गई कि इम्पोर्ट हो रही है, आज नहीं हो रही है। हमने इम्पोर्ट पर 60 प्रतिशत ड्यूटी लगाई। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। 60 प्रतिशत ड्यूटी लगाने के बाद इम्पोर्ट पूरी तरह से बंद है। यदि हमें लगा कि फिर भी इम्पोर्ट होने लगा है तो हम ड्यूटी बढ़ाएंगे।

मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अब चीनी का आयात नहीं हो रहा है, चीनी का आयात बिलकुल नहीं होने दिया जाएगा। गन्ने

के बकाया की अदायगी हो, इसके लिए जो फ्री सेल का मेकेनिज़्म था, उसमें हमने कहा कि हम जो एडिशनल फ्री सेल देते थे उसे गन्ने की बकाया की अदायगी के साथ हमने जोड़ा। हमने यहां तक किया कि जब किसी मिल को हम एडिशनल फ्री सेल देते थे तो उसमें यह शर्त थी कि डिप्टी कमिश्नर सर्टिफिकेट देगा कि यह जो अधिक चीनी रिलीज़ करने का अधिकार दिया गया है, इसके एक-एक पैसे का भुगतान किसान को दिया जाए। 700-800 करोड़ रुपए से एरियर घट कर 400 करोड़ रुपए पर आए, हमने एक कदम यह भी उठाया था। इसके अलावा हमने एक्सपोर्ट करने का भी निर्णय किया कि दस लाख टन चीनी हम एक्सपोर्ट करेंगे। मुझे खुशी है कि उसमें इनडायरेक्ट इनसेंटिव हमने मिलों को दिए। उसका परिणाम यह है कि चीनी एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई है। चीनी एक्सपोर्ट होगी तो उसका भी हमें लाभ होगा। यहां जो एक बात की चर्चा की गई कि चीनी मिलों की कास्ट कम हो, उनकी आय बढ़े। उसके दो फायदे होंगे, अगर कास्ट कम होगी तो हम चीनी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे और आय बढ़ेगी तो उसका लाभ होगा।

आय बढ़ेगी तो उसका लाभ होगा तो उसी दृष्टि से जो बाई-प्रोडक्ट्स हैं उनको उस दिशा में बढ़ावा देने की सरकार कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टरी विशेष रूप से एथनॉल से पेट्रोल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और हम अपने कानूनों में भी संशोधन कर रहे हैं ताकि उसमें यह बात आये। ये चीजें हमने की हैं।

माननीय योगी जी ने एक हृदय-विदारक बात कही कि अगर किसान उधार चुकता न कर सके तो उसका ट्रेक्टर तक ले लिया जाता है, सब कुछ ले लिया जाता है लेकिन दूसरे लोग करोड़ों रुपयों की अदायगी नहीं करते हैं तो भी इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आदेश है कि 14 दिन में अदायगी करो, नहीं करते तो 15 प्रतिशत ब्याज लगाओ, फिर भी ये लोग अदा नहीं करते हैं। इस पर हमने बहुत सोचा कि इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या है। हमारे पास एक और अधिकार था और उसका उपयोग कर लिया गया है। नवम्बर माह में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया कि जिस प्रकार से बकाया वसूल करने के लिए कहीं पर भी सरकार अंतिम शस्त्र का उपयोग करती है कि वह बकाया एरियर्स ऑफ लैंड रैवेन्यू के तौर पर लिए जाएंगे। हमने 29 नवम्बर को आदेश कर दिया है कि किसान के जो एरियर्स होंगे, वे समय पर न दिए जाएं तो उनको एरियर्स ऑफ लैंड रैवेन्यू के तौर पर भी दिया जा सकता है। यही बड़ी से बड़ी बात हमारे पास थी और इसे हमने कर दिया है।

इसके अलावा दो-तीन बातें मैं और कहना चाहता हूं। एसटीएफ रूल्स के अंदर 1007 करोड़ रुपया विभिन्न मिलों के आधुनिकीकरण और दूसरी बातों के लिए हम दे चुके हैं। एक बात यहां पर कही गयी कि भारत नम्बर दो पर है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि भारत दो नम्बर पर नहीं है। भारत का उत्पादन 182 लाख टन है, ब्राजील का 173 लाख टन और ड्यूटी 27 प्रतिशत नहीं बल्कि 60 प्रतिशत हमने बढ़ाई है। एक बात और कही गयी है जो इससे संबंधित नहीं है और वह बिहार के चावल के बारे में कही गयी है। सभापति महोदस, मंगलवार को हमने माननीय नीतीश कुमार जी से बात करके बैठक बुलाई है। बिहार में प्रोक्योरमेंट की जो समस्या है उसके बारे में बात करने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों को भी हमने बुलाया है।

अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि हम आपकी चिंता से सहमत हैं। इसलिए हमने एरियर्स ऑफ लैंड रैवेन्यू के तौर पर लेने की बात कही है। बाकी मिलें सरकारी, कोओपरेटिव और निजी लोगों की हैं। गन्ना उन्होंने लिया है, इसलिए उनको एरियर्स देना चाहिए। एरियर्स देने के लिए जो-जो मदद सरकार कर सकती थी वह सारी मदद हमने की है। आपका सुझाव मैं स्वीकार करता हूं कि इस विषय में और अधिक गंभीरता से विचार करने के लिए सभी प्रदेशों के गन्ना मंत्रियों की बैठक बुला करके देखेंगे कि इस दिशा में और क्या किया जा सकता है। उनसे भी सलाह करेंगे और इसके अतिरिक्त और कोई सुझाव आप देना चाहें तो हम उसे भी स्वीकार करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे वापस ले लें।

डा० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है और गन्ना किसानों के संबंध में जो एक्ट हैं उसमें मैंने एक आग्रह किया था कि 15 दिन के बाद भुगतान करने की जो व्यवस्था है उसे आप एक्ट में प्रावधान करके क्या 7 दिन का कर सकते हैं। आपने कहा है कि 2.4 प्रतिशत बाकी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 10 वर्षों से किसानों का जो बकाया पड़ा है, जिन्होंने 7 या 8 साल पहले गन्ना दिया उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। आपने कह दिया कि 2.4 प्रतिशत बकाया है। चीनी विकास कोष की जो राशि है, मेरा कहना यह है कि जिस समय माननीय देवगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे, उस समय उन्होंने 550 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को दिये और उनसे चीनी मिलों द्वारा किसानों की बकाया राशि का भुगतान किया गया। क्या आप यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उस राशि से उन लोगों का भुगतान हो जाएगा।

दूसरी बात यह है कि चीनी उद्योग के बारे में जो व्यवस्था है उससे देश के करीब 25 करोड़ लोग प्रभावित हैं। इसकी इतनी बड़ी पोटेंशियलिटी है कि तीन हजार मैगावाट बिजली पैदा की जा सकती है।

इन सारी बातों को लेकर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शूगर डैवलपमैंट फंड से पैसा लेकर चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने की व्यवस्था करें। आई.एफ.सी.आई. बैंकों से इन्हें ऋण देने की व्यवस्था करें। आप फ्री सेल शूगर रिलीज करते हैं। प्रत्येक महीने 11 परसैंट रिलीज करते हैं। ऐसे में किसान कहेंगे कि शूगर मिल कहता है कि 11 परसैंट रिलीज हो रहा है, लेकिन हमारे पास पैसे कहां है? जितना चीनी का उत्पादन हो गया है उसके हिसाब से बकाया राशि का भुगतान अविलम्ब करने की व्यवस्था करें। आप इसे कानूनन बैंकों द्वारा करवा सकते हैं। भारत सरकार बैंकों द्वारा किसानों के बकाया का भुगतान करवा सकती है।

[डा० मदन प्रसाद जायसवाल]

बी.आई.सी. की बात हुई। कानपुर शूगर मिल है, चम्पारण शूगर मिल है और मेरे यहां चकिया मिल बंद है, चनपटिया मिल बंद है, मढ़ोरा बंद है। आपने टैक्सटाइल मिल को चलाने के लिए बी.आई. सी. को 216 करोड़ रुपए दे दिए। क्या भारत सरकार की ओर से इन चीनी मिलों को चलाने के लिए राशि नहीं दे सकते हैं? शूगर डैवेलपमैंट फंड मे राशि नहीं दे सकते हैं? कृपया मंत्री जी इस पर पुन: विचार करें। मैं सरकारी पक्ष का व्यक्ति हूं। मंत्री जी ने वायदा किया है। *(व्यवधान)*

श्री शान्ता कुमार: हमारे पास जो भी प्रार्थना पत्र आंएगे और वे मिलें इस प्रकार की हैं तो प्राथमिकता के आधार पर उन पर विचार होगा।

श्री अधीर चौधरी : आप इम्पोर्ट क्यों बढ़ा रहे हैं? *(व्यवधान)* यहां पड़ा सारा माल सड़ रहा है और आप आयात को बढ़ावा दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री शान्ता कुमार : इम्पोर्ट बिल्कुल बंद है। यदि वह हो रहा है तो डब्ल्यू.टी.ओ. का जो समझौता आप करके गए, उसके कारण हो रहा है। *(व्यवधान)* आपके कांटे हमें चुभ रहे हैं।

अपराह्न 5.22 बजे

[श्री के० येरननायडू *पीठासीन* हुए]

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह एक गम्भीर सवाल है। मंत्री जी ने स्पष्ट बात नहीं कही है। जो सवाल अभी जायसवाल जी ने उठाया है और दूसरे कई वक्ताओं ने उठाया, उनका आप स्पष्ट जवाब दें। बकाया राशि के भुगतान के संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं? मढ़ोरा चीनी मिल के सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं? पंडित जी ने कई गम्भीर सवाल उठाए। वह बुढ़ापे में इस बात को लेकर जेल गए। आप इन सवालों को स्पष्ट कीजिए और उनके बारे में आश्वासन दीजिए। हम समय दीजिए, हम से बात करिए। यदि कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो इसका क्या मतलब होगा?

श्री शान्ता कुमार: ये मिलें या तो स्टेट गवर्नमैंट की हैं या कोआपरेटिव सोसायटी या प्राइवेट लोगों की हैं। उन्होंने गन्ना लिया, चीनी बनाई, और बेच दी। वह उसकी अदायगी नहीं कर रहे हैं। यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, उसके लिए जो कदम उठाए गए, वह मैंने बता दिए। एम.डी.एफ. फन्ड के मुताबिक ये मिलें एप्लाई करें और हमारे पास आधुनिकीकरण और बाकी बातों के लिए आएं। नियमों के अन्तर्गत मैंने कहा कि इस प्रकार की मिलों को हम प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने की बात करेंगे, अवश्य करेंगे, एक हजार करोड़ रुपए पहले दिए जा चुके हैं। मैं गन्ना मंत्रियों की बैठक बुला रहा हूं। आप सब इस उद्योग से संबंधित हैं। मेरे साथ समय तय कर लीजिए, आइए, बैठिए। हम बैठ कर बात करेंगे।

डा० मदन प्रसाद जायसवाल : मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या यह सभा डा. मदन प्रसाद जायसवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प वापस लिए जाने पर सहमत है?

प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अपराह्न 5.25 बजे

(दो) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निधियों का अल्प उपयोग

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के मद संख्या 2—डा० वी० सरोजा द्वारा पेश संकल्प, को लेगी।

इससे पहले कि हम संकल्प पर चर्चा करें, हमें इस चर्चा के लिए समय निर्धारित करना है। क्या हमें इसके लिए एक घंटे का समय आवंटित करें?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं, महोदय आप इसके लिए कम से कम दो घंटे का समय निर्धारित करें।

सभापति महोदय : ठीक है, हम इसके लिए दो घंटे का समय रखते हैं।

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम): मैं प्रस्ताव करती हूं कि:—

"यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रखी गई निधि के अल्प उपयोग पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है तथा सरकार से यह आग्रह करती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त निधि आवंटित करना सुनिश्चित करे तथा अनुसूचित जातियें और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग पर निगरानी रखे।"

माननीय, सभापति महोदय, मुझे यह अति महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तावित करने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 132.22 मिलयन अनुसूचित जाति के लोग हैं जो संपूर्ण जनसंख्या का 16.48 प्रतिशत है। इनमें से 81 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग गांवों में रहते हैं। दस वर्षों की अवधि में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 2.2 से 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति के लोग भारत के सारे राज्यों में बिखरे हुए हैं। इनकी जनसंख्या दस राज्यों—आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अधिक हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में, वे राज्य की 22 प्रतिशत जनसंख्या का 20 प्रतिशत से भी अधिक है।

अब अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या को लेते हैं, भारत में लगभग 67.76 मिलियन अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। प्रतिशत के हिसाब से वे देश के संपर्ण जनसंख्या का 8.8 प्रतिशत हैं। इन में से, 1.2 मिलियन आदिम जाति है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या पूर्वोत्तर राज्यों में है जिनमें—मिजोरम में 94.75 प्रतिशत; नागालैण्ड में 87.70 प्रतिशत; मेघालय में 85.53 प्रतिशत; अरुणाचल प्रदेश में 63.66 प्रतिशत और लक्षद्वीप के केन्द्रशासित प्रदेश में 93.15 प्रतिशत हैं। उड़ीसा में वे 22.21 प्रतिशत हैं; गुजरात में 4.98 प्रतिशत है; महाराष्ट्र में 9.27 प्रतिशत और बिहार में 7.6 प्रतिशत हैं।

यद्यपि यह प्रासंगिक है कि मैं इस देश की जनसंख्या के बारे में बोलूं, यह भी प्रासंगिक होगा कि मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक गारंटी की भी बात करूं। अनुच्छेद 14 हमें कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार देता है। पूना समझौते के अनुसार आरक्षण, माननीय भारत रत्न डा० अंबेडकर के अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के बदले मिला है। यह कोई भीख नहीं परंतु संवैधानिक अधिकार है।

स्वतंत्रता के 53 वर्ष के बाद और भारत के बनने के 50 वर्ष के बाद, क्या सरकार अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर पाई जिसके प्रति वह प्रतिबद्ध है? बड़े दुःख के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि अनुच्छेद 275(1) के तहत इन्हें विशेष वित्तीय सहायता मिलती है। भारत के संविधान के अंतर्गत यह कहा गया है कि वित्तीय सहायता देना बाध्यकारी है। नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं जिनमें विशेष केन्द्रीय भत्ते और विशेष घटक योजना शामिल है, के लिए 3399.5 करोड़ रुपये परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है।

सभापति महोदय : डा० सरोजा, आप अगली बार बोल सकती हैं।

डा० वी० सरोजा : ठीक है, महोदय।

अपराह्न 5.30 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री प्रमोद महाजन की ओर से, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 5.31 बजे

आधे घंटे की चर्चा

दलहनों का उत्पादन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): माननीय सभापति जी, अभी हमने एक संकल्प के माध्यम से महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा समाप्त की और उसके बाद एक दूसरे महत्वपूर्ण संकल्प पर भी चर्चा हमने प्रारम्भ की। इस आधे घंटे की चर्चा में देश में आज जो दलहन की स्थिति है, उनका उत्पादन और आयात निर्यात है, उससे संबंधित प्रश्न यहां उपस्थित करना चहता हूं। यह बात सही है कि कृषि वैज्ञानिकों ने और देश के मेहनतकश किसानों ने अथक परिश्रम करते हुए भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन जिस रूप में हम दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस दिशा में बहुत कुछ प्रयास पिछले दिनों हुए। लेकिन उन प्रयासों का परिणाम जिस रूप में हमारे सामने आना चाहिए, वह नहीं आया है। यदि हम पिछले वर्षों के आकड़े देखें तो उनसे कुछ बातों का अंदाजा सहज ही लग जाता है। यह बात सही है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से देश के अंदर और बाहर विश्व भर में लोगों की रुचि शाकाहार की तरफ बढ़ी है, दहलन की मांग भी उसी रूप में बाजारों में बढ़ी है। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन और जो अन्य आवश्यक चीजें होती हैं दलहन के जरिये विशेष रूप से प्राप्त होती हैं और उस दृष्टि से दलहन के उत्पादन के बारे में चिंता करना स्वाभाविक है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दहलन के उत्पादन के बारे में जितनी उपलब्धता होनी चाहिए वह उपलब्धता नहीं है और उसके कारण निरंतर भावों में वृद्धि हुई है। उसके पीछे दो तीन कारण हैं। इनके उत्पादन की जो लागत आती है, उस लागत के अनुसार किसान को जो चीजें लगानी होती हैं जिसमें खाद, बीज, कृषि उपकरण या अन्य साधन हैं, वे दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं और उसके कारण जो लागत मूल्य आता है वह लागत मूल्य भी उसे नहीं मिल पा रहा है। इस दृष्टि से किसान कि रुचि अन्य फसलों की तरफ बढ़ती जा रही है। जिसमें उसे ज्यादा लाभ दिखायी देता है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो तीन विशेष बातें जानना चाहूंगा। देश के अंदर एक राष्ट्रीय दहलन विकास परियोजना है। अब यह राष्ट्रीय परियोजना है, केन्द्र शासित प्रदेशों के अंदर इस परियोजना पर शत-प्रतिशत खर्च किया जाता है और जो देश के विभिन्न राज्य हैं उनमें 75-25 के हिसाब से खर्च किया जाता है। यानी केन्द्र 75 प्रतिशत देता है और 25 प्रतिशत राज्य सरकारों को वहन करना होता है। लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि राज्य सरकारों की तरफ से मिलाया जाने वाला अंश जो 25 प्रतिशत है, वह राज्य सरकारें देने में प्रायः असमर्थ होती हैं और उस असमर्थता के कारण जो 75 प्रतिशत केन्द्र से मिलना चाहिए वह केन्द्र वाली राशि भी नहीं पहुंच पाती हैं। फलतः परियोजना का लाभ पूरा पूरा नहीं मिल पाता है।

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस परियोजना के बारे में यदि आप वास्तव में लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों में आपने व्यवस्था की है, क्या राज्यों में भी उसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को लाभ मिले और जो आप दलहन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, वह बढ़े और इस योजना का लक्ष्य जो हमने तय किया है, वह हम प्राप्त कर सकें।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि 1997 98 में और 1998-99 में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत दहलन का जो कुल प्राप्त किया उत्पादन था, विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में दी गई राशि थी, 1997 98 में और 1998-99 में जो उत्पादन हुआ वह थोड़ा कम हुआ। 1999-2000 में फिर उत्पादन कम हुआ। इस योजना पर जो खर्च होना था, 5,18,900 रुपये था। इसमें से केन्द्रीय हिस्सा 4 लाख से ऊपर था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से इन राज्यों के लिए आबंटन केन्द्र ने 12 प्रतिशत और बढ़ा दिया है जैसा मैंने कहा कि देश में दलहनों के उत्पादन की दृष्टि से किसानों के सामने जो कठिनाइयां होती हैं, उस दृष्टि से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन दहलनों में प्राय: विविध प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, कीटाणु लग जाते हैं। उन कीटाणुओं पर काबू पाने के लिए बीमारियों को दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं? कृषि वैज्ञानिकों ने यद्यपि प्रयत्न किया है लेकिन फिर भी मैं एक रिपोर्ट के आधार पर उद्धृत कर रहा हूं–

> "देश में अभी भी दहलन उत्पादन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे वर्षा, सिंचित सीमांत और उप सीमांत भूमि पर इनकी खेती करना, कीट, कृमियों तथा रोगों का अधिक प्रभावशाली होना, मौसम संबंधी विचलन, आनुवंशिक सफलता और कमी, सिंचाई की अनुपलब्धता और दलहनी क्षेत्र को दूसरी अधिक लाभकारी फसलों में परिवर्तित कर देना। इन सीमाओं के अलावा दलहनों का उत्पादन मानसूनों पर भी निर्भर रहता है। दलहन उत्पादन जो 1990-91 में 14.26 मिलियन टन था, वह 1991-92 में घटकर 12.02 मिलियन टन रह गया और 1995 96 में यह और घट गया। 1996-97 में यह बढ़ा लेकिन 1997 98 में यह फिर घट गया और 12.97 मिलियन टन रह गया।"

इस प्रकार से हमारे लिए यह भी चिन्ता का विषय है कि हम इस दृष्टि से लगातार पिछले दस वर्षों में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एक मूल प्रश्न जो पहले उपस्थित किया है क्या राज्य सरकारों को पूरी पूरी सहायता या उनको पूरा अनुदान दिये जाने का माननीय मंत्री महोदय प्रबंध करेंगे और दूसरा किसानों के समक्ष जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की दृष्टि से आप क्या करने जा रहे हैं? एक और प्रश्न जो इसके साथ उद्भूत होता है कि अन्यान्य कई चीजों में समर्थन मूल्य हैं लेकिन इनके बारे में समर्थन मूल्य नहीं है। मसूर, मटर, आदि पर समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है लेकिन चने आदि में है। जिन बहुत सारी दलहनों का समर्थन मूल्य नहीं है और उसके कारण वे किसान कई बार उन फसलों के उत्पादन में असमर्थ होते हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय इस दिशा में भी कुछ प्रयत्न करेंगे कि उनका कोई समर्थन मूल्य हो और इस दृष्टि से माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न का भी उत्तर देने की कृपा करें।

मैं अभी निवेदन कर रहा था कि इस बारे में काफी वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं और मेरे क्षेत्र में भी एक सिपानी कृषि अनुसंधान केन्द्र है। उसने अरहर के बारे में काफी अनुसंधान किया है और इस प्रकार से विकास किया कि पांच महीने की अवधि घटकर लगभग तीन महीने में उत्पादन हो जाता है और उसका उत्पादन भी प्रतिशतता के आधार पर बढ़ा है।

मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से बीजों का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, अभी हम तीन प्रतिशत बदलते हैं और हम प्रतिवर्ष यदि लगभग 12 प्रतिशत बीज बदलें तब तो उत्पादन में वृद्धि होगी अन्यथा अभी जो बीज की रिप्लेसमेंट का प्रतिशत है वह केवल 3 प्रतिशत दलहन में है। कम से कम 10 प्रतिशत रीप्लेसमेंट हो तब भी विकास हो सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय बताएं कि इस प्रतिशत को बढ़ाए जाने की दृष्टि से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश की मांग के अनुसार और देश की आवश्यकता के अनुसार जो उत्पादन हो रहा है और बढ़े आज भी हमें कई बार आयात पर निर्भर रहना पड़ता है और इसी कारण यहां दलहन का आयात हो रहा है।

सभापति महोदय, आज विदेशों से दलहन का आयात हो रहा है। अभी मैंने एक दाल मिल का निरीक्षण किया। मैंने वहां देखा मूंग दला जा रहा था और दाल बनाई जा रही थी। बहुत मोटा दाना था। मैंने मिल मालिक से पूछा तो उसने बताया कि यह बड़ा मूंग है। मैंने कहा यह कहां से आया, उन्होंने उत्तर दिया कि यह विदेश से आया है।

सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के भरपूर प्रयत्न से हमारा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। उसी प्रकार से हम दलहनों के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को आपने राष्ट्रीय टैक्नोलौजी मिशन के अंतर्गत लिया है, लेकिन तीन सालों से इसे राष्ट्रीय टैक्नौलौजी मिशन के अंतर्गत लेने के बावजूद जो उत्पादन बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ा। इसके क्या कारण हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि इस दिशा में कुछ प्रयत्न हुए हैं, लेकिन प्रयत्नों की सफलता तभी आंकी जा सकती है जब हमारा उत्पादन बढ़े और हमारा आयात कम हो। यह ठीक है कि आज हम गेहूं और चावल के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो गए हैं और निर्यात करने जा रहे हैं बल्कि जिन देशों में संकट है, प्राकृतिक आपदा है या कठिनाइयां हैं, उन्हें अपने देश की ओर से हमारा देश गेहूं और

चावल सहायता के रूप में दे रहा है। यह एक अलग बात है, लेकिन हमें आयात न करना पड़े और इसमें भी हम आत्मनिर्भर हो सकें, इस बारे में किए जा रहे प्रयासों से मंत्री महोदय सदन को अवगत कराएं।

सभापति महोदय, आज देशवासी दालें खाकर प्रोटीन और खनिजों की पूर्ति करना चाहते हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि दलहनों से उनके स्वास्थ्य का संरक्षण हो और जो भी प्रोटीन्स आदि आवश्यक चीजें हैं, वे उन्हें दालों के माध्यम से मिल सकें। इस प्रकार से देश में दलहनों की जो मांग बढ़ रही है उसको देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाए हैं और जिस प्रकार से ठोस कदम उठाने का प्रयास करने जा रही है, उनसे सदन को अवगत कराया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बीजों के आधार पर कुछ नए प्रयोगों के आधार पर, प्रदर्शनों के आधार पर, स्प्रिंकलर सैटों और उन्नत किस्म के बीजों, औजारों और उपस्करों को देकर किसानों को इस बारे में प्रशिक्षण देकर आप दलहनों का उत्पादन बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न मैंने उद्भूत किए हैं, उनके उत्तर मंत्री जी देने की कृपा करें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने इसके लिए कोई सूचना नहीं दी है। केवल चार सदस्यों ने पूर्व सूचना दी है। इसलिए, उन्हें ही बोलने की अनुमति दी जाएगी।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, जहां तक दलहनों और तिलहनों के उत्पादन का प्रश्न है, मुझे कुछ विशेष प्रश्न पूछने हैं। मेरा पहला प्रश्न है—क्या हम तिलहनों का आयात कर रहे हैं? क्या हम खाद्य तेल का भी आयात कर रहे हैं और यदि हां, तो क्यों? इसके कारण क्या हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है: क्या भारत का उत्पादन पर्याप्त हो रहा है? क्या हम दलहनों का भी आयात कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने राष्ट्रीय तकनीकी मिशन का पहले ही उल्लेख कर दिया है जिसमें तिलहन के उत्पादन को शामिल किया गया है। मैं भी यह प्रश्न पूछना चाहता हूं चूंकि यह पहले भी पूछा जा चुका है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां तक तिलहनों से संबंधित प्रश्न है राष्ट्रीय तकनीकी मिशन की उपलब्धियां क्या हैं।

मेरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नेपाल से वनस्पति तेल के आयात से संबंधित है। पिछले तीन सालों में, नेपाल से वनस्पति तेल के आयात में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसका क्या कारण है? नेपाल से आयातित वनस्पति की कीमत बहुत कम होने के कारण, पूर्वी भारत की कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इसका क्या कारण है? मैं यह जानना चाहता हूं कि कैसे नेपाल जैसा गरीब देश भारत को इतनी कम कीमत पर वनस्पति आयात कर पाती है और हम उनका कीमत के आधार पर मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न मेरे राज्य उड़ीसा के संबंध में है। पिछले महीने की 27 को प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने उड़ीसा के बिना सिंचाई वाले क्षेत्र में दालों और दूसरी फसलों के उत्पादन का उल्लेख किया था। विशेषकर उड़ीसा के पश्चिमी, दक्षिणी और जनजातिय क्षेत्रों में, दाल की एक किस्म 'कन्डुल' उगाई जाती है। यह अरहर दाल जैसी ही है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आम तौर पर जनजातिय लोग स्वयं खाने के लिए उगाते हैं। यदि भारत सरकार उन्हें कुछ वित्तीय सहायता दे तो यह नकदी फसल के रूप में विकसित हो सकती है। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री और भारत सरकार कन्डुल के उत्पादन बारे में जानते हैं। क्या वह कुछ वित्तीय सहायता व अन्य सुविधाएं देने आगे आएंगे जिससे इसका उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके?

अंतत, उड़ीसा के तटीय इलाके के राज्य, जैसे बालासोर, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, भद्रक, केन्द्रपाड़ा, कटक और पुरी में, कई तिलहनों जैसे, सूर्यमूखी, सरसों और मूंगफली के विकास की संभावनाएं हैं। उनका उत्पादन होता है परंतु थोड़ी मात्रा में। भारत सरकार या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मुश्किल से ही कोई तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए, मेरी माननीय मंत्री से अपील है कि वे कृपया इस मामले को देखें। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में तिलहन और दलहन जैसे मूंग और उड़द के उत्पादन के लिए अनुकूल उपजाऊ भूमि है।

मुझे आशा है कि वे इस मामले पर ध्यान देंगे और ऐसा प्रावधान बनाएंगे कि उस क्षेत्र के किसानों को तकनीकी जानकारी, वित्तीय और आर्थिक सहायता दी जा सके जिससे वे इसका उत्पादन अधिक मात्रा में कर सकें।

[हिन्दी]

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आज देश की आबादी एक अरब से अधिक हो चुकी है। देश में हरित क्रांति के बाद देश ने खाद्यान्नों के क्षेत्र में तो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली लेकिन दलहन और तिलहन के मामले में अभी तक देश पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। दलहन भी एक प्रकार से कैश क्रॉप है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत अधिक प्रोटीन वाली दालों के उन्नत बीजों के अनुसंधान के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं?

मान्यवर एक प्रवृत्ति चल रही है और अब लोग धीरे-धीरे मांसाहार से शाकाहार की ओर पुन: आ रहे हैं और शाकहार के अंदर दालों का अपना महत्व है। दालें के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगा तो लोग उसे और भी अधिक खाना पसंद करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तो बना ली लेकिन इसके माध्यम से अधिक प्रोटीन वाली दालों के उन्नत बीजों के विकास और अनुसंधान के लिए अब तक क्या प्रयास किये जा रहे हैं और क्या देश में दलहन ज्यादा पैदा करने वाले राज्यों

[प्रो० रासा सिंह रावत]

या क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है? यदि हां, तो उन क्षेत्रों के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कोई विशेष योजना है? क्या सरकार उनको विशेष अनुदान देना चाहेगी?

तीसरी बात मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि और देशों में हमने देखा है कि दलहन के क्षेत्र में अनुसंधान हुए हैं, नये बीजों का आविष्कार हुआ है और उन्होंने अपना उत्पादन दुगुना-तिगुना कर दिया है। जबकि हमारे यहां भी अनुसंधान प्रयोगशालाएं वगैरह सब कुछ है। इसके बाद भी हमारे यहां अनुसंधानों का उतना प्रभाव दलहन के उत्पादन के क्षेत्र में क्यों नहीं परिलक्षित होता है? इसके क्या कारण रहे हैं तथा सरकार की उपेक्षावृत्ति के कारण क्या हैं, इसके बारे में प्रकाश डालें तो अधिक अच्छा रहेगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : सभापति महोदय, माननीय डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय यहां जो डिस्कशन लाए हैं और जो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, उनके उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हम दुनिया में सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोडक्ट कर रहे हैं। हम अपने देश में ग्यारह किस्म के पल्सेस का प्रोडक्सन कर रहे है। हमारे यहां का जो प्रोडक्शन होता है, वह लोक संख्या को देखते हुए सफीशिऐंट नहीं है, यह हम मानते हैं। यहां जो दलहन पैदा होता है, हम जिस जमीन पर दलहन पैदा करते हैं, वह बहुत कम है। दलहन का प्रोडक्शन सिर्फ रेनफैड एरिया पर अवलम्बित है। हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। हमारी सरकार जो प्रयत्न कर रही है, हमें एक बात समझनी चाहिए कि जब बारिश कम होती है, उस समय प्रोडक्शन पर असर होता है। इस प्रोडक्शन में फ्लकचुइटी ज्यादा है इसलिए कम, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। इस वर्ष निश्चित रूप से प्रोडक्शन कम हुआ है और उसका कारण ड्राउट है।

प्रो. रासा सिंह रावत ने पूछा कि राज्य ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यू.पी. और महाराष्ट्र मैं बताना चाहता हूं कि टोटल प्रोडक्शन का 68 प्रतिशत प्रोडक्शन इन राज्यों में होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में टोटल प्रोडक्शन का 15 प्रतिशत प्रोडक्शन होता है। नैशनल पल्सेस डैवलपमैंट प्रोजैक्ट से पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ाने की हमारी सरकार द्वारा हर तरह से कोशिश की जा रही है। हमने इसके अन्तर्गत 25 राज्य, 2 यूनियन टैरीटरी, 322 डिस्ट्रिक्टस में पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की है। तरह-तरह की स्कीम्स के अन्तर्गत पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत सरकार से राज्य सरकारों को 72-25 रेशियो पर फंड ऐलॉट करते हैं।

इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस शेयर रेश्यो में थोड़ी बढ़त की है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड के बारे में यहां प्रश्न आया। पहले टेंथ प्लान के अन्दर जो स्कीम थी, उसमें जो डवलपमेंट प्रोजैक्ट की स्कीम थी, उसमें 75:25 से 400 रुपये प्रति क्विंटल प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड के लिए हम देते थे। अब इसको 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स विलेज स्कीम थी, उसके अन्दर जो 200 रुपये प्रति क्विंटल था, उसको 500 रुपये प्रति क्विंटल किया है। इसी तरह हर स्कीम में सीड ट्रीटमेंट के लिए, डिमोंस्ट्रेशन के लिए, फार्मर्स ट्रेनिंग के लिए, इम्प्रूव्ड फार्मिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रिंकलर सैट्स के लिए, हर स्कीम में रकम बढ़ा दी गई है। नाइंथ प्लान में जो स्कीम बनाई हुई है, उसमें हमने पल्स प्रोडक्शन का एरिया एक्सपेंड करने के लिए भी प्रयास किये हैं। हमारी सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, इस एक्सपर्ट कमेटी से जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो सजेशन दिये हैं, माननीय पांडे जी ने उसका सवाल हमारे सामने रखा है। *(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, वह तो बतायें?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना में से 36 करोड़ रुपया सारे देश के लिए दिया है। यह पैसा तो प्लानिंग कमीशन तय करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तय किया है। हमारा तो इसके लिए एफर्ट चल रहा है, हम इस रकम से ऊपर नहीं जा सकते। एक्सपर्ट कमेटी ने जो सजेशन दिये थे, उन सजेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने–

[अनुवाद]

"मृदा की उर्वरा शक्ति एवं पैदावार बढ़ाने हेतु फसल उत्पादन प्रणाली में दलहनों को शामिल किया जाना; प्रजनक से फाउण्डेशन और फाउण्डेशन से उत्तम किस्म के बीज उत्पादन की सघन योजना के माध्यम से उत्तम किस्म के बीज की पर्याप्त मात्रा में बीज की आपूर्ति दलहनों की उत्पादकता बढ़ाने वाले सल्फर के स्रोत के रूप में जिप्सम पाइराइट को प्रोत्साहन छिड़काव प्रणाली जो दलहन की फसलों के लिए काफी सफल सिद्ध हुई है, को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देना; प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्र विस्तार एवं तकनीक हस्तांतरण पर विशेष ध्यान; तथा अरहर एवं चना की फलियों में लगनेवाले कीड़े की रोकथाम हेतु एन.पी. वी. को लोकप्रिय बनाना।"

[हिन्दी]

जो एक्सपर्ट कमेटी ने दिये हैं, वे सजेशंस हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : यह लाभकारी मूल्य है या समर्थन मूल्य? मैं समझता हूं कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। समर्थन मूल्य के बारे में या प्रोत्साहन मूल्य के बारे में भी सरकार ने कोई विचार किया है कि इसको बढ़ाया जायेगा या नहीं बढ़ाया जायेगा?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : जी हां। हम कोशिश कर रहे हैं और चार धान्य हैं, चना, मूंग और उड़द इन चारों धान्यों के लिए अभी तक हम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। मसूर को भी इसमें निश्चित रूप

से जोड़ने के लिए कास्ट प्राइस निकालने के लिए हमने एक समिति गठित की है और मसूर को इसमें लेने का प्रावधान किया है। *(व्यवधान)* एक-एक करके ले लेंगे, एक बार में तो नहीं होगा। बोडोलैंड के लिए हम स्पेशल स्कीम दे देंगे। *(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय आपको माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। कृप्या माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों तक ही अपने को सीमित रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : एक्सपर्ट कमेटी ने भी सीड के रिप्लेसमेंट के लिए सुझाव दिया है। अब तक तीन प्रतिशत दे रहे हैं, अब सरकार का दस प्रतिशत तक का इरादा है, उस पर विचार हो रहा है। माननीय सदस्य स्वैन ने टैक्नोलॉजी मिशन के बारे में और उसकी एचीवमेंट के बारे में पूछा था। अभी तक उस मिशन की एचीवमेंट रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है। काम शुरु है, जल्द से जल्द वह आपके सामने रख दी जाएगी।

वनस्पति के बारे में भी स्वैन जी ने कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वनस्पति पल्सेज में नहीं आती। अगर आप चाहें तो मैं अलग से इस बारे में आपको बता दूंगा। दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उत्पादकता बढ़ाने हेतु, एक फसल या फसलों के बीच अन्य फसल लगाकर की जानेवाली खेती द्वारा क्षैतिज विस्तार करने के साथ-साथ, वर्तमान विकसित तकनीक को और उत्कृष्ट बनाकर उत्पादन की सीमाओं को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके आधारभूत तत्व हैं: बीज, कीट नियंत्रण उपाय, सिंचाई, उर्वरक और निम्न लागत उत्पादन बढ़ाने वाले निवेश:-

(1) सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र में बीज उत्पादन के वर्तमान स्वरूप के अलावा प्रामाणिक बीजों के उत्पादन हेतु गैर सरकारी संगठनों एवं निजी बीज उत्पादकों को भी सम्मिलित किया जाएगा। दलहन फसलों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु समर्थन मूल्य के प्रणाली के साथ-साथ उत्पादकता आवश्यक है। अतएव, वांछित बीज-प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने हेतु नए विकसित किस्म के बीजों को बड़े पैमाने पर वितरित किया जाएगा तथा सरकारी/सहकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित बीजों की स्वीकृत मात्रा की बिक्री की जाएगी।

(2) दलहनों की खेती के लिए जिनका उत्पादन अधिकांशत: कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है छिड़काव-यंत्रों के वर्तमान में रियायती दरों पर हो रहे वितरण को और बढ़ाया जाएगा। एन.पी.डी.पी. के तहत, छिड़काव द्वारा सिंचाई से संबंधित योजना की अवधि साल दर साल बढ़ाया जा रहा है। इस योजना को लम्बी अवधि अर्थात् 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक के लिए बढ़ाया जाना होगा।

(3) किसानों को दिए जानेवाले सहयोग को सरकारी तंत्र के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के किसान संघों के साहचर्य से और प्रभावशाली बनाया जाएगा।

(4) दलहनों के लिए इन्टीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी अभी भी अपने विकास की प्राथमिक अवस्था में है। अतएव पर्यावरण के लिए अनुकूल पौधा संरक्षण रसायनों का किसानों द्वारा प्रयोग जारी रहेगा। एन.पी.वी. जैसे कीटनाशक दवाओं को बढ़ावा देने हेतु उनकी उपलब्धता को और सुगम बनाया जाएगा।

(5) दलहनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु आई.सी.ए.आर. ने सल्फर के प्रयोग की वकालत की है क्योंकि सल्फर के प्रयोग से दलहनों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जिप्सम/पाइराइट्स सल्फर के सबसे उपयुक्त वाहक है। अत: आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा दलहन उत्पादकों में इसे लोकप्रिय बनाया जाएगा।

[हिन्दी]

सरकार पल्सेज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर तरह कोशिश कर रही है। भविष्य में इसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। आप सबने जो सुझाव दिए हैं, वे ध्यान में रखे जाएंगे और उन पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा 18 दिसम्बर, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सांय 6.04 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा सोमवार, 18 दिसम्बर, 2000/ 27 अग्रहायण, 1922(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2000/24 अग्रहायण, 1922 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
51	नीचे से 3	(ङ) इससे इन देशो	(ङ) इससे इन देशों
66	10	(क) और (ग)	(क) और (ख)
134	25	राज्य भण्डारण नियम को भुगतान	राज्य भण्डारण निगम को भुगतान
206	14	श्री उत्तमराम पाटील	श्री उत्तमराव पाटील
295	1	कॉलम संख्या 295	294
334	नीचे से 10	अपराह्न 13·00 बजे	अपराह्न 3·00 बजे

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।